राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का २६ वां दिवस [संख्या २७

बुधवार, दिनांक ३० अक्टूबर, १९६४

विधान सभा की बैठक म.पू. ११ बजकर ४ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

(खनिज, स्वायत्त शासन, चिकित्सा, राजस्व, कृषि, खाद्य, गृह, सामान्य प्रशासन, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य–विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

जैसलमेर क्षेत्र में नैचुरल गैस और तेल की खोज

७१४. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जैसलमेर क्षेत्र में नेचुरल गैस और तेल की खोज की जा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि लगभग एक वर्ष पहले एक्सप्लोज़िव्ज़ के गोदाम का निर्माण हो चुका है, परन्तु अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है ?

(३) जैसलमेर के इस क्षेत्र में ड्रिलिंग का कार्य कब से चालू होने का अनुमान है और इसमें इतनी देरी होने का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लढ्ढा) : (१) जी हां।

(२) गोदाम का निर्माण हो चुका है व उसका उपयोग भी किया जा रहा है।

(३) ड्रिलिंग का कार्य अक्टूबर-नवम्बर, ६४ में जारी होने की संभावना है। विदेशों से सामान आने में देरी होने के कारण देरी हुई।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह काम कब तक हो जावेगा ?

Page No. 2

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बाहर से कंसाइनमेंट आने में देरी हुई है। थोड़े दिनों में सामान यहां पर पहुंच जावेगा और हम आशा करते हैं कि नवम्बर ६४, में शुरू कर दिया जावेगा।

एक माननीय सदस्य : यह कौनसे कंट्री की सहायता से किया जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (रायसिंहनगर) : फ्रेन्च कोन्ट्रेक्टर को कोन्ट्रेक्ट दिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कोन्ट्रेक्ट की शर्तें क्या क्या हैं कृपया बताने की करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कोन्ट्रेक्ट की शर्तों का प्रश्न नहीं है। यह अलग से प्रश्न है

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७१५।

श्रीमति नगेन्द्रबाला।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

टी० बी० सेनिटोरियम, जयपुर के संबंध में मरीजों की शिकायतें

७१६. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि टी० बी० सेनिटोरियम, जयपुर के ई० एस० आई० वार्ड में मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध सुविधाएं बहुत असन्तोषजनक हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस सेनीटोरियम के ई० एस० आई० के मजदूरों, मरीजों ने एक शिकायत पत्र सहायक संचालक, स्वास्थ्य चिकित्सा कर्मचारी बीमा योजना को भेजी है; जिसकी प्रतिलिपि स्वास्थ्य मंत्री को भी दी गई है ?

(३) क्या यह सही है कि इस शिकायत पत्र में मरीजों के लिए भोजन, नाश्ते, दवाइयों और व्यवहार के बारे में असन्तोष प्रकट किया है ?

(४) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच कराई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) सरकार इस वार्ड के मरीजों के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए क्या कोई कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) शिकायत की जांच करने पर शिकायत सही नहीं पाई गई।

(५) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके भोजन के लिए क्या मिनिमम चीजें मुकर्रर हैं।

Page No. 3

श्रीमती प्रभामिश्रा : जो सभी दूसरे मरीजों के लिये है वही इनके लिये भी है। स्पेशल केसेज में जिनके ओपरेशन आदि होता है तो उनको एग्ज़ आदि दिये जाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकर यह महसूस नहीं करती कि टी. बी. के मरीज के लिये ऑर्डिनरी मरीज से ज्यादा पौष्टिक भोजन की आवश्यकता रहती है; इसलिये साधारण व्यक्ति को जो भोजन दिया जावे उससे अच्छा और पौष्टिक भोजन उसको दिया जावे।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां पर आवश्यकता समझी जाती है वहां पर अन्डे और मक्खन और दूसरी चीजें भी दी जाती हैं। मगर आम तौर से ऐसा रूल है कि टी. बी. के पेशेन्ट को वही भोजन दिया जावे जो दूसरे मरीजों को दिया जाता है। अगर उनके लिये किसी चीज की जरूरत होती हैं तो उसके लिये डॉक्टर अलग से उनके लिये लिख देता है।

एक माननीय सदस्य : क्या टी.बी. मर्ज ऐसा नहीं है जिसके लिये पौष्टिक भोजन की ज्यादा आवश्यकता है नरिशमेंट के लिये ?

श्री बरकतुल्ला खां : उसकी डेफिशियेन्सी को पूरा करने के लिये विटेमिन्स को गोलियें दी जाती हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या टी. बी. के ऐसे मरीज हैं जो ठीक नहीं हो सकते हैं उनको वहां पर हॉस्पिटल में नहीं रखा जाता हैं और जो ऐसे मरीज हैं जिनका कोई वेली वारिस नहीं है उनको जब आप वहां पर नहीं रहने देंगे तो आखिर वे कहां जावेंगे ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह वाकई हार्ट बर्निग मसला है। वे मरीज जिनका इलाज नहीं हो सकता उनका क्या किया जाए और अगर उनको हॉस्पिटल में रखते हैं तो जो मरीज ठीक होने के काबिल हैं उनको वहां पर भर्ती होने का मौका नही मिलता और इतने बेड्स हमारे पास नहीं हैं जितने कि सब टी. बी. के मरीजों के लिए पूरा कर सकें। इसलिए अक्सर केसेज़ में जो मरीज ला-इलाज वे उनको फायदा नहीं होता है और मरीज जिनको फायदा हो सकता है, तो ऐसी हालत में उनको मजबूर होकर कहना पड़ता है कि वे दूसरी जगह चले जावें। चूंकि बेड्स की कमी है इसलिए उनको रवाना किया जाता है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : जब वे गांवों में जावेंगे तो टी. बी. के इन्फेक्शन फैलावेंगे, इसलिए किसी भी बीमारी को रोकना है तो दवा करने से पहले उससे बचने के प्रो उपाय काम में लिए जाने चाहिये। दवा करना इतना जरुरी नहीं है जितना प्रिकॉशन लेने का।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह कहूंगा कि आज बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनको नोटिस मिल गया हैं और वे जिन्दगी के लिये लटक रहे हैं, वे काम नहीं कर सकते; अगर सरकार उनके लिये कोई व्यवस्था करने के लिये आश्वासन देगी ? दूसरी बात यह है कि जब तक उनके लिये कोई दूसरा इन्तजाम नहीं हो तब तक के लिये सरकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उनको वहां से नहीं निकालने के लिये आदेश देगी ?

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मरीजों का ताल्लुक है होस्पिटल में उन्हीं मरीजों को रखा जाता है, जिनके ठीक होने का इन्काम हो, जो अच्छे हो सकते हों। उनके अलावा उन मरीजों को कि जिनका इलाज नहीं हो सकता हम अस्पताल में रख कर उन मरीजों को मौका नहीं दें जिनका कि इलाज हो सकता है। और ये लोग जो ज्वान है, उनके लिये मैंने खुद ने भी कोशिश की कि उन्हें कोई लोन मिल जाय जिससे कि वे कोई छोटी मोटी इन्डस्ट्री कायम कर सकें। मैंने खुद ने कोशिश की है। पर जहां तक जनरल ताल्लुक है ऐसे एडवान्स केसेज़ का तो उन मरीजों को इन्सट्रक्शन्स दी जाती हैं कि वे ये प्रिकाशन्स लें जिससे कि उनके घर वालों को और दूसरे पास पड़ौस वालों को इसके इन्फेक्शन से बचा सके।

श्री अध्यक्ष : उनके घर पर डोमिसियल ट्रीटमेंट की सरकार की कोई व्यवस्था या योजना है क्या ?

बरकतुल्ला खां: उसका अरेंजमेंट जयपुर के अन्दर है और बड़े बड़े शहरों के अन्दर है पर ज्यादातर मरीज आते हैं, शहरों के आते हैं, देहात के कम आते हैं, जो कि ला इलाज हों वे ज्यादातर शहरों के और शहरों के आस-पास के इलाकों के होते हैं जहां डोमिसियल ट्रीटमेंट का इन्तजाम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार के लोगों को घरों में रखने से दूसरे लोगों को कन्टेजियस डिज़ीज होने का खतरा है ऐसे मरीज़ सोसाइटी में नही जाने दिये जायं। जिनको घर के लोग दुत्कारें, सरकार दुत्कारे उनके लिए सरकार को इन्तजाम करना चाहिए। ये लोग जुर्म कर दें तो उन्हें जेल में जरुर डालेंगे, या तो उन लोगों को यह सजेशन दिया जाय कि जुर्म करें ताकि उन्हें जेल में डाल दिया जाय जिससे सरकार उनका सारा प्रबन्ध करे, वरना सरकार को आश्वासन देना चाहिये कि अगर वे आत्महत्या का प्रयास करें तो उनको कोई सजा नहीं दी जायगी। वरना उनका सरकार को इन्तजाम करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह !

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, सवाल तो था दूसरा और उसमें दूसरी चीज खड़ी कर दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह तो एक साइकिल है, जिसे ब्रेक करना चाहिये एक टी. बी. का मरीज ७ मरीज पैदा करता है, यह मर्ज हाइली इन्फेक्शियस है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! दूसरा प्रश्न कॉल किया जा चुका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरकार कुछ तो कहे इसके लिये।

श्री अध्यक्ष : सरकार को जो कहना चाहिये था वह कह दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : संतोषजनक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : संतोषजनक नहीं है, यह अलग विचार है।

श्री रघुवीरसिंह !

श्री राधाकृष्ण कोयल : प्रश्न संख्या ७१७।

नेहरू अवार्ड के तहत जागीरदारों के मुआवजे

७१७. **श्री रघुवीरसिंह** (बिसाउ) [श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) द्वारा पूछा गया]: क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला झूंझुनू के कलक्टरी जागीर विभाग में कितने मुकदमे जेर तजवीज है ? कितने मन्दिरों, मस्जिदें इत्यादि की जागीरें खालसे हुईं, कितनों के मुआवजे तय कर दिये गये और कितनों के जेर-तजवीज हैं ?

(२) वहां नेहरु अवार्ड के तहत कितने जागीरदारों को मुआवजे के बोन्ड्स जारी करने बाकी हैं तथा कितने जागीरदारों के मुआवजे के बोन्ड्स आये हुए पड़े हैं, जो जागीरदारों को देने हैं ?

(३) क्या इस सारे कार्य को केवल ३ कर्मचारियों द्वारा जो इस वक्त जिला झुंझुनू में तैनात है, किया जाना संभव है ? यदि हां, तो वे कितने समय में यह सब कार्य कर सकेंगे ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) १६८३ मुकदमे जेर तजवीज हैं।

२२८० धार्मिक जागीरें खालसा की गई हैं।

२६५ दावे फाइनल किये गये और २०१५ रू० दावे जेर तजवीज है।

(२) १००१४ दावों में इन्डेन्ट करना शेष है, किसी के बोन्ड्स अभी तक नहीं आये।

(३) ६ कर्मचारी लगा रखे हैं।

एक माननीय सदस्य : नेहरू अवार्ड के बोन्ड्स कब तक मिल जायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : छप कर आ गये हैं; थोड़े दिनों पहले ही आये हैं इसलिए अभी तैयार किये जा रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): इन बोंड्स के देने का काम कब तक खत्म होगा अनुमानत: ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : झुंझुनू जिले के लिये या सारे राजस्थान के लिये निश्चित डेट तो नहीं बता सकता, पर जागीरी मामलों का फैसला करने के लिये हम फैसला कर चुके हैं कि २८ फरवरी, १९६६ से पहले पहले ये सारे मामले निबट जाने चाहिये।

Page No. 6

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: कोई क्रम सरकार बनाने की तैयारी कर रही है जिससे धर्मादा और छोटी जागीरों को मुआवजा जल्दी देने की सुविधा हो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ग्रान्ट इन परपेच्युइटी, जो धार्मिक हैं, उनका जल्दी डिस्पोज़ल हो, उसके सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये हैं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : नेहरू अवार्ड के बोन्ड्स देने का काम झुंझुनूं जिले में ही शुरू होगा या सारे राजस्थान में होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : छप कर बोन्ड्स आ गये हैं तो सारे राजस्थान में होगा।

श्री दलपतसिंह : झुंझुनूं जिले के अलावा राजस्थान में सभी जगह यह व्यवस्था हुई है या झुंझुनूं जिले के लिए ही हुई है ? क्योंकि झुंझुनूं जिले का प्रश्न था इसलिए मैं पूछ रहा हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सब जगह।

श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) : जिन जिलों में जागीर अधिकारी नहीं लगे हुए हैं उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं सुन नहीं पाया।

श्री अमरसिंह (पचपदरा) : एक तरफ तो वाइन्ड अप करने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कई जगह डिप्टी कलेक्टर जागीर की जगह रिक्त पड़ी हुई है, सरकार उन रिक्त जगहों को भरने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, दस दस महीनों से वे स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। छोटे छोटे पंचायतों और माफीदार हैं उनके क्लेम्स पड़े हुए हैं, उनको कोई हाथ तक नहीं लगा रहा है। जब तक सब मामले तय नहीं हों तब तक ताकीत नहीं फरमायें कि जल्दी वाइन्ड अप कर देंगे। गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली है जल्दी पेमेंट करने की; तो इन सारे मामलों को जल्दी से जल्दी निपटायें, खाली वाइन्ड अप करने के लिए ही चिन्तित न रहें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वाइन्ड अप करने से हमारा मतलब यह नहीं है कि जैसी भी हालत होगी उसमें वाइन्ड अप कर दिया जायगा। वाइन्ड अप करने का मतलब यह है कि सब्स्टेन्शियल वर्क फरवरी ६६ से पहले समाप्त हो जाय। जैसी भी स्थिति हो उसमें वाइन्ड अप कर दें, वाइन्ड अप करने का यह मतलब नहीं है। जल्दी काम निबटाना है इसीलिये जहां स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता थी वहां हाल ही में बढ़ा दिया है, जहां स्टाफ की सैंक्शन होते हुए भी नियुक्तियां नहीं हो पायी हैं वहां अवश्य जानकारी करके उचित आदेश दिये जायेंगे।

श्री अमरसिंह : बाड़मेर जिले में....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न झुंझुनूं जिले का था इसलिए बाड़मेर का इस समय नहीं कह सकता। वहां अगर सैंक्शन होते हुए भी जगह खाली है तो नियुक्ति जल्दी ही करेंगे।

श्री अमरसिंह : मैं इस समय और कोई आश्वासन नहीं चाहता, लेकिन यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि बाड़मेर जिले में निश्चित रूप से यह जगह खाली पड़ी हुई है, एक लम्बे अर्से से।

Page No. 7

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह जगह खाली पड़ी है और सैंक्शन्ड पोस्ट है तो जरूर जल्दी नियुक्ति की जायगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन बड़े जागीरदारों ने छोटे जागीरदारों का मुआवजा ले लिया उन छोटे जागीरदारों को वह और यह नेहरू अवार्ड का भी दिलावेंगे क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह अलग प्रश्न है। झुंझुनू का प्रश्न था, इस सम्बन्ध में जितनी जानकारी की आवश्यकता थी उससे ज्यादा दे चुका हूँ।

एक माननीय सदस्य : झुंझुनू में स्टाफ कम है, क्या आप उसे बढ़ावेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : झुंझुनू में बढ़ाया है तभी तो प्रश्न के आखिरी भाग में बताया है कि इतना या इतना किया है।

एक माननीय सदस्य : साहब तीन ही हैं इस समय तो।

श्री मानधातासिंह (महुआ) : जागीर लॉ में जो जागीर एडवोकेट हैं उनको हटा कर क्या गवर्नमेंट एडवोकेट्स को ही उनका काम करने की इजाजत देकर सरकार फिजूल खर्चा बचाने को तैयार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : समझा नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष : जागीर एडवोकेट्स हैं, उनको फिजूल तनख्वाह दी जाती है। गवर्नमेंट एडवोकेट्स को ही यह सारा काम क्यों नहीं सौंप दिया जाता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जागीर का कानून एक स्पेसिफाइड कानून है। इतने वर्षों से ये लोग काम कर रहे हैं, इनको इस काम का अनुभव है। इसलिए थोड़े से दिनों के लिए हटाना और दूसरे को देना, वर्क में इन्ट्रेस्ट में नहीं रहेगा, इसलिए जो है वही जारी रहेंगे।

श्री मानधातासिंह : दूसरों को मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं वे ही कर सकते हैं। जागीर लॉ रेवेन्यू लॉ से कोई अलग नहीं है, गवर्नमेंट एडवोकेट्स रेवेन्यू लॉज़ को जानते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दोनों को एक करने का प्रश्न नहीं है। रेवेन्यू के वकील नहीं हैं। जगीर वर्क के लिए थोड़े से वकील हैं। जब तक यह काम खत्म नहीं हो तब तक करते हैं, उसके बाद इनको रखने का सवाल नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आपका काम खत्म नहीं होने वाला है और ये वकील भी खत्म होने वाले नहीं हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दोनों एक साथ खत्म होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

पीने के पानी की व्यवस्था हेतु योजना आयोग द्वारा अनुदान

७१८. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डिगाना) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्रीमती गौरी पूनिया)

(अ) सन् १९६४-६५ में योजना आयोग ने राजस्थान को पीने के पानी के लिए विशेष सहायता के रूप में कितनी धन राशि दी है ?

(ब) इस राशि को राज्य सरकार ने किस रूप में खर्च करने का निर्णय लिया है ? केवल ट्यूब वेल की बोरिंग करवा कर या अन्य प्रकार से भी ?

(स) कुओं के स्थान चुनने का मापदंड क्या रखा है ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (अ) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को पीने के पानी के लिए सहायता के रूप में ६३ लाख की धनराशि इस वर्ष दी है। यह धन राशि अग्रिम अनुदान के रूप में है। इसका ५० प्रतिशत ग्रान्ट है और ५० प्रतिशत कर्ज (लोन) है।

(ब) इसमें से ४३ लाख रुपये पाइप वाटर सप्लाई स्कीम पर खर्च होंगे और २० लाख रुपये कुओं पर; जिसमें से ७ लाख ५० हजार रुपये गिनी वॉर्म इरेडिकेशन पर खर्च होंगे। इस धन-राशि में ट्यूबवैल बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा उन क्षेत्रों में जहां प्रायः अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है २५० ट्यूब वैल बनाने का प्राव-धान है। मौजूदा कुओं को गहरा करने का भी प्रावधान है। इस स्कीम पर करीब ५ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(स) रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत कुएं बनाने का मापदण्ड का प्रश्न नहीं उठता है। २५० ट्यूब वैलों के प्रावधान में यह विचार रखा गया है कि १० मील के वर्ग में एक कुआ, चाहे वह ट्यूब वैल हो या मौजूदा कुओं को गहरा करने का काम हो, बनाया जावे जिससे अकाल की स्थिति में पीने का पानी उपलब्ध हो। साथ ही अगर पानी अधिक मात्रा में मिल जाय तो कुछ खेती, पाश्चर लैंड आदि को भी विकसित किया जा सके।

श्रीमती गौरी पूनिया : ६३ लाख की धनराशि में से कितना खर्च हो चुका है और कितना खर्च करना है ?

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मन्त्री) : धनराशि भारत सरकार ने सैंक्शन की है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : आपने जो ६३ लाख रुपये बताए उनमें से गावों के लिए कितना है और म्युनिसिपल एरियाज़ के लिए कितना है ?

श्री भीमसिंह : यह मवेशियों के लिए है। जहां अकाल होने से मवेशी डूबते हैं, मवे-शियों को जिन्दा रखना है, तो एनीमल स्टॉक्स के लिए हैं। पीने के पानी के लिए कम्यू-निटी डेवलपमेंट वाले अलग व्यवस्था करते हैं।

श्रीमती गौरी पूनिया : अभी खर्च कितना हुआ और कितना बाकी है ?

श्री भीमसिंह : अभी रकम मिली नहीं है, तो खर्च होने का प्रश्न नहीं है।

Page No. 9

(श्री भीमसिंह)

ज्योंही रकम आयेगी स्कीम हाथ में ली जावेगी ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : २५० ट्यूब वैल्स में से इस साल कितने बनाने हैं ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : २५० में से १२५ बनाने हैं ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : जो सहायता मिली है उसका जिलावार बेक अप अलग अलग किया है ।

श्री भीमसिंह : जो रेगिस्तान के इलाके हैं उन्हीं के लिए खर्च करने के लिए उसको लिया गया है; जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर नागौर, चूरू ।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर भी है क्या ?

श्री भीमसिंह : हां, है ।

श्री तेजाराम गहलोत : पाली का जो हिस्सा है रोड का, जो सेमीडेज़र्ट एरिया है, क्या उसके लिये कुछ अलॉट करेंगे ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

जयपुर शहर में शक्कर का वितरण

७१६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जयपुर नगर में अभी तक कुल कितने व्यक्तियों के राशन कार्ड बने हैं । इसमें बड़ों की संख्या कितनी है ? चौकड़ी अथवा वार्ड अनुसार इस सम्बन्ध की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) चीनी वितरण के लिए जयपुर नगर में कितनी दूकानें हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ दूकानदारों के खिलाफ चीनी ब्लैक में बेचने की शिकायतें आई ? यदि हां, तो किसके खिलाफ और उन पर क्या कार्यवाही हुई ? इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(४) जब से जयपुर नगर में चीनी का वितरण राशनिंग पद्धति से प्रारम्भ हुआ है उस समय से आज तक प्रति माह कितनी चीनी वितरित की गई ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(५) जून १९६३ से जून १९६४ तक जयपुर नगर में कितनी चीनी आई ? माहवार इसकी तफसील सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(६) राशन कार्ड्स के अलावा जयपुर में चीनी के परमिट किन किन अभिप्रायों के लिए दिए जाते हैं और उनके निर्धारण के लिए क्या माप-दंड रखा गया है ?

(७) जून १९६३ से जून १९६४ तक कितने मन चीनी के परमिट जारी किए गए और इन परमिटों द्वारा किस किस अभिप्राय के लिए कितनी चीनी दी गई ? इस बारे में

Page No. 10

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जून १६६३ से जून १६६४ तक माह अनुसार एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(८) मई-जून १६६३ में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ग्रीष्मकालीन शिक्षण-शिविर के लिए कुल कितनी चीनी का परमिट दिया गया और कितनी चीनी का परमिट लेने की मांग की गई ?

(६) जयपुर नगर में अखिल भारतीय कमेटी के अधिवेशन के लिए कितनी चीनी के परमिट कितने व्यक्तियों के लिए कितने दिनों के वास्ते दिए गए ? चीनी के अलावा किस किस वस्तु का परमिट प्रदान किया गया ?

उप-मन्त्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) अब तक जयपुर शहर में १,००,०५० राशन कार्ड्स का वितरण किया जा चुका है इन कार्ड्स में बड़ों की संख्या ३,८६,७०५ है। बाकी रहने वाले व्यक्तियों के राशन कार्ड्स बनाने के लिये दरख्वास्त देने की तारीख ६ नवम्बर से १३ नवम्बर, १६६४ तक मुकर्रर की गई है। जयपुर शहर को ५ क्षेत्रों में बांटा गया है। और क्षेत्र वार राशन कार्डों की संख्या की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। चौकड़ी वार सूची प्रस्तुत करना मुमकिन नहीं है क्यों कि चौकड़ी के हिसाब से न बनवाये जाकर ऐरिया आफिसेज़ के हिसाब से राशन कार्ड्स बनवाये गये हैं। इन क्षेत्रों की जानकारी जनसाधारण को जरिए विज्ञप्ति समाचार पत्रों के दी जा चुकी है।

(२) इस समय नगर में कुल ६२ दूकानें हैं।

(३) जी हां, इन दूकानों में से २१ दुकानों के खिलाफ शिकायत आई, जिस पर इनको सस्पेंड कर दिया गया और कागजात वास्ते जांच पुलिस को भेजे गए; लेकिन पुलिस अधिकारी द्वारा कुछ और सूचना प्राप्त करने के लिए ये कागजात जिला कार्यालय में वापस भेज दिये गये। यह सूचना, जांच अब अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा एकत्रित कर रहे हैं। इन दूकानदारान की लिस्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(४) जयपुर शहर में चीनी वितरण राशनिंग पद्धति माह जून सन् १६६३ से चालू हुई है। वितरण की गई चीनी की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(५) जो मात्रा प्रश्न के भाग '४' की सूची में दर्ज की गई हैं वही चीनी प्राप्त हुई है।

(६) राशन कार्ड के अलावा चीनी के स्पेशल परमिट्स सिर्फ शादी, जापा, मेडिकल ग्राउन्ड पर ही दी जाती है। शादी के लिए लड़की की शादी में ३० किलो तक व लड़के की शादी में १५ किलो तक, मेडिकल ग्राउन्डस व जापा के लिए १० किलो तक चीनी दी जाती है। होस्टलस, मेसेज़, टी क्लब्स, केन्टीन्स, हलवाईज़, दवाईवाले, आइसक्रीम व सोडा वाटर फैक्टरीज़ व मुख्य २ होटलों को उनकी मोहवारी जरूरत के हिसाब से स्टैंडिंग परमिट्स दिए हुए हैं।

(७) जून १६६३ से जून १६६४ तक कुल ४,०६६ बोरी चीनी के परमिट जारी

Page No. 11

(श्री श्रीमती कमला बेनीवाल)

किये गए हैं। जिन जिन अभिप्रायों के लिये चीनी दी गई उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(८) मई सन् १९६३ में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ग्रीष्मकालीन शिक्षण शिविर के लिए १ क्विन्टल चीनी का परमिट दिनांक २७-५-६३ को दिया गया है। उनकी तरफ से एक प्रार्थना-पत्र ४ बोरी के लिए पेश हुआ था।

(९) वान्छित सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है; उक्त परमिटों की मयाद केवल ७ रोज के लिए थी। इसके अलावा और कोई परमिट किसी भी वस्तु का नहीं दिया गया है; न किसी ने किसी वस्तु के लिए प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया था।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन २१ लोगों के खिलाफ जो शिकायतें आई उनको सस्पैंड करने के अलावा उनका प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं किया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि उनके सारे कागजात हासिल करके जांच की जा रही है और उनके खिलाफ जिस तरह से भी होगा कार्यवाही की जावेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच कब से चल रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : तारीख मुझे याद नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जांच चलते एक साल हो गया और अभी तक प्रोसीक्यूशन के लिए कागजात फाइनेलाइज़ नहीं हुए ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सभी मामलों में एक साल नहीं हुआ है। कुछ पुराने हैं, कुछ नए है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल इस बात का है कि सरकार चाहती है कि ब्लैक मार्केट को रोका जाय और सरकार बड़ी मुश्किल से २१ लोगों को पकड़ पाई और उसके बाद उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो सकी। जब आपने उनको पकड़ लिया, प्राइमाफैसी सैटिस्फाइ हो गये, तो फिर प्रोसीक्यूशन करने के लिए दिक्कत क्या है ? ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि इसी सूची में जयपुर केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार भी हैं; इसलिए प्रोसीक्यूशन नहीं करते।

श्री नाथूराम मिर्धा : सहकारी उपभोक्ता भन्डार भी है, बाकी प्राइवेट लोग भी है; उन लोगों के कैसेज़ भी पुलिस में भेजे थे। पुलिस वालों ने जानकारी करके कागजात विभाग को भेजे हैं। तो सारे कागजात को देखकर जो भी कार्यवाही करनी होगी जल्दी की जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिन लोगों के खिलाफ ये शिकायतें पाई गई उनके लाइसेन्सेज़ सस्पैंड किए गए हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ कैंसिल किये, बाकी सस्पैंड किये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जयपुर सहकारी उपभोक्ता भंडार के खिलाफ भी शिकायत आई और उसका लाइसेन्स कैंसिल नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : केवल दो के किये है बाकी सस्पेंड किये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जयपुर केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार जिसका कैसे पुलिस इन्वेस्टीगेशन में है उसका लाइसेन्स सस्पैन्ड भी नहीं किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जानकारी मुझे नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जानकारी दे रहा हूं। किस उपभोक्ता भण्डार की ब्रांच से....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी सूची में है।

श्री नाथूराम मिर्धा : रीटेल सेल के दूकानों के सभी सस्पेंड किए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए मैं मानकर चलूं कि जो लिस्ट में जयपुर केंद्रीय भंडार का नाम दिया गया है उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सूची में नाम लिखा हुआ है !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं लिखा है। २० में लिखा है. २१ में नहीं लिखा है। तो मैं मानूं कि उसको भी सस्पेंड कर दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर सोच लीजिए। जयपुर केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा शर्मा हैं, उसका लाइसेंस सस्पेंड किया है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : क्योंकि हमारी निगाह में आ चुका है, चूंकि उसके खिलाफ शिकायत है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने कैटेगोरीकल प्रश्न पूछा है। जयपुर केन्द्रीय उपभोक्ता भंडारका लाइसेंस आपने कैंसिल किया है या स्पेंड किया है या कुछ नहीं किया है; हां या ना में उत्तर दीजिये। यह 'ना' की सूची में है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) ; एक सवाल है, 'हां' कह दो या 'ना' कह दो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I quite uderstand his difficulty, Sir.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ; Everybody understands his difficulty.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Don't join him in that difficulty. आपने बताया कि लड़के या लड़की की शादी, जापा, मैडिकल ग्राउंड्स और इसके अलावा किसी भी काम के लिए चीनी किसी को नहीं दी जाती

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस अधिवेशन के समय कांग्रेस की रिसेप्शन कमेटी का जो सेक्रेटरी था उनको २१ बोरी चीनी का परमिट दे दिया, उसमें मुझे आपत्ति नहीं; हमारे मेहमान अधिवेशन में आए उनको चीनी मिलनी चाहिए। उनको क्यों ज्यादा दी, वह चीज़ अलग है, उसका उपयोग नहीं हुआ, ब्लैक हुई; वह अलग चीज है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आप कैसे कहते हैं कि ब्लैक हुआ ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक महीने के लिए ४०० आदमियों के लिए एक बोरी और आपके ४०० आदमियों के लिए तीन दिन के लिए २१ बोरी। वन टू ट्वेन्टी रेशो हो गया।

श्री नाथराम मिर्धा २१ बोरी कहां है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें लिखा है।

श्री नाथूराम मिर्धा: २१ : क्विंटल लिखे हैं। एक बोरी में चीनी कितनी आती है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एक क्विन्टल चीनी एक बोरी में आती है।

(व्यवधान—शोरगुल—घन्टी)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किस पाठशाला में गणित पढ़ी है, नाथूरामजी ?

(घन्टी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें टोटल लिखा है २१ क्विंटल८० किलो। २२ बोरी हो गई श्रीमानजी या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : २१।।। बोरी हो गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने जब सेक्रेटरी रिसेप्शन कमेटी, ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस को १० बोरी का परमिट दे दिया, सेक्रेटरी ऑल; इण्डिया कांग्रेस अधिवेशन को २ बोरी, सेक्रेटरी रिसेप्शन कमेटी को दें आप उसमें एतराज नहीं है, लेकिन सारे मिनिस्टर्स भरे हुए हैं। मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ३० किलो, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर २० किलो, मैनेजर, राजस्थान राज्य सहकारी संघ ५० मिलो, मिनिस्टर फोर, इर्रिगेशन २० किलो, मैनेजर कोऑपरेटिव यूनियन ६० किलो, डिप्टी मिनिस्टर फोर एग्रीकल्चर २५ किलो, डिप्टी मिनिस्टर पुलिस ३ बोरी, कैम्प कमान्डेन्ट ४० मिनिस्टर पी० डब्ल्यू० डी० एक बोरी....किलो,

श्री अध्यक्ष : यह सब दोहरायें नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन मिनिस्टरों में ने किसके जापा हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तशरीफ रखिये, मैं जवाब देता हूं; आप सुनिये। आपने जो यह कहा कि स्पेशल मौके पर चीनी का परमिट दिया जब कि न जापा न शादी थी; सदन की जानकारी के लिए मैं यह सूचना करता हूँ कि जिस समय यह कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके पहले स्पेशल परमिट के बारे में जापे, शादी के लिए कोई किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं था। कलेक्टर्स को परमिट देने के लिए हिदायत थी कि जो

Page No. 14

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कोटा है उनके पास उसका एक परसेन्ट किसी की जरूरियात के लिए स्पेशल परमिट दे सकते हैं। यह फैसला किया गया जनवरी या फरवरी में सैशन के तुरन्त बाद ही कि स्पेशल परमिट के लिए भी कुछ लिमिटेन्शन्स की जायं। बाद में परमिट्स शादी-जापे आदि के लिए किये जयं, यह निश्चय किया।

श्री मानधातासिंह (महुआ) : क्या यह सही है कि ये परमिट्स एडीशनल कलेक्टर जयपुर ने दिये; उसके एवजाने में उसको हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट बना दिया गया ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : क्या सवाल है ! क्या अक्ल का नमूना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह परमिट तो किसी स्पेशल पर्पज़ेज़ के लिए है। नवम्बर ६३ में जापा नहीं था। सरकार ने निश्चय कर रखा था कि स्पेशल परमिट दिये जायं, इनको परमिट दिया किस कारण ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो मेहमान बाहर से सेशन में आवेंगे वे कुछ लोगों के घरों पर ठहरेंगे। इसलिए कुछ मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स ने परमिट मांगे, उनको दिये गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अधिकांश लोग गवर्नमेंट होस्टल में ठहरे थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत से गवर्नमेंट होस्टल में ठहरे थे, बहुत से खासा कोठी में भी ठहरे थे, बहुत से मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर साहब के घरों में भी ठहरे थे। डिप्टी मिनिस्टर्स के पास भी ठहरे थे और भी अपने दोस्तों के पास ठहरे थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चोरी की चीनी की....

बारां कोतवाली में पड़ी सीमेन्ट की बोरियां

७२०. श्री दयाचन्द सोन (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बारां कोतवाली में कितनी बोरी सीमेन्ट की किस कानून के तहत किस ठेकेदार की कितने समय से पड़ी रही थी ?

(२) क्या यह सही है कि बारां कोतवाली में ही रखी हुई सीमेन्ट की बोरियां बरसात में भीग कर पत्थर हो गईं ?

(३) क्या यह सच है कि कोतवाल श्री बृजेन्द्रसिंह, ने बाहर खुले स्थान पर रखी गई सीमेन्ट की बोरियों को पानी से नहीं भीगने की व्यवस्था की थी ?

(४) क्या यह सच है कि सीमेन्ट के ठेकेदार ने पुलिस अधिकारी को सीमेन्ट खराब हो जाने व उसका हर्जाना देने का नोटिस दिया ?

(५) बारां कोतवाली में ठेकेदार की जो सीमेन्ट खराब हुई है उसका नुकसान पुलिस विभाग किस मद से देगी ?

उप-मंत्री,गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) (१) कुल १३२ बोरी सीमेन्ट दिनांक १७-३-६१ से पड़ी हैं जो कि धारा ५५० जा० फो० में कब्जे पुलिस ली गई थी। इस सीमेन्ट के मालिक का पता नहीं लग सका।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं

(४) जी नहीं ।

(५) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री दया चन्द सोन : क्या वहां पर कोई ऐसा स्थान नहीं था कि उन बोरियों को सुरक्षित रखा जाता ? सीमेन्ट की बोरियां बरसात का मौका था, बाहर फैंक दी गई । पुलिस स्टेशन पर उनको बरसात से क्यो नहीं बचाया गया ? एक तरफ कहते हैं, मालिक का पता नहीं लगा ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एक तरफ मैं कहता हूं कि मालिक का पता नहीं लगा, बिलकुल सत्य है । दूसरी तरफ सीमेन्ट नहीं बचाया गया, यह ठीक है । चाहिये तो बचाना और बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचाया; इसलिये नुकसान हुआ ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : जब्त किससे की गई ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : कानून के तहत ।

श्री अब्दुलजब्बार : मालिक कौन था ? कहीं पड़ी हुई, रखो हुई मिलीं ? ओपन प्लेस में मिलीं या प्रेमिसेज में मिलीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने प्रश्न को देखा ही नहीं । ट्रक में चल रही थीं, उन सीमेन्ट बोरियों को पकड़ा गया । ट्रक और बोरियां कब्जे पुलिस कर ली गई ।

श्री अब्दुलजब्बार : आपने फरमाया, मालिक का पता नहीं । ट्रक में माल किसने लोड करवाया ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ट्रक में मदारी ड्राइवर था ।

श्री अब्दुलजब्बार : उस माल को लोड किसने करवाया, मैं यह पूछ रहा हूं ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उसका पता नहीं लगा ।

श्री अब्दुलजब्बार : ट्रक को भी उसके साथ गिरफ्तार किया गया ?

श्री निरन्जननाथ आचर्य : ड्राइवर को

श्री अब्दुलजब्बार : ट्रक और ड्राइवर दोनों को कब्जे लिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : लिया गया ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : ड्राइवर भी मदारी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पूछने वाले भी मदारी ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सीमेन्ट जैसी चीज़ जिसका नुकसान हुआ, मालिक नहीं मिला; लेकिन देश की तो थी । उसकी क्यों नही हिफाजत की गई ? इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं ? उनको क्या सजा दी गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसे लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

श्री अब्दुलजब्बार : मालिक ने क्या नोटिस दिया पुलिस को किसीमेन्ट खराब रही है

श्री निरंजननाथ आचार्य : ५२३ जाब्ता फौजदारी में अदालत ने नोटिस दिया।

श्री अबदुलजब्बार : मालिक ने नोटिस नहीं दिया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी नहीं।

श्री अबदुलजब्बार : नोटिस दिया अगर मिल जाय तो ?

श्री निरंजनानथ आचार्य : 'अगर मगर, का सवाल नहीं है। जी नहीं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। 'मगर' कहां आता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ५२३ के तहत मजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त हो जाय तो जिसके ज़ेपशन में चीज़ है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एस. डी. एम. बारां में सबमिट किया गया। नोटिस दिया गया। Notice was given that whosoever may be the complainant may present himself in the court. Nobody presented himself, therefore the property was given.

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

अगूंर की खेती की जानकारी का उपयोग

७२१. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि डिप्टी डाइरेक्टर, कृषि विभाग, उदयपुर को अगूंर की खेती की जानकारी के लिये हैदराबाद से दक्षिण भेजा गया था ! यदि हां, तो वहां से आने के बाद इन्होंने कहां कहां अपनी जानकारी का उपयोग किया है ?

(२) क्या यह सच है कि उन्होंने हैदराबाद से आने के बाद उदयपुर में श्रीमती इन्दूबाला के बगीचे में अगूंर की खेती की है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : १. जी हां। इन्होंने अपनी जानकारी का उपयोग कुम्भलगढ़, गिरवा, बड़गांव, मावली, सुवाणा और निम्बोहेड़ा पंचायत समितियों में किया है।

(३) श्रीमती इन्दुबालाजी अगूंर की खेती में रुचि रखती हैं, अत: जब जब उन्होंने टैक्निकल सलाह ली है उप-संचालक उदयपुर ने सलाह दी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जो अंगूर की खेती का प्रदर्शन आपने बताया है कि फलां जगह लगे हैं, क्या इस बात को एनेलाइज कर लिया गया है कि वहां वह जमीन भूमि मिट्टी पानी आदि इस खेती के लिए उपयोगी है या नहीं ?

श्री भीमसिंह : जी हां।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं; बनेड़ा

Page No. 17

(उमरावसिंह ढाबरिया)

पंचायत समिति के सरपंच कजोड़जी पटेल भी हैदराबाद गये थे। वे इसका तीन दफा कल्टीवेशन कर चुके हैं और एक बेल भी नहीं रही। इसलिए कहना चाहते हैं कि इस चीज़ का उपयोग उन जगहों पर होगा या नहीं। मुख्य मंत्रीजी की बंगले में लगी है, यह मैं देख कर आया हूं; लेकिन दूसरी जगह उपयोग होगा या नहीं ?

श्री भीमसिंह : प्लांटेशन ठीक ढंग से नहीं किया होगा, प्रूनिंग ठीक समय पर नहीं किया होगा और पानी जितना चाहिये नहीं दिया होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक ही नर्सरी में किया है। दूसरी जगह करते तो वहां भी पनप जाती।

श्री भीमसिंह : मैंने आपको बताया कि कुम्भलगढ़, गिरवां, बड़गांव, मावली, सुवाणा और निम्बाहेड़ा पंचायत समितियां में किया गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : किस किस जगह कितनी २ बेलें लगी हैं ? प्लान्टेशन किया, लेकिन कितनी जगह बेलें नष्ट हो गई ?

(विराम)

एक भी जगह बेल नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : मैं बताऊं आपको। यह अंगूर की बेल लगाने का काम राजस्थान के लिए नया है। इस काम को सीखने के लिए कई लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजना जरूरी था। उसके कुछ हिस्से को पूरा किया है। हमने इस साल में १०० एकड़ के अन्दर अंगूर की बेल लगाई जावे इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। इसके कई ट्रेनिंग की स्टेज़ेज हैं। इस वक्त पनिंग का सीज़न है और इस वक्त भी कई लोगों को इसकी ट्रेनिंग में भेज रखा है। इस साल हमको २० व २५ हजार के करीब बेले मौसम में लगानी हैं।

इन सारे कामों की बिल्कुल नई शुरूआत हैं और दस हजार एकड़ में ये बेलें लगें इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। जो लोग इसमें इन्टरेस्टेड हैं सरकार; लौन भी देगी उनको और सिखलाने के तौर पर उनको एडवाइज़ भी दी जावेगी और मेरा यह विश्वास है कि जिस प्रकार आपने कहा कि जलवायु, जमीन आदि का परीक्षण करके देख लिया गया है या नहीं, तो मैं समझता हूं कि यह देख लिया गया है और राजस्थान के हर हिस्से में मौसम इसके अनुकूल है और अंगूर की बेल पनप सकती है; जिसकी खेती करना राजस्थान के हित में है। यह मेरा विश्वास है। जो ट्रोपिकल कन्डीशन, जलवायु आदि का मुकाबला करें तो हर हिस्से से राजस्थान के कर सकते हैं और हर हिस्सा राजस्थान का इसके उपयुक्त है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मेरा एक प्रश्न है इस सम्बन्ध में।

एक सप्लीमेंटरी पूछूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन पर सरकारी खर्चा

७२२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि १९६३ में जयपुर में कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन जिस सरकारी इमारत के अहाते में हुआ था उसके द्वारों के लिए उस अहाते को चार पांच जगह से तोड़ा गया ? यदि हां, तो उसके तोड़ने व बनाने में सरकार को कितना खर्चा करना पड़ा ?

(२) इस अधिवेशन के समय राजस्थान सरकार को सड़क निर्माण, सफाई, रोशनी, बिजली की लाइन व तार टेलीफोन की लाइनों आदि में कितना खर्चा करना पड़ा ? अलग अलग आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने कृपा करें।

(३) क्या यह भी सही है कि इस अधिवेशन के समय सांगानेरी दरवाजे के भीतर सरकारी खर्चे पर एक बुर्ज (चबूतरा) बनाया गया था ? यदि हां, तो उस पर कितना रुपया खर्चा हुआ और अब वह चबूतरा किस काम में आता है ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस अधिवेशन में सरकारी कर्मचारियों ने महीनों तक निर्माण, सजावट, सफाई आदि का कार्य किया व वेतन अपने सम्बन्धित विभागों से लिया ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां। यह कार्य सरकार द्वारा न कराया जाकर कांग्रेस संस्था द्वारा कराया गया था; अतः सरकार द्वारा इस पर कोई खर्चा किया जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(२) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(३) सांगानेर दरवाजे के भीतर सरकारी खर्चे पर एक रॉस्ट्रम बनाया गया था जिसका खर्चा २,१५०) आया। उसे अब तुड़वा दिया गया है।

(४) जी नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेडिकल कॉलेज ग्राउन्ड की वाल को तुड़वाने की कांग्रेस ने इजाजत ली ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने निवेदन किया कि सड़कें वगैरह बनाने-करने का, तोड़ने आदि का खर्चा कांग्रेस ने किया।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं यह पूछ रहा हूं कि जो बाउन्डरी वाल दरवाजों के लिए आने-जाने के लिए तोड़ी गई तो तोड़ने से पहले क्या कांग्रेस ने इजाजत ली ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री) : हम सब, सारी गवर्नमेंट ही वहां मौजूद थी।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो फिर यह मानना चाहिए कि यह गवर्नमेंट का अधिवेशन था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): सारी गवर्नमेंट मौजूद थी और इसलिए जुबानी जमा खर्च हो जावे, इस कानूनी राज्य में तो यह मुख्य मन्त्री सरीखे जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से शोभनीय शब्द नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी ने चोरी से तोड़ दिया हो, ऐसा तो नहीं है। जो भी कन्सेर्न्ड आदमी था उनकी जानकारी में सब था और हम सब मौजूद थे और जो तोड़ा गया वह बाद में ठीक करा दिया गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : दूसरी कोई राजनैतिक संस्था भी अगर अपना अधि-वेशन इस तरह की जगहों पर करना चाहे और वह भी बिना आज्ञा तोड़ दे, कर दे तो आप क्या करेंगे?

श्री परसराम मदेरणा : प्रिन्सिपल मैडिकल कॉलेज से बात-चीत करने के बाद तोड़ी गई थी। यही नहीं रॉस्ट्रम बना था, पर उसके डंडा नहीं होना चाहिये तो इसके लिए पेवेलियन बनाया गया। उस पर सात हजार खर्च किया और बाद में उसे उनको डोनेट कर दिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : प्रिन्सि-पल से तो कोई भी बात कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। पर गवर्नमेंट इसको बर्दाश्त करेगी क्या?

दूसरी बात आपने फरमाई; किसी भी सरकारी कर्मचारी ने काम नहीं किया। मैंने देखा है खुद ने कि पी. डब्ल्यू. डी. के कर्म-चारी, रोड़वेज के कर्मचारी, इन्जीनियर, ओवरसियर सब वहां काम कर रहे थे।

श्री परसराम मदेरणा : सही नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : हन्ड्रेड परसेन्ट सही है।

श्री परसराम मदेरणा : रोडवेज के किसी कर्मचारी का तो पंडाल में जाने का प्रश्न नहीं होता। पी.डब्लू.डी. के कुछ आदमियों को सलाह के लिये बुलाया गया था, क्योंकि जहां कहीं प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उसके लिये भारत सरकार की स्पेसिफिक इन्सट्रकशन्स हैं, चाहे वह कांग्रेस का ही फंकशन क्यों न हो कि सि-क्योरिटी पोइन्ट ऑफ व्यू से एरेन्जमेन्ट किया जावे कि रॉस्ट्रम बनाया जाता है तो उसकी बैरकेडिंग कैसी होनी चाहिये; कितनी मजबूत होनी चाहिये, तो इन सब कामों में टैक्निकल एडवाइस के लिये सिक्योरिटी पोइन्ट ऑफ व्यू से उनकी सलाह लेने के लिये उनको बुलाया गया था और इसका उनको हक था। बुलाया ही नहीं गया, बल्कि यों कहना चाहिये कि स्वयं अपना कर्तव्य पूरा करने आये।

श्री जयनारायण सालोदिया : सरकारी बुल डोजर और ट्रैक्टर भी काम कर रहे थे?

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): इसका पेमेन्ट किया।

श्री जयनारायण सालोदिया : दो हजार रुपया करीब आपने सांगानेर दरवाजे के भीतर रॉस्ट्रम बनाने में खर्चा किया बताया; तो क्या वह सरकारी खर्चा फिजूल नहीं था?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री भैरोंसिंह।

Page No. 20

चावल व पैडी के लिये निर्यात का परमिट

७२३. श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(१) क्या यह सही है कि १६६३ में चावल व पैडी (paddy) के निर्यात का राज्य सरकार द्वारा परमिट दिया गया था ? यदि हां, तो उसके द्वारा कितना कितना चावल व पैडी का निर्यात किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि इन व्यापारियों से प्रति क्विन्टल १ रु० वसूल किया जाकर उदयपुर में बनने वाले छात्रावास भवन के खाते में जमा कराया गया ?

(३) इस रकम की किसके द्वारा वसूली की गई और क्यों ? यह रुपया किन तारीखों में वसूल किया गया ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) जी हां। ४५,८२१ क्विन्टल चावल व साल के परमिट जारी किये गये थे।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है कि मुख्य मंत्रीजी ने सदन में पिछली बार, अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था उस सम्बन्ध में उसका जवाब देते हुए बताया था कि चावल के प्रति क्विटल पर एक रुपया छात्रावास के लिये लिया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैंने यह नहीं कहा कि सरकार की तरफ से ऐसा किया गया। जिन्होंने चावल बाहर भेजा उन्होने छात्रावास के लिये यह रुपया दिया और छात्रावास समिति में जमा हुआ। सरकार की तरफ से यह न टैक्स था, न बन्दिश थी।

श्री भैरोंसिंह : यह रुपया सरकार के कलेक्टर को दिया गया, जो बाद में छात्रावास के सेक्रेटरी को दिया गया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जहां तक मुझे याद है छात्रावास समिति को ही दिया गया और उन्होंने ही उनको कॉन्टेक्ट किया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सारा रुपया चैरीटी फण्ड में राजस्थान के जमा कराया गया और फिर सरकार के हुक्म से छात्रावास को उसके सेक्रेटरी को दिया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसमें कुछ भ्रान्ति हुई मालूम होती है। पहले का कुछ रुपया पड़ा था जो मक्का और दूसरी चीजों के लिए ईकट्ठा हुआ था, उसी को शायद आप रेफर कर रहे हैं; जिसे आप चावल के एक्सपोर्ट के साथ जोड़ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही नहीं है कि व्यापारियों ने सरकार के अधिकारियों के पास रुपया जमा नहीं कराया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह रुपया कलेक्टर ने कमर्शियल बैंक में जमा कराया। यह व्यापा-

Page No. 21

(श्री भैरोंसिंह)

रियों से वसूल करके उदयपुर के कलेक्टर ने कमर्शियल बैंक, उदयपुर ब्रांच में जमा कराया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि कमर्शियल बैंक में कलेक्टर का अकाउन्ट हो और जमा कराया जाता और फिर ट्रांसफर किया हो यह बात सही नहीं है।

जमा कराया जाता और फिर ट्रान्सफर किया हो, यह बात सही नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या कलेक्टर इस प्रकार से रुपया जमा कर सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : वे मना कर चुके इसके लिये; और दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस मामले में एक और व्यापारियों से कहा गया कि एक रुपया प्रति क्विन्टल कर दो और इस प्रकार से ३० हजार क्विन्टल पर एक रुपया प्रति क्विन्टल कर लेकर बाहर जाने का परमिट दिया ? यह सही है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपको पहले का कुछ भ्रम हो रहा है। ६३ की साल में ऐसा कुछ नहीं किया गया। यह ६०–६१ का है।

श्री भैरोंसिंह : ६०–६१ में तो मक्का थी। यह चांवल है।

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): यह ६३ की बात नहीं है। इसमें एक पैसा नहीं लिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): ६३ में नहीं तो फिर कब लिया ?

श्री भैरोंसिंह: आप उनसे (मुख्य मंत्री से): पूछ कर फिर बोलो। फिर जवाब दो।

श्री नाथूराम मिर्धा : पूछ लिया।

श्री भैरोंसिंह : नहीं पूछा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने पूछ लिया; ६३ में कोई रुपया नहीं लिया गया। न जमा कराया गया कहीं। यह पुरानी बात है, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : सदन की प्रोसीडिंग्ज़ में मुख्य मन्त्रीजी के जवाब में मन्त्रीजी ने कहा कि हमने इस प्रकार से परमिट दिये है और उनसे एक रुपया क्विन्टल के हिसाब से लेकर फिर इस संस्था को दिया है। इस प्रकार का उत्तर मन्त्रीजी दे चुके हैं। उनको यह याद रखना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां तक चावल का सवाल है डूंगरपुर से और दूसरी जगह से बिना किसी रुकावट के जा सकता था। उदयपुर के अन्दर वहां के कलेक्टर ने रोकटोक कर रखी थी। उसके बाद कानूनन रोक नहीं हो सकती थी; केवल खोलने के बारे में आदेश हो गए। वे एक क्विन्टल ले जायें और कलेक्टर को रुपया जमा करें, ऐसी कोई बन्दिश नहीं थी। एक अच्छा काम हो रहा था और आपस में तय करके संस्था वालों ने एप्रोच किया और अच्छे काम में उन्होंने पैसा दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय चावल के परमिट दिए गए उस पर राइस मूवमेन्ट कन्ट्रोल ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का लागू हो चुका था और उसी के मातहत परमिट दिये जाते थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि डूंगरपुर से फ्रीली मूव हो सकता था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फ्रीली मूव हो सकते थे तो परमिट क्यों दिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूं कि इसके बारे में क्या था क्या नहीं था यह अलग सवाल है । इस समय मेन क्वेश्चन था कि वह रुपया कहां जमा हुआ, किस तरह से जमा हुआ उसकी जानकारी मैं दे चुका हूं ।

श्री भैरोंसिंह : आप उस पोइन्ट को एस्केप कर रहे हैं। आपने कहा कि कोई रेस्ट्रिक्शन्स नहीं थीं और कलेक्टर ने अपनी तरफ से कर रखा था तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि भारत सरकार ने उस समय राइस मूवमेंट कन्ट्रोल ऑर्डर लागू कर दिया था और उसी के मातहत राज्य सरकार को परमिट देने के अधिकार प्राप्त थे उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके यह परमिट दिए गए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे एग्ज़ेक्टली याद नहीं कि कोई ऑर्डर लागू था या नहीं तो मैं क्या कहूं ।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर आपने कैसे कह दिया कि उस समय परमिट देने की बात नहीं थी और कलेक्टर ने अपने आप परमिट दे दिए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो उस समय सूचना थी उसके हालात बताये । फिर उसके बाद बताया कि न तो सरकारी दवाव का सवाल था और न कोई दूसरी बात थी । जानने वाले जानते हैं और आपने भी वहां जानकारी की है कि जो एक एक पैसा उन्होंने दिया वह सारा का सारा पैसा जमा हुआ है छात्रावास में; फिर यह प्रश्न इधर उधर घुमाने को कैसे आता है ?

श्री भैरोंसिंह : आप एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिये । फिर परमिट कौन से कानून और एक्ट में ग्रान्ट किए और कौन से एसेन्शियल कमोडिटीज़ नोटीफिकेशन के अन्तर्गत दिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे तो मालूम नहीं कि कौन से परमिट किस तरह से इश्यू हुए । मैं तो इतना जानता हूं कि उन लोगों ने कुछ रुपया दिया है और वह रुपया छात्रावास को मिला है और उनकी सहमति से दिया गया है ! आपने भी जानकारी की थी तो उन्होंने कहा कि हमारी सहमति से दिया है और इसके अलावा कोई दूसरी बात कहना पसन्द नहीं करता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और उतना ही आपका ताल्लुक था; परमिट कानून के तहत दिये जा सकते थे या नहीं, कानून था

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि नहीं, आॅर्डर्स थे कि नहीं, नोटीफिकेशन था कि नहीं ? कलेक्टर ने जबर्दस्ती नोटीफिकेशन का सहारा लेकर परमिट की जरूरत नहीं थी, रेस्ट्रिक्शन लगा कर परमिट जारी करके आपके मतलब के लिए छात्रावास को पैसा दिया। यह आपका पाक दामन है जिसके आधार पर आप विधान सभा में बैठे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य यहा फैक्ट्स को ट्विस्ट न करें तो ज्यादा आसानी हो। जो लोग इसको डील करते हैं वह माननीय सदस्यों की पार्टी के बहुत से एक्टिव मेम्बर्स हैं उनसे जानकारी हो सकती है कि कब से उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा और क्या यह किसी नियत से लगाया गया या कोई उनके सामने कन्डीशन रखी कि रेस्ट्रिक्शन कब उठ सकता है जब कि यह करें। मैं साफ कहना चाहता हूं कि रेस्ट्रिक्शन का इम्पोज़ करना और हटाना और छात्रावास के लिए पैसा देने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय खाद्य मंत्रीजी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो कि कानून के ज्यादा जानकार हैं। जिस समय परमिट दिये गये जिनका उल्लेख माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है वह परमिट किसी नोटीफिकेशन से या एक्ट के मातहत जिसके अंदर मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया था उसके अन्तर्गत दिये गये थे या यों ही दिये गये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि इस समय वह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर जवाब देने के लिए यहां क्यों आ गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने पूछा जैसा मैंने जवाब दे दिया।

श्री भैरोंसिंह : आपने परमिट किस कानून से दिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह कानून कब लागू किया वह मेरे पास नहीं है; याद नहीं है, क्या करें ?

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं एक प्रश्न जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस छात्रावास समिति के अध्यक्ष हैं या मंत्री हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न पूछा जा चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का तो उत्तर आया ही नहीं....

श्री अध्यक्ष : बस काफी बहस हो चुका है, दूसरा प्रश्न पूछा जा चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो इसलिए बैठा रहा कि मेरे प्रश्न का जवाब आयेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! (घंटी) हद होनी चाहिये प्रश्न पूछने की।

(विराम)

श्री तेजाराम गहलोत।

जागीरदारों के उत्तराधिकारियों को जागीरें

७२४. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सच है कि भूतपूर्व जोधपुर राज्य में प्रचलित नियम व कानून के अनुसार जागीरदार केवल अपने पुरुष उत्तराधिकारियों को ही जागीर दे सकता था ?

(२) क्या यह भी सच है कि अपने पुरुष उत्तराधिकारियों के अलावा किसी को भी सब-ग्रांट (जागीर) दी जाने की सूरत में वह जागीर (सब-ग्रान्ट) सरकार द्वारा रिज्यूम की हुई मानी जायेगी ?

(३) पाली जिले में कौन कौन सी जागीरें जोधपुर राज्य के कानून व प्रथा के विरुद्ध जागीरदारों ने अपनी औरतों, बेटियों व बेटों की बहुओं को दीं ? सूची सदन की मेज पर रखें व उनकी माली आय भी बतावें व सरकार ने उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की ?

(४) पाली जिले की जागीरों को, प्रश्न के भाग (३) में बताई हुई सूचना के आधार पर कितना रुपया बतौर मुआवजा व रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दिया गया व दिया जावेगा व अगर अधिकारी कानून के अधीन धारा १६८ मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही, कानून के तहत कार्यवाही करते तो सरकार को रिजम्पशन के पहले कितने रुपये की लैंड रेवेन्यू की आमदनी होती ?

(५) मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा १६८ की कार्यवाही न करने के लिए कौन कौन दोषी हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की व कब की व जिनके विरुद्ध नहीं की उसका क्या कारण है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रथा के विरुद्ध कोई सब-ग्रान्ट औरतें, बेटियों व बेटों की बहुओं को नहीं दी। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(५) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पिछले बजट अधिवेशन में तीन बार इस आधार पर प्रश्न को एडजोर्न किया गया था कि विधि विभाग से इसकी सलाह लेगें तो क्या मंत्री महोदय ने इस प्रश्न के बारे में विधि विभाग से पूछा है; उनकी राय ली है तो वह क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, विधि विभाग से इस संबंध में राय नहीं ली गई। राय दुबारा भी ली जा सकती है लेकिन मैंने स्वयं ने इस केस को स्टडी किया है और उसी आधार पर यह उत्तर बनाया गया है अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसकी कानून विभाग से भी राय ली जा सकती।

श्री तेजाराम गहलोत : माननीय सदस्य के चाहने या न चाहने का प्रश्न नहीं है ? इस सदन में यह कह कर कि इस प्रश्न के ऊपर विधि विभाग की राय लेकर ही सदन को अवगत करना चाहते हैं तो फिर विधि विभाग से क्यों नहीं कन्सल्ट किया, ४ महीने हो गए और आपने स्वयं ने जवाब बनाया वह दे दिया।

श्री अध्यक्ष : जो भी उत्तर आता है वह अधिकृत मानना चाहिए। आप यही मानकर चलिये कि सरकार की यह राय है।

श्री तेजाराम गहलोत : मंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने भाग (१) में जी नहीं कहा है तो मैं जानना चाहूंगा कि भूतपूर्व मारवाड़ राज्य में कौन से कानून और नियमों के अनुसार जागीरदारों को अधिकार था कि वह पुरुष उत्तराधिकारी के अलावा बेटी, बहुओं या विडोज़ को ग्रान्ट दे सकते थे ?

श्री अध्यक्ष : This is an abstract legal debate.

(विराम)

श्री लालाराम

बाढ़पीड़ितों को सहायता

७२५ लालाराम (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि ज्यादा वर्षा से बाढ़ आने पर फलौदी में व नमक क्षेत्र बाप में काफी नुकसान हुआ था ?

(२) सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को क्या क्या मदद दी है और कुल कितने रुपयों की मदद कहां कहां दी गई है ?

(३) क्या यह सच है कि अभी तक सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को कोई खास मदद नहीं दी है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या सरकार अब शीघ्र बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का निर्णय लेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जायेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):

(१) जी हां, फलौदी खास में लगभग १,२०,००० रुपये का तथा नमक क्षेत्र बाप में नमक उत्पादक संघ की सूचना के अनुसार ५ लाख रुपये से १० लाख रुपये तक हानि होना बताया गया है वास्तविक हानि कुल कितने की हुई है इसकी जानकारी अभी ठीक प्रकार से विदित नहीं हो सकी है।

(२) सरकार की ओर से ५००० रुपये फलौदी बाढ़ पीड़ितों को सहायतार्थ स्वीकृत किये गये हैं।

(३) इस संबंध में बने नियमों में ऐसा प्रावधान है कि क्षतिग्रस्त लोगों को तात्कालिक सहायता देने की व्यवस्था की जाये और ऐसा किया ही जा चुका है।

(१२.०० मध्यान)

श्री लालाराम : जो कुऐ बाढ़ के कारण नष्ट हो गये हैं क्या सरकार उन कुओं का प्रबन्ध करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनके बारे में उद्योग विभाग को लिखा है और उद्योग विभाग सारा इसका सर्वे करा रहा है और योजना बना रहा है कि किस तरह से आयन्दा इस तरह का नुकसान न हो और इस इन्डस्ट्री को वापिस स्टार्ट किया जाय।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह योजना कितने दिन में बनाई जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : योजना उद्योग विभाग बना रहा है। उनको लिखा जा चुका है। वे एक बार देख भी आये हैं। वह उस विभाग का काम है कि कितने दिन में कर सकेगा यह वही बता सकेगा।

प्रश्न संख्या ७२६

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह।

सैंड स्टोन और लाइम स्टोन पर रायल्टी की रेट्स

७२७. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Minister for Mines please state :-

1. What are the rates of royalty charged for sand stone and lime-stone in different mining areas of Rajasthan and what are the reasons for the vast difference in rates from place to place ?

Kindly mention the rates of different places in the Kota area as the standard unit ?

2. Does the Government propose to take steps to rationalise these rates ? If so, by what time ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) अप्रधान खनिज रियायत नियम सन् १९५९ के अन्तर्गत अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न दरों से रायल्टी वसूल की जाती है जिनकी सूची संलग्न है।

अप्रधान खनिज रियायत नियम के पूर्व राजस्थान में वही दरें प्रचलित थीं जो पूर्व रियासत में थीं इन नियमों को बनाते समय यह ध्यान में रखा गया था कि कहीं दरों के एकीकरण करने से राज्य की आय में नुकसान न हो जाय अतः जो दरें लागू थीं उन्हीं में कुछ संशोधन कर उन्हें ही चालू रखी गई है। धीरे धीरे इन दरों को एक सा रूप देने का प्रयास जारी है।

(२) इन दरों को आगे और परिमित करने का विचार है व हाल ही में उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर तथा जयपुर डिविज़न की खानों पर रॉयल्टी की दर वजन प्रणाली पर (१)रु० के बजाय १.२५ रु० प्रति टन कर दी गई है जो तारीख १-४-६४ से लागू कर दी गई है। सब जगह की दरों को एक स्तर पर लाने हेतु दरों को धीरे-धीरे बढ़ाने का सुझाव राजस्थान सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी पूछा था तो इमारती पत्थर की रेट्स स्क्वायर फुट और घनफुट की दर से अलग अलग दी जाय ताकि उनका कम्पेरिज़न किया जाय कि उनमें डिफरेन्स कितना है और अब भी मैंने यह क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा था कि जो जवाब दिया जाय वह कोटा युनिट को

Page No. 27

(श्री जुझारसिंह)

स्टेण्डर्ड मानकर उसके प्रोपोर्शन में दिया जाय उसके बावजूद जो जवाब आया है तो किसी जगह पर घनफुट और किसी जगह पर स्क्वायर फुट का दिया है तो उसका कम्पेरिजन नहीं हो पाता है और मैं नहीं जानता हूं कि कितना डिफरेन्स है। मंत्री महोदय यह बता दें कि जो १.२५ रु० जयपुर, अलवर और उदयपुर डिविजन में किया है उसके मुकाबले में कोटा में कितना है ताकि अन्दाजा लगा सकें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह जो सूची दी गई है वह इस तरह की सूची है कि किस रेट से हम रॉयल्टी वसूल कर रहे हैं वह बताई जाय तो इस वजह से जहां पर हम वेट के हिसाब से कर रहे हैं वहां की रेट वेट की बता दी गई है और जहां घनफुट के हिसाब से कर रहे हैं वहां पर घनफुट की रेट बता दी गई है। वेट को घनफुट में और घनफुट को वेट में कन्वर्शन करने का सवाल है तो इस समय मेरे पास कोई रेडी रेकनर नहीं है। इसमें बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता क्योंकि जिन दरों से वसूल कर रहे हैं उनका पूछा था वे बता दी हैं।

श्री जुझारसिंह ; स्पेसिफिकली कोटा डिवीजन को स्टेण्डर्ड मानकर जवाब दें ताकि यह जान सकें कि रेट में कितना फर्क है। यह तो आप पहले भी दे चुके हैं। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली पूछा था ताकि अन्दाजा हो सके।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें कोई शंका नहीं है कि जो रेट वहां पर चार्ज किया जाता है तो कन्वर्शन करने पर भी फर्क जरूर सामने आयेगा। जोधपुर और उदयपुर में कुछ हैं जो इसमें बताया गया है। वहां रायल्टी की दरें घनफुट के हिसाब से लगाई जाय तो कोटा के अन्दर है इसमें कोई शंका की बात नहीं है, लेकिन सरकार अभी उसी लेवल पर लाने की स्थिति में नहीं है। जोधपुर और दूसरी जगह हजारों लोग एक साथ काम करते हैं और उनके यहां फुट पर रॉयल्टी कर देने से इन्डस्ट्री को खतरा होने की आशंका है और फिर मार्केट कन्डीशन और दूसरी फेसिलिटीज और डिमाण्ड और सप्लाई, इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए यदि इन्डस्ट्री को चालू रख। चाहते हैं तो एकदम कोटा के लेवल पर लाने से ठीक व्यवस्था नहीं हो सकेगी; धीरे धीरे हम ला रहे हैं। अभी २५ पर्सेन्ट इन्क्रीज किया है और इस तरह से और ज्यादा इन्क्रीज़ करने के प्रयत्न में हैं लेकिन दोनों को एक सा करने में कई कॉम्प्लीकेशन्स हैं। उनको आप साधारणतया इग्नोर नहीं कर सकते हैं।

श्री जुझारसिंह : कोटा स्टोन की बहुत बड़ी इन्डस्ट्री है और काफी दूर तक वहां का पत्थर जाता है। वह वहां की एक फेमस इन्डस्ट्री है। इसलिए यह कहना कि जोधपुर की इन्डस्ट्री को नुकसान हो रहा है तो इससे कोटा को नुकसान होता है। कम्पीट इनको भी करना पड़ता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्वालिटी का भी सवाल है।

श्री जुझारसिंह : यह आपने फर्माया कि १) रु० से १.२५ रु० कर दिया है तो उसके करने के बाद भी कितना फर्क है ?

Page No. 28

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय अगर यह पालिसी का प्रश्न है तो युनीफॉर्म बेसिस पर रॉयल्टी क्यों नहीं लेते हैं ? कहीं पर घनफुट से लेते है और कहीं वजन से। युनीफॉर्म बेसिस पर फर्क हो तो उसके कारण भी समझ सकते हैं लेकिन युनीफार्म बेसिस पर क्यों नहीं लेते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह प्रेक्टिकल नहीं है इस समय, इसलिए इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और जब समानता आ जायगी तो इसका एकीकरण हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : ६२० ।

एक माननीय सदस्य : ४२० तो नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जैसे मन्त्री वैसा नम्बर ।

उप-मंत्री, गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य): यह आपके लिए होता तो अच्छा था ४२० ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसीलिये आपको ६२० कर दिया ।

स्थगित प्रश्न

(२७–१०–६४)

सरकारी कर्मचारी और राजनैतिक पार्टी के जुलूस

६२०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनैतिक पार्टी के जुलूस में किसी भी रूप में शामिल हो सकते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकारी को प्रत्येक राजनैतिक पार्टी की गतिविधियों की सूचना मिलती है ?

(३) क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जयपुर अधिवेशन की मुख्य गतिविधियों की सूचना राज्य सरकार को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या उस प्रसंग में जुलूस में भाग लेने वाले तत्वों एवं संस्थाओं की सूचना भी मिली ? यदि हां, तो कौन-कौन सी संस्थायें अथवा यूनियनें उस जुलूस में शामिल थीं ?

(४) क्या यह सही है कि कांग्रेस के उक्त जुलूस में अनेक ऐसी मजदूर यूनियनें शामिल हुईं, जिनके सदस्य राज्य कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो ऐसे राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर जयपुर में राज्य सरकार ने एक रोज का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) :

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(१) जी हां, साधारणतया नहीं।

(२) केवल उन्हीं गतिविधियों की सूचना एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है जो अशांति पैदा करने वाली हों या देश एवं जनता के लिए हितकारी नहीं हों।

(३) कांग्रेस के कथित जुलूस में ऐसी कोई कार्यवाही दृष्टिगोचर नहीं हुई अतः इस सम्बन्ध में सम्मिलित होने वाली संस्थाओं तथा यूनियनों की जानकारी एकत्रित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ।

(४) इसका उत्तर भाग (२) के उत्तर में दिया जा चुका है।

(५) जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, भाग (१) में कहा कि 'साधारणतया' राजनैतिक पार्टियों के जुलूस में कोई राजकर्मचारी शामिल नहीं हो सकता तो 'असाधारणतया कौन सी परिस्थिति ऐसी है कि जिनमें शामिल हो सकता है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : असाधारण तो परिस्थितियों को देखने से पता चल सकता है उसका हाउस में क्या जिक्र है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी नहीं है कि कांग्रेस के उस अधिवेशन में कौन-कौन सी यूनियनें शामिल हुई जुलूस में? यूनियनें शामिल हुई हैं तो आपने कैसे 'जानकारी नहीं है, कहा है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने इस लिए कहा कि क्योंकि कोई एन्टीनेशनल एक्टीविटीज़ नहीं हैं, इसलिए जानकारी उन प्रश्नों की होती है: जहां पर अशांति भंग होने का अन्देशा होता है, तब तो एक्टिव रहते हैं। साधारणतया यूनियनें हड़तालें करती हैं, इधर-उधर लॉक अप करती हैं ऐसे ऐसे प्रश्नों पर साधारणतया जानकारी होती है आम।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल:अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इस सवाल को इस दृष्टि से नहीं उठाना चाहता कि कांग्रेस पार्टी में कोई यूनियन शामिल हो। मैं निवेदन करूंगा कि यह नीति का सवाल है और महत्वपूर्ण उसूलों का सवाल है, जिसके ऊपर सरकार का दृष्टिकोण साफ उसमें आ जाना चाहिए। मेरी आप से इस सम्बन्ध में बातचीत हुई है और मैंने शायद आपको जिक्र भी किया था। यह एक इम्पॉर्टेन्ट क्श्वचन है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे प्रश्न के भाग (३ में कहा है—

क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जयपुर अधिवेशन की मुख्य २ गतिविधियों की सूचना राज्य सरकार को प्राप्ति हुई? यदि हां, तो क्या उस प्रसंग में जुलूस में भाग लेने वाले तत्वों एवं संस्थाओं की सूचना भी मिली? यदि हां, तो कौन कौन सी संस्थायें अथवा यूनियनें उस जुलूस में शामिल थीं?"

आपने उसका उत्तर नहीं दिया। आपने कहा कि 'नहीं' मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सवाल का जबाव इस हाउस को प्राप्त करने का अधिकार है। यह हमारा प्रिविलेज है और मैं निवेदन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करना चाहता हूँ कि इसकी जानकारी सरकार को प्राप्त है और सरकार जानबूझकर हाउस से वह जानकारी छिपाना चाहती है, तो मैं नहीं समझता कि इससे क्या और क्यों ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल खड़ा हो सकता है ? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो कागज मन्त्री महोदय की मेज पर रखे हुए हैं उनमें वह सूचना मौजूद है। उसमें उन यूनियनों का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने उसमें भाग लिया है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा माननीय उप-मंत्री की मेज पर रखे कागजात और उन कागजों में दी गई जानकारी आप अपने कब्जे में लें और देखें कि उनको जानकारी मिली या नहीं....

श्री निरंजननाथ आचार्य: On a point of order. My point of Order is, Sir, that in the procedure as laid down here, there is no -provision which allows a long speech. There pore any question can be put rather than a speech.

श्री फूलचंद जैन(सुजानगढ़); मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा कि साधारणत: कोई भाग ले नहीं सकते, मैं उपमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आर. एस. एस. और जन संघ के जुलूसों में शिक्षा विभाग के कर्मचारी किस प्रकार भाग लेते है ?

श्री निरन्जननाथ आचायः यह सीक्रसी का प्रश्न है। भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं, आर. एस. एस., जन संघ, एन्टी-नेशनल पोलिटिकल पार्टीज में क्यों भाग लेते हैं उसका मैं यहां विश्लेषण नहीं कर सकता।

श्री फूलचन्द जैन: उनके खिलाफ आप क्या करने को तैयार हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कानून के माफिक पूरा हम कदम लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि आर. एस. एस. और जनसंघ के बारे में जो सवाल किया वह सवाल यहां नहीं है।

श्री फूलचंद जैन: आर. एस. एस. और जनसंघ में सरकारी कर्मचारी आते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: बिल्कुल आते हैं इसलिए तो मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे कि कौन भाग ले सकता है और कौन नहीं। उपमंत्रीजी से मैं कहूंगा कि आपने जनसंघ और आर. एस. एस. के लिये 'एन्टीनेशनल' शब्द कहा उसको आप वापिस लें यदि नहीं लेते हैं यह एक पोलिटिकल पार्टी के खिलाफ सीरियस चार्ज है। यह दुर्भाग्य है कि आप राजनैतिक पार्टी को एन्टीनेशनल बताते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्यः ऑन एपॉइन्ट ऑफ इन्फर्मेशन, दुभाग्य का विषय यह है कि अब भी प्रोसिडिंग्ज देखी जाय तो मैंने आर. एस. एस. जनसंघ के लिये यह नहीं कहा कि वह एन्टीनेशनल है बल्कि यह कहा कि ऐसी संस्थाएं जो एन्टीनेशनल हो सकती है। All hypothetical puestions and nothing definite. आप ऐसा अर्थ मत लिजिये।

श्रीराधाकृष्ण गोयल (टोंक): सही बात को सही स्वीकार कर लें तो इससे कौनसा आपका मान घट जाता है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): क्या उपमंत्री महोदय यह जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आपके जो कर्मचारी हैं उनमें दो प्रकार के हैं, एक तो जो मेहनत करके तुमको कमाई करके देते हैं और जो मजदूरों की केटेगरी में आते हैं, जिनके कुछ अधिकार हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन कर्मचारियों के ऊपर जो आपकी सर्विस में हैं, वे राज्य कर्मचारी कहलाते हैं। क्या आपने ऐसे कर्मचारियों को जो आपको पैदा करके सरकार को देते हैं, उन पर रेस्ट्रिक्शन्स लगा कर गुलाम रख छोड़ा है और उन पर यह बंदिश रहेगी कि वे जलसों में शामिल नहीं होंगे उनको आजादी है, वे मेहनत करके कमाते हैं, कलम घिस कर नहीं कमाते हैं जो आप उन पर बन्दिश लगाओ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : प्रश्न यह है कि सरकारी कर्मचारी चाहे वह पॉवर हाउस में काम कर रहा हो, बिजली घर में काम कर रहा हो या और किसी भी डिपार्टमेन्ट में हो वे पार्टी विशेष के जुलूसों में शरीक हो सकते हैं या नहीं ? मन्त्री जी ने जवाब इस प्रकार दिया है कि शरीक नहीं थे। अगर शरीक नहीं थे तो यह क्लीयर है कि उनको बीकानेर, जोधपुर और सारे मुल्क से सरकारी कर्मचारी आये थे और बाकायदा पण्डित नेहरू जिस जुलूस को देख रहे थे उसमें वे शरीक थे। सारे पत्रों में पब्लिसिटी हुई थी। वाटर वर्क्स, बिजली घर और दूसरी मजदूर यूनियन्स जुलूस में शरीक हुई थीं और उनकी यहां भीड़ लगी हुई थी। मन्त्रीजी जो जवाब दे रहे हैं वह प्रिविलेज का सवाल है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी उसमें शरीक थे या नहीं ? आपके पास जानकारी होते हुए भी कैसे नहीं कहा ? मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो जुलूस ए० आई० सी० सी० के समय यहां निकला उसमें राज्य कर्मचारी शरीक थे या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Apart from this question; नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्थिति रखी है कि जो इण्डस्ट्रियल लेबर टाइप के लेबर कहे जाते हैं उनके बारे में क्या गवर्नमेंट यह स्थिति स्वीकार करती है कि उसूलन उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है राजनैतिक पार्टीज़ में भाग लेने का।

श्री (निरन्जननाथ आचार्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं समझता हूं यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे सदन में प्रकाश डालें। मुझे एतराज नहीं होगा। आप ज्वाला-प्रसाद जी के व्यू से एग्री करिये, लेकिन आप एक बार हाउस में केटेगारिकली कहें कि क्या सरकारी कर्मचारी राजनीतिक पार्टियों के जुलूसों में किसी भी रूप में शरीक हो सकते हैं या किसी भी रूप में शरीक नहीं हो सकते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्यमन्त्री जी उत्तर दें तो अच्छा हो।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, यहां एक महत्वपूर्ण सवाल

Page No. 32

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उठाया गयाकि आया जो फेक्ट्री लेबर की व्याख्या में जाते हैं। वह किसी भी पार्टी में पूर्णरूप से हिस्सा ले सकते हैं या नहीं इस बारे में इस कानून की गहराई में गये बिना मैं कोई स्टेटमेंट पॉलिसी का करना पसन्द नहीं करूंगा। इस मैटर को थोरोली और प्रोस्पेक्टिज़ के साथ एग्ज़ामिन करने के बाद ही राय जाहिर कर सकता हूं। इतनी बात स्पष्ट है कि आज के दिन भी जो अलग लेबर यूनियन्स हैं उनका पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ एफिलियेशन है और उनको एफिलियेशन होते हुए भी वे यूनियन फंक्शन करते हैं और इसका उनको अधिकार है। इस अधिकार के होने के बाद वे डाइरेक्टली उस पार्टी विशेष के मेम्बर बन सकते हैं या नहीं बन सकते और सदस्य बन कर उस पार्टी विशेष के प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी या पदाधिकारी बन सकते है या नहीं इन सब बातों पर विचार करके ही जवाब दे सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था वह क्यों किया था?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अधिवेशन का पॉइन्ट क्लीयर नहीं हुआ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी फंक्शन था उनका लेकिन बहुतों को मालूम होना चाहिये कि इस प्रकार सरकारी कर्मचारी जो फेक्ट्री लेबर में आते हैं उनके यूनियन्स इस जलसे में शामिल हुए या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसको सभी जानते है शरीक हुए थे, छिपाने की बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप स्टडी कर लें कि आपकी पॉलिसी के अनुसार ऐसा करना सही था या गलत था फिर आप बतावें कि उनको राइट था या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राइट तो अब भी हर पार्टी एक्सरसाइज़ कर रही है और पार्टीज़ के अधिवेशनों में उनके यूनियन्स आते जाते हैं।...प्रश्न उन राइट्स को एक्सप्लोयट करने का....

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

एक माननीय सदस्य : पॉलिसी क्लीयर करने की बात अलग है; यों तो सभी जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी उस जुलूस में शामिल हुए थे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या उन सरकारी कर्मचारियों पर जो उस जुलूस में शामिल हुए थे राजस्थान सर्विस रूल्स लागू होते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं समझता हूं, रूल्स लागू थे उन पर।

श्री भैरोंसिंह : आप बता दीजिये कौनसे लागू होते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: सर्विस रूल्स जो बने हुए हैं वे लागू होते हैं।

Page No. 33

श्री भैरोंसिंह: राजस्थान के सर्विस रूल्स बने हुए हैं वे?

श्री अध्यक्ष: श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री जुझारसिंह (चेचट): आन ए पाइन्ट ऑफ इन्फोर्मेसन।

श्री कृष्णकुमार गोयल: अध्यक्ष महोदय....

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल: क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

टोडा भीम नगरपालिका में प्रशासक की नियुक्ति

७१५. श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा): क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि टोडा भीम नगरपालिका पर प्रशासक की नियुक्ति की गई है ?

(२) यदि हां, तो कब और किसके नाम से आदेश दिए गये ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) नियुक्तियां निम्न प्रकार की गई हैं:–

(क) दिनांक २६-५-६४ से तहसीलदार टोडा भीम को।

(ख) दिनांक ११-६-६४ से सब-डिविज-नल ऑफिसर, हिन्डौन को।

(ग) दिनांक २२-६-६४ से श्री अहमद हुसैन कुरेशी, रिटायर्ड राज्य कर्मचारी को।

उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ की तहसीलों में गुड़ का वितरण

७२६. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा:) क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या इस वर्ष राजस्थान में गुड़ बाहर से मंगाया गया? यदि हां, तो कितना तथा कहां से ?

(२) जिला अनुसार इस गुड़ का कितना कितना वितरण हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उदयपुर भीलवाड़ा तथा चित्तौड़ जिलों की किस किस तहसील को कितना कितना गुड़ दिया गया तथा किस किस नगर-पालिका क्षेत्र में कितना कितना दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या इस गुड़ का ठीक तरह से वितरण हुआ है ?

उत्तर

(१) जी हां, राजस्थान में इस वर्ष ३६,८७० टन गुड़ यू० पी० की भिन्न २ मण्डियों से मंगवाया गया।

(२) जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(३)—

१—	उदयपुर	३०७६ टन
२—	भीलवाड़ा	३८५३ टन
३—	चित्तौड़	२४६१ टन

(४) जी हां, मांग के अनुसार वितरण किया गया।

(सूचि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान नहर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट

१६४. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्थान केनाल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यहसही है कि राजस्थान नहर योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है ? अगर हां, तो इस प्रोजेक्ट पर कुल कितना खर्च होगा तथा इसके लिये धन राशि कहां से उपलब्ध होगी ? उक्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

(२) क्या यह भी सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है ? अगर हां, तो उक्त क्षेत्र में मंडिया, सड़कें, रेल्वे लाइन आदि कहां कहां बनेंगे ? तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की है ?

उत्तर

(१) जी हां, राजस्थान नहर योजना की संशोधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारूप तैयार कर लिया गया है जो अभी परीक्षण में है। उक्त रिपोर्ट के प्रारूप के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर १८४ करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। यह धनराशि भारत सरकार से उधार ली जायगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारूप अभी परीक्षण में है।

(२) राजस्थान नहर योजना के विकास के लिये मास्टर प्लान पूर्ण रूप से नहीं हुआ है बल्कि अभी तक उसकी रूपरेखा का प्रारूप ही तैयार किया गया है इसमें मण्डियों, सड़कों एवं रेल्वे लाइनों के मोके अस्थायी निश्चित किये गये थे। राजस्थान नहर योजना के ऊपरी क्षेत्र के लैण्ड प्लान व वर्क प्लान प्राप्त हो चुके हैं एवं उपनिवेशन विभाग का कार्य भी पूरा होने को है, उक्त विभाग कार्य के लिये निर्धारित प्रगति हुई है।

(१) मण्डियां :—

एक 'अ' श्रेणी की मण्डी सूरतगढ़ में एवं दो 'अ' श्रेणी की मण्डियां रावतसर व अनूपगढ़ में अप्रकाशित की गई है। इनमें से रावतसर मण्डी में भूमि अवाप्ति, सड़क वद्युत् एवं पेय जल आदि का विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(राजस्थान केनाल मन्त्री)

(२) सड़कें :–

अभी तक (१) रावतसर–पीलीबंगा (२) सूरतगढ़–सरूपसर (३) सूरतगढ़–वीर सबल (४) रायसिंहनगर–अनूपगढ़(५) अनूपगढ़–छरतगढ़ एवं (६) गजसिंहपुर–कंपली पर कुल ५७ मील में सड़क–निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

(३) रेलवे लाइन :–

अभी तक रेलवे लाइनों के लिये कुछ निश्चित नहीं किया गया है।

पुलिस फोर्स के कार्यों का नियमन

१६५. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान पुलिस के लिये बनाये गये पुलिस रेग्यूलेशन को राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है ? अगर हां, तो किन कारणों से ?

(२) क्या यह सही है कि इस समय पुलिस के लिये कोई रेग्यूलेशन नहीं है ? अगर हां, तो पुलिस फोर्स के कार्यों का नियमन किन आधारों पर होता है ?

उत्तर

(१) जी हां। क्योंकि राजस्थान पुलिस रेग्यूलेशन १६४८ को चीफ सैक्रेट्री द्वारा सितम्बर १६४६ में प्रचलित किया गया था और उस समय तक पुलिस एक्ट सन् १८६१ राजस्थान में एडप्ट (Adopt.) नहीं किया गया था; अतः हाई कोर्ट ने यह माना कि सिवाय राजप्रमुख के अन्य किसी अधिकारी को ऐसे रेग्यूलेशन प्रचलित करने का अधिकार नहीं था।

(२) हाई कोर्ट ने यह भी माना है कि सन् १६४८ के रेगुलेशन के वैधानिक नियम न माने जाकर केवल प्रशासनिक नियम माने जा सकते हैं। अतः पुलिस रेगुलेशन १६४८ के प्रावधान ही पुलिस कार्यों का मार्ग दर्शन करते हैं उसका कोई प्रावधान यदि प्रचलित कानून के विपरीत या असंगत है तो उसके लिये आई० जी० पी० द्वारा पुलिस एक्ट की धारा १२ के अनुसार समय समय पर आदेश प्रचलित किये जाते हैं।

नम्बरदारों के कमीशन की बकाया का भुगतान

१६६. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) जिला सवाई माधोपुर में कितनी धन–राशि नम्बरदारों की कमीशन के रूप में बकाया है और किस २ तहसील में कितनी २ है ?

(२) नम्बरदारों को इस राशि का भुगतान नहीं करने के क्या कारण है और अब भुगतान करने में कितना समय और लगेगा ?

उत्तर

(१) जिला सवाई माधोपुर में निम्न धन-राशि नम्बरदारों की कमीशन के रूप में बकाया है; धनराशि तहसीलवार निम्न प्रकार है :—

नाम तहसील	बकाया धनराशि रु.
खंडार	१२,२५७. ४६पै.
सवाई माधोपुर	२,६७७. ६८पै.
बौंली	३,५४४. ७३पै.
गंगापुर	८,८३२. ६६पै.
बामनवास	२५६. ६६पै.
हिन्डौन	१,४१७. ८२पै.
टोडा भीम	१,०८६. ७६पै.
महुवा	४६२. ८२पै.
सपोटरा	२,६३६. ६४पै.
करौली	१,०६८. १५पै.
नादोती	१४,६८८. १६पै.

(२) अब तक अवितरित रही रकम को इसी माह अगस्त के अन्त तक चुकाने की कार्यवाही जारी है।

काबिल काश्त भूमि का अलॉटमेंट

१६७. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या राजस्व मंत्री बताने की करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की लसाड़िया तहसील के मुडिया, मालपुरा देवला, लसाड़िया झडौली गांवों में केवल आदिवासी रहते हैं और क्या यह भी सही है कि आज से २०–२५ वर्ष पूर्व वहां की भूमि का सेटलमेंट हुआ था ?

(२) क्या उक्त गांवों में जो चरागाह की जमीनें उस समय रखी गई थी वह काबिल काश्त है और क्या चरणोट के लिये पहाड़ी जमीनें जो बिना नाम पड़ी हुई हैं वे काम मे आ सकती हैं ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार उस काबिल काश्त भूमि को खेती के लिये देने का विचार रखती है ?

(१) उदयपुर जिले की लसाड़िया तहसील के मुडिया, मालपुरा, देवला, झडोनी गावों का १०-११ साल पहले सेटलमेंट हुआ था और वहां केवल आदिवासी ही रहते हैं। लसाड़िया का सैटलमेंट ३० वर्ष पूर्व हुआ था।

(२) उपरोक्त गांवों में चरागाह सेटलमेंट होने के बाद अभी पंचायतों की सिफारिश पर कायम हुई है। चरागाह की भूमि ज्यादातर मगरोली व पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे टुकड़ों में मंजूर की गई है; ऐसी हालत में मंजूर शुदा चरागाह की भूमि में ऐसा बड़ा प्लॉट मिलना नामुमकिन है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता है।

आडाबेला गांव के हरे पेड़ों को काटने का लाइसेन्स

१६८. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 37

(श्री उदयलाल वर्दिया)

(१) क्या उदयपुर जिले की सलुम्बर तहसील में ग्राम आड़ाबेला सूरजपोल धूंणी के माफी का मौजा है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त भूमि माफी समाप्त होने पर राजकीय कब्जे में आ गयी है ?

(३) क्या इसका रकबा लगभग १५०० बीघा वृक्षों से भरा हुआ है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त जमीन किसी जागीरदार द्वारा किसी सलूम्बर के व्यापारी के नाम बिक गई है और बनेड़ा विकास पंचायत ने खाता बनाने के लिए इंतकाल पास कर दिया है और यह कार्य कानून भूमि सीमाबन्दी होने के बाद हुए हैं ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त आड़ाबेला गांव की जमीन के हरे वृक्ष काटने के लाइसेंस देने की सिफारिश तहसीलदार सलूम्बर की ओर से होकर लाइसेन्स दे दिया गया है ?

(६) क्या यह सही है कि दुरुपयोग के रोकने बाबत जनता की ओर से कुछ प्रार्थनापत्र जिलाधीश उदयपुर एवं उप-जिलाधीश सलूम्बर के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

(७) इस जमीन की बिक्री भूतपूर्व जागीरदार सलूम्बर द्वारा किस तारीख को हुई और उक्त व्यापारियों के खाते कब बने और हरे वृक्षों के लाइसेन्स कितने दिनों में बने और उक्त जमीन में कितनी कितनी जमीन काबिल काश्त होना तहसीलदार ने अंकित किया है ?

(८) विकास पंचायत बनेड़ा की अनुचित रूप से पास किये हुए इंतकाल का अमल बरामद करने की आज्ञा किसने दी है और यदि यह अनुचित इंतकाल अमल बरामद हुआ है, तो तहसीलदार ने इसकी रोक क्यों नहीं की ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) इसका रकबा वक्त बन्दोबस्त १५६७ बीघा ७ बिस्वा पैमायश से कायम हुआ है जिसमें दरख्त हैं।

(४) जी हां। परन्तु यह कार्य सीमाबन्दी कानून अमल में आने के पहले का है।

(५) जी हां। १७७ एकड़ भूमि के बारे में लाईसेंस दिया गया था।

(६) जी हां। मामले की जांच न हो जाय उस वक्त तक और लाइसेंस जारी करने की कार्यवाही स्थगित करने का आदेश सब डिविज़नल आफीसर सलूम्बर ने दिया। इस आदेश के खिलाफ रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी के यहां अपील की गई है जिस पर अभी फैसला नहीं हुआ है।

(श्री राजस्व मंत्री)

(७) दिनांक १२.११.६३ को व य की है खाता दाल वांछ में सम्वत् २०२० को बना लाइसेन्स तारीख १३.३.६३ को सब डिविजनल ऑफीसर सलूम्बर से बना। १७७ एकड़ में से १०० एकड़ काबिल काश्त होने बाबत तहसील ने बतलाया है।

(८) बिक्री के आधार पर इन्तकाल दिनांक २५.१२.६२ को पास हुआ। पटवार ने अमल बरामद किया है। इस गलत तरीके से माफी का नामान्तरकरण मंजूर कर भूमि रद्दोबदल जो किया गया उस सम्बन्ध में सब डिविजनल ऑफिसर के कोर्ट में कार्यवाही जारी हैं।

तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतें

१६६. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर जिले की सलुम्बर तहसील में मौजा भाणपुर की आराजी नं० ६४ के बिल नाम पड़त से मौजा मुंडीयावाड़ा, भाणपुर के किसानों का कब्जा हटाने सम्बन्धी कोई मामला एस० डी० ओ० सलूम्बर की कोर्ट में चल रहा है या उसका फैसला हो गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन से पुराने कब्जेदार भूमिहीन आदिवासियों को हटाकर तहसीलदार सलूम्बर खुद कब्जा करने के लिए सरकारी स्टॉफ द्वारा गरीबों को धमकाते हैं ?

(३) क्या उक्त तहसीलदार के नाम पर सलूम्बर के कब्जेदार भूमिहीनों को बेदखल कर भूमि प्राप्त करने का कोई आदेश हुआ है ?

(४) क्या तहसीलदार सलूम्बर को इसी तहसील में जमीन देकर इसी तहसील के गरीबों पर अत्याचार न्याय संगत है ?

(५) क्या यह सही है कि तहसीलदार श्री सतगुरुचरण माथुर के विरुद्ध इस तहसील में आने के बाद भ्रष्टाचार, अन्याय एवं अनियमितता सम्बन्धी गरीबों के कई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश उदयपुर एवं राजस्व विभाग एवं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भिन्न भिन्न लोगों के प्रस्तुत हुए ? यदि हां, तो उनमें अब तक किस किस में क्या क्या कार्यवाही होकर नतीजा क्या क्या रहा ?

उत्तर

(१) जी हां, दावा उप जिलाधीश सलूम्बर के यहां पेश हुआ था परन्तु प्रतिवादीगण के अपील करने पर मामला राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर की कोर्ट में चल रहा है।

(२) जी नहीं, काश्तकारों का पुराना कब्जा नहीं होने से तहसीलदार सलूम्बर ने दिनांक ४.२.६३ को कब्जा हटाने के आदेश दिये जो जिलाधीश द्वारा तहसीलदार की आज्ञा निरस्त दिनांक ७.११.६३ को करदी है। सरकारी स्टाफ द्वारा धमकाने की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

(३) जी नहीं।

(श्री राजस्व मंत्री)

(४) तहसीलदार सलूम्बर की सतगुरु-चरण को भूमि खुद काश्त में जागीरदार होने के नाते खुदकाश्त राजस्थान जयपुर कमश्निर से स्वीकृत हुई है। गरीबों के साथ अन्याय का प्रश्न नहीं उठता है।

(५) इन शिकायतों की जांच से तहसील दार के विरुद्ध नतीजा बरामद नहीं है।

(१२.२० म. प.)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): अध्यक्ष महोदय, मैं चम्बल नहर की झरन से क्षति ग्रस्त पेड़ों का मुआवजा सम्बन्धी पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा।

श्री सम्पतीलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय, ग्राम डेमली में शक्कर के वितरण के सम्बन्ध में ४५ व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं शादुल टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के प्रबन्धकों के सम्बन्ध में याचिका देने वाले श्री नरसिंह द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

(१२.२३ म.प.)

मंत्रि मंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव

(अग्रेत्तरवाद-विवाद)

श्री अध्यक्षः मंत्रि-मन्डल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव।

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय....

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): अविश्वास में कहें, साहब!

श्री हरिश्चन्द्रः अध्यक्ष महोदय, कल चूंकि मेरा भाषण समाप्त नहीं हुआ था...

श्री अध्यक्ष : इसलिये संक्षेप में समाप्त कर दें।

श्री हरिश्चन्द्र : इस वास्ते मुझे अभी मौका दिया गया कि मैं कुछ कहूं। मै कल सदन खत्म होते वक्त अपने विचार स्वतंत्र पार्टी के ऊपर रख रहा था। उसी जगह से में शुरुआत करना चाहता हूं।

स्वतंत्र पार्टी, जिसका स्वरूप जब जयपुर और जयपुर के आस-पास देखते हैं और बड़ी भारी घटना जब बारिश के समय आई तब हमें यह विचार हुआ और देखने की भी ख्वाहिश की कि आखिर में इस स्वतंत्र पार्टी, जो कि राजस्थान में अपनी जड़ जमाना चाहती है और जिसके लिए निरन्तर प्रयास कर रही है, यह जयपुर की जनता के ऊपर यह बारिश का जो प्रकोप आया है, इसमें स्वतंत्र पार्टी कितना अपना काम करती है। लेकिन दुःख

Page No. 40

(श्री हरिश्चन्द्र)

साथ कहना पड़ता है कि यह हो सकता है, राजनैतिक क्षेत्र के अन्दर काफी रुपया खर्च किया जाता हो और किया भी है और आगे भी किया जायगा, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं लेकिन जो उनके वोटर्स यहां पर थे, क्योंकि स्वतंत्र पार्टी का बहुमत जयपुर शहर के अन्दर नगरपालिका में गया है तो हम यह देखना चाहते थे कि स्वतंत्र पार्टी इसका किस तरह से मुकाबला करती है और जनता को कितनी राहत पहुंचा सकती है। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजनीति में तो हजारों लाखों रुपये खर्च होते हैं लेकिन उन वोटर्स के लिए उनके दिल में इतनी भी गुंजाइश नहीं हुई कि वह आदमियों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिये कम से कम खाने के लिए पूड़ियां भी उपलब्ध करा सके

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (आसपुर) गलत है। मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र—मैं भी घूमा हूं; माननीय सदस्य मेरे साथ और भी घूमे हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर): कौन कौन थे? उनके नाम बता दें?

श्री हरिश्चन्द्र—कांग्रेस के थे और विरोधी दल के भी।

श्री चन्दनमल वेद (उप-मंत्री, उद्योग)—आप नहीं थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं चेयरमैन को लेकर घूमा हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : पूड़ियां खिलाई, आदमियों से मिला, बच्चों से मिला, औरतों से मिला और मेरे साथ में और भी थे। मैं अकेला नहीं था।

श्री मानसिंह महार—कौन कौन थे; उनके नाम बता दीजिये?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अकेला नहीं गया था। मेरे साथ विरोधी दल के सदस्य थे। लेकिन जो जयपुर में राजनीति करते हैं उनका कोई पता नहीं था। हम लोगों ने लोगों से पूछा—भाई, स्वतन्त्र पार्टी ने आपको क्या राहत दी? तो मैं अपनी ओर से नहीं कहता; मैं आपके मतदाताओं की बात कहना चाहता हूं जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। उन लोगों का कहना था कि साहब पता नहीं। दिखते नहीं; देखा नहीं कहीं उन्हें....

श्री मानसिंह महार : किसने कहा?

श्री हरिश्चन्द्र : बहुत सारों ने कहा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : महाराजा झालावाड़ ने कहा।

श्री हरिश्चन्द्र ; महाराजा झालावाड़ ने नहीं कहा। महाराजा झालावाड़ राजनीति नहीं खेल रहे हैं। आपका क्षेत्र है, आपका जो....

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री); अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, जब दूसरी तरफ से बोलने वाले माननीय सदस्य बोलते हैं तब हम ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करते हैं कि इन्टरप्शन न हो किन्तु अभी पांच मिनट नहीं हुए कि इन्टरप्शन की बात आती

Page No. 41

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है। मैं समझता हूं, जितना कम समय बोलने के लिए है, उस समय में अपनी बात कह सकें और इन्टरप्शन नहीं हो तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मानसिंह महार: ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन। मैं निवेदन करूं, मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी से सबसे बड़ी शिकायत है कि जब मैं बोला उस वक्त मौजूद नहीं थे। उनको क्या सुनें ! मैं यहां तक कहना चाहता हूं, जब आप बोलेंगे तो हम सुनना नहीं चाहेंगे। नो-कॉन्फीडेंस जैसे अहम् मामले पर बहस के समय आप उपस्थित नहीं थे। मुख्य मंत्री को हमने हमेशा बहुत प्रेम से सुना है; तो प्यार से हमारी बात को भी सुनलें।

श्री हरिश्चन्द्र मेरा टाइम जा रहा है।

श्री मानसिंह महार: मैं हाउस के पज़ेशन में हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब परसों मैं बोला तो कम से कम पचास इन्टरप्शन हुए। हम इन्टरप्शन की परवाह नहीं करते, इन्टरप्शन का जवाब देते हैं। इसलिए महाराजा झालावाड़ को बौखलाना नहीं चाहिए और इन्टरप्शन का जवाब देना चाहिए।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं बोल रहा हूँ, आप बौखलायें नहीं। बोखलाहट तो आपको हो रही है।

श्री मानसिंह महार : आप डरिये मत। मुझे खुशी है, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के समाज के अन्दर आज राजाओं को भी चवन्नी मेम्बर बना कर तांगेवाले के बराबर कर दिया। इससे बढ़ कर समाजवाद नहीं हो सकता। मैं मुबारकबाद देता हूँ।

श्री हरिश्चन्द्र ; हमें खुशी है कि हम चवन्नी के तांगे वाले के बराबर बन गये।

श्री मानसिंह महार : मुबारक हो।

श्री हरिश्चन्द्र : आप क्या बनेंगे, यह मुझे मालूम नहीं है और देश को कहां ले जायेंगे, यह पता नहीं है। इस वास्ते हमें पर-वाह नहीं। चवन्नी मेम्बर बनना उचित है। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री मानसिह महार : वह देख रहे हैं, इनकी कृपा पर आप पल रहे हैं। अब कुम्भारामजी आ गये हैं, इसलिए खुशामद ज्यादा करें।

श्री हरिश्चन्द्र : यह सत्य है। जो मैंने कहा इससे आपके दिमाग का संतुलन खो गया है।

श्री मानसिंह महार : वह आपका खो गया बताते हैं जब जयपुर में स्वतन्त्र पार्टी आई।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं आपका दोस्त होने के नाते अर्ज करना चाहता हूं कि जितना पैसा....

श्री मानसिंह महार : कोई राजनैतिक पार्टी पैसा खर्च करने के वास्ते नहीं है। म्यु-नसिपैलिटी पैसा खर्च करेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दें उनको।

श्री हरिश्चन्द्र : आप पैसा खर्च करें तो जनता आपको दुहाई देगी।

श्री मानसिंह महार : वह दे रही है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके अलावा स्वतन्त्र पार्टी की पॉलिसी काश्मीर के मुतल्लिक है उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। आज हिन्दुस्तान का बच्चा बच्चा हिन्दुस्तान....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी भाषण कुछ भी दें, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन यह अविश्वास का प्रस्ताव है; कांग्रेस पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी, जन-संघ और संयुक्त समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की नीति अच्छी है या बुरी, इसका प्रस्ताव नहीं है। यह प्रस्ताव एडमिनिस्ट्रेशन के विरुद्ध है; उस एडमिनिस्ट्रेशन के पक्ष में कुछ कहना चाहें तो वह हाउस के लिए रिलेवेन्ट होगा। यहां पोलिटिकल पार्टी के मेनीफेस्टो, पॉलिसी वगैरह को डिस्कस करने का प्रश्न नहीं है।

श्री चंदनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : आप कल १ घंटा ४० मिनट बोले थे।

श्री भैरोंसिंह : मैंने पार्टीज़ के प्रोग्राम को लेकर बात नहीं कही थी। हमारा नो कॉन्फीडेंस मोशन राजस्थान गवर्नमेन्ट के विरुद्ध है। हम कांग्रेस के अध्यक्ष, हरिदेव जोशी के खिलाफ नहीं रख रहे हैं; यह सुखाड़ियाजी की गवर्नमेंट के खिलाफ रख रहे हैं। इसके पक्ष में आपको बातें रखनी हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब दीजिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी हाउस में रखिये, वह जवाब होगा। आप पोलिटिकल पार्टीज़ के मेनीफेस्टो और पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हैं तो मैं समझता हूं यह अच्छी बात नहीं है और समय व्यर्थ जाता है....

श्री हरिश्चंद्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही यह अर्ज किया था कि यह निहायत जरूरी है कि सदन को यह मालूम होना चाहिये कि अपोज़िशन का काम सिर्फ क्रिटिसाइज ही करना नहीं है। यह एक अंग है; लेकिन उसके साथ साथ उनकी पॉलिसी क्या है, उनके क्या विचार हैं। उनका बर्निंग टोपिक है उस पर इनकी पार्टी का क्या विचार है, जब तक यह सदन के सामने नहीं आता है तो यह अधूरा काम रह जाता है। माननीय सदस्य भैरोंसिंहजी जो खड़े हुए, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ कहा मैंने कई माननीय सदस्यों के खिलाफ उनकी पार्टी को क्रिटिसाइज़ किया लेकिन मुझे उनके प्रति हमदर्दी है उन्होंने उसको शान्तिपूर्वक सुना। आपके लिये तो मैंने कहा तो अपकी जमीन पैरों से निकल गई। लेकिन मैं यह कहूंगा कि सदन को यह मालूम होना चाहिये कि आप अविश्वास ला रहे हैं और अविश्वास का प्रस्ताव लाने का आपको हक है; लेकिन आप किस तरह से उस चीज को ठीक करना चाहते

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

हैं, किस तरह से आप राजस्थान को चलाना चाहते हैं, यह भी उसके साथ साथ आपको

(श्री हरिश्चन्द्र)

लाना जरूरी है। मैं यह अर्ज करूंगा कि मैं ज्यादा वक्त स्वतन्त्र पार्टी का नहीं लूंगा।

एक माननीय सदस्य : क्योंकि आपके पास कहने को मेटीरियल नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास तो कहने को बहुत मेटीरियल है। माननीय अध्यक्ष घंटी बजा रहे हैं इसलिए मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप खुश हो रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : आपको क्यों दर्द हो रहा है ? आपको भी कांग्रेस में आने के लिए फिक्र हो रही है क्या ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतन्त्र पार्टी कहीं आपको यह नजारा नहीं दिखला दे कि लीडर तो कहीं हो और फौज कहीं; यह नहीं हो जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह हो रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : हां। यह हमारे कानों में बात आई है। तो मैं माननीय लीडर से कहूंगा कि आप ध्यान रखिये कि कहीं लीडर लीडर रह जावेंगे और फौज कहीं रह जाए....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अगर उधर वाले कल इधर आ जावें तो बहुत अच्छा है।

श्री हरिश्चन्द्र : वे भी यही कहने लग जावेंगे। मैं जनसंघ पर भी कुछ अर्ज करना चाहूंगा। वैसे मेरे कई मित्र जनसंघ में हैं; लेकिन उनकी जो पार्टी है उसके दो स्वरूप हैं। ऊपर से जो उनका स्वरूप दिखता है वह स्वरूप तो जनतन्त्र में विश्वास रखता हुआ नजर आता है लेकिन जिसके आधार पर यह पार्टी खड़ी हुई है, "जिससे" का मेरा मतलब आर० एस० एस० से है; उनका जो बेसिस है वह मैं समझता हूं कि जनतन्त्र की परम्पराओं में विश्वास नहीं करता है और जो भी बातें यहां आती हैं और जिस तरीके से रखी जाती हैं उससे मेरा विश्वास गौण होता हुआ जाता है जो बालक आर. एस. एस. की ट्रेनिंग लेते हैं और जगह जगह पर जाते हैं उनको ट्रेनिंग इस बात की दी जाती है कि कागज उड़ा कर ले आओ, हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। माननीय सदस्यों के पास यह मेटीरियल आता है वह आखिर कहां से निकलता है और उसका इस्तेमाल यहां होता है।

एक माननीय सदस्य : आपके दूसरे लोग देते हैं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : (शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री हरिश्चन्द्र : और मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो ट्रेन्ड दिखाई देता है वह देश के लिये घातक है और वह घातक यों है कि हमारे देश के ऊपर साथ कई देशों की सीमा मिली हुई है। ये देश इस बात की टोह में लगे रहते हैं कि हमारे यहां की सीक्रेसी और हमारे यहां के डॉक्युमेंट और बातें हैं वे उसके पास तक पहुंचें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जनसंघ की पॉलिसी को क्रीटिसाइज़ कर रहे हैं, करें; मैं उसको शांतिपूर्वक सुनूंगा लेकिन आपने जो चार्ज लगाया कि सीक्रेट्स लेकर विदेशी हुकूमत को देते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : यह मैंने कतई नहीं कहा। मैं कह कहना चाहता हूं कि जो आदमी किसी को आज सीक्रेट्स देता है वह आपको आज दे सकता है। आपकी राजनैतिक पार्टी है अगर उसकी हैबिट हो गई तो दूसरे आदमियों को भी सीक्रेट्स दे सकते हैं जिससे देश को खतरा बड़ा भारी पैदा हो सकता है जो आज हमें नजर नहीं आता। १० वर्षों बाद वह नजरआ सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह की चीज आती है और आप उसको इस्तेमाल करते हैं करें; आप भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहते हैं तो सदन के सामने रखें। जब इतने बड़े प्रान्त को चलाते हैं तो कहीं न कहीं कम रह सकती है। आप हमें बतावेंगे, हम उसका स्पष्टीकरण करेंगे और आपके दिमाग की उलझन को मिटायेंगे।यह हमारा काम है, लेकिन अगर यह उस व्यक्ति की हैबिट हमारे यहां और एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी में बैठ जाती है तो उसका आप फायदा उठावें, मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन विरोधी देश अगर उसका कोई फायदा उठाता है तो यह परम्परा हमारे देश के लिये घातक होगी।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बता दीजिये कि पिछले १२ वर्षों से मैं विधान सभा में सदस्य हूं। राजस्थान की सरकार ने इस बात पर कितने लोगों को आज तक सजा दी कि उन्होंने आपके सेक्रेटेरियेट की सीक्रेसी को लीक किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं यह कहता हूं कि आपको कोई न कोई सीक्रेट्स देता ही होगा।

एक माननीय सदस्य : आप बतावें।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं बताता हूं। हो सकता है कि मैं आर. एस. एस. में गया नहीं लेकिन कॉमन बिलीफ यह है। आपको यह इन्फोर्मेशन आर. एस. एस. के लोगों में जिनको इस बात की शिक्षा दी जाती है और उनमें डिसिप्लिन है प्राप्त हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : यह आप आर. एस. एस. में जाकर शिक्षा ले लें।

श्री हरिश्चन्द्र : आपकी आर. एस.एस. की एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी में बल है कि यह अविश्वास का प्रस्ताव आया है, बड़ी तरकीब का है, इसमें फायदा आपको या औरों को हो उसका तो पता नहीं, पर जनसंघ को जरूर फायदा होगा क्योंकि अगर यह मशीनरी, डेमोक्रेटिक मशीनरी हट जाती है तो और कोई पार्टी नहीं, एक फासिस्ट गवर्नमेंट आयेगी। जो आर. एस. एस. का स्वरूप है, ऊपर बता दिया गया है, जो फासिस्ट टाइप का है, वही फासिस्ट टाइप उस गवर्नमेंट में आने का संदेह है। इसलिये आप लोगों को भी निवेदन है कि आप ऐसा न करें कि अनस्टेबल गवर्नमेंट कायम करें। क्योंकि आर. एस. एस. की ट्रेनिंग होती है वह बिल्कुल फासिस्टों वाली ट्रेनिग होती है और उसको फासिस्ट तौर पर

(श्री हरिश्चन्द्र)

सिखाया जाता है। उसका डेमोक्रेटिक स्वरूप होना चाहिये। अगर जनसंघ डेमोक्रेसी में विश्वास करता है तो बच्चों को भी डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल पर सिखाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : आप महाराजकुमार साहब को शाखा में भेज दीजिये, उनको वही प्रिन्सिपल सिखा देंगे।

श्री हरिश्चन्द्र : दो-तीन बातों पर मामले उठे हैं, उन पर भी मैं अर्ज करना चाहूँगा। सबसे पहले जनसंघ के नेता ने चार्ज रखा कि राजस्थान की स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन हैं, उनको न्यूयॉर्क में स्टाल लेना चाहिये था। इसके लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि भारत सरकार को हमने एप्रोच किया था। भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी पास्ट में एक्सपोर्ट करते आये हैं उनको स्टाल्स दिये जायं। इसलिये राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के कहने के बावजूद भी भारत सरकार ने इस चीज को माना नहीं और यह कहा कि जो कॉर्पोरेशन या जो इन्डस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट ट्रेड में ऑलरेडी हैं, उनको ही स्टाल अलॉट करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सरकार ने या कॉर्पोरेशन ने भारत सरकार को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा है क्या कि हमें न्यूयार्क में स्टाल मिलना चाहिये ?

श्री हरिश्चन्द्र : वर्बल टॉक्स हुई हैं....

श्री भैरोंसिंह : वर्बल नहीं, लिखित में।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने खुद ने फोन किया था, मैंने खुद ने मनुभाईशाह को फोन किया था कि राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को स्टाल दीजिये। उन्होंने कहा कि आप एक्सपोर्ट करते ही नहीं इसलिये नहीं मिल सकता। तो हमारे सामने यह सवाल है कि राजस्थान में काफी हैंडीक्राफ्ट्स की छोटी-छोटी चीजें बनती हैं, जिनको वर्ल्ड मार्केट में ले जाना आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह : यह भी बता दीजिये कि टेलीफोन पर बात की थी या ट्रंक पर ?

श्री हरिश्चन्द्र : ट्रन्क पर।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर आप यह भी बता देंगे कि मनुभाई शाह से कब टेलीफोन कॉल रेकॉर्ड हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं मालूम करके बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप मालूम करके ५ बजे तक बता दीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र : बिल्कुल मैं बता दूंगा तो आप एपोलोइज़ करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : जितनी आपकी अनभिज्ञता है, उसको सामने रखूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र : आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं डॉक पर खड़ा हुआ हूं। मैंने कहा, मैंने खुद ने बात की है ! कॉल बुक करने का पूछ रहे हैं, वह भी बता दूंगा तो आप अपोलोजाइज़ करेंगे क्या ?

श्री भैरोंसिंह : मैं इस बात पर अपोलोजाइज़ नहीं करूंगा....

Page No. 46

श्री हरिश्चन्द्र : इतना तो कहोगे कि "तुम सही हो, मैं गलत हूं।"

यह भी कहने को तैयार नहीं। अध्यक्ष महोदय, he is incurable.

श्री भैरोंसिंह : मैं सदन के समक्ष यह बात रखूंगा कि मन्त्री महोदय को इतना ज्ञान नहीं था कि भंवरलाल बेनीप्रसाद को स्टाल मिला।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं नम्बर बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप नम्बर बताइये। फिर आपने पत्र लिखा है वह मैं सदन की मेज पर रखूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने टेलीफोन बुक कर के मनुभाई शाह से खुद से बात की थी। मगर मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने कहा वह चीज मैं बता दूं तो आप क्या करेंगे?

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने सही बात बताई।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इन्होंने ही तो सारा मैटर भैरोंसिंहजी को बताया है....

श्री भैरोंसिंह : यह गलत चार्ज लगा रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : बनेड़ा में भी गलत कहा, वहां इनकी जड़ें खोद दीं। यहां भी गलत कहने की आदत है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उखाड़ कर फैंक देंगे डिप्टी मिनिस्टर साहब मूंछों को, मूछें बताते हैं हमको! मूंछें यों करते हैं, यों कर देंगे, समझे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमने तो इनको बनेड़ा में हाथ बताये हैं।

(शोरगुल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उखाड़ कर फैंक देंगे।

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष, ये हमें यों मूंछें बताते हैं। यहां आये हैं सुखाड़ियाजी के चाटुकार बन कर! बड़ी मूछें बताते हैं, मूंछों के हाथ लगाते हैं! अरे तुम क्या मूंछें रखोगे?

श्री अध्यक्ष : Order please! मैं माननीय ढाबरिया से निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही में इस तरह से हस्तक्षेप नहीं करें, शांति से सुनते रहें। दो-दो, चार-चार मिनिट में हर भाषण में इस तरह इन्टरप्ट करना उचित नहीं। वे इशारा क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, इसको सदन के सामने लाना, मैं समझता हूं ठीक नहीं। आप सुनते रहें, गलत है, सलत है; यह आपके मन की बात है, पर सदन की कार्यवाही में इस प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करें।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले टेलीफोन नम्बर बताऊंगा, फिर किसी अगले समय पर इसका क्लेरिफिकेशन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बादृदार।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : मेरे बारे में पर्सनली बात कही है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : उसके लिये अभी समय नहीं दिया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : न्यूयार्क के स्टाल का क्या हुआ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं पहले टेलीफोन नम्बर बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, आज इस सदन में अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हो रही है। अविश्वास राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहन-लाल सुखाड़िया व उनके मंत्रि-मण्डल के खिलाफ है। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव को यहां लाने का क्या कारण हुआ और विरोधी पक्ष के तकरीबन सभी माननीय सदस्यों की ओर से इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव लाने का कौन सा प्रमुख कारण है जिस पर विचार करने की आवश्यकता हुई। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारा देश जब स्वतन्त्र हुआ तो स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिये सभी पक्ष के लोगों ने, भारत के प्रत्येक नागरिक ने कन्धे से कन्धा मिला कर हिन्दुस्तान को आजादी दिलाने की कोशिश की और आजादी प्राप्त की। आजादी प्राप्त होने के पश्चात्, स्वराज्य प्राप्त कर लेने के पश्चात् हमारे हृदय में यह भी भावना पैदा हुई कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो जिस प्रकार हमारे देश में स्वराज्य की स्थापना की तो अब हमें स्वराज्य की भी स्थापना करनी चाहिये और आज जितने ट्रेज़री बेंचेज पर बैठने वाले हैं, उनको आसन पर बैठाने का श्रेय, सौभाग्य यदि किसी को प्राप्त हो सकता है, यदि कोई इनको यहां बैठाने का दावा कर सकता है तो वह सारे देश की जनता है, राजस्थान के नागरिक भी हैं। भारतवर्ष का प्रत्येक आदमी दावा कर सकता है कि हुकूमत करने वाले लोगों को कुर्सियों पर बिठाने का अधिकार यदि किसी का था तो जनता का था, जनता ने इन्हें कुर्सियों पर बैठाया। अविश्वास का प्रस्ताव आज आपके खिलाफ आया है तो क्यों आप इस बात को भूल जाते हैं कि सबसे पहले आपके प्रति विश्वास का प्रस्ताव लाया गया था तो राजस्थान की जनता द्वारा लाया गया था, हिन्दुस्तान की जनता द्वारा लाया गया था। वही जनता जिसने पहले आप पर विश्वास किया और आपको उस ओर बिठा कर जनता की भलाई के काम करने का अधिकार दिया, वही जनता आज आप पर अविश्वास का प्रस्ताव ला रही है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : On a point of clarification, Sir, जनता ला रही है या आप ला रहे हैं?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय सदस्य, जरा शान्तिपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिये।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी कौन सी बात पैदा हो गई कि जिसके कारण अविश्वास का प्रस्ताव आया। तीन प्रधान मुद्दों को लेकर सदन के सभी माननीय सदस्यों के

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

सामने तीन मुद्दे लेकर इस राजस्थान सरकार के खिलाफ अविश्वास लेकर आये हैं कि यह राजस्थान सरकार ऐसी नहीं है जिसमें राजस्थान की जनता के हृदय की आवाज हो या राजस्थान की जनता का विश्वास हो और जो इस प्रकार का प्रस्ताव अविश्वास का ला रहे हैं वे बहुत बड़ी तादाद में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। ये उनके निजी विचार नहीं, ये उस जनता के विचार हैं। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद आप लोगों की हुकूमत आ जाने के बाद, खाद्यान्न की जो समस्या है, आवश्यक वस्तुओं की जो समस्या है उसके प्रति आपका क्या कर्त्तव्य रहा है, क्या इन्तजाम किया है ? क्या आप इस बात का दावा करते हैं कि राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को खाने के लिए अच्छा अन्न दे सकते हैं, पहिनने के लिए अच्छा वस्त्र दे सकते हैं ? बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि जब समस्यायें आपके सामने पैदा होती हैं तो आप बहाना बनाते हैं कि अकाल पड़ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टीज़ को लेकर बचना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि अमरीका से जो अनाज मिला था वह कम आया। वह राजा राज्य में रहने के काबिल नहीं, उसका कोई महत्व नहीं होना चाहिए जिस राज्य के अन्दर प्रजा के खाने के लिए अच्छा अन्न नहीं मिल सकता। क्या आप दावा कर सकते हैं कि आपने जनता के लिए खाने के लिए अच्छा अन्न दिया है या अन्न की कोई सुचारू व्यवस्था की गई है ? आप जयपुर नगर में राशनिंग की दुकानों पर जाकर अन्दाजा लगाइये कि जनता की क्या हालत है ?

अभी थोड़ी देर पहले विद्युत् मंत्री यह बता रहे थे कि बाढ़ के समय नगरपालिका का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आता था और इस स्वतन्त्र पार्टी की ओर से इस बाढ़ के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं की गई। सदन के अन्दर यहां आकर किसी प्रकार की गलत या सही स्टेटमेंट देना दूसरी बात है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और इस प्रकार का दावा करता हूं कि नगरपालिका के जितने भी ट्रैक्टर्स जितने भी ट्रक्स सब थे, उन्होंने गंदगी को दूर किया और मिट्टी के अन्दर सारे ट्रक्स लगा दिये। नगरपालिका की ओर से कई हजार रुपये बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए दिए गए। जब नगरपालिका ने मांगें राज्य सरकार के सामने रखीं, आखिर सरकार का भी कर्तव्य होता है, तो कोई योगदान नहीं मिला। सड़कों पर मिट्टी फैल गई। नगरपालिका का एक मात्र कर्त्तव्य है कि गंदगी को दूर करना लेकिन राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया गया। गंदगी नगरपालिका दूर कर सके या नहीं इस समय तो मिट्टी उठाने का सवाल है, उसमें नगरपालिका को राज्य सरकार कोई योगदान नहीं देना चाहती।

मुख्य मन्त्रीजी इस बात को जानते हैं कि मुख्य मन्त्री के साथ में बाढ़ग्रस्त एरियाज़ में घूमा हूं। मुख्य मन्त्री और मैं दोनों पैदल चल कर कमर तक आने वाले पानी में चले हैं। तो फिर विद्युत् मन्त्री कैसे दावा कर चलते हैं कि वहां स्वतंत्र पार्टी के किसी आदमी को नहीं देखा। आपने कभी जीप में दो—चार आदमियों को लेकर घूमने की कोशिश की होगी, लेकिन नीचे उतर कर यह देखने की कोशिश की कि किसके मकान का कितना नुकसान हुआ है ? आप बताने को

Page No. 49

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

तैयार हैं ? जयपुर में गंगापोल और जयपुर के बीच के अन्दर नाला ४० फीट गहरा हो गया और वहां से जयपुर शहर को पानी सप्लाई करने वाली वाटर लाइन खतरे के अन्दर पड़ गई और उसके अंदर ओटोमेटिकली जमीन को उस नाले की गहराई से बचने के लिए उस एरिया को आपने जाकर देखा है ? उसके लिए मैंने स्वयं मुख्य मन्त्री को सुझाव दिये थे कि इस समय आप लाखों रुपए लगाकर वाटर लाइन को बचाने की कोशिश कीजिए उसको बचाने के लिए, क्योंकि दो लाइन एक साथ आती हैं और दोनों के बीच में १५ या २० फीट का गैप है इसके अन्दर पुलिया बना लें जिससे वाटर लाइन का सपोर्टिंग भी हो जाय। लेकिन उनके दिमाग में यह बात नहीं बैठो। हम कहते हैं कि ये १०--२० लाख रुपये लगाकर आप जिस काम को एक बार आसानी से कर सकते हैं उसी काम को करने के लिए आप तीन तीन चार चार बार योजनाएं बनाते हैं और इस तरह से काफी पैसा बरबाद होता है। आप सोचिए कि कितने परिश्रम के बाद यह गरीब जनता रुपया कमाती है, इस सरकार को टैक्स देती है, इसलिए नहीं देती कि उस रुपये का दुरुपयोग किया जाय, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने लोगों को प्रश्रय देने के लिए उस रुपये का दुरुपयोग किया जाय। यह बात जनता बरदाश्त नहीं कर सकती, जनता के सामने यह बात आती है लेकिन मंत्री या मुख्य मन्त्री और हुकूमत इन सारी बातों को नहीं देख सकती।

मैं एक नहीं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद जब इस देश में सारी स्टेट्स का इंटीग्रेशन हुआ तो हमारे यहां जयपुर के अन्दर गलेजा और तोपखाने का एक महकमा था और मेवाड़ में भी था। जहां तक सवाल स्तर का है दोनों स्तर एक प्रकार के होने चाहिए लेकिन इंटीग्रेशन के बाद गलेजा और तोपखाने के लोग थे उनके अंदर करीब १२०० लोगों की स्ट्रेन्थ थी उनमें से कहीं इन्सपेक्टर के रैंक के आदमी को हैड कॉन्सटेबल के रैंक का आदमी बना दिया और

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उधर मेवाड़ में भी इंटीग्रेशन हुआ वहां ऐसा नहीं हुआ। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि यह प्रांतीय या क्षेत्रीय भावना जाग्रत करने का क्या कारण है ? जब आप इस प्रकार के स्टेप्स लेते हैं और लोगों को मौका देते हैं। एक तरफ आप एक स्तर करने के लिए कर्मचारियों के प्रति इस प्रकार की भावना रखते हैं और दूसरी तरफ उन आदमियों को यह मौका नहीं देते।

खनिज महकमा मुख्य मन्त्री के पास है। एक खान जिसको राज्य सरकार की ओर से चलाया जा रहा है और जिसमें लाखों रुपयों की आमदनी होती है, आपने अपनी पार्टी के किसी बड़े नेता को अगर आप विशेष रूप से सूचना चाहेंगे तो भी दे दूंगा लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का नाम लेकर आलोचना करना मैं अपना कर्तव्य नहीं समझता। जिस खान में डेढ़ करोड़ की आमदनी थी उसको आपने बन्द कर दिया और अपने आदमी को देने के लिए, ५० लाख रुपए सालाना की ऑफर आई लेकिन मुख्य मन्त्री ने नहीं मानी। मुख्य मन्त्री अगर किसी को ओब्लाइज करना चाहते थे तो

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

उसके लिए जनता को ५०–६० लाख रुपये का सालाना नुकसान हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

वह सरकार के खजाने को नुकसान हुआ और उस सारे नुकसान का उत्तरदायित्व राजस्थान के मुख्य मन्त्री पर है और राजस्थान के सारे मंत्रियों पर है। अक्सर आक्षेप और आलोचनाएं इस बात की की जाती है कि जो विरोधी दल के लोग हैं वे केवल कांग्रेस की आलोचना मात्र करना जानते हैं और सक्रिय रूप से कोई योजना नहीं हैं। आलोचना की जाती है कि स्वतंत्र पार्टी को हुकूमत मिल जाय तो उसके पास क्या कार्यक्रम है, क्या योजना है? काश्मीर की समस्या को लेकर यह पार्टी अपने विचार बुरा रखती है।

(१.०० म. प.)

स्वतन्त्र पार्टी टैक्स नहीं लेना चाहती। टैक्स नहीं लेगी तो योजनाएं कैसे कार्यान्वित करेगी? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्स शुरू से राज्य सरकार लेती आयी है। आप भी लेते हैं। लेकिन टैक्सों का भार रात दूना, दिन चोगुना; जितना आप लोग जनता पर लाते है, उतना स्वतन्त्र पार्टी इस पक्ष की नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): काश्मीर के बारे में आपकी पार्टी के विचार हैं वे बता दीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप शान्ति से सुनिये वह भी बता दूंगा।

आप उन टैक्सों की रकम का दुरुपयोग करते हैं, मैं आपके सामने यह बता देना चाहता हूं कि स्वतन्त्र पार्टी यह नहीं चाहती कि टैक्सों का दुरुपयोग किया जाय। आप उन टैक्सेज़ का दुरुपयोग मत कीजिये। अविश्वास की....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सबसे पहली बात यह मान कर चलिए कि स्वतन्त्र पार्टी के सबसे बड़े लीडर, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, जो हिन्दुस्तान के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे, आपकी हुकूमत करने वालों में सबसे अग्रणी थे....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो मिनट, साहब!

मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या कारण हुआ, आप ही लोगों के अन्दर जब इस प्रकार के कारनामे देखे, आप जब जनता के रुपयों का दुरुपयोग करने लगे तो उनकी विचारधारा आपकी विचारधारा से नहीं मिली और उन्हें स्वतन्त्र पार्टी को जन्म देना पड़ा। मैं बता देना चाहता हूं कि हम अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं जरूर, आप अपने हृदय के ऊपर हाथ रख कर देखें कि आपके पार्टी के कितने लोग आपसे असंतुष्ट हैं, कितने आदमी जिस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, कितना भयंकर आपमें असंतोष है, अविश्वास तो आपके ही घर से आ रहा है। आपके खुद के कारनामे ऐसे हैं जिसके कारण जनता और जनता का विरोधी पक्ष आपके प्रति अविश्वास ला रहा है। मैं कह सकता हूं कि आप मेजोरिटी के जोम में

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

आकर आप दुनिया को यह दिखा सकते हैं कि हमारी कांग्रेस की हुकूमत है, हमारी कांग्रेस की शक्ति है, हमारी कांग्रेस के संगठन में इतना बल है कि हमने अविश्वास के प्रस्ताव की परवाह नहीं की और अविश्वास का प्रस्ताव हमारे सामने ठहर नहीं सका ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अभी अभी, अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ के चुनाव हुए । उसके लिए ढिंढोरा पीटा जाता है कि सारे विरोधी पक्षों ने मिलकर अपने केन्डीडेट को हमारे केन्डीडेट के खिलाफ खड़ा किया, लेकिन कांग्रेस की ताकत को देखो कि उन सारे लोगों के मिल जाने पर भी हम कांग्रेस वाले कामयाब हुए और अपनी ओरवे यह कहते हैं है कि राजा-महाराजाओं की जीपों का इस्तेमाल करते हैं जो उनको प्राइवेट तौर पर दी जाती हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह चुनाव जो लड़ा गया था; वह कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं लड़ा गया था। यह चुनाव जो लड़ा गया था वह राजस्थान सरकार और विरोधी पक्ष के बीच में लड़ा गया था । यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से काम किया, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वर्तमान राजस्थान सरकार की सारी सत्ता की ओर से वह चुनाव था । वर्तमान राजस्थान सरकार ने अपनी सारी सत्ता को उस चुनाव में झोंक दिया था । यह भ्रष्टाचार है, इसको आप भ्रष्टाचार नहीं मानते, क्योंकि आप करते हैं इसलिए····

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मिनिस्टर....

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : कविता हो जाए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: लास्ट पोइन्ट मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी यह बताया गया कि विरोधी पक्ष के लोग इस बात में चतुर हो गए हैं कि राज्य कर्मचारियों से मिलकर लीकेजेज़ प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करने के पश्चात् सरकार की आलोचना करते हैं, कांग्रेस की हुकुमत आलोचना करते हैं और सरकारी मशीनरी को बिगाड़ने वाले विरोधी पक्ष के लोग हैं आपको भय रहता है कि विरोधी लोगों को लीकेजज़ मिलते है वे बाहर न चले जायें। मैं कहूँगा कि मेरे भाइयो, आप अपनी बुद्धि को जरा ठिकाने रखो। यह अंकुश आप नहीं रख सकते, आप अपने घर को ठीक नहीं रख सकते, आप उसका इन्तजाम नहीं कर सकते तो विरोधी पक्ष को दोष देने का सवाल ही कहां है ? आपका यह कन्फेस कर लेना कि बहुत बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी लीकेजेज़ हो जाते हैं, यह इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन करने के लायक नहीं, आपमें एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की योग्यता नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप हैं; कविराज !

(समय-समाप्ति- सूचक घंटी)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपको लीकेजेज़ का भी पता नहीं लगता ।

जनसंघ के माननीय नेता ने कहा था और एक प्रश्न पूछा कि ११ वर्ष के अपने एडमिनिस्ट्रेशन के क्या आपके कारनामे हैं । एक खान जिसका पचास लाख रुपया मिल सकता था आपने बन्दी

Page No. 52

(शोरगुल)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) मैं आपका मतलब समझा नहीं।

(शोर गुल)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री दुर्गालाल बाढदार : मेरा मतलब यह है कि आप शासन के योग्य नहीं हैं और आप पर अविश्वास है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य यह प्रश्न थोड़ा स्पष्ट कर दें ताकि मुझे जवाब देने में आसानी रहे। आपने अपने भाषण के दौरान में कहा? किसी खान के बारे में कि गवर्नमेंट ने ५०-६० लाख की आमदनी हो रही थी उसको खत्म करके प्राइवेट आदमी लेना चाहता था, उसको नहीं दिया ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उसकी डिटेल्स मैं आपको लिख कर दे दूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : खान कौन सी है ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : नीम का थाना।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नीम का थाना, पाटन।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जो खान गवर्नमेंट की तरफ से चलती थी, गवर्नमेंट की ओर से नीलाम की जा रही थी आपने बन्द कर दिया। उस पत्थर को नीलाम किया, पचास लाख ऑफर किया, लेकिन उसको डाउन किया गया। आप स्वय इसको जानते हैं इससे मेरा कन्सर्न नहीं है। ऐसी मेरी मान्यता है कि उससे आपको पचास लाख रुपया सालाना मिलता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोई भाषण यहां होता है और यह स्पेसिफिक नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट उसका क्या दे सकती है इसलिए अभी जो माननीय सदस्य ने कहा कि पाटन की खान अब बन्द करदी, पचास लाख रुपया ऑफर करने के लिये तैयार थे I now and here accept the offer. उस पार्टी को मेज दें, पचास लाख में हम उनको खान को दे देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (ज़ौहरी बाजार, जयपुर) : You will always harbour on the weakest point.

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय अविश्वास के प्रस्ताव पर गत दो दिन से बहस हो रही है और आज बहस का तीसरा दिन है। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए जयपुर से आने वाले माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने इस बात को कहा था कि इस अविश्वास प्रस्ताव का मतलब या तो सरकार को अपदस्थ करना होता है या सरकार की जो नीतियां जनता के खिलाफ चलती हैं उन पर जवाब डाल कर नीतियों को परिवर्तन कराने के लिए इस प्रकार के वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया जाता है और मैं समझता हूं यह सही स्थिति है, क्योंकि जिस प्रकार से आज इस सदन की स्थिति है जिसमें कांग्रेस दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त है। मैं समझता हूं कि यह स्थिति तो नहीं है और न ही इस प्रकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का प्रस्ताव लाते वक्त किसी भी माननीय सदस्य के दिमाग में यह ख्याल हो सकता है कि मेजोरिटी की बुनियाद पर कांग्रेस दल को अपदस्थ किया जा सके इसलिए जहां तक हम समझते हैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का मकसद, राज्य सरकार के चलाने का तरीका है उस प्रस्ताव में जो कुछ बातें दी हैं; राज्य सरकार की नीतियों में परिवर्तन कराने का मकसद, इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य है। अध्यक्ष महोदय, हमने भी इसी दृष्टिकोण से इस प्रस्ताव पर विचार किया और उसी दृष्टिकोण से अपने ख्याल यहां पर रखने का प्रयत्न करूंगा।

कांग्रेस दल की ओर से, अध्यक्षम होदय, जो उत्तर मुख्य तौर पर दिया गया, जो स्टेण्ड कांग्रेस दल की ओर से मुख्य तौर पर लिया गया वह इस प्रकार करा लिया गया जो हिंदुस्तान की जनता ने एक पुरानी शासन-प्रणाली को समाप्त करके आजादी के बाद जो हिंदुस्तान की जनता का अपना शासन आया उस नये शासन ने कांग्रेस दल ने अपने शासन के कार्यों को उस पुराने शासन से मुकाबला करके और अपना श्रेय लेने की या उससे अच्छा शासन है यह कहने की कोशिश की है, यह मुख्य दलील है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है। मैं तो यह उम्मीद करता था कि आज देश की, अपने राज्य की इस गम्भीर स्थिति में जहां इस प्रकार मंहगाई और खाद्यान्न की भयंकर समस्या हमारी जनता के सामने है, जहां इस तरह से आम मजदूर, मध्यम वर्ग कर्मचारी और लोग, इन समस्याओं को हल करने के लिये अपने अलग अलग तरह से प्रश्नों को उठा रहे हैं; जहां आज हमारे देश और प्रान्त के सामने निर्माण का कार्य, योजना पूर्ति का काम क्वेश्चन मार्क के रूप में खड़ा हो गया है। देश की आर्थिक संकट के समय में किस प्रकार से हम इन समस्याओं को हल करें, आया कि इस प्लानिंग को इसे पूर्ण करें, आया कि इसमें नीति में परिवर्तन करें, आया कि इन नीतियों के जरिये ही अपनी पॉलिसी को आगे ले जा सकते हैं? मैं उम्मीद करता था कि कांग्रेस दल की ओर से इसके अनुकूल उत्तर आवेगा, वह इन समस्याओं को हल करने के लिये अपने तरीकों के बारे में कुछ कहेगा, इन बातों का जवाब देगा और अपने जवाब से जनता को कंविन्स करने की कोशिश करेगा जिससे आज जनता में सन्देह पैदा हो रहा है वह दूर हो इन स्थितियों से आज ये इन्कार नहीं कर सकते। मंहगाई भ्रष्टाचार या और जो समस्याएं हैं, प्रश्न पैदा हुए हैं, उनसे काफी हद तक ये इन्कार नहीं करते।

सवाल यह था कि आया वे कनविन्स कर सकते हैं कि ये शोर्ट टेम्पोरेरी क्वेश्चन्स हैं, ये इन कारणों से पैदा हुए हैं और हमारी ये नीतियां हैं उनसे हम कॉन्फीडेन्टली कह सकते हैं कि हम इन कारणों को दूर कर सकेंगे और यह इसके लिये हमारा प्रोग्राम है जिससे चिन्तित होने की राजस्थान की जनता को जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जिस जनता ने हिन्दुस्तान की क्रान्ति के लिये आगे कदम बढ़ाया जिस हिन्दुस्तान की जनता ने आज से सैकड़ों साल पहले के साम्राज्यवाद के खिलाफ और हिन्दुस्तान में साम्राज्यवाद की जो स्थापना थी, सामन्तवाद या सम्प्रदायवाद था; उन तबकों के खिलाफ हिन्दुस्तान की जनता ने मिल कर लड़ाई लड़ी और जिसके लिये जैसा कि नसीराबाद से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वह चीज केवल इधर के बैठने वालों की ही नहीं, बल्कि इस लड़ाई में हिन्दुस्तान के उस रिवोल्यूशन में इस ओर से बैठने वालों का भी हिस्सा रहा है, योगदान रहा है। इसलिये जो हिन्दुस्तान की जनता ने डिफीट दे दी उन रिएक्शनरी फोर्सेज़ को, इम्पीरियलिज़्म को फ्यूडेलिज़्म को, कम्यूनेज़्म को जिसको अन्तिम तौर से ४७ में डिफीट दे दी। हिन्दुस्तान की जनता ने इकट्ठे होकर, रिवोल्यूशन का एक चरण समाप्त किया।

हिन्दुस्तान की जनता ने तब एक नये युग में प्रवेश किया ४७ के बाद। ...ेस ने जो जनता का सही प्रतिनिधित्व ... टनों कर रही थी, देश के शासन की ... र सम्भाली और सारे हिन्दुस्तान की जनता यह उम्मीद करने लगी कि अब हम आर्थिक व्यवस्था का नया ढाचां बनायेंगे, नया हिन्दुस्तान का निर्माण करेंगे, नये हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दुस्तान की जनता का, आम जनता का आम, किसान का, आम मजदूर का, मेहनत-कश लोगों का, कर्मचारियों का और लोगों का जो अब तक इस पुरानी व्यवस्था में इम्पीरियलिज़्म के तहत, सामन्तवाद के तहत पिसे चले आ रहे थे उनके लिये इस देश में एक नई व्यवस्था कायम होगी और उस व्यवस्था का नक्शा भी वैसा होगा जैसा कि दुनिया के अन्दर अन्य स्वतन्त्र देशों में उपलब्ध था। दुनिया के दूसरे मुल्क आगे बढ़ रहे थे, स्पुतनिक एज में जो बढ़ रहे थे उसके अनुसार हिन्दुस्तान भी बने, यह हमारी तमन्ना थी। ऐसा हमारा देश बने, जिसकी अपनी जमीन, अपना आसमान, अपना समुद्र और अपना हवाई जहाज हो, अपनी फौज अपनी बंदूक अपने कारखाने, अपनी कला और अपनी सब कुछ हो। दुनिया की दूसरी ताकतों और देशों के मुकाबले में कन्धे से कन्धा मिलाकर, सीना निकाल कर हम भी चल सकें, चाहे रूस हो, चाहे अमरीका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो। दुनिया की बड़ी से बड़ी नैशन्स के मुकाबले में हिन्दुस्तान के जो ४० करोड़ इन्सान हैं वे भी खड़े हो सकें। उस तमन्ना को जनता ने कांग्रेस के करांची अधिवेशन के रेज़ोल्यूशन में मन्जूर किया था उस नक्शे को मिनिमम प्रोग्राम के रूप में फैजपुर के अधिवेशन में मन्जूर किया है: वह एक नक्शा वह एक लक्ष्य, वह एक प्रोमिज़ या प्लेज था जो कि हिन्दुस्तान की जनता को पूरी करनी थी।

उस बैक ग्राउन्ड में, उस पिक्चर में उस नक्शे में कम से कम हमें यह कहने का हक है, उन साथियों को कहने का हक है जो बराबर के उस लड़ाई के सिपाही थे, उस भारतीय क्रान्ति की लड़ाई में जिन्होंने कन्धे से कन्धा मिला कर लड़ी थी। वे यह पूछने का आज हक रखते हैं और मैं पूछना चाहता हूं जब मेरे वे दोस्त जिनको जिम्मेदारियां सम्भलाई गईं शासन की हिन्दुस्तान का नया निर्माण करने की और जो हमने अपना पुराना प्लेज किया था; सवाल यह है उसके मुताबिक आप चल रहे हैं या नहीं ? आज आप उससे हट कर किधर जा रहे हैं ? हम और आप जिस नक्शे का अपना ले रहे थे, जो तमन्नाएं आजादी से पहले रखते थे उसमें आज आप कहां जा रहे है, किधर आप आगे बढ़े है ? आपने एक रास्ता अपनाया। ४७ के बाद आपने जो रास्ता अपनाया, आपने देश के निर्माण के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बारे में पॉलिसी अपनाई, हमने कहा यह रास्ता आपका गलत है। यह वह रास्ता नहीं है जिसका नक्शा आपने हमने आजादी से पहले बनाया था, जो तमन्नाएं हमने आपने आजादी से पहले संजोई थी। हमने कहा, आपका यह रास्ता गलत है। थोड़े अर्से के लिये भले ही कामयाबी दिखायेगा, सीमित कामयाबी दिखायेगा; पर आगे जाकर खड्डे में गिरायेगा, हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे; बेकारी, भुखमरी, महंगाई का वातावरण पैदा करेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज से दस-पन्द्रह साल पहले हमने कहा था वह आज सही सिद्ध हो रहा है। हिन्दुस्तान की जनता ने जिस विशाल भारत की कल्पना की थी, दुनिया के बड़े-बड़े देशों के मुकाबले का हिन्दुस्तान बनाने की तमन्ना थी और जो उसके नक्शे उसने तैयार किये थे वे सभी भंग हो गये। आज हम बहुत ठण्डे दिल और दिमाग से देखें, सोचें कि कौनसा प्रोब्लम हल करने के लिये हमें और आपको जूझना नहीं पड़ रहा, है आज १७ और १७ साल आजादी के मिलने के बाद भी ?

वह प्रारम्भिक फूड का प्रोब्लम, लोगों को खाना देने का प्रॉब्लम यह भयंकर से भयंकर रूप में हमारे और आपके सामने पेश हुआ है, इस प्रारम्भिक फूड प्रॉब्लम को भी आप इन १७ सालों के अपने शासन में सॉल्व नहीं कर सके। मैं समझता हूं कि इस प्राब्लम के लिये भी आप में से किसी ने यह भी छाती ठोककर नहीं कहा कि हमने इसे तो हल कर दिया है। अभी कल ही एम० डी० सी० मीटिंग में हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा है कि अभी भी आने वाला कुछ समय फूड के मामले में बहुत कठिनाई का समय है। उन्होंने कहा कि अभी हमको बहुत सख्ती का कानून बनाना पड़ेगा और इस तरह की पॉलिसी लानी पड़ेगी। अभी तो आप पॉलिसी और सख्त कानून बनाने लाने में ही पड़े हैं।

लेकिन वास्तविकता क्या है, अध्यक्ष महोदय, यह मैं निवेदन करदूं ? फूड के बारे में यहां बहस हुई। मैं बोलूं या नहीं, पर मेरे दूसरे साथियों ने बहुत कहा है और मिसालें रखी हैं, मैं उनको दोहराकर समय खराब नहीं करूंगा। लेकिन मुझे निवेदन यह करना है कि वास्तविकता यह हुई कि फूड की इसके प्रॉब्लम को सरकार बुनियादी आधार पर हल नहीं कर सकी: केवल इतना ही नहीं, बल्कि जो खुद सरकार की अपनी डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी, जैसी-तैसी भी लंगड़ी पॉलिसी थी, जो इस समस्या को हल नहीं कर सकती थी, मेरा यह निवेदन है कि यह सरकार ईमानदारी से, सिंसियरली से उस लूली लंगड़ी पॉलिसी पर भी नहीं चल सकी। जैसी तैसी थी, उसको भी नहीं निभा सकी। वरना तो टेम्पोरेरिली कुछ रिलीफ तो वह भी दे सकती थी और बहुत से इस तरह के कितने ही मसले हैं कि किस तरह से इस दौरान में जब कि राष्ट्रपति इस बात का ऐलान करता रहे थे कि होर्डर्स, प्रोफिटियर्स और ब्लेक मार्केटियर्स और एन्टी सोशल जो एलीमेंट्स हैं उनके खिलाफ हिन्दुस्तान के तमाम प्रगतिशील तत्वों को, शासन के साथ इकट्ठा हो जाना चाहिये, तमाम जनता को इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करना चाहिये, इन असामाजिक तत्वों को नष्ट कर देना चाहिए, वहां हमारी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस बेशर्म सरकार से बड़ी बेशर्मी और बेशर्मी के साथ उन्हीं हॉर्डर्स, प्रॉफिटियर्स, ब्लैक मार्केटियर्स और एन्टी-सोशल इलीमेंट्स को शेल्टर किया है, उनको बचाने की कोशिश की है और इस कोशिश में गरीब भूखी जनता को और त्रस्त किया है। जो स्मगलिंग कर रहे थे, आज भी वे कर रहे हैं, विगत कई महीनों से बराबर कर रहे हैं, तीन महीनों से कर रहे हैं जिसका जिक्र बजट सैशन के वक्त भी किया गया था और पिछले सैशन के वक्त भी किया गया था; वे ही लोग पहले इधर गुड़ चीनी वगैरह स्मगल करके लाते थे और आज राजस्थान से जौ और चना आदि खाद्यान्न राजस्थान से बाहर नकालरहे हैं चोरी चोरी छिपे स्मगल कर रहे हैं और इनको सरकार रोकने में बिल्कुल असमर्थ रही है, और आज भी है। इस तरह की कितनी ही बातें हैं जो फूड प्रॉब्लम की जो पॉलिसी इस सरकार ने तय की थी, उसके बुनियादी उसूलों को ही इस सरकार ने स्वयं नहीं बदल दिया बल्कि टेम्परेरी तरीके से जो अपनी घोषित नीति थी, केन्द्रीय सरकार की नीति थी, निहित स्वार्थों के साथ गठजोड़ होने के कारण सेबोटेज इस सरकार ने स्वयं ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इस नीति के इसी हालात के प्रश्न तमाम लोगों पर, जनता के मुख्तलिफ तबकों पर; लेबर पर, सरकारी कर्मचारियों पर, मध्यम वर्ग पर और इस तरह के तमाम तबकों पर पड़ा है। सब लोग अपनी महंगाई की मांग करते हैं, तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हैं और ज्यादा सहूलियतें लेने की बात करते हैं। हमारी सरकार का रुख उसके बारे में कम हो रहा है। डी०ए० के बारे में कहीं कहते हैं कि पैसा नहीं है और कहीं कुछ कहते हैं। आज इस प्रकार की मांग उठ रही है हिन्दुस्तान के पैमाने पर और राजस्थान में भी मांग उठी है कि मिनिमम वेजेज़ हमारे बढ़ने चाहिए। मिनिमम वेज कमेटी की रिपोर्ट पड़ी हुई है कितने ही अर्से से लेकिन सरकार उसको मानती ही नहीं है और अभी तक १ रुपया और १।। रुपये पर लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक कमेटी बनी और उसने डीयरनेस के प्रश्न को और इन्डेक्स नम्बर के प्रश्न को जोड़ने की रिपोर्ट सबमिट कर दी और सरकारी कर्मचारी भी समझते हैं कि प्रिन्सीपली अगर यह मन्जूर हो गया तो यह हमारे ऊपर भी लागू होगा लेकिन हमारी सरकार उसको पीछे ढकेलती जा रही है। बोनस का प्रश्न रि-ओपन हो रहा है। बोनस कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन सरकार उसको धक्का देकर पीछे डाल रही है। सरकार की नीति है कि इस मंहगाई के जरिये जो उत्पन्न प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी सरकार का जो हल करने का तरीका है और जिस दिशा में सरकार अपनी नीतियों को ले जा रही है उसका नतीजा अध्यक्ष महोदय, यह हो रहा है कि जो पिसे हुए थे वे और पिस रहे हैं और जो बड़े थे वे मुनाफा कमा रहे हैं। कुछ लोग जो खास हैं उन्होंने सरसों में लाखों रुपया कमा लिया, गेहूं में लाखों रुपया कमा लिया और चने के अन्दर कुछ लोगों ने सरकार की महरबानी से अलवर और गंगानगर से ले जाकर और हमारे सूरजगढ़ से हमारे एक एम०एल०ए० की मदद से एक्सपोर्ट कर दिया। चन्द लोग खुश हैं कि ऐसा कमाने का मौका कभी नहीं आया। यह स्थिति आज हो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रही है और साधारण लोग, कमजोर लोग, सरकारी कर्मचारी और मजदूर और सबके सामने मंहगाई विकराल रूप धारण किये हुए है और सरकार बुनियादी प्रश्न को हल करने के नतीजों पर पहुंची नहीं है । राज्य सरकार उनका हल नहीं निकाल सकी है ।

इसी तरह से हम सरकार की आम नीतियों को लें तो सरकार की नीतियों का असर छोटे ट्रेडर्स पर पड़ा है और उनके ऊपर बुरा असर पड़ा है । सरकार ने इस बात को माना है कि हिन्दुस्तान के अन्दर मोनोपोलिस्ट्स तैयार हो रहे हैं और यह हमारी सरकार की नीति है बल्कि सरकार के अनुरूप राजस्थान के अन्दर भी मोनोपोली को प्रोत्साहन देने की नीति रही है, चाहे जयपुर उद्योग को सीमेन्ट का दूसरा लाइसेन्स देने की बात हो, चाहे स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल को स्पिन्डल्स खरीदने की बात हो, चाहे कन्डक्टर्स बनाने की बात हो, चाहे सिंघानिया साहब को लाइसेन्स दिलाने की बात हो । गर्ज यह कि मोनोपोलिस्ट्स को प्रोत्साहन देना और छोटे लोगों को दबाना, यह नीति सरकार की है ।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से जो नेशलाइजेशन की पॉलिसी है, कोऑपरेशन की बात है और उसकी पॉलिसी हो इन पॉलिसीज़ की केवल घोषणामात्र थी और खुद ने सेबोटेज़ किया । जिस तरह से नेशनलाइज़ेशन ऑफ रोडवेज़ के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने कहा है और चारों तरफ से आवाजें उठी हैं और इधर-उधर से भी इस बात की शिकायतें आती रहती है; तो अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता । इन तमाम पॉलिसीज़ के जरिये यह नतीजा हो रहा है कि आम तौर पर लोगों के सामने पुरानी समस्या और उसका हल होना तो दूर रहा लेकिन जो बुनियादी समस्या रोटी की, कपड़े की, रहन-सहन की, यह एक नया भयंकर रूप धारण करके चल रही है और जो निर्माण हो रहा है, जो कार्य हो रहे हैं हम इस बात से आंख नहीं मूंदना चाहते कि कुछ काम हुए हैं, कुछ निर्माण के कार्य हुए हैं; लेकिन उसका सम टोटल इफेक्ट अगर आप देखें और जैसा कि हमने बजट स्पीच के समय में इस पॉइन्ट को क्लियर किया था कि इस सबका नतीजा यह हुआ है कि यह सब खास तौर से बड़े लोगों को फायदा उठाने और

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

फायदा देने की बात है और छोटे लोगों को तंग करने वाली बात रही है । क्या हम सरकार की नीतियों पर विश्वास कर सकते हैं ? हरगिज नहीं । इस सरकार ने जो इस प्रकार की जनता की हालत कर दी, जो सरकार इस प्रकार की बुनियादी नीतियों को हल नहीं कर सकी उस सरकार में विश्वास होने का सवाल ही नहीं है........

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : इसलिए कि यह सरकार डेमोक्रेसी को मानती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव, जैसा माननीय भैरोंसिंहजी ने जिस प्रकार से कहा कि उसका मकसद वर्तमान सरकार को अपदस्थ करना है, यह तो हमारा ध्येय नहीं है लेकिन उस सरकार के ऊपर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रैसर डाल कर उन नीतियों को बदलवाने का मुख्य उद्देश्य है और मैं समझता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उन नीतियों की दिशा बदलवानी है........

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर, जो अवि-श्वास का प्रस्ताव लाये हैं वह फ्री एन्टरप्राइज़ और प्लानिंग में विश्वास नहीं करने वाले हैं उसके अन्दर आपको क्या कहना है; आप करने वाले हैं क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहना चाहता हूं कि जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है उसमें वास्तव में नीति का प्रश्न क्लियर होता कि प्रेशर डालकर इन नीतियों को किसी दिशा में बदलवाना चाहते हैं तो हमारी समझ में आता। हमने भी कहा था कि हमें भी इस सरकार के ऊपर अविश्वास है और इसलिए अविश्वास का प्रस्ताव पहले भी रखा था और आज भी रखना चाहते थे। हमने साथियों से कहा था कि हमारी और आपकी दिशा एक हो सकती है यदि अवि-श्वास इस बात से हो कि हिन्दुस्तान का जो आर्थिक निर्माण करना चाहते हैं जिससे कि हिन्दुस्तान एक समाजवाद की ओर आगे बढ़ सकता, आपने उस कार्य को पूरा नहीं किया। अब समाजवाद के नाम से हिपोक्रेसी की है, हिन्दुस्तान की जनता के साथ ढोंग किया है, धोखा किया है और इस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई है जिससे कि हिन्दु-स्तान की जनता ज्यादा से ज्यादा मुसीबत में फंस जाये। इसलिए आज नीतियों को बद-लवाने की सख्त जरूरत है और नीतियां बदलवाने की इस दिशा में जरूरत है। आप जो समाजवादी नीतियां अपना रहे हैं, जो अनाज के सम्बन्ध में जमाखोरों और मुनाफा-खोरों को छूट दे रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि स्टेट ट्रेडिंग हो, जरूरत इस बात की है कि नेशनलाइज़ेशन ऑफ बैंक्स हो। आप चाहते हैं कि फ्री एन्टरप्राइज़ हो। आप यह चाहते हैं कि उन जखीराखोरों को और लूटने का मौका दिया जाये और हमने, अध्यक्ष महोदय, यह भाषणों में ही नहीं बल्कि अमल में देखा है। इसीलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए, जनसंघ के नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को एक साथ जुलूस निकालते हुए देखा है। हमने गिरफ्तारी की मांग करते हुए देखा है और हमने लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर करते हुए देखा है आज जनता में इस प्रकार का कार्य करें कि होर्डर्स को बचाने की कोशिश करें और यहां शहीद बनने की कोशिश करें और यह कहने की कोशिश करें कि उनके दिल में जनता का दुःख है और यह बताना चाहें कि इसी कारण हम अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं तो हम तो नकाबपोशी पसन्द नहीं करते। हम समझते हैं कि हिन्दुस्तान में रिवोल्यूशन को कामयाब करने के लिए वह तमाम जो कि एन्टी इम्पी-रियलिस्ट्स हैं, एन्टी कॉम्युनल हैं, और एन्टी फ्युडल हैं ये के तमाम तमाम के लोग चाहे इधर बैठे हों—बहुत बैठे हैं वे तमाम लोग इकट्ठे होकर, आप और आप तो मिलने वाले हो और इसलिए आप तमाम लोग, वे तमाम तबके, वह हिन्दुस्तान की तमाम जनता इन समस्याओं को हल कर सकती है, एक ऑल्टर-नेटिव शासन दे सकती है और राजस्थान की जनता की समस्याओं को हल कर सकती है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, इस रूप में हमारा यह मत है, हमारा यह कहना है कि इस अविश्वास के प्रस्ताव के साथ इस सरको इसमें महंगाई का प्रश्न या इसमें भ्रष्टाचार का प्रश्न या इसमें खराब प्रशासन का प्रश्न यह तो अन्तिम स्थिति है, लेकिन इसका करना क्या है और इस सब के कारण क्या हैं और इन कारणों के लिए आप बदला क्या देना चाहते हैं, हमारी पार्टी की यह समझ है कि चाहे यह महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, माल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस सरकार ने, कांग्रेस दल ने, जो इस देश के निर्माण का पूंजीवादी तरीका अपनाया है वह बुनियाद में इसके कारण है।

केवल कुछ रबी की फसल सर्दी में मर गई इसलिए पैदा नहीं हुई है और अब पैदा हुई है और यह खरीफ की अच्छी फसल पैदा हुई है उसके बावजूद भी वह स्थिति नहीं सुधरेगी अगर आप डेफिसिट फाइनेन्स पर चलते रहेंगे और इस तरह की इकोनोमिक पॉलिसीज़ को अपनाते रहेंगे तो यह संकट कायम रहेगा, यह संकट हटने वाला नहीं है। इसलिये मैं यह क्वेश्चन पूछना चाहता हूं माननीय सदस्यों से, अविश्वास का प्रस्ताव लाने वाले विरोधी पक्ष के नेताओं से कि आप किस दिशा में बदलवाना चाहते हैं, उस सवाल को आप छिपाना क्यों चाहते हैं? उस जाल को राजस्थान की जनता से छिपाना क्यों चाहते हैं? हम साफ कह देना चाहते हैं कि सन् ४७ में हिन्दुस्तान की जनता ने, हिन्दुस्तान की रिवोल्यूशनरी फोर्सेज़ ने, जिन इम्पीरियलिस्ट फोर्सेज़ को, जिन फ्यूडल फोर्सेज़ को, जिन कॉम्युनल फोर्सेज़ को डिफीट किया है, फाइनल तौर पर डिफीट किया है। हिन्दुस्तान की रिवोल्यूशनरी फोर्सेज़ का उन तबकों के साथ में कोई समझौता नहीं हो सकता है। हिन्दुस्तान में रिवोल्यूशन लाने में, मैं यह कहना, मै केवल इस बात पर नहीं कहता उनके पुराने कारनामों पर, लेकिन आज वे जो नीतियां हिन्दुस्तान के सामने रख रहे हैं, आज वे कहते हैं कि हिन्दुस्तान का किसान अब भी पीढ़ के पीछे मरे, विकास मत करो, विकास की योजनाओं को कैंसल कर दो, वे महत्वाकांक्षी हैं, अमेरिका को बुला लो, अम्ब्रेला ले लो, कर्जा मत करो, खर्च मत करो, आज भी इस तबके को हिन्दुस्तान की तमन्नाएं समझ में नहीं आती हैं। उस समय फैजपुर कांग्रेस के प्रस्ताव को पास करने वाले, करांची रिज़ोल्यूशन के पीछे लड़ने वाले, झूझने वाले हिन्दुस्तान के किसान और मजदूरों के प्रति उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन जो जिम्मेवार हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या किया? क्या इस दिन को देखने के लिए आपको गद्दी पर बैठाया था? क्या इस दिन को देखने के लिए वह रिज़ोल्यूशन पास किया गया था कि आप सेर-सेर भर धान के लिए हिन्दुस्तान की जनता को, राजस्थान की जनता को भिखमंगा बना दें? मैं फूड मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे लाइसेंसिंग ऑर्डर लाये, उस लाइसेंसिंग ऑर्डर में यह साफ है कि सरकार जिस समय चाहेगी अनाज ले लेगी। आप किसान के बेटे हैं और यह खुशी की बात है। मुझे और भी खुशी होती अगर वास्तव में आप किसान के हित के लिए कोई काम करते, लेकिन मुझे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

खेद है कि आप कठपुतली हैं। आज आप बिड़ला और टाटा की कठपुतली बन गये और राजाओं और जागीरदारों की कठपुतली बन गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जौ, चना १६ रुपये में बिका, उस चने को मैं यह कहूंगा कि आप २० रुपये पर नहीं रोक सके, २४ रुपये पर रोक नहीं सके, २५ पर नहीं रोक सके, ३० रु० पर रोक नहीं सके। आपसे कहा कि आप कन्ट्रोल कीजिये, आप पकड़िये। आपने पकड़ा नहीं और उन्हीं किसानों को ४०–४० रु० मन में चना खरीद कर बीज डालना पड़ा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और आप आगे की फसल १६ रु० मन लेने की इच्छा करते हैं। कौन सा कानून आपको रोकता है कि आज कोठों और गोदामों में जो अनाज भरा पड़ा है उसको लेकर किसानों को बिकवाने से? कानून कुछ बनता है और कलेक्टर को हिदायतें कुछ और भेजते हैं।

इस तरह से हमारे मुख्य मन्त्री जिनके पास में होम का पोर्टफोलियो है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Two minutes.

जो कि पुलिस के जरिये इन सब कारनामों पर रोक लगा सकते हैं। इस बात के हमारे मुख्यमन्त्रीजी स्रोत हैं, इस सारी सरकार की नीतियों के। आपकी नीतियों की वजह से चाहे वह होम डिपार्टमेंट हो, वह करप्शन हो, वह माल एडमिनिस्ट्रेशन हो, वह नेपोटिज़्म हो, ये सारे के सारे आपकी उन नीतियों से फलो होते हैं। यह मुख्य मन्त्रीजी आपकी जिम्मेदारी है।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह अविश्वास का प्रस्ताव उन नीतियों को स्पष्ट नहीं करता है जिन नीतियों को बदलकर हम इस सरकार को मजबूर करना चाहते हैं कि उन नीतियों को बदले जिनसे कि राजस्थान की जनता को मौजूदा स्थिति से राहत मिल सके। इसलिए इस प्रस्ताव को हम एक ऑपार्चुनेस्ट प्रस्ताव समझते हैं। हम इस प्रस्ताव को सीरियसली, संजीदगी से राजस्थान की समस्याओं को ठीक ढंग से रखने का नहीं समझते। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हम यह समझते हैं और अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि उन पर भरोसा मत करके चलो जो कि रिवोल्यूशन के दुश्मन रहे हैं। वे रिवोल्यूशन को आगे भी दगा देने वाले हैं। हिन्दुस्तान की जनता को परेशान करने का उनको मौका मत दो कि वे आज दूसरी खाल ओढ़े हुए जनता को बहकाने की कोशिश करें, राम-नामी ओढ़ ली और गंगाजी नहा आये तो चूहे खाना छोड़ दिया, यह बात नहीं है। कांग्रेस को बदलने की आवश्यकता है तो प्रोग्रेसिव फोर्सेज़ इकट्ठी होकर लड़ें और उनकी नीतियों को बदलें और अगर नीतियों को नहीं बदलें तो इस सरकार को बदलें। चूंकि इस प्रस्ताव में, अध्यक्ष महोदय, यह साफ स्थिति नहीं होकर नीतियों पर कम्प्रोमाइज़ किया गया है, नीतियों पर समझौता किया गया है; इसलिए हम इस प्रस्ताव का समर्थन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं करके चूंकि इस सरकार के बारे में पूरा अविश्वास है, लेकिन जो यह प्रस्ताव रखा गया है उसमें सही तरीके से नीतियों का निर्देशन नहीं किया गया है, छिपाया गया है इसलिए मजबूर होकर हमें प्रस्ताव पर न्यूटरल रहना पड़ेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस का यह दूसरा दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे इस सारी बहस में उठाये जा चुके हैं। आपकी अनुमति से, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज सरकार को अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि आज राजस्थान की जनता उनसे किस प्रश्न पर भरोसा करें? आपने कौन सी ऐसी समस्याएं राजस्थान की हल कर ली हैं? पीने के पानी की समस्या, नाज की समस्या, कृषि की समस्या, औद्योगिकप्रगति की समस्या, बिजली की समस्या, कौन सी समस्या है जिसका कि आपने समाधान कर लिया है? यह प्रश्न जरा वे अपने दिल से पूछें। और मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि यदि वे अपने ही द्वारा, अपनी ही सरकार के द्वारा छपाये हुए सारे डॉक्युमेन्ट्स को पढेंगे तो इस निष्कर्ष पर आयेंगे कि राजस्थान की समस्याएं दिन पर दिन उलझती रही हैं और राजस्थान की जनता क्रांति के कगार पर खड़ी है। अध्यक्ष महोदय, इस क्रांति के मार्ग में कई रुकावटें हैं, और वे रुकावटें विरोधीदल की तरफ से भी मौजूद हैं। मैं बड़ा खुश होऊंगा उस दिन, अध्यक्ष महोदय, जिस दिन हमारे बड़े आदरणीय श्री अशोक मेहता की तरह कॉम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, श्री डांगें भी कांग्रेस पार्टी को जॉइन कर लेंगे। उस दिन बड़ी खुशी होगी। उस दिन भारतीय क्रांति की पृष्ठभूमि सम्पूर्ण रूप से तैयार होगी।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : आपके भी मंत्री-मण्डल में जॉइन करने की चर्चा कुछ अखबारों में छपी थी, वह कब तक फलीभूत होगी?

श्री मानिकचंद सुराणा : मेरे मन्त्री-मण्डल में जाने की........

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के बाद।

श्री मानिकचंद सुराणा : और दूसरी चर्चाओं को छोड़िये; उन बातों को छोड़िये। कांग्रेस पार्टी में आप रहे हैं। मैं कभी भी नहीं रहा हूं।

श्री रामानंद अग्रवाल : मुझे फक्र है इस बात का।

श्री मानिकचंद सुराणा : मैं कभी मेम्बर था तो राजाओं से लड़ने वाली प्रजा परिषदों का था, लेकिन इस प्रतिक्रियावादी कांग्रेस का जीवन में कभी सदस्य नहीं रहा।

श्री रामानंद अग्रवाल : यही तो आपके दृष्टिकोण में फर्क है।

श्री चांदनमल दवे (उप-मन्त्री, उद्योग) : उस वक्त तो पैदा ही नहीं हुए थे।

श्री मानिकचंद सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता था, अध्यक्ष महोदय,-यहां पैदा होने और मरने की बातें तो चलती ही रहेंगी-आज राजस्थान में नाज की समस्या बड़ी भयंकर है। चूंकि नाज के ऊपर बहस हो चुकी है और हमारी पार्टी के चेयरमैन ने हमारे विचार सरकार के सामने रख दिये हैं, इसलिए मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक प्रश्न को, उस दिन मुख्य मन्त्रीजी गैर हाजिर थे इसलिए आज उनके सामने रखना चाहता हूं। आप की सरकार के खाद्य मन्त्री कहते हैं कि उच्चतम भावों पर भी राजस्थान की जनता को अनाज मुहैया करना हमारी गारंटी नहीं है। वे यह भी कहते हैं कि आप हमारी अनाज की नीति को समझे नहीं, हमने कब कहा था कि अनाज मुहैया करेंगे, सरकार अनाज देगी। हमने सिर्फ यह कहा कि उच्च भावों पर कोई अनाज बेचेगा और उसकी शिकायत होगी तो जांच करेंगे और जेल भेजेंगे। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था के सीमित दृष्टिकोण से आप अनाज की समस्या को हल नहीं कर सकते। राज्य के ४० लाख लोग कम से कम एक बार अनाज खरीदते हैं और ४० लाख लोगों के अनाज खरीदने के ट्रांज़ेक्शन में कानून की अवहेलना हो रही है, कानून का खंडन हो रहा है और सरकार टुकुर-टुकुर कानून के खंडन को देखती है और कहती है कि जनता शिकायत करे तब वे देखेंगे। जब कि शास्त्रीजी अपने वक्तव्य में यह कहते हैं कि अनाज की समस्या लाइफ एंड डेथ का प्रश्न है, जीवन और मरण का प्रश्न है और राजस्थान सरकार कहती है कि कानून का प्रश्न है, शिकायत करेंगे तो जांच करेंगे, जेल भेजेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि यह दृष्टिकोण निकम्मा है। राजस्थान सरकार गंभीरता से विचार करे। यदि आप अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे तो आपके निकम्मे दृष्टिकोण को बदलने के लिए हमें आपकी सरकार को बदलना होगा।

दुनिया के सामने क्रय-विक्रय संघ के प्रश्न को लेकर चर्चा विधान सभा में हो रही है। एक रिपोर्ट पेश हुई। मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है और उस रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष के बारे में अविश्वास के प्रस्ताव पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी हिम्मत करें इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने की फिर किसी दूसरे डॉक्युमेन्ट की जरूरत नही होगी। आपकी सरकार को हटाने के लिए सिर्फ विश्नोई रिपोर्ट ही काफी है। बिश्नोई रिपोर्ट के बारे में प्लानिंग मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने क्रय-विक्रय संघ के चेयरमैन को एग्ज़ोनरेट कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिश्नोई ने लिखा कि क्योंकि मैं इस संघ का एक्स–ऑफिशियो डाइरेक्टर हूं, सरकार के द्वारा मनोनीत हूं, इसलिए मैं कोई कमेन्ट चेयरमैन पर करना नहीं चाहता और यदि सरकार जांच कराना चाहती है तो और किसी अधिकारी से करवाले। चेयरमैन एग्ज़ोनरेट नहीं हुआ है बल्कि एक परिस्थिति पैदा है। उनका कंडक्ट शंकापूर्ण है सरकार उसकी जांच करे। इससे भी भंयकर बात यह है कि इस क्रय-विक्रय संघ के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग में डिस्कशन हुआ है कि यू. पी. के रीजनल कमिश्नर को १) रु. क्विन्टल घूस देनी होगी और एक रुपया क्विन्टल रेलवे

Page No. 63

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

ऑथोरिटीज को घूस देनी होगी, इस तरह से गुड़ के लिये २०) टन देने होंगे। बोर्ड ऑफ डाइरक्टर्स ने यह तय नहीं किया कि घूस हम नहीं देंगे, लेकिन चैयरमैन ने यह कहा मीटिंग में कि यदि हम नहीं देंगे तो हमारे गुड़ का लिफ्टिंग यू. पी. में प्रभावित होगा। बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ....

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : मैं भी बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में हूं; माननीय सदस्य जैसा कहते है, मीटिंग में ऐसा नहीं हुआ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं सिर्फ इस रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री): रिपोर्ट में कहीं नहीं है यह बात कि बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने यह कहा था····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: १६ दिसम्बर, १९६३ को मीटिंग हुई थी वहां बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने तय किया कि यू. पी. में १) क्विन्टल के हिसाब से रीजनल डाइरेक्टर को ४ लाख रुपये देने होंगे और रेल्वे ऑथारिटीज को भी १) क्विन्टल के हिसाब से ४ लाख रुपये देने होंगे। बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में मामला आने के बाद फूड मिनिस्टर को जानकारी दी गई कि ८ लाख रुपये दिये गये····

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आपको कोई जानकारी नही दी गई?

श्री नाथराम मिर्धा : मैं समझता हूँ, जहां तक इस मीटिंग के प्रोसीडिंग्ज़ का सवाल है बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग में इस प्रकार का कोई सवाल नहीं आया है, जैसे कि श्री चन्द्रसिंह बर्फा ने कट्रांडिक्ट किया है। मीटिंग में बात नहीं आई।

श्री मथुरादास माथुर : आ नही सकती, कॉमनसेन्स की बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें लिखा है:—

"As regards the claim of the Sangha that the price has increased due to illegal gratification to be paid to the Regional Food Controler's office or the Railway people, it is obvious that some proportional increase would be seen in the price of other commodities.

Sangha had claimed that in U. P. the traders had to pay such an amount as bribe to the Regional Food controler's office to get export permit. The amount mentioned was Re. 1/- per quintal. Similarly, it was claimed by the Sangha that the Sangha will have to pay Re. /iper quintal to the Local Railway authorities to have the wagons in time. It was said that this amount would have to be added to the prices since no vouchers are possible for such illegal gratification.

The matter was discussed in the meeting of the Board of Directors

Page No. 64

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

on 19th December, 1963. The Chairman (i.e. Shri Kumbha Ram) had also pointed out that in case these charges were not paid, the lifting of Gur in U. P. would be affected. The Board of Directors had authorised the Chairman to convey this to the Minister for Food of the Government of Rajasthan."

(शेम-शेम)

श्री नाथूराम मिर्धा : शेम-शेम क्या है? मैंने कहा कि मुझे कोई इत्तिला नहीं दी गई। It was never conveyed to me. I still say that it was never conveyed to me.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : रिश्वत दे दी, पेमेन्ट नहीं किया?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : १) क्विन्टल के हिसाब से ४० हजार क्विन्टल के ४ लाख रुपये रीजनल फूड कंट्रोल को और ४ लाख रुपये की रीजनल रेलवे आॅथोरिटी को इस तरह से ८ लाख रुपये, इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन के दिये गये ...

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके बार-बार हल्ला करने से कुछ नहीं होगा।

(शोरगुल)

आपने कहा खाद्य मंत्री को जानकारी है, मैंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल: This is...

श्री अध्यक्ष : श्री सुराणा भाषण दे रहे हैं।

श्री मानिकचंद सुराणा : इस सारे इन्टरप्शान को मेरे समय से निकाल दिया जाय, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुझे समय कम दिया गया है ....

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : डी. आई. आर. के अन्दर में लिया जाय।

श्री मानिकचंद सुराणा : यह तो इस सरकार के जाने के बाद ही हो सकता है पहले नहीं यह जो करप्शन बताया गया है यह करप्शन तो टोटल का सिर्फ १० परसेंट ही है। इस रिपोर्ट से जो करप्शन साबित है वह करीब एक करोड़ २० लाख रुपयों का है।

इस बारे में मैं भी मुगालते में था। हनुमानगढ़ की मीटिंग में मैंने कहा था कि ४० लाख को घोटाला है लेकिन कल रिपोर्ट पढ़ने के बाद ओपीनियन को रिवाइज़ करना पड़ा। योजना मन्त्रीजी ने भी शायद रिपोर्ट देखी है वे इसके अपेन्डिक्स के जेड के पढ़ें।

श्री मथुरादास माथुर : Is the Report a part of the discussion of this House?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Yes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि आप रिपोर्ट को सदन की मेज पर नहीं रखते हैं तो भी हम अपने कर्तव्य से च्युत नही हैं। यदि आप चैलेंन्ज करते हैं तो हम उसे स्वीकार करते हैं। मैंने जो यहां पढ़ा है उसका कॉमा, फुलस्टोप सहित एक भी शब्द गलत हो तो मैं इस्तीफा देता हूँ....

श्री नाथूराम मिर्धाः आप दिन में चार दफा घर जाते हैं और वापिस आते है। आपका कोई प्लान नहीं है आप झूंठ बोलते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप झूठ बोलते हो। तुम्हारा क्या है? तुम पैसा खाने वाला हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : तेरे कहने से बात सच थोड़े ही मानी जायगी। हमने एक पैसा भी खाया हो तो गऊ का रक्त पिया हो। बात सही साबित नहीं हुई तो तेरा मुंह काला कर दिया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय मंत्री को फौरन इस्तीफा देना चाहिये, क्योंकि उन पर रिश्वत लेने का आरोप है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :तुम्हारे नोटिस में यह बात आई थी कि ८ लाख रुपयों की रिश्वत दी गई थी?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई नोटिस में नहीं आई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : झूठ बोलते हो, निकल जाओ यहां से।

श्री नाथूराम मिर्धा : तुम्हारे कहने से नहीं निकलने वाले हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तुम किस खेत की मूली हो। गुलाम मोहम्मद बख्शी जैसे भी आज जेल में पड़े हैं। तुमने समझ क्या रखा है! बीजू पटनायक और वीरेन्द्र मित्र का नंबर आ रहा है; सब का नंबर आने वाला है, तुम किस खेत की मूली हो? ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस तरह का वातावरण नहीं बनावें। आपको मंत्रीजी ने कहा कि उनको जानकारी नही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिपोर्ट में लिखा है।

श्री हरिराम चौहान(तिजारा) : ये डाके डालते हैं .....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य हरिराम! आप सुनने की हिम्मत रखिये बोलने की रखते हैं तो।

(विराम)

आप शांति रखिये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस तरह वातावरण बिगाड़ने से कोई समस्या हल नहीं होने वाली है। मंत्री महोदय ने कहा कि जानकारी में नहीं है। उसका प्रतिवाद शोर करके, हल्ला करके हो नहीं सकता। जो बात रखी है उसका निराकरण सरकार की तरफ से होना चाहिये, इसमें दो राय नहीं हैं। ख्वामखाह बहस करके इसे सुधार नही सकते हैं, बिगाड़ने की सम्भावना है। इसलिए शांति से सुनेंगे तब तो बहस हो सकेगी नहीं तो मैं समझता हूं बहस चलना सम्भव नहीं है।

Page No. 66

श्री मथुरादास माथुर : मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। इस सदन में यह सवाल उठा था और मेरे पास विरोधी दल के सभी नेता आये थे और कहा था कि इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जाय। इस सदन में मैंने कहा था कि मेरे पास रिपोर्ट आ जायगी और उस पर जितने एक्शन लेने की जरूरत है, चाहे पुलिस के द्वारा कार्यवाही करनी पड़े, चाहे और कार्यवाही करनी पड़े, जब वह कार्यवाही एग्ज़ॉस्ट कर लूंगा, उसके बाद रिपोर्ट सदन की मेज पर रख सकूंगा, उससे पहले नहीं क्योंकि जो कार्यवाही करने वाले हैं और जो कार्यवाही चल रही है, वह प्रभावित होती है। इसलिये मैंने निवेदन किया। उसके बाद में विरोधी दल के सब लोग कमरे में इकट्ठे हुए। मुझे कहा तो मैंने कहा कि मैं स्पीकर साहब को दे सकता हूं यदि यह वहम हो कि रिपोर्ट तब्दील कर दी जायगी। स्पीकर साहब के सामने वह रिपोर्ट रख सकता हूं, मगर सदन की मेज पर अभी नहीं रखूंगा और न उस पर बहस होगी, क्योंकि अभी कार्यवाही चल रही है, मैं तसल्ली दिलवाना चाहता हूं। इसलिए जो कार्यवाही चालू है उसे पूरा होने दें। उसे मैं रख दूंगा। अगर उसमें कोई कमी रह जाय तो डिस्कस करेंगे। हम कार्यवाही करने को तैयार हैं। उसको मैं बताने को तैयार हूं कि एक एक पैराग्राफ पर, एक एक पोइन्ट पर कार्यवाही हो रही है। अगर किसी ने कानूनन जुर्म किया है तो वह जेल जायगा, मुकदमा चलेगा चाहे चैयरमैन हो या चाहे कोई मामूली एम्प्लॉई हो। जो रिपोर्ट है उसकी एफ. आई. आर. बना कर कार्यवाही कर रहे हैं। तो बीच में यहां पर बहस करके वातावरण पैदा करें, यह उचित नहीं है। मैंने अभी न तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी है और न उसे पब्लिक डाक्युमेंट कहा जा सकता है। मैंने आपके कॉन्फीडेन्स को लेकर रिपोर्ट सबमिट की है, विरोधी दल के नेता ने मुझे कॉन्फीडेंस दिया था....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : रिपोर्ट टेबल आफ दी हाउस पर रखने के लिये कह चुके हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उस रिपोर्ट को सदन में यूज़ नहीं करेंगे, यह मुझे तसल्ली दिलवाई गई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह तसल्ली नहीं दिलवाई थी।

श्री मथुरादास माथुर : ये विरोधी दल के नेता बैठे हैं, उनसे आप पूछ लीजिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बातचीत की है, तसल्ली नहीं दिलवाई है।

श्री मथुरादास माथुर : हम अभी उस पर कार्यवाही कर रहे हैं इसलिये रिपोर्ट के बारे में जो कुछ कहा है उसको एक्सपंज किया जाय। अभी यह रिपोर्ट सदन की कस्टडी में नहीं आई है और न उस पर कार्यवाही पूरी हुई है! एग्ज़ॉस्ट होने के बाद मैंने कहा है और कहता हूं, जो कार्यवाही हुई है और जो कार्यवाही होगी उसको मैं सदन की मेज पर रख दूँगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जो रिपार्ट स्पीकर साहब को सबमिट की है, मैं ईमान से और धर्म से कह सकता हूं, न मैंने उसे देखा है और न पढ़ा है, न उसकी मुझे जानकारी है। मैंने एक्स्ट्रेक्ट्स इस हाउस की जानकारी के लिए और पब्लिक इन्ट्रेस्ट में पढ़ कर सुना दिये हैं। मैंने बताया है, वह फेक्ट बताया है। यह है या नहीं, इसको मानना आपकी मर्जी है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): दो हाथ और ऊंचे करें, उससे क्या होता है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाथ नहीं, मैं आपको ऊंचा कर दूं, सबको ऊंचा कर दूं।

श्री मथुरादास माथुर : सतीशचन्द्रजी रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है, एक एक पैराग्राफ और एक एक वर्ड पर की जा रही है। इस दरम्यान सदन में इसे डिस्कस करने के लिए मैंने मना किया था और विरोधी दल के नेता ने कहा था कि स्पीकर साहब को देदी जाय ताकि रिपोर्ट में कुछ तब्दीली नहीं हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि रिपोर्ट में से जो रेफर कर दिया है उसको एक्सपंज किया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): राजस्थान की पब्लिक के प्रति आपकी जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी है हम भी जिम्मेदार हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें पहली कार्यवाही पैराग्राफ ३३ पर यह होनी चाहिए कि जिन्होंने रिश्वत दी है, जिन्होंने बोर्ड में इसे डिस्कस किया है, जिनके नोटिस में आया है ऐसे रिश्वत देने वालों को सेक्शन ५ डी. आई. आर. में गिरफ्तार करके सेन्ट्रल जेल में रखना चाहिए।

श्री माथुरादास माथुर : इससे और ज्यादा कार्यवाही हो सकती है तो वह की जायगी। आप तसल्ली रखें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कालायत) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भाषण देने....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री ने जो बात रखी उसमें तथ्य अवश्य है और मेरे ख्याल में इस पक्ष में बैठने वाले सदस्यों की यह इच्छा कभी नहीं है कि आश्वासन दिया गया है उसका दुरुपयोग हो। मैं समझता हूँ कि हमको प्रिसपोजीशन और हाइपोथेटिकल बेसिस पर नहीं चलना चाहिए। जब यह इश्यू सबजुडिस है और आश्वासन दिया है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह सब-जुडिस नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: कि उचित कार्यवाही अवश्य की जायगी। किन्तु, अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल यह निवेदन करना है कि जो एक माननीय सदस्य इधर बैठे हैं और जो आपत्ति यहां उठाई उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट देखी तक नहीं है तो जिन सदस्यों ने रिपोर्ट नहीं देखी हैं, वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर विचार व्यक्त करते हैं तो मेरे ख्याल में जो कुछ माननीय विधि मंत्री और विरोधी पक्ष के सदस्यों में

Page No. 68

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

में बातचीत हुई थी उसको भंग करने का कोई विचार नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर: कोटेशन पढ़ा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह महत्व पूर्ण समस्या है, इसके बारे में काफी सनसनी है और काफी चर्चा है। लोग कहते हैं कि चोबीस घंटे के अन्दर लाखों रुपये कमा सकते हैं और अनुचित रूप से कमा सकते हैं। तो ऐसी समस्या है तो उसके सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। तो बिना आश्वासन का दुरुपयोग किये, बिना रिपोर्ट पढ़े हुए अगर सदस्यों के पास तथ्य मौजूद हैं और उनके आधार पर यहां पर बहस होती है तो जो कुछ बातचीत हुई और जो कोई आश्वासन हमारे पक्ष से आपको दिये गये उसका मैं नहीं समझता कि भंग हो रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा निवेदन है कि मैंने सिर्फ पांच मिनट भाषण दिया है अभी तक।

श्री अध्यक्ष : सवाल पांच मिनट का नहीं है सवाल, विधि मंत्री ने जो आपत्ति उठाई है उसका है। रिपोर्ट के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के सदस्यों ने जो बातें कीं मंत्री महोदय से....

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हमने आश्वासन नहीं दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ईमान और धर्म से भी पवित्र हमारा संविधान है। मैं संविधान की शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने आपके कमरे में रिपोर्ट नहीं देखी, नहीं पढ़ी। रिपोर्ट नहीं देखी, यह मैं कह रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : आप एक्स्ट्रेक्ट पढ़ रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने कहा कि जो मैं पढ़ रहा हूं वह शत प्रतिशत कॉमा, फुल स्टॉप सहित सही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: एक्स्ट्रेक्ट तो सतीशचन्द्रजी पढ़ रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट मेरे पास है वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हाउस के सामने रख रहा हूँ। मैंने आपसे निवेदन करके इजाजत प्राप्त कर ली थी, माननीय मंत्रीजी को यह मालूम नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात मैंने आपके सामने रखी है, उसमें दस पर्सेन्ट ही करप्शन की बात है। असली बात यह है कि १ करोड़ ६४ लाख रुपये दूसरी स्टेट, दूसरी पार्टी को दिये गये हैं....

(श्री निरंजननाथ आचार्य के बोलने के लिए खड़े होने पर)

एक माननीय सदस्य : आप बैठ जाइये।

श्री मथुरादास माथुर : रिपोर्ट को बेसिस मान कर कोई बात करें तो वह एक्सपंज होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने जो बात कही वह और विरोधी पक्ष के नेता ने बात कही

Page No. 69

(श्री अध्यक्ष)

वह ध्यान में रख कर मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि रिपोर्ट का उलेख न करें। ऐसी बात जो सदन के सामने आ गई है, जिक्र में आ गई है उसे कहना चाहें तो कहें। इस रिपोर्ट का डाइरेक्ट कोटेशन न दें और आप रिपोर्ट के बारे में कोई बात न कहें। और जो बातें सदन के सामने आ चुकी हैं वही कहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यूं नही पकड़ें, ऐसे पकड़ लें (नाक) इतनी अक्ल तो हममें है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह रिपोर्ट तो हमने कल पढ़ी है, इसके पहले क्रय-विक्रय संघ के घोटालों की बातें अखबारों के कॉलमों में पढ़ी हैं, गुड़ की बात पढ़ी है और यह सब राजस्थान के दो करोड़ लोगों को मालूम है। क्रय-विक्रय-संघ ने क्यों ६०, ६४, ६५ की जगह ७०, ७५ क्विन्टल में खरीदा है, क्यों दस पन्द्रह रुपया एवरेज रूप में ज्यादा था और कैसे सेन्ट परसेन्ट का फायदे का एवरेज पड़ा ? ३६ लाख रुपये का गोलमाल किया, सौ रुपया प्रति टन डिफ-रेन्स किया। ३६ लाख का घोटाला उस इनवोइसिंग में है जो उस भाव से माल उसने खरीदा, उसके ऊपर वे बीजक बनाये हैं, उसमें घोटाला है। अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि घोटाला कितना है, जहां सारा देश गुड़ खरीदे, जिसका भाव केवल ६०,६५ रु० है उसको ७०, ७५ रु० में खरीदा और गुड़ की जगह जो माल खरीदा और भेजा गया, वह लपटी गुड़ है, वेस्ट गुड़ है, जिसकी कीमत ३० रुपया क्विन्टल है। इस तरह के घोटाले किये गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ३० रुपये क्विन्टल के हिसाब से डिफरेन्स देखा जाय तो एक टन के अन्दर ३०० रुपये का डिफरेन्स आता है।

(२.०० म. प.)

मैं यह कहूंगा कि ३६ हजार टन गुड़ इम्पोर्ट किया गया और उसमें लाखों का घोटाला हुआ है। थोड़ा घोटाला नहीं है, वह १ करोड़ २० लाख का घोटाला हुआ है। इसके अतिरिक्त गुड़ की क्वालिटी में घोटाला हुआ वह अलग। हमारी राजस्थान सरकार ने क्रय-विक्रय-संघ को गुड़ को पर्चेज़ करने के मामले में सोल इम्पोर्टर बना दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में हम कहा करते थे कि ईस्ट इन्डिया कम्पनी की इन्डिया में मोनोपोली थी। आज उनकी मोनोपोली तो खत्म कर दी लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने क्रय-विक्रय-संघ को गुड़ के मामले में सोल मोनोपोलिस्ट सारे राजस्थान के लिये बनादिया और प्रजातन्त्र में नयी मोनोपोली को क्रियेट किया है।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि रेट को फिक्स करने के मामले में पहले यह नियम था कि रेट को मुकर्रर करने की पाबन्दी थी और वह कलेक्टर मुकर्रर करता था। मगर हमारे खाद्य मंत्री, माननीय नाथूरामजी मिर्धा ने पहले कलेक्टर को रेट मुकर्रर करने के लिये पावन्दी थी वह भी हटा दी और जो सर्क्यूलर निकला हुआ था उसको रद्द कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि रेट कन्ट्रोल का अंकुश कलेक्टर की तरफ से नहीं रहा; तब क्रय-विक्रय-संघ मनमाने रूप से जो रेटफिक्स की जा सके, की। यह एक करोड़ २०

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

लाख के घोटाले की जो जांच हुई उस मामले की रिपोर्ट यहां हमारे सदन की मेज पर नहीं रखी गई। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह रिपोर्ट प्रकाशित की जावे और सदन की मेज पर रखी जावे। मैं समझता हूं कि यह रिपोर्ट इसलिये प्रकाशित नहीं की जावेगी और मेज पर नहीं रखी जा रही है कि कहीं उसमें घोटाले हैं वे सामने नहीं आ जावें।

हमारे योजना मंत्री कहते हैं कि जांच करा रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि कोई जांच नहीं हो रही है। विश्नोई ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उसको डॉक्यूमेन्ट्स पकड़ने के कोई अधिकार नहीं हैं जिससे कि मैं डोक्यूमेन्ट्स को पकड़ सकूं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने ये पॉवर्स क्यों नहीं दिये, जबकि आपने इन्वेस्टीगेशन के पॉवर्स दिये? जब वह किसी का खाता नहीं पकड़ सकता या और कोई डॉक्यूमेन्ट नहीं पकड़ सकता या कोई डॉक्युमेन्ट नहीं पकड़ सकता तो पूरी जांच कैसे हो सकती है? उसके बावजूद भी जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत घोटाले हैं।

यह कहा जाता है कि हमने इसको विजिलेन्स कमीशन के सुपुर्द कर दिया है। हमारे योजना मंत्रीजी ने यह कहा है कि तीन स्टेजों में घोटाले हुए हैं, उसकी जांच करा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने उसको एन्डोर्स किया और नन्दाजी ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। नन्दाजी ने कहा कि आप सेन्ट्रल विजिलेन्स से नहीं अपने खुद इसकी आपके यहां ही जांच करा लें। मैं समझता हूं कि नन्दाजी ने रिपोर्ट पढ़ी नहीं होगी। उन्होंने कह दिया होगा कि आप खुद जांच करा लें। अब आप विजिलेन्स कमीशन से जांच करा रहे हैं। वे इस बात को मानते है कि विजिलेन्स कमीशन को गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स के मामलों में जांच करने के अधिकार हैं। उनको इस मामले में जांच करने के अधिकार हैं या नहीं? आपकी जांच की रिपोर्ट हमें देखने को मिली नहीं और जो रिपोर्ट मुझे मिली है वह यह है कि यह सारी कार्यवाही खत्म हो चुकी है। अब उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

हमारे विरोधी दल के नेता कहते हैं कि यह मैटर सब-जुडिस है, इसलिये दिखाया नहीं जा सकता। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज तक यह मामला पुलिस के सामने नहीं गया। मैटर सब-जुडिस कैसे हो सकता है? वह मामला अभी तक अन्डर इन्वेस्टीगेशन है और जो मेटर अन्डर इन्वेस्टीगेशन है वह सबजुडिस नहीं होता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): Right.

श्री मानिकचन्द सुराणा: उस पर कोई रोक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर मेटर सब-जुडिस भी हो तो भी विधान सभा सक्षम है उसको मंगाने में। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस गुड़ के घोटाले के मामले को आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? मैं, अध्यक्ष महोदय, इस मामले में चीफ मिनिस्टर को दोषी ठहराना चाहता हूं कि १० साल तक जिस तरह से उन्होंने राज्य किया और सोल मोनोपोलिस्ट गुड़ के रहे और हमारा बराबर उनसे संघर्ष रहा; कांग्रेस में भी आपस में विरोधाभास रहा। आज आप कहते हैं कि हम एक हो गये। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हनुमानगढ़ के चुनाव में कांग्रेस एक हो गई। लेकिन हम

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

भी कहते हैं कि हम भी मजबूत हैं; बिखरी हुई कांग्रेस को हराने में नहीं बल्कि अनडिवाइडेड कांग्रेस को हराने में और हम युनाइटेड फोर्स से मुकाबला करेंगे। हनुमानगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार की विजय को लेकर बहुत जोर का हल्ला किया गया कि हम जीत गये और ऐसा लगता है कि हनुमानगढ़ की सारी जनता उनके पक्ष में है और हनुमानगढ़ के सारे वोट कांग्रेस को मिल गये और विरोधी दल की जमानत जब्त हो गई। ऐसा मालूम होता है कि हरिराम कोई उम्मीदवार ही नहीं था।....

एक माननीय सदस्य : महुआ में क्या हुआ ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : और उसको कोई वोट ही नहीं मिला। आप कहते हैं कि हमें इस्तीफा दे देना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि महुआ में बाई इलेक्शन था उसमें कांग्रेस उम्मीदवार की चुनावों में हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिये। मगर आप कहेंगे कि हमारा तो बहुमत है, हम क्यों इस्तीफा दें ? अभी ज्वालाप्रसाद जी ने कहा कि हम ठोकेंगे। जैसे ज्वालाप्रसादजी कहते हैं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : वे मेरे नाम से कहते हैं। मैं कहूंगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली गवर्नमेंट को कहने वाले आज खुद चुल्लू भर पानी में क्यों नहीं डूब मरते हैं ?

श्री रामकिशन (वैर) : कौनसा ऐसा काम किया है जिससे डूब मरें।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, हम ज्वालाप्रसादजी की बहुत कद्र करते हैं क्योंकि जिस दिन सुखाड़ियाजी अपने पद से हटेंगे उस समय ज्वालाप्रसादजी दूसरे कांग्रेस सदस्य होंगे जो चीफ मिनिस्टर होंगे। हम उनसे बैर मोल लेना नहीं चाहते।

मैं यह कहूंगा कि महुवा आपके लिये त्यागपत्र की कसौटी नहीं थी तो हनुमानगढ़ में कांग्रेसी उम्मीदवार जीत गये, उसके लिए हम क्यों त्याग पत्र दें ? हम जनता के फैसले को मानते हैं....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सचोर) : मानना पड़ता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि विरोधी उम्मीदवार की कोई जमानत जब्त हुई हो। उनको भी २३ हजार वोट प्राप्त हुए हैं और कांग्रेस केन्डीडेट को २१ हजार वोट मिले। अभी भी २३ हजार वोट आपकी छाती पर हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : छाती पर तो तीन मन आये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे भी हमेशा छाती पर बने रहेंगे।

एक माननीय सदस्य : उप-मंत्री तोलने वाले कब से हो गये ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : तीन नहीं, ६ मन है। तीन मन गुड़ के हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस हनुमानगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीत गई,यह तो ठीक है; लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए जो लोग वहां पर गये, श्री मथुरादासजी, श्री नाथूरामजी, हमारे मुख्य मंत्री भी गये थे: मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सभी जगह चुनाव होंगे वहां पर आप जावेंगे और एक एक सप्ताह वहां पर रहे उसी तरह वहां भी रहेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां जरूरत होगी तो वहां जावेंगे । एक एक जगह सब ले लेंगे । और संभाल लेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो संभले हुए हैं १ करोड़ २० लाख में ।

श्री अध्यक्ष : (श्री मानिकचन्द सुराणा से) आप जल्दी समाप्त करें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुझे तो १० मिनट मिले हैं ।

श्री अध्यक्ष : वे भी काफी हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हनुमानगढ़ से जीत कर आने वाले उम्मीदवार कुम्भारामजी जन-नेता हैं । मैं कहना चाहता हूं कि उनके चुनाव के समय जीपें १३५ और कई गाड़ियें दौड़ीं, तीन हजार कांग्रेसी वॉलन्टियर्स थे और एक लाख का पेट्रोल खर्च हुआ; इतने आदमी और इतने साधनों से जीत कर आते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । सन् ६७ में जीत कर आवेंगे तब पता लगेगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विरोधी दल की सबसे बड़ी जीत है ।

माननीय भैरोंसिंहजी ने जैसा कहा कि कांग्रेसपार्टी और विरोधियों का यह चुनाव नहीं था, इस चुनाव में राज्य का भी मुकाबिला था । वहां पर लोगों को आश्वासन दिये गये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी नहर बन्द नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी रोडवेज़ के राष्ट्रीयकरण को समाप्त नहीं कर सकती ।

हनुमानगढ़ में जो विरोधी थे, श्री हरिरामजी कुम्भारामजी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir, मैं अर्ज यह करना चाहता हूँ कि सदन में पूरी बहस हो इसमें हमें कोई एतराज नहीं; पर अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी निगाह में लाना चाहता हूं कि ये सब बातें जो इलेक्शन के बारे में रखी जा रही हैं, यह मेटर ऑफ इलेक्शन पिटीशन हो सकता है, लेकिन इनको यहां रखना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष : आपने एतराज बहुत देर से किया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चालीस चालीस जीपें कांग्रेस के झण्डे लगाकर भेज रहे थे तब इलेक्शन पिटीशन की बात नहीं कही ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पैसा खर्च किया है तो नल एण्ड वोइड हो जायगा, जैसा पहले होता रहा है, इसमें एतराज क्या है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो मैं कह रहा था कि श्री हरिरामजी का पानी बन्द कर दिया, सूरतगढ़ में जो नहर मक्कासर नहर जाती है....

श्री अध्यक्ष :जल्दी समाप्त करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। मैं तीन चार मिनट कुम्भारामजी पर और तीन चार मिनट मुख्य मन्त्री जी पर बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमन्त्री जी पर न बोल सकूं तो अविश्वास का प्रस्ताव कैसा ?

तो मक्कासर की नहर को बन्द कर दिया, हरिरामजी के गांव के ६ मोगे निकाले दिये और इस तरह राजस्थान सरकार ने मक्कासर की नहर बन्द करके १५ हजार बीघा जमीन की फसल को बर्बाद कर दिया, यह डिप्टी मिनिस्टर इर्रिगेशन ने किया, नाथूरामजी और मुख्य मन्त्रीजी के नॉलेज से किया........

(व्यवधान)

यह सरकार कहती है कि अन्न का उत्पादन बढ़ाओ, क्योंकि अन्न-संकट है, पर इधर १५ हजार बीघा फसल नष्ट की है आपने, इसके लिये आपको मुल्जिम की तरह कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिये। शास्त्रीजी और नन्दाजी आपको इस स्थिति को सुनेंगे, मैं समझता हूं उन तक यह बात पहुंचेगी। आज भी कोई जाकर देखे, नहर बन्द है, मक्कासर से डाबला में। उससे आगे पीलीबंगा में चल रही है। उस नहर का पानी दूसरी जगह जा रहा है। इस गांव को पानी दिया जाता तो यह १५ हजार बीघा जमीन की फसल बर्बाद नहीं होती। इस तरीके से सरकारी मशीनरी का उपयोग करके आप यह चुनाव जीते हैं। राष्ट्रीकरण की बातें करते हैं, ५० हजार रुपया बस मालिकों से कुम्भारामजी के चुनाव में लिया और बस मालिकों को यह आश्वासन दिया कि राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। रेल्वे की यूनियन्स के जोइन्ट सेक्रेटरी थे, रेल्वे मिनिस्टर वहां गये तो उनको इन्टीमेट किया गया, डिवीज़नल सुपरिन्टेन्डेन्ट को बुला लिया और कहा कि हनुमानगढ़ में हरिरामजी की हिमायती नहीं रहें और उन लोगों को बीकानेर भेज दिया गया। इस प्रकार हनुमानगढ़ के चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राज्य से टक्कर लेकर कोन टिक सकता है ? हरिरामजी की क्या मजाल कि राज्य की टक्कर झेल सकें ! यदि मुख्य मन्त्री के खिलाफ राज्य की शक्ति लग जाय तो वे भी नहीं टिक सकते। २३ हजार वोट मुख्यमन्त्रीजी को नहीं मिले होंगे, पर हरिरामजी को मिले। नाथूरामजी ने कहा कि बड़े लोगों को दर्द होगा कि सीलिंग लाना चाहते हैं, शायद सीलिंग लाना चाहते हैं पर मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि कुम्भारामजी ने वहां के लोगों को आश्वासन दिया कि गंगानगर जिले के बारे में जो सरकार का सीलिंग की नीति है उसको वे इरेज़ करेंगे।

श्री दौलतराम सारण (उप-मन्त्री, स्वायत शासन) : गलत है

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बिल्कुल गलत है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बिल्कुल सही है। कुम्भारामजी ने कहा, २५० बीघा वाले काश्तकारों की वकालत की।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप झूठ कहते हैं। क्या यह सही नहीं है कि कुम्भारामजी ३०० गंगानगर के जमीदारों को लेकर मुख्यमंत्री के सीलिंग रुकवाने आये थे ? वे उनका डेपुटेशन लेकर आये थे चौधरी रामचन्द्रसिंह और वे दोनों।

श्री रामानंद अग्रवाल : क्या सरकार आश्वासन दे सकती है कि कुम्भारामजी दबाव डालेंगे तो भी सीलिंग के मामले में वह उनके दबाव में नहीं आयेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि सीलिंग के कानून में कोई तरमीम का सवाल है तो वह सदन में लाना पड़ेगा।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : क्यों सदन को मुगालते में डाल रहे हैं ? सीलिंग रूल्स से फिक्स होता है और रूल्स आप बनाते हैं। वाह वाह ! खूब !!

श्री मानिकचन्द सुराणा : दूसरी बहुत सी स्टेट्स ने सिम्पल ढंग से सीलिंग का कानून बनाया है। आपको किसने कहा था कि इस प्रकार के पेचीदा नियम बनाइये कि उम्र भर सीलिंग फिक्स नहीं कर सकें। आपके रेवेन्यू उपमन्त्री कहते हैं कि राजस्थान में ६० हजार लोगों को सीलिंग से जमीन मिल जायगी, आपके सीलिंग से कुछ हजार लोगों को जमीनें मिलने वाली हैं। पर हम समाजवादियों के लिये वह सीलिंग कानून रद्दी की टोकरी में डालने लायक है जिसमें कुछ हजार को ही जमीन मिल रही है और बाकी बड़ी-बड़ी जमीनें बड़े-बड़े लोगों के पास रह जाती हैं। इतना बड़ा जोड़ कैसे संभव हो सका ? इतनी बड़ी एकता की बात कही जा सके कि सुखाड़िया और कुंभाराम जी एक हैं, सुखाड़ियाजी के राज्य का सीक्रेट यह है कि या तो भ्रष्टाचार करो और यदि कोई भ्रष्टाचार करे तो उसकी जानकारी रखो। कुंभारामजी के बारे में सारे भ्रष्टाचार की जानकारी अपनी एक जेब में रखी और देखा कि अब यह मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता तो कुंभारामजी को चुनाव में ले आये। उनकी आपस की दरारों में गुड़ की सीमेंट लग गई और आज वे दोनों एक हैं। भैरोंसिंहजी ने नाथद्वारा कमिशन का कहा। नाथद्वारा कमिशन के सामने हुए अपने बयानों में सुखाड़ियाजी ने यह कहा है कि मैंने कांग्रेस के लिये चन्दे का २॥ लाख रुपया जयपुर उद्योग से लिया; उसमें से एक लाख १० हजार का हिसाब आपने कांग्रेस को नहीं दिया। ऐसे मामलेमें के.डी.मालवीया हट सकते हैं कांग्रेस को चन्दा दिलाने के लिये लेकिन भारतवर्ष की परम्पराओं को देखते हुए राजस्थान के मुख्य मन्त्री उन परम्पराओं का पालन नहीं करते।

जफरसन की बात कह रहे थे। जिस दिन प्रेसिडेन्ट हुए अपना सारा बिज़नेस बन्द कर दिया। पर सुखाड़ियाजी जफरसन के फॉलोअर नहीं, नेहरू जी के फॉलोअर हैं जिन्होंने २२ नेहरूओं को विदेशों में भारत के प्रतिनिधि के रूप में रखा, उनके आप फॉलोअर हैं। ५० लाख रुपये का घोटाला माइनिंग विभाग में राज्य सरकार ने किस प्रकार किया, मुख्य मन्त्री जी पूछ रहे थे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारा कहने के बजाय कि किस तरह राज्य सरकार का ५० लाख रुपये का नुकसान

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

माइनिंग विभाग में घोटाला किया, किस प्रकार राज्य सरकार का ५० लाख रुपये का नुकसान किया, मैं हाउस की टेबल पर यह पर्चा रखता हूं और निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्रजी शुरू से आज तक माइनिंग विभाग आपके पास क्यों है ? क्यों आपने मेजर इन्डस्ट्रीज़ माइनर इन्डस्ट्रीज़ को अपने पास रखा ? रेवेन्यू को अपने पास रखा या ऐसे लोगों के पास रखा जो आपके खुद के आदमी हैं ? इन दस सालों में और विभाग मन्त्रियों, को दिये हैं पर इन्हें क्यों अपने पास रखा है ? और मैं यह कहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी को खुद को भी अपने मन्त्री-मण्डल में विश्वास नहीं है । यह इस बात से साबित होता है कि उन्होंने ये विभाग अपने ही पास रखे हैं । ये कुछ विभाग ऐसे हैं जो आपकी जेब में रहें या आपके आदमी हैं उनके पास रहे । नाथूरामजी ! आपको नहीं मिल सकते, न कुंभारामजी को मिल सकते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि देखें वे इस माइन्स के, मेजर और माइनर इन्डस्ट्रीज़ के पोर्टफोलियोज को छोड़ दें तो पता चले कि कितने दिन तक यह कांग्रेस सरकार यहां रहती है ? ये पोर्टफोलियोज़ हमेशा आपके ही पास रखे जाते हैं, इसका कारण यह है कि माइनिंग में बहुत बड़ा फेवरटिज्म है, न केवल कुछ केपिटेलिस्ट्स के साथ बल्कि अपनी राजनैतिक सत्ता को बनाये रखने के लिये, कांग्रेस विधायकों को भ्रष्ट करने के लिये, उनके पक्ष में बहुत से कानून बनाये, उनके साथ फेवरटिज्म किया, नीम के थाना में मांवड़ा की माइन्स, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कांग्रेसी विधायक और उनके रिश्तेदारों का नाम की गई, कोटा क्वेरीज़ में लाइम स्टोन की खान आपके कांग्रेसी के नाम, उनके रिश्तेदारों के नाम, गोटन में कांग्रेसी विधायक और उनके रिश्तेदारों के पास, भीलवाड़ा जिले में भी कांग्रेसी विधायक और उनके रिश्तेदारों के पास खानें हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि डिटेल्स में मैं इन सबको रखूं कि और किन किन के पास है, मुख्य रूप से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ५० से ६० तक की माइन १ लाख की बोली में जा सकती थी उसको मोहनलाल मोदी को ४० हजार में दिया, ६० से ७० तक डेढ़ लाख की बोली लग चुकी थी उस माइन को आपने ६४ हजार में दिया । तो १२ लाख तो ये इन दो के ही बनते हैं । १२ लाख का नुकसान आपने राजस्थान राज्य का किया । इनके अलावा जो इस माइन के इर्द गिर्द माइन्स डिपॉज़िट्स हैं उन्हें लोगों को मांगने पर भी नहीं दी ।

मैं उसकी डिटेल्स नहीं दे सकूंगा समयाभाव के कारण । यह छः पेज की लीफलेट है उसको आप पढ़ेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन तरीकों से आपने राज्य सरकार को सीधे रूप से २४ लाख का नुकसान किया और वित्त मंत्रीजी आपके सेल्स टैक्स और भारत सरकार के इन्कम टैक्स को मिलाकर मेरा एस्टीमेट यह है कि ५० लाख का घोटाला है । पचास लाख का नुकसान किया राजस्थान स्टेट का । एक-एक कांग्रेस विधायक को अपनी तरफ करने के लिए, राज्य के फाइनेन्स का इतना बड़ा नुकसान किया ! गोटन और भीलवाड़ा में आपने क्या किया, इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: I protest. एम. एल. ए. के लिए इस तरह से कहना....

श्री रामकिशन (वैर): आप जानते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री अध्यक्ष: आप जल्दी समाप्त करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा: समाप्त कर ही रहा हूं। दो मिनिट।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा: आपके चुलबुली मच रही है। आप नाम ले लें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: नाम ले लें। मेरा नाम नहीं है।

अनेक माननीय सदस्य: यह तो हम भी जानते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने दस साल तक अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए कई तरह के फेवरटिज्म और करप्शन किये। इस कारण से दूसरे भी करप्ट होंगे तो उन्हें भी साथ ले लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पाप में पैदा हुआ एका है, सिद्धान्तों में पैदा हुआ एका नहीं है। इसलिए इस एके को कायम रखिये, मुझे खुशी होगी। This is born out of sin. आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो एका आपने बनाया है, मुख्य मंत्री जी के खिलाफ करप्शन के केसेज़ रखे हैं, हमारे नेता ने कुछ बातें रखी हैं, अभी मुख्य मंत्रीजी अपने जवाब में बतायें कि युनाइटेड कॉमर्शियल बैंक से ४० लाख रुपया...........

श्री अध्यक्ष: Please wind up.

श्री मानिकचन्द सुराणा: ओवर ड्राफ्ट की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: ओवरड्राफ्ट की बात नहीं

श्री मानिकचन्द सुराणा: इन सारे आधारों पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस की सरकार सम्पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसलिए यह सरकार आज देश की और न प्रान्त की कोई समस्या हल कर सकी है।

एग्रीकल्चर की इतनी लम्बी २ बातें करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, राजस्थान जैसा सौभाग्यशाली प्रान्त यदि दूसरी सरकारों को मिल जाता तो ५००) सालाना से कम इनकम यहां के नागरिक की नहीं होती। १६.७ एकड़ जमीन पर होल्डिंग है यहां, जबकि ऑल इन्डिया में ७.५ है। इतनी जमीन, इतना पानी, इतने विकास की गुन्जाइश हिन्दुस्तान के दूसरे किसी प्रान्त में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक प्रगति की और दूसरी बातें करते हैं; मैं कहना चाहता कोटा में, कल माननीय मंत्रीजी ने बात कही

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

वाइन्ड अप ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: कहां कोटा पहुंच गये?

श्री मानिकचचंद सुराणा : मैं बताना चाहता हूं कि आज टैक्नो-इकोनोमिक सर्वे....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: This is no good.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार में रत्ती भर भी भरोसा नहीं है और एक मिनट भी इस सरकार को गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: श्री योजना मंत्री ।

श्री रामकिशन(वैर):(श्री मथुरादासमाथुर के बोलने के लिए खड़े होने पर) उनके बोलने से पहले मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि कल माननीय इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर साहब ने नीतियों की बात नहीं कही थी; विरोधी दलों ने आरोप लगाये कोई नीति की बात नहीं रखी । योजना मंत्री जवाब दें तो कांग्रेस सरकार की क्या क्या नीतियां हैं किन किन मामलों में, यह बतायें ।

(व्यवधान-परस्पर बातचीत)

श्री अध्यक्ष: Order please ! माननीय सदस्य आपस में बात न करें ।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज तीसरा दिन है जब कि हम मौजूदा राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है और मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों को मुबारिक-बाद देता हूं कि उन्होंने कोई अलफ़ाज़ ऐसा बाकी नहीं छोड़ा अपने पक्ष में बोलने के लिए कि मैं उन शब्दों में जवाब दे सकूं ।

मुझे खेद है, प्रस्ताव को देखता हूं तो विरोधी दल की तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य ने इसको एक अवसरवादी प्रस्ताव कहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, अवसरवादी प्रस्ताव उन्होंने कहा है, मैं उस चर्चा में नहीं पड़ना चाहता, यह तो उनको और विरोधीदलों में बैठने वाले दूसरे सदस्यों को फैसला करना है । यह तो मौसमी बुखार है जो हिन्दुस्तान में; यहीं नहीं और भी मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह की विधान सभाओं और लोक सभाओं में यह प्रस्ताव आया है । इसलिए यह स्वाभाविक भी था कि यहां यह प्रस्ताव आये और यह प्रस्ताव यहां आया और खास तौर से इस प्रस्ताव की रूपरेखा है-भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ और महुआ में उप-चुनाव हुए उनकी छाया है और खास तौर से....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इस मौसमी बुखार से एक जगह मौत हो गई ।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा, कृपया इस तरह से न बोलें । कभी कभी यह ठीक लगता है लेकिन फिर बाद में अखरने लगता है !

श्री मथुरादास माथुर : मुझे आपके गले के साथ हमदर्दी है । मौसमी बुखार के साथ गला भी खराब हो गया है ।

यह स्वाभाविक प्रस्ताव था । खास तौर से हनुमानगढ़ के चुनाव के बाद में जो विरोधी हमारे साथी हैं, मुखालिफ पार्टियों में फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ और जो हरकत गुजरी उनका जिक्र

Page No. 78

(श्री मथुरादास माथुर)

करना नहीं चाहता क्योंकि हमारे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वे इलेक्शन पिटीशन की बात हो सकती है। इस इलेक्शन कॉन्स्टिचुश्युएन्सी में ढाई साल बाद चुनाव होते हैं और जितने चुनाव हुए हैं उस इलाके में विरोधी दलों के पिटीशन्स खारिज किए गये हैं इसलिए कि वे करप्ट प्रेक्टिस करते हैं। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता यदि हमने करप्ट प्रेक्टिस की हैं तो हमें खारिज किया जायेगा कॉन्स्टीट्यूशनल व्यवस्था है। हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा के उप-चुनावों की छाया में ही इस अविश्वास के प्रस्ताव को न देखा जाय बल्कि इस भूमिका में भी इसको देखा जाय कि विरोधी दल कुछ सिद्धान्त लेकर इकट्ठे हुए हैं या नहीं। स्वतन्त्र पार्टी अपने सिद्धान्त पर कायम है। यह कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे अधिक बहुमत वाली विरोधी पार्टी है। उसके बाद जनसंघ पार्टी आती है और मेरा ख्याल है अभी जो नयी पार्टी बनी है, कुछ सोशियेलिस्ट, कुछ प्रजा सोशियलिस्ट, लोहिया ग्रुप, यह सब मिल कर बनी है, उन्हीं के लब्जों में कहना चाहता हूं यह कॉक्टेल पार्टी बनी है। ये तीन मुख्य पार्टीज़ हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी में एक रिएक्शन पैदा हुआ है। आलोचना की गई है कि योजनाओं को पूरा नहीं किया गया, मैं कहना चाहूंगा कि न तो हमने कहा कि योजनायें हमारी पूरी हो गई हैं, १५ वर्षों में कार्य किए हैं वे सामने, न हम यह दावा करना चाहते हैं कि हम जो आप स्फुटनिक एज़ चाहते हैं वह एक दो तीन योजनाओं में पूरा कर सकेंगे। हिन्दुस्तान बड़ा देश है। मैं उन मुल्कों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जिनके आप वफादार हैं। चीन की तरफ नहीं खींचूंगा क्योंकि आप उसके वफादार नहीं रहे आपकी पार्टी के दो टुकड़े हो गए। आप रूस की तरफ देखते हैं। उसकी विचारधारा को खुद की विचारधारा समझते हैं। रूस भी ४०-५० वर्ष में कितनी तरक्की कर सका है, कितना विकास कर सका है, मेरे साथ चलो, मैं बताऊं, मैं अभी वहां होकर आया हूं, अगर वहां हालत खराब है तो मेरे मुल्क में खराब नहीं है यह मैं नहीं कहता, हम में कमजोरी हो सकती है, हम पूरा नहीं कर सके लेकिन हमें यह देखना चाहिये कि हिन्दुस्तान एक ट्राजीशनल दौर से गुजर रहा है। गरीबी से लड़ने के लिए देश की आर्थिक व्यवस्था को उठाना है। इसमें समय लगेगा। हमें थोड़ी देर के लिए कहा जाता है कि कपड़ा महंगा मिलता है, खाद्य पदार्थ महंगे मिलते हैं। मैं आपको बताऊं कि हिन्दुस्तान में जो जूता २२) में मिलता है वह १५०) रु० २००)में रूस में मिलता है। मेरे साथ चलो। मैं जूता वहा दिलवा लाऊं। मैं उनके रूस में ही जूता उनको दिलवाना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप तो वहां से जूते लेकर आये हो।

श्री मथुरादास माथुर : हमें तो हिन्दुस्तान से रूस में भेजना पड़ेगा। हमारा दोस्त है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपको रूस में जूता कितने में मिला ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

Page No. 79

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका रूस में कितने में जूता पड़ा ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो अपने जूते साथ लेकर गया था; वहां तो आपके पड़ रहे हैं।

मैं तो इतना ही निवेदन कर दूं कि हमारे जिन विरोधी पक्ष के नेता ने जनता की बात की, उनके लिए बड़ी श्रद्धा है लोगों के दिमाग में। उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है।

यह कहा गया कि आजादी के बाद जो नई आर्थिक क्रांति आई उसमें हम कामयाब नहीं हो पाये। मैं निवेदन कर दूं कि जिस तरह से हम एक क्रांति राजनैतिक क्रांति को पूरा करने में कामयाब हो गया उसी तरह दूसरी क्रांति का चरण भी हमारा आगे बढ़ रहा है और भी आगे बढ़ता जावेगा यह आप विश्वास रक्खें। इस चरण को अब कोई रोक नहीं सकता। आगे बढ़ने से।

इस देश में विभिन्न पार्टियां हैं। सभी अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ चलती हैं। स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ एक मत होकर नहीं चल सकते। योजनाबद्ध होकर नहीं चल सकते। उनकी स्वतंत्र पार्टी की योजना क्या है फ्री एन्टरप्राइज़ में विश्वास रखते हैं, काश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान को देकर उसे संतुष्ट करने की नीति पर शायद चलती हैं। जनसंघ भी अपनी विचारधारा को लेकर चलता है जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी में प्राइवेट एन्टरप्राइज़ को लेकर कितना ही एकमत हो, पर काश्मीर के मामले में एक इन्च हिस्सा भी यह पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं। यहां उनमें मत-भिन्नता है। कम्यूनिस्ट विचारधारा वाले काश्मीर का कुछ हिस्सा चीन को देखकर हिमालय का कुछ हिस्सा देकर समझौता कर लेना चाहिए यह मत रखते हैं पर जनसंघ यह नहीं सोचता। तो मैं छोटे-मोटे मुद्दों पर नहीं कहता; बड़े-बड़े मुद्दों पर उनमें जो मतभेद है उनको बात कह रहा हूं। अब तीनों में मतभेद होते हुए भी क्योंकि सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए हस्ताक्षर हुए हैं संयुक्त रूप से इसलिए जिस पेपर पर दस्तखत किये हैं वह काला दाग रक्खा है।

मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सदन के नेता सुखाड़ियाजी हैं। वे सन् १९५४ में मुख्य मन्त्रीजी बने थे। यह कहा गया यहां पर कि यह जब कभी भी यहां से जावेंगे तो ये विरासत में क्या देकर जावेंगे ? जब तक जनता का विश्वास है हमारे पर, तब तक तो जाने का सवाल नहीं, जनता का हमारे में जिस दिन विश्वास नहीं रहेगा, नहीं रहेंगे। पर जब भी जावें तो विरासत में क्या देकर जावेंगे यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

हमारे साथियों ने जिक्र किया कि जब से मुख्य मन्त्री बने सुखाड़ियाजी तब पहली योजना का दौर चल रहा था तो उसके अन्दर जब इन्होंने चार्ज सम्भाला तो ५४-५५ में जिसके बेसिक आंकड़े हमारे पास हैं स्टेट इन्कम यहां की करेन्ट प्राइस पर ४०० करोड़ थी। वैसे स्टेटिस्टिकल विभाग हमारा ५२ में कायम हुआ था। उससे पहले के फिगर हमारे पास नहीं हैं। ४८-४९ के भारत सरकार के हैं। दोनों का मुकाबला करते हैं तो

(श्री मथुरादास माथुर)

प्राइस लेवल डिफरेन्ट था इसलिए वह मुकाबला मिसलीडिंग होगा। करेन्ट प्राइस पर जाइये चाहे एक साल का हो चाहे प्लान पीरियड का हो।

श्री भैरोंसिंह : करेन्ट प्राइस के कोई स्टेटिस्टक्स ठीक नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं दोनों ही बता दूंगा। भारत सरकार के ४८।४९ के बेस पर हैं, जबकि हमारे यहां १ अप्रेल ४९ को राजस्थान ही बना था और स्टेटिस्टिकल विभाग हमारा ५२ में चालू हुआ। तो हमारा बेस ५४-५५ का है। हम भी करेन्ट फिगर ५४-५५ पर देते हैं। इसलिए इसमें डिफरेन्स को केलक्यूलेट करना पड़ेगा नेशनल और स्टेट फिगर्स को कम्पेअर करते हैं तो।

स्टेट इन्कम के बारे में कहना चाहता हूं। पर केपिटा इन्कम पर भी मिस लीडिंग हो सकती है क्योंकि डिस्ट्रिब्यूशन जैसा होना चाहिए नहीं होता। प्लानिंग कमीशन ने इस पर एक कमेटी बिठाई है। उसकी रिपोर्ट आने पर पूरी तौर से पता लगेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बता भी दिया, आ गई उसकी रिपोर्ट तो।

श्री मथुरादास माथुर : तो मैं बता रहा था कि ५४-५५ से जब से सदन के नेता चुने गये थे सुखाड़ियाजी, ५५ में, हमारे यहां की करेन्ट प्राइस पर राजस्थान की जो इन्कम थी वह स्टेट इन्कम वह ४०० करोड़ थी। और आज ६३।६४ में, इसके आंकड़े अभी कम्पाइल नहीं हो पाये, इसलिए ६२-६३ के आंकड़े लास्ट रहेंगे। तब तक ५१७ करोड़ रुपया है और इसको अगर करेन्ट प्राइस पर देखें तो ६६४ करोड़ है।

श्री भैरोंसिंह : Including taxes.

श्री मथुरादास माथुर : Including all the income.

इसलिए मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि यह हमने प्राप्ति की है, यह विरासत दी है अभी तक तो। कहा गया कि दस वर्षों में मुल्क को गिराया गया इसलिए मैं यह कह रहा हूं। कांग्रेस सरकार ने पीछे हटाया है मुल्क को या आगे बढ़ाया है इसका फैसला वे आंकड़े बतावेंगे या सदन बतावेगा।

इसके बाद जनसंघ के नेता ने पर कैपिटा इन्कम की बात रखी। यह भी मैं रखने को तैयार हूं। हमारे यहां पर ५४-५५ में करेन्ट प्राइसेज़ पर २३३) पर कैपिटा इन्कम थी और आज २५१) है। यह ६२-६३ एंड ईयर था इसलिए २५१ का आंकड़ा है, जब कि आल इण्डिया का ३८५) है जो अचीव करना था, हमारा ३५५) था टारगेट जो अचीव करना था हम करेन्ट प्राइसेज़ पर ३३६) पर पहुंच गये हैं और इस साल अच्छी फसल हुई है इसलिए साल के एण्ड तक हम ३५५) पूरी कर पावेंगे, जबकि ऑल इण्डिया का टार्गेट ३८५) का है और वह ३७४) से आगे नहीं बढ़ पावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : ६२-६३ में यह गिरा या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : बराबर गिरा है, हम मानते हैं। कॉन्स्टेन्ट प्राइसेज़ पर ६०-६१ में २५२ था और ६२-६३ में २५१ हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : मैं जानकारी देना चाहता हूं कि प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में माननीय योजना मन्त्रीजी ने स्वीकार किया था कि हमारी पर कैपिटा इन्कम ६०-६१ के अन्दर ३४२ थी कान्स्टेन्ट प्राइस पर तो वहां छः का अन्तर था और वह गिर इसलिए गई कि ४६ लाख का प्रोडक्शन हुआ और वह गिर कर ४० पर आ गया इस प्रोपोर्शन में यह और गई। तो इन्कम कैसे बढ़ गई ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं कह रहा हूं कि आप जो फिगर दे रहे हैं वह करेन्ट प्राइसेज़ पर नहीं है। मैं करेन्ट पर कह रहा हूं। ६१-६२ में कान्स्टेन्ट में ३४२ पर कैपिटा इन्कम थी। ६२-६३ में ३३६) हो गई।६)गिर गई। इसकी वजह यह है कि इसमें करीब १२ जिलों में अकाल पड़ा था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हुआ था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हुआ तो स्टेट इन्कम गिर गई तो इसका रिफ्लेक्शन पर कैपिटा इन्कम पर भी पड़ा।

श्री भैरोंसिंह : नेचुरली गिरेगा।

श्री मथुरादास माथुर : गिरेगा। क्योंकि हमारे यहां पर कन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर ४८, ४६ परसेन्ट एग्रीकल्चरिस्ट हैं और जब तक यह फ्लक्चुएटिंग वेदर रहेगा वेटा एरिया बहुत नहीं बढ़ जावेगा स्टेट की पर कैपिटा इन्कम पर रिफ्लेक्ट यह करता रहेगा। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ३४२ से ३३६ यह इन कारणों से हुआ है यह स्पष्ट है। तो यह ह्रास इसलिये नहीं हुआ कि सरकार की वजह से पोटेन्शियेलिटी को कम कर दिया गया है। पोटेन्शियल तो बढ़ी पर वेदर कन्डीशन खराब होने से यह हुआ।

मैं निवेदन करूं कि यह साल और अगला साल अच्छा हुआ, जैसी कि उम्मीद है तो हम ३५५) पर पहुंच जावेंगे जबकि भारत सरकार ३८५) से ३७५) पर ही रह जावेगी।

तो इन आंकड़ों से यह नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान सरकार ने पर कैपिटा इन्कम बढ़ाने में जो कोशिश की है उसमें कमी रही है।

यह भी कहा गया कि राजस्थान की तरफ से हिन्दुस्तान सरकार में पैरवी कम की जाती है। इसलिए प्लान में मदद पूरी नहीं मिलती है। हमारे यहां पर पर कैपिटा एलॉटमेंट जिसके अन्दर नेशनल सेक्टर और स्टेट सेक्टर भी शामिल हैं ११७) है प्लान पीरियड में और मेरा ख्याल है काश्मीर को छोड़कर राजस्थान का यह हाइएस्ट एलॉटमेंट है।

आपकी जानकारी के लिए सारी स्टेटों का एलॉटमेंट मैं बता देता हूं। मैसोर में ६१), उड़ीसा में १४०), वेस्ट बंगाल में ६७) और हमारे यहां ११७) है। इसलिए यह कहना भी ठीक नहीं कि हम पैरवी कम करते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राजस्थान केनाल का एलॉटमेंट निकाल दिया जावे तो कितना रह जावेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके बारे में आगे कह दूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें से राजस्थान कैनाल का २०० करोड़ का एलॉटमेंट निकाल दीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर : इसको अलग से डील करूंगा । अब आपके सामने एक्सपेन्डीचर के फिगर रखता हूं । ओन एवरेज प्लान आइटम्स में कह रहा हूं नान प्लान के एक्सपेंडीचर अलग हैं । जो पहले का कमिटेड एक्सपेन्डीचर है ऊपर प्लान में सेकण्ड प्लान का नॉनप्लान में ऊपर अलग हो गया । इसलिए तीसरी योजना का डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर ५३) आता है ।

इसके बाद यह कहा गया कि किसी डिस्ट्रिक्ट में कम किसी में ज्यादा खर्च किया गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं डूंगरपुर के आंकड़े मैं बता दूं । डूंगरपुर के लिये कहा गया था विशेष तौर से । डूंगरपुर का आंकड़ा है २३ और नागौर का १६ जहां से स्पीकर और दो मिनिस्टर बैठे हैं यहां पर यहां भी अधिक नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उदयपुर का कितना है ?

श्री मथुरादास माथुर : उदयपुर जोधपुर दोनों बता देता हूं ।

श्री रामकिशन (वैर) : सभी पढ़ दें । जयपुर का भी बता दें ।

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर का ३० है, जहां से सभी विरोधी पक्ष के सदस्य आये हैं । अलवर का १६ है अजमेर का २६ है, बांसवाड़ा २५ है जहां से भी विरोधी पक्ष के आये हैं । बाड़मेर से जहां से भी विरोधी पक्ष आये हैं १५ है, उदयपुर का १२ है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Very good.

श्री मथुरादास माथुर : पाली का २५ गंगानगर का ३८ है ।

श्री रामकिशन : वहां तो होगा ही राजस्थान कैनाल की वजह से ।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें वे आंकड़े नहीं हैं जो सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड हैं स्कीमें उनके । डूंगरपुर की रेलवे लाइन का एक्सपेन्डीचर इसमें नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): वह कोई आप महरबानी करके थोड़े ही दे रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : महरबानी हमारी नहीं, तो कांग्रेस सरकार की है । चाहे वहां हो, चाहे यहां हो । आप न मानें तो आपकी बात । पर है तो कांग्रेस सरकार । आप राजगोपालाचारी का नाम ले ले कर....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : कांग्रेस सरकार का कहते हैं तो कांग्रेस सरकार के दफ्तर में नोट छापते हैं क्या ? भारत की जनता का पैसा है । कांग्रेस के दफ्तर में नोट छापने का काम शुरू कर दिया हो तो वह भी बता दीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर : नोट भी हम ही छापते हैं, हमारी सरकार छापती है, तुम नोट छापोगे तो जाली नोट छापने के अपराध में पकड़े जाओगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था खास तौर से आंकड़े इसलिए रक्खे थे कि विरोधी दल के नेता, जो कि बड़ी संजीदगी से बात करते हैं, मैं उनका एक एक शब्द सुनना चाहता हूं और उनका आदर भी करता हूं तो उनको दर्द न हो इसका पूरा ख्याल रखता हूं। तो मैं उनसे भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस भ्रम में न रहें कि डूंगरपुर को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। पहले स्टेट जब आपने छोड़ी तो १८-२० लाख रुपया था। उसके मुकाबले हम पर ईयर जो खर्च करते हैं वह उससे दुगुना और तिगुना कर रहे हैं। अब भी आप धन्यवाद नहीं देते तो आपकी महरबानी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ...

श्री रामकिशन : मैं डिस्टर्ब नहीं करता, आम तौर पर, पर आप जो आंकड़े रख रहे हैं वे गलत रख रहे हैं और इसलिए गलत हैं मैं एक मिनट में करेक्ट करा दूंगा आपसे। शायद आप भी मान जावेंगे। पर कैपिटा इन्कम जो आपने बताई यह इसलिए नहीं है कि कोई आपके विकास योजनाओं का यह परिणाम है। इसके लिए जैसलमेर का उदाहरण दूंगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इन्कम २९६ जैसलमेर की है और यह इसलिये है कि यहां आबादी कम है। तो आप यह न मानें कि आपके इन्वेस्टमेंट का कारण इसमें है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर दूं, आप गुस्से में न आवें।

श्री रामकिशन : गुस्से में नहीं, मैं तो तथ्य आपकी जानकारी में लाना चाह रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : पर कैपिटा इन्कम के आंकड़े आपने रखे, जनसंघ के नेता ने भी रखे, और जो मैंने स्टेट इन्कम के आंकड़े रखे हैं उससे आइडिया बन जावेगा। टोटल इन्कम में कितना बढ़ा है, यह देखें आप ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आइडिया है, तभी जैसलमेर की बता रहे हैं। यह सत्य योजना मन्त्रीजी को मालूम नहीं है यह मैं दावे से कह सकता हूँ।

श्री मथुरादास माथुर : तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जब से सदन के नेता श्री सुखाड़ियाजी ने मुख्य मन्त्री का पद सम्भाला तब ४०० करोड़ की आमदनी राजस्थान की थी, और आज वह ५१७ पर पहुंच गई है। ये आंकड़े मैं इसलिए रख रहा हूं कि आपको हर तरफ से चैक करने का मौका मिल जावे कि उनके मुख्य मन्त्रित्व-काल में राजस्थान कितना आगे बढ़ा है।

आपके दिमाग में भ्रम है तो कुछ आंकड़े मैं और रखूंगा। जब से सुखाडियाजी ने राजस्थान में शासन का नेतृत्व सम्भाला तब प्रारम्भ में डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर १४ करोड़ का था और आज ४० करोड़ का है।

Page No. 84

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने तो सुखाडियाजी की तारीफ करते चन्द बरदाई को भी मात कर दिया।

श्री मथुरादास माथुर : तो ये आंकड़े मैंने रखे। फिर भी आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो आपकी मर्जी है।

(श्री सुखाड़ियाजी के उठकर जाने पर)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी इस तारीफ से मुख्यमन्त्रीजी को शर्म आ गई, वे उठकर चले गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : भीलवाड़ा चुनाव पार्लियामेंट का हुआ था। बड़े–बड़े लोग उसमें खड़े थे। वहां का सबक यहां प्रकट हो रहा है। और कोई बात नहीं है।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : ये आपकी नहरें खाली क्यों पड़ी हैं?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इनको दूध से भरूंगा।

तो मैं निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि शोशियल सर्विसेज़ में ५४-५५ में जब से सुखाड़िया जी ने मुख्यमंत्रित्व का भार सम्भाला था तब····

श्री रामकिशन : व्यासजी को भूल गये क्या? एक बार तो नाम ले लिया होता। हमें बड़ा दर्द होता है सुखाड़िया सुखाड़िया की रट लगातार आपके मुंह से सुनते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मथुरादास माथुर : जयनारायण व्यास, आज वे दुनिया में नहीं हैं इसलिए जिक्र नहीं करता। सुखाड़िया की गवर्नमेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है और सुखाड़िया ने सन् ५४ में भार सम्भाला था इसलिये उसके बाद के आंकड़े दे रहा हूं, पहले के नहीं दे रहा हूं।

श्री रामकिशन : योजना तो ५१ से शुरू हो गई थी।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप वोट मांगते समय गांधीजी और नेहरूजी का नाम भी मत लीजिये, वे आज दुनिया में नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इतना घबराइये मत। सच्ची बातें तो रखनी ही पड़ती हैं।

श्री रामकिशन : आपकी सच्ची बातें तो किताब में हैं, हमारे पास भी किताब है।

श्री मथुरादास माथुर : तो डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर जहां सुखाड़ियाजी ने भार सम्भाला तब १४ करोड़ था वहां वह आज ४० करोड़ है और सोशियल वेलफेयर का एक्सपेन्डीचर ८ करोड़ था वहां वह आज २४ करोड़ हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : साथ में यह भी बता दीजिये कि तब से करप्शन में कितना परसेन्टेज आप बढ़े हैं? यह भी साथ साथ बताते जाइये।

श्री मथुरादास माथुर : कॉम्युनिस्ट पार्टी के नेता कहते हैं कि नई क्रांति कहां है,

Page No. 85

(श्री मथुरादास माथुर)

मैं उनको बताता हूं कि ये नई क्रांति के बढ़ते हुए चरण हैं और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : करप्शन में कितनी परसेन्टेज बढ़ोत्तरी हुई है ?

श्री मथुरादास माथुर : करप्शन का परसेन्टेज केल्कुलेट करने के लिए रामानन्द जी को मुकर्रर किया है वह केल्कुलेट करते रहेंगे और सदाचार समिति को बताते रहेंगे।

अब मैं कुछ सेक्टरवाइज़ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं योजना मन्त्री हूं इसलिए आंकड़े बताता हूँ। मैं सब आंकड़े रखूं तो उसमें तो बहुत समय लग जायेगा। लेकिन बड़े बड़े जो स्टेट लेवल के आंकड़े थे वह रख दिये....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): एक बात आप और बतादें कि टैक्स १९५१ में कितना था और आज कितना है ? टैक्स का परसेन्टेज भी बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : ५१ में मैं घड़ी की दूकान नहीं करता था जो मुझे मालूम हो कि कितना टैक्स था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बताइये न कि ५१ में टैक्स का परसेन्टेज कितना और आज कितना है !

श्री मथुरादास माथुर : सब बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि टैक्स का कितना इवेज़न होता है।

एग्रीकल्चर के बारे में निवेदन कर रहा था कि जिस समय १९५४-५५ में जबकि आज के नेता मुख्य मन्त्री बने थे उस वक्त सीरियल और पल्सेज के अन्दर २२१ लाख एकड़ जमीन आबपाशी में थी और आज के दिन २७० लाख एकड़ जमीन आबपाशी में है। इसलिए मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि क्योंकि यह चार्ज लगाया गया था कि १० वर्षों के अन्दर राजस्थान में एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन दिन प्रति दिन गिरती जा रही है और यहां राजस्थान की जनता भूखों मर रही है—मैं उसका जवाब दे रहा हूं और यह कोशिश कर रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर यह तरक्की हो रही है और जवाब मैं अपने आंकड़ों के आधार पर दे रहा हूं और यह आंकड़े छप चुके हैं, मेरे घर से नहीं दे रहा हूं। फिर यह कहा गया कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी राजस्थान को दिवालिया छोड़कर जायेंगे इसलिए इस बात का जवाब दे रहा हूं कि आप ही सोचें कि यह कहां तक ठीक है....

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): २ लाख का बंगला भी छोड़ कर जावेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : इर्रिगेशन पोटेन्शियल बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी युटीलिटी जो हम कर पाये हैं उसके आंकड़े भी रखता हूँ। १९५५ के अन्दर २२१ लाख एकड़ जमीन आबपाशी में थी और अब वह २७० लाख एकड़ हो गई और पोटेन्शियल तो और भी ज्यादा बढ़ा है। इसके साथ ही साथ में यह भी निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : यह टोटल एरिया हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : Total area under these crops। बाकी इसमें शुगरकेन वगैरह के आंकड़े नहीं लिये हैं। एरिया अण्डर क्राप है! मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक एग्रीकलचर प्रोड्यूस का सवाल है राजस्थान के अन्दर हम फोर ईयर्स साईकल पर वर्क करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे राजस्थान के अन्दर किसी साल तो अकाल पड़ जाता है और दो एक साल प्रोडक्शन मध्यम रहता है और एक दो साल अच्छा हो जाता है। इसलिए हमने हमारे यहां राजस्थान के अन्दर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के सवाल पर फोर ईयर्स साइकिल पर वर्क करने का रखा है। अगर फोर इयर्स साइकल पर आकड़े देखें तो श्री मोहनलालजी सुखाड़िया ने जब कि वह सन् ५४ में चीफ मिनिस्टर बने थे उस समय १९५३-५७ का साइकिल था उस समय हमारे यहां पर ४७३३ हजार टन का फूड प्रोडक्शन था और आज जो साइकिल फौर ईयर्स की चल रही है वह १९५९-६३ में ६०४१ हजार टन का फूड का प्रोडक्शन हुआ। अब आप किसी एक पर्टीकुलर ईयर की बात करें जैसे १९६२-६३ को लें तो उसमें तो प्रोडक्शन बहुत फैल हुआ है। अकाल से कंट्रोल करने की बात जहां तक है और आर्टीफिशियल रेन की सुविधा कमर्शियल स्केल पर नहीं हो पाई है नहीं तो वह भी कर लेते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १९५४-५५ में कितना इम्पोर्ट किया था और अब कितना किया, यह बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : इम्पोर्ट का प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए राजस्थान से जितना फूड ग्रेन इम्पोर्ट हुआ है उसका कारण यह है कि जितना हमने प्रोडेयूस किया है और जितना एक्सपोर्ट हुआ है क्योंकि हमारे यहां पर बाजरी और मक्का खाने वाले थे और लोगों ने बाजरी और मक्का बाहर भेज दी। इसलिए प्रोडक्शन से और इम्पोर्टेड व्हीट का बहुत कम संबंध है इसलिए इसको समझना चाहिए। १० वर्षों के अन्दर और खास तौर से १९५३-५७ के बारे में कह रहा हूं फौर ईयर्स साइकिल में ४७३३ हजार टन हमारे यहां पर फूड ग्रेन पैदा होता था और अब वह ६०४१ टन होता है। अब आप यह कहें कि राजस्थान में विश्वास नहीं है तो विश्वास तो इनमें खुद में नहीं है और आपस में भी विश्वास नहीं है, यह हम जानते हैं। इसलिएयह जो प्रस्ताव रखा है यह It is out of sheer frustration to buck up the opposition.

इसलिए यह अपने में विश्वास पैदा करने के नेतृत्व के दृष्टिकोण से दस्तखत किये हैं और किसी भावना से नहीं किये हैं। अगर मैं गलत कहता हूं तो भैरोंसिंहजी से पूछ लीजिए।

तो राजस्थान के अन्दर मैंने निवेदन किया किये जो मैंने आंकड़े रखे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शनके, इर्रिगेशन के और दूसरे विभागों के उनको देखने के बाद मैं निवेदन करता हूं कि मैं सहकारिता पर आता हूं। मैं सहकारिता पर आंकड़े रखते हुए इसलिए संकोच करता हूं कि क्रय-विक्रय संघ और गुड़ के मामलों को लेकर मेरे सहकारिता के आन्दोलन में वृद्धि दब गई है। मैं इतना नम्र निवेदन करना चाहता हूं एक चट्टान के ऊपर बीज बोने का प्रयत्न

(श्री मथुरादास माथुर)

राज्य सरकार कर रही है और उसमें सबका सहयोग होना चाहिए। पत्थर पर बीज को बोने में बहुत समय लगता है। इस शुरुआत के अन्दर इसमें कई खामियां हो सकती हैं। कई जिलों के अन्दर सहकारी समितियां हैं उनके अन्दर मुकदमें चल रहे हैं, इन्क्वायरीज़ चल रही हैं, अदालतों में उनके केसेज़ चल रहे हैं। फिर इसके अलावा सबसे बड़ी चीज यह है कि एक समाज है उसका रिफ्लेक्शन हमारे मूवमेंट पर आयेगा। मैं दो बातें जरूर रखना पसन्द करूंगा कि हमारे यहां पर १९५४;५५ में सहकारी समितियों की संख्या ६६७२ थी और इस समय ४१४६७ है। उस समय उन सहकारी समितियों की मेम्बरशिप २ लाख थी वह अब मेम्बरशिप ११।। लाख है। उस समय उनके अन्दर शेयर कैपीटल ७२ लाख थी और अब शेयर केपीटल ८ करोड़ रुपये की बढ़ चुकी है। तो इन आंकड़ों से साबित होता है कि हमारा सहकारी आन्दोलन आगे बढ़ रहा है और ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा मैं निवेदन करूंगा कि उसमें खराबियां आयेंगी। जब किसी चीज में ५ आदमी होते हैं तो कम खराबियां आती हैं और जब ४५ करोड़ का मुल्क होता है तो ज्यादा खराबियां आती हैं। खराबियों को दूर करने का प्रयत्न आपके सहयोग से करेंगे।

क्रय-विक्रय संघ का मामला जहां तक है तो इसके मामले को विजिलेंस कमीशन को दे दिया गया है और उस विजिलेंस कमीशन के नीचे पुलिस का एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट है और इसलिए वह जांच करवा सकते हैं, सीज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उनके हुक्म से आज इनवेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स काम करते हैं और वह बड़े से बड़े आदमी को पकड़ सकते है और अगर कोई बेगुनाह है तो उसको एक्विट किया जायेगा और गुनाहगार है तो सजा होगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य चले गये जिन्होंने क्रय-विक्रय संघ का प्रस्ताव पढ़ कर सुनाया था। उसकी कापी मैंने भी मंगवाली है और मैं सदन की मेज पर रखता हूं और इसका फैसला आप करें कि मैं कहता हूं वह सही है या जो वह कहते हैं वह सही है। क्रय विक्रय संघ के अन्दर जो प्रस्ताव था गुड़ खरीद करने के लिए उसमें यह था कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को हल करने के लिए जो व्यय करना पड़ता है उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए और यदि हल न हों तो उस स्थिति में इन खर्चों को वहन करते रहने के निर्णय पर सूचना संबंधित विभाग के मन्त्री महोदय को देने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है; यह प्रस्ताव है। इसमें हल करने के लिए व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। यू. पी. के अन्दर गो शाला का टैक्स है, धर्मादे का टैक्स है, वहां पर मंडी टैक्स है····

श्री रामानन्द अग्रवाल :अध्यक्ष महोदय माननीय मन्त्री महोदय गलत कह रहे हैं उसमें रेलवे के वैगन लेने में करप्शन में देने के लिए········

श्री मथुरादास माथुर :माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्रय विक्रय संघ का डाइरेक्टर नहीं हूं········

श्री मानिकचन्द सुराणा : Point of order, Sir, आप जो कुछ कह रहे है और जो आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं क्रय-विक्रय संघ की एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी की, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की हैं वह पढ रहे हैं और जो एक्सट्रेक्ट माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले ने कहा है वह विश्नोई रिपोर्ट का है इसलिए आप दोनों को मिसलीड करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ?

(३. ०० म. प.)

श्री मथुरादास माथुर : यह उन्होंने नहीं कहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बिल्कुल कहा है। बिश्नोई रिपोर्ट के एक्सट्रेक्ट्स है।

श्री भैरोंसिंह : एक बात बताइए। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एक्सट्रेक्ट्स पढ़े थे वे बिश्नोई रिपोर्ट में हैं या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : हैं या नहीं मैं उसमें जाना नहीं चाहता। विश्नोई रिपार्ट पर मैंने एक लाइन निवेदन कर दी और फिर दोहराता हूं कि वह विजीलेंस कमीशन के अन्दर है। वहां जांच होगी और फिर कार्य-वाही होगी। उसके साथ साथ में जो क्रय-विक्रय-संघ की एग्ज़ीक्यूटिव का असली प्रस्ताव है उसकी प्रतिलिपि इसलिए सदन की मेज पर रखना चाहता हूं कि जिससे गल-तफहमी न हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्योंकि इसका सम्बन्ध बिश्नोई रिपोर्ट से है, हमने पढ़ा है। यदि आप आज्ञा दें तो हम भी कहना चाहते हैं कि माननीय मन्त्रीजी ने उसी पर्टी-क्यूलर फैक्ट से हाउस को मिसलीड करने की कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने स्पष्ट कह दिया है कि जो प्रस्ताव में स्थिति है, वह सदन के समक्ष रखी है। जहां तक उस रिपोर्ट का प्रश्न है वह स्वयं कह चुके हैं कि वह उल्लेख नहीं करेंगे क्योंकि यह विजीलेन्स के पास है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि....

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो अपने को बाइंड रखूंगा।

श्री भैरोंसिंह : बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट को भी सदन की मेज पर रखें।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : नहीं तो आज्ञा दें तो मैं एक्सट्रे-क्ट्स रख देता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट विजीलेन्स कमिशनर के पास है। वह इसकी जांच कर रहे है। जाच पूरी होने के बाद में आपको अधिकार विजीलेन्स कमीशन की रिपोर्ट मांगने का और उसके साथ साथ बिश्नोई रिपोर्ट मांगने का। आप घबराते क्यों हैं ? मैं आज इस पोज़ीशन में नहीं हूं कि कहूं कि किसको सजा दी जाय। फैसला एन्क्वायरीसे हो जायेगा।

श्री मानिकचंद सुराणा : Point of order, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं।

(श्री मानिकचंद सुराणा)

इस सदन में मन्त्री महोदय ने कहा था कि सरकार जब बिश्नोई रिपोर्ट पर एक्शन ले लेगी तो उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जायगा। सरकार ने जो स्थिति अपनी बताई है कि वह इस रिपोर्ट को विजीलेन्स कमीशन में भेज चुके हैं। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि सरकार की इस स्टेटमेंट से स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है और वह रिपोर्ट इस सदन की मेज पर आजाये क्योंकि विजीलेन्स कमीशन को भेजने के अलावा अब कोई एक्शन सरकार की तरफ से नहीं होने वाला है, अब जो एक्शन होगा विजीलेन्स कमीशन लेगा। इसलिए सरकार के पार्ट में जो एक्शन था वह कम्प्लीट हो चुका है, बाकी इन्वेस्टीगेशन, उसके बाद में चालान और उसके बाद में मुकदमा, यह लम्बा-चोड़ा प्रोसीजर है। सरकार ने सिर्फ अपने एक्शन की बात कही थी। तो, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को स्टेटमेंट से जो परिस्थिति पैदा हुई है उसमें आप व्यवस्था दें कि सरकार ने जो स्थिति बताई है उससे एक्शन कम्पलीट हो गया है तो जैसे उनका आश्वासन था उसके अनुसार वह रिपोर्ट रख दें।

श्री अध्यक्ष : जैसे मन्त्री महोदय स्वयं ने कहा था कि सरकार निर्णय लेगी, निश्चित कार्यवाही करेगी, तब सदन की मेज पर रिपोर्ट्स रख दी जायेंगी। उन्होंने रिपोर्ट को विजीलेन्स कमीशन के पास भेजा है, वह जांच करेगा। यूं भी व्यवहारिक तरीके से उचित नहीं हैं कि इस पर इतनी बहस की जाय। एक पक्ष के लोग एक बात कहेंगे और दूसरे पक्ष के लोग दूसरी बात कहेंगे। आप एक पैराग्राफ क्वोट करेंगे और दूसरे दूसरा पैराग्राफ क्वोट करेंगे। इस समय उचित यही है कि विजीलन्स कमीशन को कुछ समय दिया जाय कि वह विचार करें और अगर निर्णय सरकार लेती है कि केस रजिस्टर किया जाय या नहीं तो वह एक स्टेज होगा जब सरकार इस पर अपने विचार रख सकती है रिपोर्ट सदन की मेज पर रख सकती है, इसलिए मन्त्री महोदय ने जो कहा वह उचित है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आस-पुर) : इस सम्बन्ध में कोई टाइम लिमिट निश्चित नहीं हो सकती, इतना कठिन प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : व्यवहारिक बात तो यह है कि जिसका मामला सरकार एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट या विजीलेन्स कमीशन में भेज देती है तो सरकार उस अफसर को सस्पेंड कर देती है। यहां पर सरकार ने केस विजीलेन्स कमीशन को भेज दिया है इसका मतलब प्राइमा फेसी सरकार इस बात से सेटिस्फाइड है कि उसमें कुछ गड़बड़ है तो उस आदमी को सस्पेंड करने की बात तो दूर रही, आप तो उसको केबिनेट में इन्क्लूड करना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं अब दूसरे विषय पर आता हूं। तो मैंने जो सहकारिता के आंकड़े रखे उसमें तरक्की दिखाई देती है, यह तरक्की सराहनीय है। इससे यह जाहिर है कि हम दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारा समाजवादी लक्ष्य है उसको ओर आगे बढ़ेंगे। जहां तक इलेक्ट्रिसिटी

(श्री मथुरादास माथुर)

जेनरेशन का सवाल है १९५४–५५ में ७१ मिलियन किलोवाट पॉवर का प्रोडक्शन था और आज ३२१.५ मिलियन किलोवाट प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि १० वर्ष के अंदर बिजली के प्रोडक्शन के अंदर नया इन्कलाब आया है। (कई माननीय सदस्यों के उठने पर) जब आंकड़े अच्छे आते हैं तो घबराहट नजर आती है। जब राजस्थान बना था उस समय स्टेट-ओन्ड पॉवर हाउसेज़....

श्री मानिकचंद सुराणा : आप तो सिर्फ आंकड़े पढ़ रहे हैं। हमने आंकड़े खूब पढ़े हैं। आप कुछ निष्कर्ष बताइये। हर साल ८० करोड़ या १०० करोड़ खर्चा होता है वह आपकी जेब में डाल देते हैं क्या....

श्री मथुरादास माथुर : समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य क्यों परेशान हैं? चार्ज लगाया जाता है कि राज्य सरकार ने १० वर्ष में, खास तौर से मुख्यमंत्री ने, कोई तरक्की नहीं की, राजस्थान को पीछे हटाया तो इसलिए आंकड़े रखना जरूरी हो जाता है कि इम्पॉर्टेन्ट सेक्टर्स के अंदर क्या प्रोग्रेस हुई है चाहे उनको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दूसरे प्रांतों की तुलना में बताइए, पंजाब है, बम्बई है....

श्री मथुरादास माथुर : अगर आप दूसरी स्टेट्स के आंकड़े चाहते हैं तो वह भी रखूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या रखेंगे, बिजली बंद हो रही है, नहरों में पानी खत्म हो रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आंकड़े रख रहा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : महंगाई को कैसे कम कर रहे हैं, बेकारी निरंतर बढ़ रही है; आंकड़ों को लेकर कोई जीने वाला नहीं है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष :Order please ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं आंकड़े रखकर कन्क्लूज़ंस पर आऊंगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में, खास तौर से फैक्टरीज़, राजस्थान में १९५४-५५ में ३२४ रजिस्टर्ड फैक्टरीज थीं हैं। इस वक्त १२३८ फैक्ट्रीज़ हैं उस वक्त एम्प्लॉयमेंट में २१ हजार लेबर था और आज ६० हजार फैक्टरीज के अंदर हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक इनफारमेशन दीजिए। आप बता रहे हैं कि फैक्टरीज़ बढ़ रही हैं; मैं पूछता हूं कि जितनी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनी हैं उनमें से कितने काम कर रहे हैं?

श्री मानिकचंद सुराणा : यह इंडस्ट्रियल लेबर राजस्थान में सारे पापुलेशन का कितना परसेंटेज है, ऑल-इंडिया में कितना है?

श्री मथुरादास माथुर : परसेंटेज आप निकालिए। १९५४–५५ के अंदर लेबर ३२४ फैक्टरीज़ में २१ हजार था और आज ६० हजार इंडस्ट्रियल लेबर है और फैक्टरीज़ १२३८ हैं। परसेंटेज आप निकालिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज जो टोटल पोपुलेशन है ....

श्री मथुरादास माथुर : आप ही पोपुलेशन और परसेंटेज का हिसाब लगाइये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आॅल-इंडिया का कितना है ?

श्री मथुरादास माथुर : आप राजस्थान के डेवलपमेंट की यदि महाराष्ट्र या बंगाल से तुलना करें तो नहीं हो सकती । राजस्थान का एक इतिहास है, हिस्टारीकल लीगेसी है, वह अंडर-डेवलप्ड स्टेट थी, फ्यूडल एरा से निकल कर सोशियेलिस्ट स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन नहीं था । आप यदि मुकाबला करें अमरीका, रूस और चीन के डेवलपमेंट से तो हो नहीं सकता मुकाबला । यह मुकाबला करना गलत है । रिलेरेस डेवलपमेंट की आज हिन्दुस्तान में जो चल रही है उस रिलेरेस में जो प्रदेश आगे बढ़े हुए थे, जैसे महाराष्ट्र, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, यह तीन स्टेट हैं जो कि इन्डस्ट्रियली डेवलप्ड थी और जहां का लेबर इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियल ज्यादा था । हम एज्यूकेशन में केरल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं । हम एज्यूकेशनली बैकवर्ड थे, हम इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड थे, हम एग्रीकल्चरली बैकवर्ड थे । हमारे यहां का सोशियल सिस्टम दूसरा था........

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि २० हजार काम कर रहे हैं, तो इन्डस्ट्रीज़ कितनी हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : आप इतनी सब्र रखिये । आपको हमने शान्ति से सुना और आप हमको सुनने को तैयार नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : और क्या पूछना चाहते हैं, आपने पहले ही बहुत कहा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एक बात यह पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । जिस तरह भी वे अपने ढंग से देंगे, आप बीच में मत बोलिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : वे बुनियाद हैं ।

श्री अध्यक्ष : वे बुनियाद हैं, जैसा भी आप चाहें निकालें ।

श्री मथुरादास माथुर : ५५ में हमारे यहां जो प्रोडक्शन में केपिटल एम्प्लॉयड था वह १३३६ लाख रुपये का था। आज इन्डस्ट्री में केपिटल २८८३.६१ लाख है । यह विभागों की बातें इसलिए रखता हूं कि इन्डस्ट्री में इतना इन्वेस्टमेंट है । नम्बर ऑफ फैक्ट्रीज़ बढ़ी हैं यह नहीं कहना चाहता, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि लेबर पोटेन्शियल बढ़ा है और जो थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट के फीगर बढ़े हैं वे पहले से तिगुने हो गये हैं । इसलिए रखी हैं ये बातें कि राज्य सरकार राजस्थान को किस तरह से आगे बढ़ा रही है । पंजाब से आप इर्रिगेशन का मुकाबला करेंगे तो कैसे करेंगे ? पंजाब में तो इर्रिगेशन की कैनाल्स का जाल बिछा हुआ है और वहां के इर्रिगेशन के नाले बह कर तो हमारे यहां आ रहे हैं । वहां पर वाटरलॉगिंग हो रहा है उसका

(श्री मथुरादास माथुर)

मुकाबला यहां से करेंगे। पंजाब वाले कहें कि वाटर-लोगिंग का मुकाबला राजस्थान से करें तो यह कैसे हो सकता है? जो मैं ये आंकड़े दे रहा हूं वे कम्पेरेटिवली हमारे यहां सोशियल बेकवर्डनेस थी, जो इकॉनॉमिकल बकवर्डनेस थी, जो इन्डस्ट्रियल बकवर्डनेस थी उसको देखते हुए आज १० वर्षों में राजस्थान में तरक्की हुई है।

अब मैं शिक्षा पर आता हूं कि उसमें १० वर्षों में क्या तरक्की हुई है। शिक्षा में जो पर्सेन्टेज़ ८५ थी वह १६ है....

श्री मानसिंह महार : ये किताबें तो हमारे पास भी मौजूद हैं, उनकी पढ़ सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ते तो यह झगड़ा ही नहीं होता।

श्री मानसिंह महार : आप आंकड़े रखें, मुकाबला करें तो फैक्ट रखें। यह कोई डॉक्युमेंट नहीं या इसको साइन करके आप सदन की मेज पर रखिये।

श्री मथुरादास माथुर : बराबर साइन कर रखे हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आप बोल रहे हैं वही डॉक्युमेंट है।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो आंकड़े दुनिया के सामने हैं वह नजर आ रहे हैं कि राजस्थान तरक्की पर चल रहा है तो उनको परेशानी है। आप भले ही गालियां निकालें वह तो हमने सुनी हैं और जब हम कहते हैं तो सुनते तक नहीं। आप सही आंकड़ों से घबराते क्यों हैं?

श्री मानसिंह महार : हम झूठे आंकड़े सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हम जनता को यह बतलाना चाहते हैं कि राजस्थान दिन पर दिन प्रगति कर रहा है। राजस्थान में सड़कों में तरक्की हुई है....

श्री मानसिंह महार : आप आंकड़े कहां से लाये? वह किताब यहां पर रखें।

श्री मथुरादास माथुर : इसी वक्त रखता हूं।

श्री मानसिंह महार : हम कोई चीज पढ़ते हैं तो यह कहा जाता है कि सदन की मेज पर रख दो। वह कोई प्रिविलेज्ड आदमी हैं उनसे क्यों नहीं फर्माते हैं आप कि किताब सदन की मेज पर रखें।

श्री मथुरादास माथुर : यह आंकड़े हैं।

श्री मानसिंह महार : बिल्कुल झूठे आंकड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : वे रख देंगे जैसा कि आप चाहते हैं।

श्री मानसिंह महार : ९० पर्सेंट आंकड़े झूठे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करियेगा।

Page No. 93

श्री मथुरादास माथुर : आम तौर पर यह आपकी अपनी भाषा है। मैं उस पर कुछ कहूं उस टंटे में नहीं पड़ना चाहता हूं।

यह आंकड़े राजस्थान का योजना मंत्री दे रहा हैं और सदन में रख रहा है और गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कलेक्ट किये गये हैं।

दूसरे विभागों ने भेजे हैं। यह वे आंकड़े हैं जो अपोजिशन के नेता ने रखे थे तो वह भी उन्हीं किताबों से रखे थे....

श्री मानसिंह महार : हम बेकार के आंकड़ों में सदन का समय व्यर्थ में नहीं खोना चाहते।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप बता दें कि कौन से आंकड़े हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी शिक्षा के अन्दर, अस्पतालों के बेड्स के अन्दर तरक्की हुई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हम यह पूछना चाहते हैं कि इन्डस्ट्रियल एस्टेट कितनी चालू हैं?

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज ! हर चीज हर वक्त में नहीं पूछी जाती है। जो इनके पास है वह बता देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मोतीलाल जी, एस्टीमेट कमेटी के चेयरमेन, की रिपोर्ट मौजूद है।

श्री मथुरादास माथुर : ये इन्डस्ट्रियल एस्टेट के आंकड़े मांगते हैं तो मुश्किल नहीं है। कितने काम कर रहे हैं और कितने शैड खाली हैं। जहां पर शैड खाली हैं उनको भरने की कोशिश की जा रही है। प्राइवेट लोगों से भी कहा जा रहा है। लेकिन उससे बिजली और रॉमेटीरियल की शार्टेज़ आदि सब बातें हैं। वह हजारों के फीगर्स हैं। वह सब मौजूद हैं।

मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में शिक्षा की प्रगति हुई है। हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। राजस्थान के अन्दर मलेरिया इरेडिकेशन कम्प्लीट हुआ है। स्माल पॉक्स का इरेडिकेशन कम्प्लीट होने जा रहा है। हर क्षेत्र के मैंने १० वर्ष के आंकड़े बताये कि बराबर प्रगति हुई है और आगे बढ़ता जा रहा है राजस्थान। राजस्थान आगे बढ़ रहा है उस वक्त में माननीय सदस्यों ने जो कि विरोधी पक्ष के हैं सबने मिल कर जो रखा है वह इसलिए रखा है कि हम आंकड़े रखें और इन बातों की रोशनी लोगों के सामने आ जाय इस मकसद से रखा है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात कही गई पाटन की, पाटन के स्टेट एन्टरप्राइज़ के बारे में जो कि पहले मेरे पास था। वह पाटन का स्टेट एन्टरप्राइज़ हमने चलाया था वह सिन्दड़ी की फर्टीलाइज़र फैक्ट्री ने ऑर्डर प्लेस किया था ५०,००० टन सप्लाई करने के लिए लाइम स्टोन के लिए तो यह वर्क डिपार्टमेंटली शुरू किया गया था। ५०,००० में से करीब करीब ३०,००० एप्रोक्सीमेटली मैं कहता हूं क्योंकि यह सवाल

(श्री मथुरादास माथुर)

अभी यहां उठाया है, तो वह सप्लाई कर दिया गया है और उसके बाद उन्होंने बन्द कर दिया और बन्द करके वे दूसरों से लेने लगे। उसके बाद में प्राइवेट डिपॉज़िट्स थे, माइन डिपोज़िट्स उनको दूसरों को बेचना शुरू किया और वह घाटे में चलने लगीं और उसके बाद में छोटी-मोटी स्कीम को स्टेट एन्टरप्राइज़ में नहीं चलाना चाहते हैं जो कि घाटे में चलती है, इसलिए राजस्थान सरकार सोच रही है कि क्या किया जाय? कोई यह कहते हैं कि ५० लाख में प्राइवेट को दे दिया है तो वह कभी भी नहीं दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने तीन बातें नहीं बताई हैं....

एक माननीय सदस्य : आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया?

श्री मथुरादास माथुर : सिन्दड़ी फर्टीलाइज़र्स को सप्लाई करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया था। उन्होंने वह बन्द कर दिया क्योंकि उनको माल पास में वहीं मिल गया। आगे चलाना चाहते हैं इस बात को सोचते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने तीन बातों....

श्री मथुरादास माथुर : मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ....

श्री भैरोंसिंह : आप इन तीनों बातों का जवाब दे दें कि सुखाड़ियाजी के राज्य में पर-केपिटा इनकम कितनी बढ़ी है, और फोर्थ फाइव इअर प्लान में कितने रिसोर्सेज़ चाहिये और ५ लाख आदमी बेकार रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था की है?

श्री जयनारायण व्यास सालोदिया : नाज के भाव भी बता दीजिये; १० साल पहले क्या थे?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य, इस बात को मान कर चलें कि मैं थ्योरी रखने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। सदन के विरोधी नेता इस बात को दोहराते हैं और ठीक दोहराते हैं कि इन्फ्लेशन होता है। जब किसी देश में अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को डेवलप किया जाता है तो रुपये उसमें गिरते हैं तो जब तक उसका प्रोडक्टिव रिज़ल्ट न आवे तब तक ये रुपये मार्केट में आते हैं और उससे इन्फ्लेशन होता है और मार्केट में प्राइसेज़ बढ़ती हैं।....

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप मानते हैं कि इसका हल नहीं है?

श्री मथुरादास माथुर : इसका हल यह है कि डिफ्लेशनरी मेजर को साथ-साथ लाया जाय। आपने यह जो रुपया पंप करके इकोनॉमि में डाला है उसको वापिस किस तरह से निकाला जाय। सेविंग्ज़ हो। चाहे स्माल सेविंग्ज़ हो, चाहे इन्श्योरेन्स की मार्फत सेविंग हो, सेविंग्ज़ और इन्वेस्टमेंट होते हैं और तीसरा जरिया टेक्शन होता है। इस तरह से टेक्सेशन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्ज़ से डिफ्लेशन को मदद मिलती है।....

श्री रामानन्द अग्रवाल : नेशनलाइज़ेशन नहीं है क्या?

श्री मथुरादास माथुर : यह इन्वेस्टमेंट में आता है कई तरह के इन्वेस्टमेंट हैं। प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में हो सकते हैं, नेशनलाइज़ेशन हो सकता है। अल्टीमेटली सोशियलाइज़ेशन हो सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सरकार अनुभव करती है कि इन्फ्लेशन की स्टेज इस हद तक पहुँच गई है डिफ्लेशनरी मेजर्स लाने की आवश्यकता है ?

श्री मथुरादास माथुर : हम बराबर बैलेन्स रखने को कोशिश करते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपने क्या सोलिड डिफ्लेशनरी मेजर्स लिये वह जानना चाहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : डिफ्लेशनरी मेजर्स गवर्नमेंट बराबर लेती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपने मेजर्स नहीं लिए जो सीरियसली कहे जा सकते।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन श्री अशोक मेहता बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई थी....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वह तो आपकी रिवाइज़्ड पॉलिसी हैं; कल परसों उनको कुर्सी पर बैठाया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको बार बार कहा कि ३ करोड़ रुपये राजाओं को देते हैं, जागीरदारों को दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये भी राजस्थान में सीरियसली डिफ्लेशनरी मेजर्स चाहते हैं तो आप अपनी तनख्वाह कम करिये, जागीरदारों का मुआवजा छोटों को दीजिये, बड़ों को खत्म करिये, प्रिवीपर्स बंद करके ४—५ करोड़ रुपयों की बचत करिये। जब ये कहते हैं कि कानून बनाइये तो आप क्यों नहीं कानून बनाते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उनकी विचारधारा भिन्न है लेकिन सिद्धांत पर हम एक है, एक हैं इस बात के लिए कि डिफ्लेशन आवश्यक है, एसेन्शियल्स ऑफ़ लाइफ की प्राइसेज़ घटनी चाहिए। इसके लिए वे मेथड्स किस तरह से एडॉप्ट करें, यह उनकी विचारधारा के अनुसार एडॉप्ट करने का, उनको पूर्ण अधिकार है कहने का या एप्रोच का, उसके अनुसार डिफ्लेशन वे पैदा कर सकते हैं। हमारा विचार डिफरेन्ट है। हम यह कहते हैं कि ओवर एम्बीशियस प्लान को मोडिफाइ करिये, पब्लिक मनी जो वेस्ट होता है उसको कंट्रोल करिये लेकिन आप प्लानिंग के नाम से आंकड़े फॉरेस्ट ऑफ फिगर्स बताकर अपने कार्य को जस्टिफाइ करना चाहते हैं। आप इस तरह की चीज हमारे सामने आप रखना चाहते हैं जो वास्तविक रूप से एग्ज़िस्ट नहीं करती उसको हम कैसे मानें ?

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि यह प्लान एम्बिशियस है। दुनिया में जिस मुल्क की

(श्री मथुरादास माथुर)

पर-केपिटा इन्कम ५०० डॉलर से कम होतीहै वे मुल्क अंडर डेवलप्ड कहलाते हैं इन्टर-नेशनल वर्ल्ड में । हमारी पर कैपिटा इन्कम ५८०) रु. तक भी नहीं पहुंची है, इस पर भी आप कहते हैं कि हमारा प्लान एम्बिशियस है तो क्या आप हमको पॉवर्टी में रखना चाहते हैं ताकि हमारा सोशियल डेवलपमेंट न हो । हमारे प्लान का यह मोमेन्टम हैं । हमने जब प्लॉन शुरू किया था उस समय जो रुपया रखा था उससे अधिक दूसरे में, और उससे भी अधिक तीसरे फाइव ईयर प्लान में रखा और इन तीनों का जो टोटल इन्वेस्टमेंट था उससे भी अधिक इस फोर्थ प्लॉन में खर्चा करना पड़ेगा मुल्क के लिए यदि हम तरक्की चाहते हैं तो देश की तरक्की के लिए इतना खर्च करना पड़ेगा । यदि वे कहते हैं कि प्लान एम्बिशियस हैतो मैं अंबली सब्मिट करूंगा कि डिफ्लेशन मिटाना है तो गरीबों पर नहीं, अमीरों पर हैवी टेक्सेज़ होना चाहिए ।....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी बुनियाद पर एक-आध को उधर बेठा लेते हैं और सौदा कर लेते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : आपको भी जानते हैं । इधर बैठते थे उधर गये हैं। डिफ्लेश्नरी मेजर्स के लिए आप सुझाव दे रहे हैं वह भी सोचने लायक है वक्त आयगा तब उस पर भी विचार किया जायगा । आप कहते हैं डिफ्लेश्नरी मेजर्स के लिए हैवी टेक्सेज की बात करते हैं, पूंजीपतियों के लिए स्वतंत्र पार्टी के लोग हल्ला करते हैं उन पर हैवी टैक्स नहीं होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट की बात करते है तो मनि शोर्ट होता जा रहा है । इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जितना पैसा बढ़ रहा है उसको वापिस पम्प करके इन्वेस्ट करना होगा....

श्री रामानन्द अग्रवाल: जब वे भी कह रहे हैं तो उनका प्रिवी पर्स क्यों नहीं बन्द करते ?

श्री मथुरादास माथुर : हमारे बुजुर्गों ने उनको जो गारन्टी दी थी उसको हम तोड़ना नहीं चाहते । हम नालायक बेटे नहीं हैं तुम्हारी तरह जो जल्दी ही उनकी शर्तों को तोड़ दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनता से वायदा क्या किया था ?

श्री रामकिशन : मैं एक जानकारी योजना मंत्रीजी से लेना चाहता हूं । कृषि मंत्रीजी जिस दिन बोल रहे थे उस दिन सवाल उठाया था योजना के आंकड़े दिये, प्रगति मंदी है इसलिए उसका भावों पर असर है । दुनिया के सारे योजना मंत्री कहते हैं कि धन लगाया है इसलिए महंगाई बढ़ रही है । सन् १९५६ तक एसेन्शियल कमोडिटीज़ के भाव इतने नहीं बढ़ रहे थे । भावों में जो लगातार फर्क आ रहा है उसके बारे में आप लगातार यह बात कह कर सदन को भ्रम में नहीं डाल सकते ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा भी एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : जी नहीं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रगति की रफ्तार के साथ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री मथुरादास माथुर : इन लफ्ज़ों के साथ मैंने आपके सामने योजना के बारे में बताने की कोशिश की। मेरे खयाल से खुले दिमाग से सोचने वाले लोग जिन्होंने सुना है, समझा है वे नतीजे पर पहुंचेंगे कि राज्य सरकार बराबर तरक्की करती जा रही है। हो सकता है वे चाहते हैं जितनी तरक्की नहीं हुई है या मुल्क चाहता है उतनी तरक्की नहीं हुई है फिर भी देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है उसे अस्वीकार किया जाय।

राजा श्री मानसिंह (डीग) : Mr. Speaker, Sir, a general impression has been created by my friends across the floor that this no-confidence motion is a seasonal thing with the Opposition, assuming, of course, that there had been progress in the Country and all was right in the Province. We would have liked to share these sentiments and congratulate the Govemment, but in actual fact the picture is entirely different. We see that in no walk of life the people happy or satisfied.

Everywhere corruption is rampant. The Government and the Congress Party have themselves admitted to its vast propor tions by setting up Sadachar Samitis, the Vigilence Commissions and the Anticorruption departments. Even the Congress High Command has been convinced that corruption in the Country has assumed very high proportions, and that is why as a step they have ordered that in future all Ministers will have to declare thir ill-gotten assets, which is a disgrace on the party which has declared itself to be so-called democratic and aligned to the policy of socialistic pettern of society', which even the late Prime Minister could not define.

Our duty today is to try to voice the grievances of the people in the very slender hope that the government may amend themselves. No doubt, Sir, we would have liked to combine, as we did in Hanumangarh, to overthrow this corrupt and inefficient Government, but, unfortunately, that is not possible as the Congress Party, which after the last General Elections had no majority in the House at all, has little by li ttle increased its strength through back-door tactics and dirty politics and thereby added to moral corruption.

Whether we are ready today to form the government, or not as an hon. Member of the Cabinet pointed out, is not the question. It does not in any way mean that the Congress Government is not corrupt or inefficient. Whether we are ready today to form Goevrnment or not, does not mean that the people will have to go

(राजा श्री मानसिंह)

on tolerating this terribie yoke. If we are able to prove our charges against the Government of corruption and inefficiency, then it shall be the duty of the President to enforce Governor's rule and to hold fresh elections.

I feel, Sir, that the Congress Party and the government live by the famous sanskrit words 'अत्र कुशलम् तत्रास्तु' whereby they feel that since they are doing well, others must be doing well also. during the last War I was in England, and I assure you that the conditions in that Country, which had been turned into a battle-field were far better In 1939 to 1945 then they are in our Country after 17 years of Congress mis-rule and three five year plans.

I would certainly have liked to congratulate the Government on their working, if we had good administration, where officers are not transferred for purely political reasons but only on adminisrrative grounds, if we had good schools and colleges, if we had good hospital arrangements and roads, where we had good arrangements for the fair distribution of foodgrains and other essentials of life, where we had good arrangements during natural calamities like floods etc., and where proper arrangements are made for the defence of our Country, where a state of emergency still exists. Unfortunately, most people have forgotten that a state of emergency exists in our Country, and specially our Rajasthan Government. When none of these things is present, then we were forced to bring this no-confidence motion. No doubt the motion will drop, Sir, because of the majority of the Congress and their satellites; but the past record itself shows that congressmen themselves have badly exposed the Congress Government, and today if they do not support this motion, they will prove themselves as hypocrites. The Congress Party by hook and by crook has been in power during the last 17 years, but to day we see that it has become politically bankrupt and impotent. We see that they resort to every type of tactics to satisfy their every petty whim.

Regarding officers, Sir, some time ago a senior officer had only then been posted as Collector, Jalore, but because he did not put up with the mis-conduct of a Congress M.L.A. and some Netas in his office, thereby maintaining the prestige of the Government, was immediately transferred from there. A little later, another senior officer, who is a competent, I.A.S. officer now posted as Collector Kotah, and who has put in 20 years of honest service has been forced to tender his resignation because he could not tolerate the malpractices of the ruling party. Not only this but recently the former Pradesh Congress Committee President thought it impe-

(राजा श्री मानसिंह)

rative to go on hunger-strike and the former Speaker of this House thought it proper to indulge in dirty politics in order that they could both force the Government to transfer a senior officer, who was Colleector of Jhunljhunu. What was the result of al this? The Officer was transferred purely for political reasons. No enquiry was made in the first place in any of the allegations as such and no proof has been put up about these allegations. In my opinion, it all amounts to servne demoralisation of the services.

Some mention has been made about the recent Mahuva byeselection. I do not want to go into the details, but I hate to think of the fate of the B. D. O. of Mahuva, because the Congress last the election there. I know for a fact that he will be transferred, if he already has not been transferred, because he has made serious allegations against the Congress Pradhan there, which the Congress now wishes to suppress. This is what is happening to competent and efficient officers who do not submit to the Congress mis-rule. On the other hand, we find that incompetent and inefficient officers are given charge of important and favoured posts, including even technical departments, with the result that not only the administration is suffering but also the planned development of the Province is suffering.

What to mention the mal-administration and mis-management of the Police Department, Agriculture Department, Public Works Department, Irrigation Department, Education Department, Revenue Department, Industries Department, etc, etc., we only have to look at the working and failure of the Rajasthan State Electricity Board who have been unable to maintain their normal supply of electricity to the people, leaving aside their optimistic and bad planning for the future.

We have all seen that this State Government has gone against the declared policy of the Central Government with regard to Gur, by encouraging and conniving with smugglers to import gur into Rajasthan illegally. By doing so they have harmed the interests of the country as a whole. My statement, Sir, can easily be proved if the octroi records of the Municipal Boards are properly checked of the border towns and specially of Jaipur, where this illegal gur has all passed. I have been listening to the debate in the House today, and I feel that the Government has been sitting pretty about the corruption of the Government and its officers regarding the gur policy. On the other hand, if we see the exact figures of the number of cases being prosecuted, of the weight of the gur that has been seized

(राजा श्री मानसिंह)

from smugglers, or the number of cases in which action is being taken against Police officers, it would be a laughing matter.

Rajasthan, Sir, has always been known as a granary. But we are now being forced to face a falsely created grain shortage. No doubt, today there may be a shortage of foodgrains, but it only due to the failure of the Government, in not preventing hoarding and grain being smuggled out of Rajasthan. At the time of the harvest, the price of grain was fixed by the Govenmet and the farmers were forced to sell their produce at those fixed prices. Today, at the time of sowing, the farmer is again being compelled to pay black market rates of double or three times for purchasing grain for seed. Offcourse, the middleman has made huge profits at the cost of the farmer and the poor man. He is allowed to do this as he supports the Congress Party. I mention this as an example of the socialistic pattern of society which they preach.

Regarding the distribution of sugar, Sir, I would like to say a few words. The whole scheme is a disgrace. There is no equal distribution of sugar in the State. Urban and urban areas are differntiated, and urban and rural areas are differentiated. The per capita sugar ration given in Jaipur City is one kilogram per month, whereas in Bhartpur it is only half a kilogram; and in the rural arease it is one tenth of that of Jaipur City, i. e., 100 grams. I wonder if Bharatpur is getting less sugar than Jaipur become during the last three general elections not once has a Congressman been elected from there. I have noticed that only during the last two bye-elections which have taken place in Rajasthan, have the rural people of those Constituencies got their full share of sugar. It has been suggested to me that the so-called expert offiercs have presumed that rural people consume less sugar then the urban people and that is why less sugar is allotted to them. But I would like to ask the Government and their experts how they have presumed that the poorer people living in urban areas consume more sugar than their well-to-do bretheren living in the rural areas. I would also like to know whether the poorer people in the urban areas are able to afford this sugar that is allotted to them, or does it find its way to the black market.

These are only a few examples of the incompetence, inefficiency and mal-administration of the corrupt Congress Government. There is not much time left to me, Sir, to further explain in which way this Congress Govenment stands impeached, and therefore, finally I would like only to appeal to the whole House to join me in codemning this Government.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष, इस सदन में इस अविश्वास के प्रस्ताव को लेकर आज तीन दिन से चर्चा हो रही है। मैं एक रोज उपस्थित नहीं था इसलिये मुझे सुनने का अवसर नहीं मिला लेकिन कुछ माननीय सदस्यों का जो यह विचार था कि मैं इसलिये उपस्थित नहीं था कि जान बूझ कर सुनना नहीं चाहता यह गलत बात थी। अविश्वास के प्रस्ताव की तारीखें तय हुई थीं उससे पहले ही मैंने यह बात कह दी थी कि २८ तारीख को मैं यहां नहीं रहूंगा। इसलिये अगर आप चाहें तो २९,३० और ३१ को रख सकते हैं। इसलिये कोई सुनने और दूसरी बात का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

माननीय अध्यक्षजी, यह सदन जो कुछ यहां पर विचार करता है उसका उद्देश्य निश्चित तौर पर यह होना चाहिये और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसी बात को लक्ष्य में रखते हुए अपनी बात कहते होंगे कि जिससे राजस्थान का आगे विकास हो और राजस्थान की जनता आगे बढ़ सके और उसको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, और जैसा कि एफिशियेन्सी के बारे में कहा गया है और सदन में अविश्वास का प्रश्न रखा गया है और कहा गया है उस पर भी ज्यादा से ज्यादा अच्छा असर हो। इस सदन में जो कुछ भाषण हुए, मैंने शान्तिपूर्वक सुने और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे दिल पर एक गहरी चोट पहुंची है इस बात का असर हुआ कि क्या दर असल यहां बैठ कर इस पद पर बैठ कर काम करने की वजह से इन सारी बातों को जिस प्रकार से कही जाती है, यह सुनना आवश्यक है?

इस सदन में कहा गया कि सारी खराबियां जो कुछ राजस्थान में पैदा हो गई हैं वे कांग्रेस सरकार की वजह से हुई हैं। पब्लिक में ऐसी सब खराबियों के कारण असंतोष है और इसके अलावा और भी बहुत सी बातें व्यक्तिगत परिवार के बच्चे, रिश्तेदार और जितने दूर दूर के रिश्तेदारों के संबन्ध में होनी चाहिये, इस सदन में चर्चाएं की गई। माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में इस बहस के दौरान में कहा गया कि राजस्थान की जनता महंगाई की वजह से परेशान है, शासन की वजह से परेशान है। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं और सदन को कहना चाहता हूं कि जो मंहगाई है और जो कुछ लोगों के सामने तकलीफें हैं हम लोग इधर बैठे हैं उनको कोई खुशी होती हो या कोई तकलीफ लोगों को देना चाहते हैं या कोई ऐसी नीतियों को काम में लेना चाहते हों, ऐसी बात नहीं है। कीमतें आगे बढ़ीं, मैं समझता हूं कि जो सरकार चलावे उसको पता नहीं हो यह नहीं हो सकता आज इन्फ्लेशन है, मंहगाई बढ़ी है और लोगों के लिये वह मुश्किल पैदा कर रही है। यह सच्ची बात है। अभी चर्चा हो रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चल रहा है। मानीनय सभी सदस्य जानते हैं कि मंहगाई का सबसे बड़ा कारण लोगों के पास बढ़ी हुई आबादी और लोगों के पास बढ़े हुए धन के कारण है और हमारा प्रोडक्शन जिस तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस अनुपात से नहीं बढ़ा और खास कर खाद्यान्नों के उत्पादन में। इसलिये यह समस्या आई। इसलिये यह कह कर नहीं चला जा सकता कि पहले से पहले इस पर सोच समझ कर नहीं चला गया। पंच वर्षीय योजना के बाद हमारा प्रोडक्शन कितना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

होना चाहिये यह कोई भी नहीं कह सकता। क्योंकि मौसम की खराबियों के वजह से या और किसी कारण से जो लक्ष्य हम पूरा करना चाहते हैं उनमें रुकावटें आई, इसको पहले नहीं जान सकते और इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि आज प्रोडक्शन के संबन्ध में कोई भी व्यक्ति या एक्सपर्ट से एक्सपर्ट दुनिया भर का, अगर यह कह कर चलता है कि २५ वर्षों के लिये प्लान बनाया उसमें कोई परिवर्तन करना नहीं पड़े, ऐसा नहीं हो पाता है। अगर किसी शासन में ऐसा हो जाता है तो मैं समझता हूं कि वह शासन ह्यूमन बीइंग्ज़ का शासन नहीं रहता, वह बहुत ही ऊंचा शासन होगा जिसमें गल्तियें नहीं हों। आदमी तो जितना अच्छा रिज़ल्ट पैदा कर सकता है उस पर विचार करके अपना निर्णय करता है। आज इस बात को सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में डेमोक्रेसी है। जहां हम एक योजना के द्वारा हम आर्थिक और सामाजिक योजना बना कर चलते हैं। जहां हमें पग पग पर मुसीबत उठानी पड़ती है। इस सम्बन्ध में आप चाहें रूस को ले, चाहे चीन को लें या किसी दूसरे कॉम्युनिस्ट कन्ट्रीज़ को भी ले लीजिये वहां पर भी और डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज हैं उनमें सबों में वहां के एक्सपर्टों द्वारा इस दिशा में विचार किया जाता है कि देश का उत्पादन किस तरह से ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इस बात की चर्चा होती है। मगर हमारे यहां पर जब सरकारी कर्मचारी और कुछ कांग्रेस के और राज्य के लोग उत्पादन की बात करते हैं तो दूसरे लोग लगातार जनता में इस बात को कह कर कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, जनता में एक निराशा और भय पैदा करने की बात करते हैं। आप राजनैतिक बात को जाने दीजिये, कौन पॉवर में आता है और कौन पार्टी पॉवर में नहीं आती है, मैं इस बात को गौण मानता हूं। आप इस बात को सोचें कि जनतन्त्र में, देश के विकास के लिये हमें किस तरह से जनता को ले जाना चाहिये और उससे किस तरह के परिणाम निकलता है। मैं यहां बैठता हूं या नहीं बैठता हूं, कौन यहां बैठता है, यह प्रश्न गौण है। प्रश्न मुख्य यह है कि उससे देश आगे बढ़ता है या नहीं? आज हम कितने ही विरोधाभास से काम करते है। यह सही कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का प्रश्न आया, माननीय अध्यक्षजी, मैं यह भी जानता हूं कि पिछला साल भर जरा मुश्किल से राजस्थान के अन्दर निकला है, साल भर ही नही जुलाई-अगस्त से ही राजस्थान की हालत खराब रही सारे नहीं तो काफी लम्बे इलाके में अकाल पड़ जाने से अगस्त में तो रिलीफ वर्क कई जगह शुरू कर दिया। तो इस सवा साल के अर्से के में जहां राजस्थान में आधी से ज्यादा जगह अकाल पडा, उन लोगों को रोजगार देने की बात थी, अन्न की समस्या को सम्हाल कर चलने की बात थी, हमने उस काम को चालू रखा इस सम्बन्ध में मैं कोई बड़ी बात न कहूं तब भी इतना कह कर चलूं तो गैर वाजिब नहीं होगा कि कांग्रेस की सरकार ने इस संकट के मौके पर राजस्थान के एक भी व्यक्ति को भूख से मरने का मौका नहीं दिया और राजस्थान की सेवा की। पुराने जमाने के राजाओं को अच्छा कहा जाता है। मैं आपके सामने फेमीन के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, एक्स्ट्रेक्ट को पढ़ कर सुनाता हूं, जो आज की नहीं ५०, ६०

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

साल पहले का नहीं बल्कि करीब १०० साल पहले का उदाहरण देना चाहता हूं, जिससे पता चलेगा कि मनुष्य की कीमत उस जमाने में क्या थी। राजस्थान के बारे में ही देना चाहता हूं। एक इन्क्वायरी कमीशन था ब्रुक का, उसने लिखा है–

"The death toll of the famine was estimated by the Enquiry Commissioner, Colonel Brook, at somewhere between one third and one quarter of the entire population."

बाद में उन्होंने लिखा है–

"Bikaner and Marwar lost one third of their population, while Ajmer suffered 1,05,000 deaths or 25 per-cent. of the total population of the district."

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि आप हमें चाहे कंसराज कहिये, चाहे इसे रावण का राज कहिये लेकिन मैं यह समझता हूं और इसके साथ ही साथ उस बात को अनुभव करने की बात है कि इस देश के अन्दर, राजस्थान के अन्दर पहले जमाने से परिवर्तन हुआ है या नहीं। कल जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य वी.टी. कृष्णमाचारी के भाषण के एक्स्ट्रेक्ट को पढ़कर सदन में सुनाया, आज भाषण इस प्रकार से किये जाते हैं कि जितना ब्लेक मार्केटिंग, होडर्गि, स्मग्लिं, करप्शन है वह सब कांग्रेस के राज्य में हुआ है, उन्होंने उस भाषण के एक अंश को पढ़ा, पर दूसरे अंश को पढ़कर नहीं सुनाया, उसी भाषण का दूसरा अंश मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :पेज ४६।

श्री मथुरादास माथुर (विधि . मंत्री) : Don't mis-lead.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसमें उन्होंने कहा है—

"There is another problem to which reference has to be made here. Influential merchants are involved in it. There was smuggling of cloth which the population of the State wants badly. The cloth was smuggled out under different prescriptions on a very large scale. This took place inspite of precautions taken. We are investigating the case carefully, but I may tell you that for one case that is detected there may be five, six or seven that go undetected. It gives you some idea of the immensity of the black-marketing, and I can see no other way of dealing with it except that I should ask all of you to arouse public opinion against it."

मैंने इसलिये यह निवेदन किया कि आज ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग होर्डिंग होता है, जो कुछ होता है उन सारी बातों को जोड़कर यह समझा जाता है कि यह सब इस सरकार की वजह से हो रहा है। मैं निवेदन करूं कि राजस्थान के अन्दर भी कीमतें बढ़ी हैं, देश के अन्दर भी कीमतें बढ़ी हैं, पिछले वर्षों में,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पिछले साल में हमारे फूड मिनिस्टर की तरफ से इस सदन में बताया गया है कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में राजस्थान की स्थिति क्या रही? मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उस बैक ग्राउन्ड में समझें कि जहां अकाल था, गेहूं की फसल कम हुई। इन सारी परि-स्थितियों में जैसी फूड सिच्युएशन थी, हमारे पड़ोसी यू० पी० और दूसरे प्रान्तों को भी देखें। सबने प्रयत्न किये, हमने भी, जो कुछ प्रयत्न कर सकते थे, किये। आज देश के सामने गम्भीर सवाल है और इस सदन को भी गम्भीरता के साथ सोच कर निर्णय करना होगा। आज यह देश आने वाले १०–१२ सालों के अन्दर एक क्रूशियल पीरियड में से गुजरने वाला है। आप मुझे प्रोलांग करें न करें पर मैं निश्चित रूप से मान कर चलता हूं, हर देश के सामने ऐसे पीरियड आये हैं। भारत वर्ष आने वाले पीरियड में सर्वाइव करता है या क्या करता है, ऐसा आने वाले १० सालों में चैलेंज आने वाला है। इन दस सालों में चैलेंज की बात को लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से यह मान कर चलना चाहिए कि वोट मांगने की दृष्टि से जनमत इधर-उधर करने का यदि प्रयत्न किया गया तो उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं होने वाला है, देश आगे नहीं बढ़ने वाला है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए जबरदस्त भार डालने जा रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो हम यहां बैठे हैं, जनता पर जितना कम वज़न पड़ सकता है, वह डालना चाहते हैं। राजस्थान नहर में आने वाले दस सालों में और फर्स्ट और सैकन्ड फ़ेज़ को हो पूरा किया जाय तो ५०० करोड़ रुपयों की आवश्यकता पौंग डैम और कोलोनाइज़ेशन को पूरा करने के लिये पड़ेगी। राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, रीपेमेंट ५ साल बाद हो जाता है, राजस्थान की इकोनोमी में, वह चुकाने की हालत नहीं होगी। राजस्थान के ऊपर ही यह सब बोझा डाल कर चलते हैं तो राजस्थान की प्रगति को ब्रेक कर देंगे। नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में अलग अलग तरीकों से इस सवाल को उठाया। पिछली बार जब भारतवर्ष के वित्त मन्त्री भाखरा-नांगल और जैसलमेर गये तो इस बात पर स्पष्ट बात चीत हो गई कि राजस्थान नहर का काम न सिर्फ चौथी पंच वर्षीय योजना के लिए ही बल्कि इससे अगले वर्षों के लिए भी भारत सरकार अपने पास ले ले इसकी पूरी जिम्मेवारी भारत सरकार उठा ले। ताकि अगले साल इन्ट्रेस्ट ड्यू होने वाला है, कहा जायगा कि ५ साल हो गये अब इन्ट्रेस्ट चुकाया जाय तो तो एक मुश्किल सवाल राजस्थान के सामने आयेगा। इसी तरह कोलोनाइज़ेशन का, वाटर जल्दी से जल्दी यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो एक बड़ा काम जिससे राजस्थान की फ्यूचर इकोनोमी बनती है, उसके लिए प्रयत्न किये गए हैं। घग्घर के फ्लड के बारे में, उसके वाटर यूटिलाइज़ेशन के बारे में कहा गया, मैं भी चाहता हूं कि ओवर नाइट चेंज हो जाय, पर इन सबके लिये साधनों की आवश्यकता है। रेगिस्तान में जायें तो मीलों तक पाते हैं कि पीने का पानी तक नहीं, दरख्त नहीं, रहने को गुंजायश नहीं, आज इन हालात को बदल कर चलना है, इसमें एक वर्ष नहीं दो वर्ष नहीं, वर्षों

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लगेंगे। इसलिये मैंने तो डेवलपमेंट कौंसिल में कहा कि डेजर्ट इम्प्रूवमेन्ट, डेजर्ट डेवेलपमेंट का काम सैंट्रल गवर्नमेन्ट अपने हाथ में लेकर अपनी रेंस्पोन्सिबिलिटी में चलाये क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इतने बड़े काम को नहीं कर सकती। करोड़ों एकड़ के डेज़र्ट को डेवलप करने का काम किसी भी स्टेट के बूते का काम नहीं।

हम यह भी मान कर चलते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना के रिसोर्सेज़ के लिए स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जो हमारी केपेसिटी है, फाइनेन्स कमिशन दे, जो कुछ लैंड रेवेन्यू द्वारा या और तरीकों से जो कुछ हमारी कैपेसिटी है, जिस तरह के रिसोर्सेज़ दूसरी स्टेट्स रेज करती है, राजस्थान में हम उनसे पीछे नहीं रहेंगे। फिर अगर हमारी केपेसिटी कम है तो मिनिमम लेवल तक राजस्थान को पहुँचाना चाहिये, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेन्ट से जो मदद मिलनी चाहिए उसके लिए हम अपेक्षा करके चलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी मदद करनी चाहिये।

(४.०० म: प.)

हमने इस बात को भी कहा। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें तीसरी योजना में क्या मिला? मैं नहीं चाहता कि इस वाद-विवाद के अन्दर पड़ूं लेकिन मेहरबानी करके आप सब आंकड़ों को समझते हैं, आप इस बात को देख कर चलें कि राजस्थान स्टेट के रिसोर्सेज़ जितने हमने प्लान में लगाए हैं और सैंट्रल गवर्नमेंट के जितने रिसोर्सेज़ हमें मिले, जो प्रोपोर्शन राजस्थान का है, किसी दूसरी स्टेट का है? १५६ करोड़ रुपये जब हमने प्लान बनाया, सैंट्रल गवर्नमेंट से असिस्टेंस थी और ८० करोड़ रुपए हम अपने रिसोर्सेज़ से रेज करना चाहते थे। आज १५६ करोड़ जो डिफेंस की वजह से, चाइनीज़ एग्रेशन की वजह से दो-चार करोड़ कम हैं उन सेंट्रल रिसोर्सेज़ को छोड़ कर, अपने रिसोर्सेज़ पूरे लगाएंगे; बल्कि राजस्थान कैनाल और ट्यूब वैल्स की वजह से और कुछ प्रोग्राम की वजह से हम और राजस्थान के अन्दर ले लें लेकिन हमारे रिसोर्सेज़ कम्पैरेटिवली जो लगने चाहिएं, हमारी कन्डीशन्स की वजह से, मुश्किलों की वजह से उतने रिसोर्सेज़ रेज नहीं कर पाते हैं। सैंटर की तरफ से जो राजस्थान को मैक्ज़ीमम मदद मिल सकती है उसके बारे में हम बराबर प्रगतिशील रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): सेंटर से ले लिया और टैक्सेज़ का टार्गेट था उसके बाद में क्या बचता है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: यह सही है। सवाल इस बात का है कि टैक्सेशन कर लेने के बाद जो पिछले कमिटमेंट्स थे, जो ओवर ड्राफ्ट्स हो गए जो रीपेमेंट्स ज्यादा होने के बाद आई है और जो केपीटल सेल आफ लैंड और बेटरमेंट लेवी के जरिए जो हमने असेट्स गिने कि हमारे इतने असेटस होंगे उसमें गैप पड़ा है। मैं टोटल ८० करोड़ की बात कह रहा हूं। केपीटल असेट्स के अन्दर फर्क पड़ा है। रेवेन्यू टैक्सेशन के पॉइन्ट ऑफ व्यू से सही है। तो इन एफर्ट्स की वजह से मोरल इफेक्ट हुआ है, हम जितना अपनी तरफ से कर सकते थे वह किया

Page No. 106

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है। मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि जहां २२,५०० करोड़ की योजना की कल्पना की जाती है उस प्लान का प्रोडक्शन उस मात्रा के अन्दर न बढ़े तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होने की बात आती है। इसलिए पिछली नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में इस बात को स्पष्टतया घोषित कर दिया गया है कि चौथी योजना के अन्दर डेफीसिट फाइनेन्यिल न होगा। यह बहुत बड़ा कदम है और निश्चित तौर से इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है उसकी शुरुआत पहले घोषित की गई है।

इस बात की काफी संभावना मानकर चलना चाहते हैं कि चौथी योजना में इन्फ्लेशन दूर हो सकता है। तो इस समय के अन्दर इन एसेन्शियल कमोडिटीज़ के मामले में स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल्स और फाइनेन्शियल डिसिप्लिन को मानकर चलना होगा। हम जब बहुत बड़ी योजना को हाथ में लेना चाहते हैं तो उन उन योजनाओं के बाद चाहे फूडग्रेन्स का सवाल हो, चाहे कपड़े का, चाहे कैरोसिन का, चाहे माचिस का या शुगर का, जितनी भी दैनिक वस्तुएं हैं उनके इन्फ्लेशन को कैसे रोक सकते हैं? उनके लिए कन्ट्रोल्स की आवश्यकता पड़ सकती है लेकिन जिस वक्त प्रश्न खड़ा होगा उस वक्त कहा जा सकेगा। सवाल यह है कि आया हम अपने देश की पर कैपिटा इन्कम, हमारी गरीबी को आगे बढ़ाएं या क्या? आज जमीन पर इतना वजन है उस वजन को हटाने के लिए नए नए, कल कारखाने शुरू करके ज्यादा से ज्यादा तरीकों से काम कर लिया जाय। हम यहां एक ऐसी बैकवर्ड इकानौमी को मानकर चलें जिसके अन्दर घाटे के रिसोर्सेज़ हैं। या हम तय करें कि चौथी योजना में राजस्थान में कुछ नहीं करना है और ५ वर्ष आराम करने का समय है तो कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन निश्चित तौर से उस नीति में विश्वास न करने की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने में मुश्किलें आती हैं, लोगों में नाराजगी पैदा होती है, मैं उसको बरदाश्त नहीं करूंगा। मैं उनकी नाराजगी की वजह से इस पद को फौरन छोड़ना पसंद करूंगा लेकिन राजस्थान की इकोनौमी को धक्का पहुंचे उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा।

आज टेक्सेशन रिसोर्सेज़ या दूसरी चीजों की बात से हम झिझक कर चलें या अपनी जिम्मेवारियों से हटें तो ठीक नहीं। राजस्थान का भविष्य बनाना है या नहीं, यह हरेक सदस्य की जिम्मेवारी है। फूडग्रेन्स के बारे में सब जानते हैं कि इस नीति को स्पष्ट तौरसे घोषित कियागया है। सबकी स्पष्ट तौर से राय है कि फूडग्रेन्स के मामले में सरकार की पोज़ीशन एक कमांडिंग बननी चाहिए। उसका मतलब यह है कि सरकार के पास बफर स्टॉक्स अवेलेबल होने चाहिए, न सिर्फ फॉरेन इम्पोर्टेड चीज के, बल्कि इन्डीजीनस प्रोडक्ट्स के भी। जब हमारे पास स्टॉक होगा तभी ज्यादा से ज्यादा फूडग्रेन्स के प्राइसेज को कन्ट्रोल करने के अंदर सफल हो सकते हैं। इसलिए किसी को कोर्स ग्रेन एक्सपोर्ट करना होगा तो उस पर ५० पर्सेन्ट एक्सपोर्ट लेवी के तौर पर शुरूआत की है। आवश्यक हुआ तो और कदम भी उठा सकते हैं जिसकी वजह से स्टॉक्स इकट्ठा कर सकें और हमारे पास आवश्यकता से अधिक स्टॉक्स हों

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तो सरकार वक्त आने पर दूसरी स्टेट्स को दे सकती है जिससे कि...

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : Is it 50 per cent or 25 per cent ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : 25 per cent of the total stocts:

बाहर जो एक्सपोर्ट करेगा यहां से उसका ५०:५०। टोटल स्टाक का २५ पर्सेंट जो यहां से एक्सपोर्ट करेगा याने १०० टन यदि किसी के पास हैं then he has to sell 100 tons to the Government.

That is the correct inerpretation. तो मैंने कहा कि इसकी वजह से हम लोगों को पोजीशन कन्ट्रोल करने में कुछ सुभीता पैदा होता है। सारे देश के सामने यह गंभीर सवाल है इस अन्न....

श्री भैरोंसिंह : वेरिएशन्स को दूर करें। खाद्यमंत्री ने १।४ के लिए कहा था, आप बराबर के लिए कह रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मतभेद कुछ नहीं है। किसी आदमी के पास १०० मन स्टॉक है। वह २५ मन बाहर भेजना चाहता है, ज्यादा नहीं भेजना चाहे तो २५ मन ही जमा करा ले और ५० मन मंडी में बेचना पड़ेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यहां अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया और इस प्रकार की चर्चा की गई कि हनुमानगढ़ का चुनाव हुआ उस चुनाव में सरकारी दबाव की वजह से और दूसरे कारणों से हनुमानगढ़ चुनाव के अंदर कांग्रेस सफल हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को भी शांति के साथ इस पर विचार करना चाहिए। तीन उपचुनाव पिछले दिनों हुए, एक महुआ में, जिसमें कांग्रेस हारी और उस पर विरोधी पक्ष के नेता ने कहा कि हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अब नहीं कहा, पहले कहा था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके बाद भीलवाड़ा में उपचुनाव हुआ, हमने कुछ नहीं कहा, उसके बाद तीसरा उपचुनाव हनुमानगढ़ में हुआ, तब भी हम कुछ नहीं कहना चाहते, इस प्रकार के शब्द नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो महत्वपूर्ण बात इन तीनों चुनावों में सामने आई वह यह है कि जब जनरल इलेक्शन हुआ था उस वक्त महंगाई के प्रश्न सामने नहीं थे, उससे ज्यादा मुश्किल सवाल हमारे सामने तीनों उपचुनावों के अंदर थे। इन मुश्किल सवालों के होते हुए भी जो महुआ के चुनाव में, जहां हम हारे तो सही लेकिन जनरल इलेक्शन के अंदर जहां हम लोगों को १९६२ के चुनाव में कुल मिलाकर २८ पर्सेंट वोट जनता ने दिए थे उसके बजाय १९६४ में जो चुनाव हुआ वह २८ पर्सेंट से बढ़कर ४५ पर्सेंट हो गया।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपने पैसा कितना खर्च किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसी तरह से कुछ दिनों पहले भीलवाड़ा का चुनाव हुआ। उसमें पिछले टाइम जहां हम लोगों को ४६.२४ परसेन्ट वोट्स मिले थे वहां उसी भीलवाड़ा की कॉन्स्टीटुएन्सी में १६६४ के अन्दर जो चुनाव हुए ६४ पर्सेन्ट वोट्स हमें मिले।

श्री रामकिशन (वैर) : उम्मीदवार कितने कितने थे? आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, बहकाने की कोशिश न करो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आंकड़ों की बात कर रहा हूं। बहका कहां रहा हूं? आप सब समझदार आदमी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गहरी नींद में हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं सब समझदार आदमियों के सामने कह रहा हूं। बहकाने की बात कहां कह रहा हूं?

माननीय अध्यक्षजी, मैंने इस बात को इसलिए रखा कि देश भर में पहले जब कहीं जीत जाते थे, चाहे डा० लोहिया का चुनाव हुआ हो और वे जीते हों और कोई दूसरी जीत हो, पार्लियामेन्ट के उप चुनाव में जीते थे तो पार्टीज़ इस प्रकार का प्रस्ताव पास करने लगी थी और पं० जवाहर लालजी से कहने लगी थी कि जनता ने जिता दिया है, विश्वास कर लिया है इसलिए इस्तीफा दे दीजिये, राजस्थान के उप चुनाव में हम जीत गये और प्रेस्टिज बढ़ी तो दूसरे जीत में जहां सरकार का इस्तीफा लिखा रहे थे कम से कम यह मान कर तो चलते कि जनता का ज्यादा विश्वास प्राप्त हो गया है इसलिए अविश्वास का प्रस्ताव न लायें।

आप और हम जो भी हैं कुल मिला कर आज के दिन जनता के मत पर जनता के सामने जो प्रश्न आते हैं उन पर ही कामयाब होते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्षजी, भाषणों के दौरान में यह बात भी कही गई कि चुनाव के दौर में एक बार फूड ग्रेन लाइसेन्सिंग एक्ट का एक क्लाज़ भी हटा दिया, दूसरी बार दूसरा कर दिया, अमुक पॉलिसीज़ में परिवर्तन किया, मैं समझता हूं, यह मान कर चलना चाहिये कि जो सरकार यहां पर है, अगर उसकी नीति की वजह से या और किसी वजह से····

श्री भैरोंसिंह : वह हट रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर आज हम किसी वजह से नीतियों में परिवर्तन करना भी चाहें तो इस सरकार को पूरा हक है। इसमें विरोधी दल हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि नीति ऐसी रखिये कि जिससे लोगों में असंतोष पैदा हो और वोट हमें लेने दीजिये।

(विराम)

इस बात का परिवर्तन करने का हक हमें है कि परिवर्तन कर सकें। जो भी हमने मौके पर कदम उठाये वे वोटों की दृष्टि से नहीं, परिस्थितियों की आवश्यकता को देखते हुए हमने अपनी तरफ से कदम उठाये, उन हालात में फर्क पड़ सके।

मैं, माननीय अध्यक्षजी, निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस की रीति नीति और दूसरे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

प्रश्नों के बारे में। हनुमानगढ़ में हम लोग गये, काफी यहां कहा गया, काफी गांवों में हम घूमे हैं, कोई इनकार कर सकता कि जब गांवों में पहुंचते हैं तो कांग्रेस से नाराजगी वाली बात कितनी होती थी, मांग की कि पानी पहुंचा या नहीं, नहरें बनी या नहीं, विरोधी पार्टियां फायदा उठाती थीं, हम गांवों में पहुंचते तो यह बात आती थी कि हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंचा है, अगर सरकारी कर्मचारियों की वजह से नाराजगी पैदा होती है और कोई क़दम नहीं उठाये तो लोग यह कहें कि कदम नहीं उठाना चाहिये और नाराजगी आपके खिलाफ रही है तो उसको रहने देने के लिए गुन्जाइश रहनी देनी चाहिए....

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी मशीनरी का चुनाव में खुल कर उपयोग किया जाय?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह नहीं कहता। मैं आपसे यह कहता हूं कि निश्चित तौर से कहीं भी इस बात का सवाल खड़ा होता, जैसे मकासर गया, मेरे सामने कहा गया कि पानी नहीं पहुंचा है। मैंने इन्जीनियर से आकर कहा कि मकासर में पानी नहीं पहुंच रहा है तो उसको देखा जावे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आज भी नहीं पहुंच रहा है। आपके आर्डर से मोगे तोड़ दिये गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे आर्डर से तोड़े गये या नहीं, यह मुझे पता नहीं। कोई आर्डर मोगे तोड़ने के लिए नहीं दिया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, डिप्टी मिनिस्टर ने आर्डर दिये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह सरासर गलत है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये कहते हैं तो वे इसकी जांच करायें। पीलीबंगा में पानी चल रहा है और मकासर के मोगे बन्द हैं।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्री ने बात कही कि सरकारी मशीनरी का चुनाव में दुरुपयोग करने का हक है, इससे बड़ा कन्डेम्नेशन डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता कि जो मुख्य मंत्री अपने मुंह से यह कहे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं कहता हूं उसको ट्विस्ट करने की बात न कहें। मैंने यह कहा कि सरकारी कर्मचारियों की वजह से कहीं दिक्कत हो, तकलीफ हो तो इस गवर्नमेंट का काम है कि उसको निश्चित रूप से दूर करें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : गवर्नमेंट का काम है, हम मानते हैं लेकिन चुनावों के मौके पर सरकारी अधिकारियों का इस प्रकार जाना, उनका उपयोग करना और तकलीफों को देखकर दूर करने की बात उस

(श्री मुरलीधर व्यास)

समय ही क्यों आती है ? आपने यहां जो गवर्नर हैं, यू० पी० में जितने बाई-इलेक्शन हुए हैं, ये कभी भी इलेक्शन में नहीं जाते थे। गवर्नमेंट उनकी थी फिर भी वे जाने की आवश्यकता नहीं समझते थे। आज हमारे मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सारे का सारा मन्त्रि–मंडल वहां चला जाय, सारे कर्मचारियों को वहां ले जायें और कहें कि लोगों को दिक्कतों को दूर करने के लिए गये, यह तो केवल चुनाव जीतने के हथकन्डे थे। इस प्रकार चुनाव जीतते हैं।

श्री **मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : हमें हक है। आप उस समय नहीं थे।

श्री **मुरलीधर व्यास** : इसी पर तो चुनाव जीता है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : सरकारी अधिकारी कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको देखने का मौका चुनाव ही होता है।

श्री **बालकृष्ण कौल** (वित्तमन्त्री) : सरकारी हुकूमत में सब कुछ हो सकता है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : सरकारी कर्मचारी काम करते हैं या नहीं करते हैं यह देखने का मौका आपको चुनाव में मिलता है, आगे पीछे नहीं मिलता ?

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : मैंने आप से कहा कि चुनाव के पहले भी मिलता है और उस मौके पर किसी का वर्क करते हैं, तकलीफ है तो उसको दूर करने का कर्त्तव्य होता है। माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि रायसिंहनगर में बेदखली के आर्डर हो जाते है और मेरे पास आते हैं,स्टे आर्डर लेकर जाते है।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : आपका ऑर्डर आपके अधिकारी नहीं मानते और उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं यह भी कहता हूँ कि आपके ऑर्डर को कलेक्टर ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आप ऑर्डर देते हैं, आपका डिप्टी डाइरेक्टर नहीं मानता, आपका कलेक्टर नहीं मानता शायद आपने उनको आपसे ज्यादा शक्ति दे रखी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : मैंने आप से निवेदन किया कि चुनाव के दौरान में बहुत सी बातें सामने आती हैं और उन चुनावों के परिणाम से मैं इस बात को भी अच्छी तरह समझ सकता हूं कि खास तौर से हनुमानगढ़ के चुनाव में जो हार हुई उसके बाद यह एक निश्चित रूप से माना जा सकता था कि अविश्वास का प्रस्ताव यहां लाने वाली बात होगी। हनुमानगढ़ के चुनाव में यह बात कहूं तो माननीय सदस्य बुरा नहीं मानेंगे कि मैं जिस बात की कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा अवसर भी आयेगा कि जब कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग अपने अपने धीरे धीरे झंडे उतार कर किसी तरह स्वतन्त्र पार्टी और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दूसरी पार्टीज़ का सहयोग प्राप्त हो उसके लिए भी तैयार करेंगे . . . .

(राज्य पक्ष द्वारा हियर हियर)

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : बिलकुल गलत है। हाउस को गलत तथ्य बताए गये हैं। एक इन्डिपेन्डेन्ट आदमी था उसकी मदद के लिए हमारी अपनी पार्टी के लोग भी गए थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जंगल में कोई डाकू आते हैं, कांग्रेस के डाकुओं का मुकाबला करने के लिए गांव के लोगों के साथ साथ राहगीर भी मिल जाते हैं।

(विपक्ष द्वारा हीयर हीयर)

श्री मुरलीधर व्यास : उसका समर्थन करने के लिए कम्यूनिस्ट पार्टी गयी तो क्या वह कम्यूनिस्ट पार्टी से खड़ा हुआ है ऐसा गवर्नमेंट के रिकार्ड में है क्या ? सदन को गुमराह करना है यह कह कर। गवर्नमेंट के पास कोई रिकार्ड हो तो पेश करें, गलतफहमी क्यों पैदा करते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस जगह की चर्चा कर रहा हूं। पहले लाल झंडा लगा था उसको उतारने की आवश्यकता क्यों पड़ गई ?

मेरे सामने सांगरिया में उतरते देखा, और जगह की बात जाने दीजिए....

श्री हरिराम चौहान : लाल झंड़ा तो आप जहां गये पुलिस लेकर गये। ७०० आदमी पुलिस के लेकर गये। वहां लाल झंडे के लिए कहा कि एक गांव के अन्दर लाल झण्डा क्यों लगा हुआ है और आप के कहने के बावजूद भी लाल झण्डा नहीं उतरा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : हनुमानगढ़ की चर्चा माननीय सदस्यों को अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं उस चर्चा में नहीं पड़ता और मैं इस बात पर आता हूं कि इस सदन में जैसा मैंने शुरू में कहा कि इस अविश्वास के प्रस्ताव के मौके पर खास तौर से बहुत सी बातें कही गई, आक्षेप भी काफी लगाने की बातें की गई। मैं चाहता हूं कि जहां तक हो उनके बारे में न पड़ना पड़े तो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन इस सदन के अन्दर खास तौर से मैं समझता हूं कि मकसद भी मिलाजुला कर यही था कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा उपस्थित किया जाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मेरे और रिश्तेदारों का सवाल है कायदे कानून से जो रिश्तेदार हैं उनके विपरीत कभी भी कार्यवाही हो,उसके बारे में कार्यवाही करने के लिए मैंने कभी किसी को नहीं रोका और न रोकने का सवाल आता है। जो भी कानून है उनके खिलाफ कार्यवाही हो यदि वे गलती पर हों तो और मैं कहीं पर भी उसके बारे में पिक्चर में नहीं आता और मैं किसी को कहूं कि यह होना चाहिए या नहीं यह प्रश्न नहीं आता और साथ ही वह एक सिटीज़न हैं राजस्थान के और उनका हक इसलिए भी समाप्त नहीं हो जाता कि क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाता हूं इसलिए दूर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दूर के भी कोई भी रिश्तेदार हों उन सबके असेट्स और दूसरी चीजों के बारे में मुझे यहां खड़े होकर यह एक्सप्लेनेशन देने की बात आये....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा वाँइड स्टेटमेंट देकर मुख्यमंत्रीजी इधर उधर होने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने जो कहा है इन इन्डोविजुअल केसेज़ को एक्सप्लेन कीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे लिए, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस बात को कहा गया और मैं पिछली बार भी उसके बारे में कह चुका था कि जो जमीन उदयपुर के अन्दर ली गई है उसके बारे में सदन के अन्दर, सदन के बाहर लाखों रुपयों की वह जमीन है और कभी १० लाख रुपये और कहीं न मालूम कितने रुपये की उसको बताया गया। उसके बारे में लम्बी-चौड़ी बात को चलाकर सब जगह कहने का प्रयास किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सौभाग्य से जो जमीन है अगर कोई और बात होती तो उसको एक्सप्लेन करने में भी दिक्कत हो सकती है लेकिन जमीन के बारे में जिस जमीन को मैंने लिया इस विधान सभा में भी इसके बारे में बात चली और सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि करीब १३॥ बीघा के आस-पास इसका मतलब ८ एकड़ के आस-पास वह कुल लेकर रकबा होता है। उस जमीन की कुल कीमत....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : श्री नाथूरामजी ने कहा था कि ८ बीघा जमीन है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे जो भी बात कहते हों, लेकिन आप पहले मेरी बात तो सुनिये....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा यदि ८ बीघा से ज्यादा हुई तो....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आप तो २१ एकड़ बता रहे थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इनसे इस्तीफा दिलवाइये। इससे पहले कि सदन की कार्यवाही आगे चले, माननीय मंत्री महोदय से इस्तीफा दिलवाइये क्योंकि इन्होंने कहा था कि यदि ८ बीघा से ज्यादा हो तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस्तीफा देने की बात कही कि ८ बीघा से एक बिस्वा भी ज्यादा हो गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने कहा था कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने हाउस में कबूल किया था कि १३॥ बीघा है और उन्होंने कहा कि ८ बीघा से ज्यादा हो गयी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों नहीं ये इस्तीफा देकर बाहर जाते ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने यह कहा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने हाउस में कुबूल कर लिया कि मेरी जमीन १३॥ बीघा है और आपने (श्री नाथूराम मिर्धा) कहा कि ८ बीघा से ज्यादा नहीं है और साथ ही यह भी कहा था कि मैं ५ दिन पहले हो जाकर आया हूं।

Page No. 113

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी जमीन की जानकारी मुझे अधिक है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी इसलिए वह अभी इसी समय इस्तीफा दें क्योंकि मुख्य मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि १३॥ बीघा जमीन है।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री मानिकचंद सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक प्रिविलेज़ मोशन पेश करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : इस पर अभी बहस हुई थी....

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रिविलेज़ मोशन पेश करना चाहता हूं। एक प्रिविलेज का मोशन आपके यहाँ पेन्डिंग है जिसमें बजट के लीकेज का मामला है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले लिखकर दे दें। सदन का समय नहीं है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : सदन का समय बहुत कम है इसलिए तो मैं मूव करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप दे दीजिए, उस पर विचार किया जायेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो जमीन उसके बारे में निवेदन किया कि इस सारी जमीन को जो हमने उनसे लिया उस जमीन की कुल कीमत जो १३॥ बीघा के ऊपर होती है २४ हजार ७४० रुपये ८७ न० पै० है। इसके अलावा जो वहां पर मकान बनाया गया है, कैटल शेड्स और दूसरा कन्सट्रक्शन वहां पर किया गया उसका कुल बिल्ट एरिया २१३ है याने २४४ स्क्वायर फीट हैं। मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता था कि मैं नहीं चाहता कि जो भी प्रोपर्टी चाहे मेरी वाइफ के नाम पर ही हो फिर भी उसके बारे में कोई भ्रांति रहे माननीय सदस्यों को इसलिए मैंने यह कहा कि जमीन जो कुछ वहां है माननीय सदस्य उस पर गये और बाद में जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं वह इम्प्रूवमेंट वहां पर मौजूद हैं, वह सारी चीजें उनके सामने हैं। मैं यह भी, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कि जमीन वाली बात का सवाल मेरे सामने रखा गया इस दृष्टि से कि हम यह समझकर चलते हैं कि आज के दिन अगर ऐसा काम आज भी और कल भी सवाल सामने आये तो ऐसी चीज हो कि जिसके अन्दर किसी सरकार पर निर्भर रहने वाली बात न होकर देश के अन्दर उत्पादन के काम में थोड़ा बहुत सहयोग देते हुए अपने पांवों पर खड़े होकर चल सकें, मेरी पत्नी ने जब मेरे सामने रखा तो मैंने खुद ने पसन्द किया कि किसी इन्डस्ट्री को शुरू कर दें या किसी और चीज को शुरू कर दें वह बात वाजिब नहीं होगी। लेकिन खेती के उत्पादन का एक ऐसा काम है जिसमें अपना काम करते हुए जो भी सरकार का लगान है उसको देकर अपना काम करते रहें और किसी के सामने खड़े होने की आवश्यकता न हो और स्वाभिमान के साथ जीवन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बिताने के लिए यह उचित मार्ग होगा। इस बात को मैं समझता हूँ कि जिस पद पर मैं आज हूं इस जमीन और इस जमीन से ऊपर इसके साथ और माननीय सदस्यों को बताता हूँ कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि बैंक से ओवरड्यू हमने ले लिया है, यह बात सही नहीं है। सही बात यह है कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम जो जमीन हैं और उसके साथ जो मकान है वह भी हमारा नहीं है वह बैंक के गिरवी दोनों चीजें हैं। आज कोई यह समझ कर चलता है कि वह पूंजी भी खुद की है तो यह मानकर भी न चलें और उसके ऊपर पर्सनल कर्जा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस बात को मान कर चलते हैं कि इतने लाखों रुपयों की जमीन है जिससे जमीन ली तो जमीन का एक भाग तो किसी से लिया और दूसरा भाग किसी दूसरे से लिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह नहर की जमीन नहीं है। जिस जमीन के अन्दर पहले नाला होकर निकलता था, वाटर लौगिंग था फिर भी आप अन्दाजा लगाकर चलें कि गंगानगर क्षेत्र में एक मुरब्बा जिसमें २५ बीघा जमीन होती है वह ३७ हजार ५०० में आती है। आज जिस जमीन को खरीदा जाये उससे ज्यादा एग्री-कल्चर लैंड को देखें तो ज्यादा दाम देने की बात सामने नहीं आयेगी उस लैण्ड के बारे में बहुत सों के दिलों में यह कल्पना खड़ी हुआ करती थी कि शायद इस जमीन को बिल्डिंग बनाने के लिए ले ली होगी या और करना चाहते हैं। सबसे पहले जो अंगूर के बारे में एक्सपेरीमेंट मकान भी बना सकते हैं जो ऊंचे लेवल की जमीन है उस पर हो सकता है, इसलिए सबसे पहले अंगूर की बेलें उन पर लगाई गई हैं। केवल वह भावना दिल के अन्दर है कि वहां पर इस काम करने से अंगूर में सफल होते हैं क्योंकि आसपास में कुम्भलगढ़ में सफलता मिली है, तो शायद हम राजस्थान में कुछ कन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस काम को एक्सपेरीमेंट के तौर पर लेकर आगे चले हैं तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य राजस्थान में इस प्रकार के प्रयोग के अन्दर सहयोग दें तो क्या एतराज होना चाहिए। यह बात भी सही है कि मैंने उदयपुर के अन्दर इस वक्त इसलिए जमीन ली है, कई लोग उदयपुर के बाहर रहे हैं लेकिन मैंने उदयपुर के अन्दर पोलिटिकल केरियर शुरू किया और पोलिटिकल केरियर के अन्दर आगे आया तो उदयपुर की धरती से मुझे प्यार है और मैं उदयपुर में बसना चाहता हूं। इसलिए उदयपुर में धरती लेकर रहने का निश्चय किया है। उसमें किसी को एतराज हो इस मामले में तो वह अलग से प्रश्न है। जो भी फैक्ट्स थे वे मैंने आपके सामने रखने की बात कही है। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करूंगा कि जिससे जमीन ली है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उदयपुर में कीमत के बारे में तो मैं जानता नहीं, लेकिन अलवर के बारे में बताता हूं कि वहां पर एग्री-कल्चर लैण्ड १३,०००) रु० बीघे में एक कांग्रेस के नेता ने ली है। आपके यहां कम कीमत हो, यह मैं नहीं जानता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं कि जो इस तरफ की जमीन है उस जमीन के दूसरी तरफ, एक बीच में सड़क है, एग्रीकल्चर कॉलेज है। उस एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए जिस पार्टी से हमने जमीन खरीदी है उसी पार्टी से एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए और पी. डब्ल्यू. डी. ने सड़क बनाई हैं उसके लिए जो जमीन एक्वायर की है उसका २५८) रु० बीघे का कम्पेन्सेशन दिया गया है और जो २५०) रु० बीघे की....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): वह तो कानून के अनुसार मिलता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कम्पेन्सेशन दिया गया है। उस कम्पेन्सेशन देने के बाद आज इस जमीन के मामले में यह कहा जाय, डेढ़ हजार के करीब जो जाकर पड़ता है, कम्पेन्सेशन में कुछ हो सकता है, दूसरा हो सकता है, आखिर इस जमीन के मामले में आसपास की दूसरी जगह किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं, कुछ नहीं मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम माननीय सदस्यों की ईमानदारी पर आपकी बातों पर विश्वास कर के चलते है तो हक इनको भी नहीं है कि हम जिस फैक्ट को कहते हैं हमेशा उसको गलत ही समझा जाय तो जो बात आप सामने रखते है उसके पीछे कुछ न कुछ बात होगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जमीन केवल एक व्यक्ति से नहीं मिली है। कुल मिला कर ४ व्यक्तियों से मिली हुई है जिनके अन्दर में छोटे-छोटे टुकड़े आते हैं आसपास में और बीच में तो कीमतों से फैसला किया हुआ है। इस प्रकार की बात न रख कर एक बात जो सामने आगई है उसका सदन में और आदर किया जाय.......

श्री मुरलीधर व्यास : point of information, Sir, अभी आपने फर्माया कि उदयपुर के अन्दर इस प्रकार की जमीन आपने खेती करने की इच्छा थी, रहने की इच्छा थी, वहां की धरती आपको प्यारी है और वहां रहना चाहते है तो वहां पर कार्य प्रारम्भ किया है। इन्दुबाला ने उदयपुर में इस तरह से अपने नाम से जमीन ली है तो गुड़ा बांध में उन्होंने अपने नाम से जमीन ली है तो वहां किस कारण से ली है ? गुढ़ा बांध में दूसरी जमीन है इन्दुबाला के नाम से ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर इन्दुबाला की जमीन है तो आप कब्जा कर लें इसी वक्त जाकर....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इस बात को प्रमाणित कर दूंगा कि उस जमीन का इन्दुबालाजी फायदा उठाती रही हैं....

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : आप अगर कमीशन बिठाने की बात मन्जूर करते हैं तो मैं प्रमाणित कर दूंगा कि वह दीनाभाई के नाम से है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सारी बातों को नहीं जोड़ें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं पूछना चाहता हूं कि इन्दुबाला के नाम पर है कि नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं कि वे वहां पर जाती होंगी और उस जमीन का फायदा बराबर इन्दुबाला को मिलता रहा है; उसकी सारी फसल उनको मिलती रही है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप मेहरबानी करके इन बातों की ज्यादा जानकारी करके इस सदन में कहा करें ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बिलकुल जानकारी करके कह रहा हूं । दीनू भाई के नाम पर, आपके साले के लड़के के नाम पर, इन्दुबाला के नाम पर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! पहले और आप कुछ कहें और अब बदल कर उसको कुछ कह दें । आप जो भी बात कहें तथ्यपूर्ण बात कहें और पूरी जानकारी करके कहें अन्यथा बहस उठावे नहीं । माननीय मुख्य मंत्रीजी को और भी कई बातों का जवाब देना है । आप शान्ति से सुनें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सदन में मेरी लड़की के बारे में कहा गया, जिसकी शादी गोयल साहब के साथ हुई थी, वह इन्श्योरेन्स का बिज़नेस जबरदस्ती करके चलाती है । लाखों, न मालूम क्या क्या उसने कमाया और माननीय मुख्य मंत्री की लड़की इन्श्योरेन्स का बिज़नेस क्यों करने लगी ? मुझे यह ख्याल होने लगा कि इस पद पर बैठने की वजह से यह स्वाभाविक हो जाय कि मेरी लड़की और दूसरों को शायद इस तरह से रोक देना चाहिए और जो कि मामूली अधिकार हैं वे भी उनके पास न रहें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कम्प्लेन्ट....

श्री मानधातासिंह (महुवा) : माननीय अध्यक्ष.......

(सरकारी पक्ष की ओर से "नो, नो")

श्री अध्यक्ष : Please listen. Have Patience to listen.

श्री मानधातासिंह : On a point of information, Sir......

श्री अध्यक्ष : There is no point of information.

आपने सुना ही नहीं । और पाइंट आफ इन्फोर्मेशन कर दिया ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह लोग (कांग्रेस पक्ष) हल्ला मचाते हैं, इसको रोकना चाहिए । बीच में ये हल्ला मचाते हैं, यह कैसी व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : हल्ला तो तब मचता है जब कि आप मेरे कहने पर भी बैठते नहीं हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मेरी लड़की इन्श्योरेन्स का काम करती थी उसके बारे में उस सदन में तो अभी सवाल उठाया गया है पहले भी किसी व्यक्ति ने जब कि पंडित जवाहरलालजी नेहरू प्रधान

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मंत्री थे उस मौके पर उनको लिख कर भेजा था और उन्होंने उसकी एक कॉपी मेरे पास भेजी। मेरे पास भेजने के बाद मैंने उनको लिख कर भेजा। उसके जवाब में उनकी जो चिट्ठी आई है वे दो-चार लाइनें मैं पढ़ देना पर्याप्त समझता हूं। यह उन्होंने लिखकर भेजा है—

"I don't see anything objectionable in your daughter working as an Insurance Agent in the L.I.C. She is a married woman and has a home of her own."

श्री मुरलीधर व्यास : नाम बतायें ना कि किसने भेजी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो एक बात हुई, लेकिन इस बात के अलावा अगर राजस्थान के सर्विस रूल्स में....

श्री रामानन्द अग्रवाल : सुरेन्द्रसिंह कैरों के सम्बन्ध में श्री प्रतापसिंह कैरों भी यही तो तर्क लेते थे। क्या मंत्री महोदय यह नहीं मानते हैं कि आपके इस पद के कारण दूसरों को इन्फ्लुएंस वह नहीं कर सकती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी बात तो सुन लें पहले। आपको परेशानी क्या है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि उस दिवंगत महापुरुष का नाम कम से कम अपने पाप को छिपाने के कार्य में नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं कोई पाप छिपाने के लिए किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

(श्री मानधातासिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात इस तरह की मैंने की यह जानने के लिए कि मेरी डॉटर को गवर्नमेंट सर्वेन्ट की वाइफ के तौर पर अधिकार है या नहीं, यह प्रश्न भी सामने आ सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बारे में कोई रुकावट नहीं है, किसी प्रकार की रुकावट नहीं है कि जिसके अन्दर गवर्नमेंट सर्वेन्ट की वाइफ अन्य प्रकार के काम-काज के अन्दर हिस्सा नहीं ले सके।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Let me complete.

यदि इस बारे में कोई प्रोविजन है तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट सर्विस में इस बात का प्रोविज़न किया है कि जो आदमी ऑफिस होल्ड करता है उनकी घरवाली इन्श्योरेन्स कर सकती है लेकिन वह इस काम में अपने ऑफिस को इन्फ्लुएन्स न करे लेकिन काम करने में रुकावट नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह तो इन्श्योरेन्स एजेन्ट का काम कर रही है कल वह गवर्नमेंट सर्विस कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। यदि वह अपना काम करती है और कुल मिलाकर बेनिफिट उसको दो-ढाई हजार रुपया साल का

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

होता है तो आप क्या समझते हैं कि उसने लाखों रुपये कमा लिये ? मुझे मालूम हुआ है कि कुल साढ़े चार हजार रुपये कमीशन या क्या मिलता है वह उसे मिला है इसलिए यह समझ कर नहीं चलें कि मुख्य मन्त्री का दबाव पड़ गया और दूसरों का दबाव पड़ गया और दो साल में····

श्री मुरलीधर व्यास : कुल इन्श्योरेन्स कितने का किया और किस किस का किया यह बता दीजिये उससे मालूम हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह विकास अधिकारी की हैसियत से····

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि इन्श्योरेन्स का काम करने में कोई रुकावट नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्रीजी की लड़की और साथ ही साथ उनके पति जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं अपने आफिस का उपयोग करके यह बात चलाते हैं तो यह कहां तक उचित है, मुख्य मंत्रीजी जवाब दे सकते हैं कि नैतिक दृष्टि से यह उचित है क्या ?

(शोरगुल)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खुले तरीके से बात सामने आ गई और पंडित नेहरूजी का पत्र आया वह यहां बताया गया और इन्श्योरेन्स से कितनी इन्कम हुई यह भी आपके सामने आ गया। जब श्री गोयल बी. डी. ओ. थे तब वहां के प्रधान को रूरल इन्श्योरेन्स की एजेन्सी पंचायत समिति के तौर पर दिलाई उससे पंचायत समिति को १० हजार रु० की इन्कम हुई है जब कि उसको २ साल में ४५००) की इन्कम कुल हुई है····

एक माननीय सदस्य : जो पैसा आना बाकी है वह कितना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसी तरह इस सदन में इस बात को रखा गया कि अमेरिका में जो वर्ल्ड फेयर हुआ उसमें ५० लाख रुपयों का राजस्थान को घाटा हुआ है। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में यह विचार करना आवश्यक है कि क्या और जितनी स्टेट्स हैं उनको तो लाखों या करोड़ों की इन्कम हो गई और राजस्थान गवर्नमेंट ही ऐसी निकली कि जिसने इस फेयर से फायदा नहीं उठाया इसलिए घाटा लाखों का हुआ। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि जब वर्ल्ड फेयर होने की बात हुई तब हम लोगों के दिमाग में भी यह बात उठी कि राजस्थान के हैन्डीक्राफ्ट को भी यदि वर्ल्ड मार्केट में भेजें तो हाथ से काम करने वालों के सामने मार्केट का जो सवाल आता है वह हल हो सकता है और किसी तरह अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि देशों में हमारे यहां की चीजें जाने लगें तो लोगों को रोजगार मिलेगा और फॉरेन एक्सचेन्ज भी हम को मिलेगा। मैंने श्री मनुभाई शाह से कहा कि हमको भी वहां पर स्टाल मिल जाय तो हम भी किसी तरह से अपना काम निकालें। इस पर उन्होंने कहा कि जो एक्सपोर्टर्स पहले से ही वहां एक्सपोर्ट करते आये हैं उनको ही स्टाल दे रहे हैं और जिन्होंने पहले एक्सपोर्ट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नहीं किया है उनको स्टाल नहीं दिया जा सकता । आज जिनको स्टाल्स दिये गये हैं उनके नाम यहां बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता । लेकिन किसी स्टेट गवर्नमेन्ट को स्टाल नहीं दिया....

एक मा. सदस्य : पंजाब को दिया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पंजाब का सेपरेट कॉरपोरेशन है ।

श्री भैरोंसिंह : केरल का है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : केरल फाइबर फैक्ट्री को दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : वह स्टेट एन्टरप्राइज़ है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो भी हो, लेकिन जिनके पास पहले से एक्सपोर्ट बिजनेस था उनको दिया गया । राजस्थान स्टेट गवर्नमेन्ट ने और किसी एजेन्सी के कोलोबरेशन में भी यह काम नहीं किया था इसलिए संभव नहीं था । दूसरे हमने लास्ट मोमेन्ट पर चर्चा चलाई कि किसी प्रकार एक्सपोर्ट कर सकें । उसके बाद फिर मनुभाई शाह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी और एक्सपोर्टर से एरेन्जमेन्ट कर सकें तो राजस्थान को स्टाल मिल जाय प्लाजा में । श्री जुन्नीलाल जयपुरिया का एक्सपोर्ट बिज़नेस काफी समय से वहां पर है इसलिये उनसे कहा कि यदि आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो आपको एक्सपीरियेन्स है उसके आधार पर अमेरिका में किसी के साथ कोलोबोरेशन करके राजस्थान के मेटीरियल को ले जा सकें तो ज्यादा अच्छा होगा । वह मान गये और उनके साथ जो एरेन्जमेन्ट किया वह इस बात का है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन जो कुछ खरीद कर वहां भेजेगा उस पर ७।। परसेन्ट इन्ट्रेस्ट चार्ज होगा और हाफ परसेन्ट हम वहां खरीदकर भेजेंगे उस पर उनको मिलेगा । एक ऑफिसर के अमेरिका जाने आने का खर्चा वे भुगतेंगे । जो माल हम खरीद कर भेजेंगे उस पर भी देना पड़ेगा । जैसे यहां से सुराणाजी ज्वेलरी लेकर गये और वे बेचते हैं फिर भी हाफ पर्सेन्ट फाइनेन्स कॉर्पोरेशन को फायदा होगा । आज जो एरेन्जमेन्ट हमारे द्वारा किया गया उसमें एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि इतना बड़ा खतरा लेने के लिए हन्ड्रेड टाइम्स विचार करना पड़ता है, कलकता बम्बई जैसी जगह में भी हम हैन्डीक्राफ्ट्स भेजते हैं तो लॉस उठाते हैं तो अमेरिका जैसी जगह में जहां जान न पहचान, हम नहीं जा सकते और जाने से पहले सौ दफा सोचेंगे । कुल मिला कर जो माल कॉर्पोरेशन्स के जरिये हमने भेजा वह ३ लाख से भी कम कीमत का है इसलिए जो माल वहां भेजा गया उसमें ५० लाख का घाटा आने की बात कहते है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्लाजा बनाने में ही तीन लाखसे ज्यादा खर्चा हो गया है । तो मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि इस कदम को उठाने में राजस्थान की जनता पर लाएबिलिटी आती थी इसलिए सोचने समझने की आवश्यकता थी ····....

श्री भैरोंसिंह : आप इस लाएबिलिटी से डरते हुए प्लाजा नहीं लेना चाहते, लेकिन शायद यह कमिटमेंट नहीं था कि राजस्थान की

(श्री भैरोंसिंह)

प्रोड्यूस के अलावा राजस्थान के बाहर खरीदा हुआ माल है उसकी भी लाएबिलिटी ले लें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोई लाएबिलिटी नहीं ली। टेक्नीकल पोइन्ट्स और दूसरी बातों में न जाकर वास्तविक चीज यह है कि कन्साइनमेंट बेसिस पर जो माल गया है उसके भी आज के दिन कुछ ड्यूज़ २० हजार रु० बाकी हैं और वह भी कन्साइनमेंट बेसिस पर है इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि स्माल इन्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन को ८-१० हजार का फायदा हो जाय उसके लिए कोई एग्रीमेंट किया जाय तो यह कहा जाय कि मेरे रिश्तेदार हैं इसलिये कर लिया....

श्री भैरोंसिंह : आपके फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने फाइनेन्शियल लाइबिलिटी के लिये कँडेम किया है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मेरी जानकारी में नहीं है कि फाइनेन्स ने कब कँडेम किया है, मुझे मालूम नहीं। एफ. डी. वाले इसका जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों को यहां उठाया गया है और उठा कर इनके साथ जोड़ कर कई बातों को ट्विस्ट किया जाता है और कहा जाता है जैसे मुख्यतया सारी चीजों को इसलिए करना चाहते हैं कि व्यक्तिगत लाभ उठावें या पूंजीपतियों से मिले हुए हैं, या पूंजीपतियों को अमेरिका माल भेजने में कन्सेशन दिया है। जिनको भी राजस्थान में कन्सेशन दिया गया है, गया उनके सम्बन्ध में राजस्थान की पिछली सारी बातों को देख कर चलें। जब राजस्थान नहीं बना था उस मौके पर जो राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी अलग अलग स्टेटस के द्वारा उन स्टेट्स को कितने उनके लिए एफर्ट्स करने पड़े। सवाई माधोपुर वाले जयपुर उद्योग के लिए यहां पर रोज कहा जाता है। मैं निवेदन करूं, मिर्जा इस्माइल थे, उनके जमाने में तीन पर्सेन्ट प्रिफरेन्स के इन्ट्रेस्ट के ऊपर ७५ लाख रुपया दिया गया। इसके अलावा रेल्वे साइडिंग के बारे में कहा गया जयपुर स्पिनिंग मिल के अन्दर जो इन्वेस्टमेंट चला आ रहा है वह उसी जमाने का चला आ रहा है। उसे लोन में कन्वर्ट करें तो स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान है या नहीं उसे एग्ज़ामिन कर रहे हैं क्योंकि पहले उन्हें फैसिलिटी दी गई थीं-कस्टम नहीं था, रॉयल्टी नहीं थी, सैल्स टेक्स, इन्कम टैक्स नहीं था-यह सहूलियत के रूप में थीं। अब राजस्थान में सारे टैक्सेज और दूसरी बातें ज्यों की त्यों आ गई हैं। अब फेसिलिटी देकर प्रोपरली फीड नहीं करते हैं तो राजस्थान में यह चीज बढ़ नहीं सकती। मैं जानता हूं निश्चित तौर से, एक वक्त आयेगा जब यह कह कर चला जायगा कि यह ठीक तरह नहीं अरेंज हुई। मैंने सदन में कहा था स्पिनिंग मिल लगाने के लिए जब यह कहा गया था कि और आदमी नहीं है, और आदमी को दे दीजिये। मैंने कहा था लाइये। जो आदमी सामने आता है उस पर तत्काल गौर करते हैं। लेकिन कुछ माननीय सदस्य सिर्फ बात करके रुक जाना चाहते हैं, सामने आकर उस काम को नहीं करवाना चाहते। और जिस काम को हम करवाने के लिए कदम उठायें तो उसमें रुकावट डालने वाली बात कह कर चलें तो मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर हम केवल जहस कर लें। भारत के अन्दर प्राइवेट सेक्टर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

फंक्शन करते हैं, पब्लिक सेक्टर फंक्शन करता है और कुछ एन्टरप्राइज़ेज़ स्टेट के हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि जो गलत फायदा उठाया जाय उसको उठाने की इजाजत दी जाय लेकिन कुछ न कुछ अपनी तरफ से पहले फेसिलिटी देकर नहीं चलेंगे ....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : गुलाबपुरा वाले को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इस बात में निवेदन करूं कि गुलाम अब्बास वाला मामला है पानरवा का...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : गुलाम अब्बास नहीं गुलाबपुरा वाला ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सुन लीजिये। मेरे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पानरवा जंगल का ठेका दिया गया, यह कहा जाता है। मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, इस पर बहस हो गई है और सदन को यह मालूम है कि ३६ से वह पानरवा का जंगल का ठेका--उस समय मेवाड़ गवर्नमेंट थी, और गवर्नमेंट थी--उस समय से कन्टीन्यू होकर हमारे पास चला आया, वह जहां १८ हजार में पहले था, आज कुल मिला कर ५८ हजार साल भर का लिया जाता है। उसी को दिया गया, इसके बहुत से रीज़न्स पहले से थे उसके कारण यह हुआ। यह सदन में चर्चा में आ चुका है। इसलिए हमेशा यह जा रूप दिया जाता है कि मेरी मिनिस्ट्री में दिया गया. उसके लिए मैंने निवेदन कर दिया ....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सुब्रह्मण्यम थे उस वक्त हुआ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे कहने दीजिये।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पाटन में चलती थी हमारी खान, उसे ५० लाख में लोग लेने के लिए तैयार हैं। मैं निवेदन करूं, स्टेट एन्टरप्राइज़ में वह चल रही थी, स्टेट एन्टरप्राइज़ में चलते हुए उसमें मुश्किल आ रही थी, उसको वजह से स्टेट एन्टरप्राईज़ डिपार्टमेंट वालों ने हमसे कहा कि हम इसे छोड़ देना चाहते हैं, हम कतई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। यह पाटन का एक्सपीरियेन्स हुआ है, इस पाटन के एक्सपीरियेन्स के बाद हमने फैसला किया कि इसको ऑक्शन कर दिया जाय, जिसकी वजह से और कोई अन्दर ज्यादा से ज्यादा काम कर सके तो वह काम करें। यहां यह कहा जाय कि पिट्स माउथवेल्यू पर जो टेक्स लगाया उसको वेटेज पर कर दिया, और वहां बड़ी सहूलियतें देखी थी तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चेंज किया उसकी वजह यह थी कि जब कुछ जगह वेटेज पर था और यहां पर पिट्स माउथ वेल्यु पर था उस वजह से कुछ और सर्कम्स्टान्सेज़ पैदा होती थी, उनको सिमिलर लाइन पर लाने के लिए हमने रद्दोबदल किया। और हमने ही नहीं किया, १९६२ से मेजर मिनरल के लिए सारे भारत के लिए भारत सरकार ने पिट्स माउथ वेल्यू की जगह वेटेज का कर दिया और पिट्स माउथ वेल्यू जिसको हमने बदला था, सारे भारत के लिए बदल दिया गया।

(हिअर, हिअर)

श्री मुरलीधर व्यास : रेट्स क्या होंगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज हम स्टेप लेकर चलते हैं....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं चाहता हूं, सरकार एक दफा जो रॉयल्टी फिक्स कर दें उसके दो साल के बाद रॉयल्टी का पैसा सरकारी खजाने में आ जाना चाहिए, क्या उसके लिए हुकूमत को अधिकार है कि पुराने दो साल के बाद जो रॉयल्टी बसूल करनी चाहिए उसकी रेट्स बदल कर लाखों रुपये का नुकसान कर दे। क्या यह न्यायसंगत है सरकार के खजाने में इससे नुकसान पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि आपसे कहा कि कम पैसा करो तो कम कर दिया लेकिन चुनाव के पहले कम किया है।

श्री मोतीलाल चौधरी : आपने कौनसा काम किया है ?

श्री मुरलीधर व्यास : सरकारी खजाने को इससे लाखों रुपये की हानि हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने मन्नालाल आर्य वाला छोड़ दिया है। मुख्य मंत्री ने शायद उसको साइड ट्रेक कर दिया। जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं हम नहीं चाहते कि आप पर गलत आरोप लगें और हम भी अपने दिमगों में जो गलतफ़हमी हैं उसको दूर कराना चाहते हैं। आपने रिशतेदार वाला मामला छोड़ दिया मोहनलाल आर्य जो पांचवी जमात पास हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस पर आ रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसको टच करके छोड़ दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप बैठ जाइये।

चूंकि, अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को उठाया गया, मन्नालाल आर्य को क्यों इस जगह पर लगा दिया गया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि करीब शायद पन्द्रह साल, सौलह साल से वह सर्विस के अन्दर हैं। सर्विस के अन्दर रहते हुए अलग अलग तरीके से इन्सपेक्टर, पेट्रोलिंग सुपरिटेंडेंट और उसके बाद कौनसा कहलाता है वह, प्रिवेंटिव फोर्स के अन्दर अपॉइन्ट किया गया, उस अपॉइन्टमेंट के बाद वह पी० एण्ड टी प्रिवेंटिव फोर्स में था, उस ग्रेड में उसे ट्रान्सफर किया गया। उस फैसले को देखें जो हमारे डिपार्टमेंट ने फैसला किया है, तो आज से चार साल पहले जा ग्रेड था, पांच साल पहले—मैं ठीक नहीं कह सकता, वही ग्रेड में चलता रहा था और इसमें देना कुछ नहीं था, इमॉल्यूमेंट में अन्तर नहीं था....

श्री मुरलीधर व्यास ; सवाल इस बात का नहीं है, आर० ए० एस० में क्या और भी नॉन–मेट्रिक्स हैं, क्या बाई प्रमोशन और नॉन मेट्रिक आये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप–मंत्री, गृह) : Not R. A. S.

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस ग्रेड में कितने अर्से में कहां पहुंच गया ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हम यह चाहते हैं....

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस जगह की इनकी नियुक्ति पर एतराज किया है और उस ऑब्जेक्शन पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूं कि आज के दिन सबको जानकारी है और सब जानते हैं कि कोई पढ़ा-लिखा हो दूसरा हो, प्रमोशन के आधार पर कोई ऑपोर्चुनेटी नहीं मिलती हो, ऐसी बात नहीं हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ऊंची ऊंची जगह जा सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिनिस्टर बन सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपका साला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है लेकिन साला इस रूप में नहीं आ सकता वह प्राइम मिनिस्टर बन सकता है क्योंकि डेमोक्रेसी है लेकिन शासन में इस तरीके से प्रमोशन नहीं हो सकता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रजातंत्र की बात नहीं है। जिन बातों के बारे में यहां प्रश्न उठाया, मैंने उनका संक्षेप में उत्तर रख दिया।

श्री भैरोंसिंह : एक सवाल और है। आज तक पन्द्रह साल से कभी भी पब्लिक सर्विस कमीशन से इनका सिलेक्शन एप्रूव हुआ है ?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : मन्नालाल आर्य जब इन्सपेक्टर थे तो पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूवल लेकर कन्फर्म किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He has been confirmed as Inspector by the P. S. C. and not as Deputy Commissioner or Asstt. Commissioner.

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : इन्सपेक्टर कह रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : He is not a Deputy Commissioner.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : Assistant Commissioner है।

श्री भैरोंसिंह : पब्लिक सर्विस कमीशन की एप्रूवल इन्सपेक्टर के लिए है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He is confirmed by the P. S. C, for the post of Inspector.

श्री बालकृष्ण कौल : इन्सपेक्टर से प्रमोशन होता है ऑफिशियेटिंग, उसमें ऑफिशियेटिंग हुआ है, वहां भी कॉन्करेन्स है पब्लिक सर्विस कमीशन की।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, जो ये सारे सवाल हैं उनको देखते हुए मैं समय बढ़ाने के लिए निवेदन करूंगा।

श्री मोतीलाल चौधरी : सबसे बड़ा काम यह हुआ है। कौल साहब, धन्यवाद है आपको।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह आपस में बहस न करें। माननीय सदस्यों ने मुद्दे रखे उसका जवाब दिया, पांचवी क्लास पास है लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन से कन्फर्म्ड है, सारी बातें सामने आ गई हैं। इस बहस को बढ़ाने का प्रश्न नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : हम जानना चाहेंगे, और इस तरह के उदाहरण हैं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्नों के समय में पूछिये। प्रश्न यह है कि इस नियुक्ति में कोई अनियमितता हुई है या नहीं। इसका जवाब मिल गया। Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : इस हुकूमत में इस तरह कन्फर्मेशन किया है यह शर्म की बात है।

श्री बालकृष्ण कौल : हमने किया है।

श्री अध्यक्ष : मैं दोनों ओर के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपस में बात की जा रही है....

(५.०० म. प.)

(भारी शोरगुल और परस्पर इशारे होने पर)

श्री अध्यक्ष : मैं दोनों ओर के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया शांति-पूर्वक बैठे रहें और सदन की कार्यवाही शांति-पूर्वक होने दें। यह बहुत गलत परम्परा पड़ गई है कि माननीय सदस्य आपस में एक दूसरे से बात-चीत करते हैं और आपस में इधर और उधर से इशारे करते हैं। सदन का समय जब तक यह बहस समाप्त नहीं हो तब तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष, जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि तीन रोज से इस प्रस्ताव पर बहस हो रही है और इस बहस के दौरान में जो कुछ स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए मैं माननीय सदस्यों से यही कहना चाहता हूं कि वे मेहरबानी करके इन सारे प्रश्नों के बारे में हमारे यहां कि वस्तुस्थिति पर विचार करें और देखें कि राजस्थान का इस समय में कितना विकास हुआ है। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान का कई मानें में विकास हुआ है। जब हम लोग किसी के पास जाते हैं और उनसे बात-चीत करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस ने निश्चित तौर से सेवा की है और कर रही है। इस बात के कई मौके आते हैं कि कहीं कुछ कमी रह गई हो और मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके किसके सामने नहीं आये। मैं आज खुशी के साथ परमात्मा को धन्यवाद देता हुआ कहना चाहता हूं कि राजस्थान में इस काल में जितने भी डिमोन्सट्रेशन या एजिटेशन्स हुए, मगर आज तक कहीं पर भी गोली हमें नहीं चलानी पड़ी और हमने गोली नहीं चलाई।

श्री रामकिशन : नीम के थाने में अभी गोली चली है....

(शोरगुल के कारण अश्रव्य)

आपके यहां तो वाहवाही में चलने वाले पले हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपके यहां पर अभी गोली चली है और आप कहते हैं कि आपके राज्य में गोली नहीं चली मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप भविष्य में भी गोली नहीं चले उसका आश्वासन देते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप मेरी बात पूरी तरह से सुन लीजिए। गोलियें तो राजस्थान में बहुत चली हैं। मगर मैंने यह कहा कि डिमोन्सट्रेशन और एजिटेशन्स में कोई गोली नहीं चली है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(श्री मुरलीधर व्यास और अन्य कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे और कहने लगे कि अभी अभी नीम के थाने में गोली चली है)

(शोरगुल के कारण अश्रव्य)

दूसरी बात माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी उपचुनावों की बातें कही गईं, उनकी बातों से यह बात सामने आई कि वे मुसीबतों के बीच में गुजर रहे हैं। कभी विरोधी पार्टीज यह कहती हैं, कि 'राजस्थान बन्द करो' कभी कहती है 'भारत बन्द करो', कभी कहती है धरना दे देंगे। कभी कहते हैं कि कलेक्टर की कुर्सी पर जाकर बैठ जावेंगे।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष: Order please ! Order !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह आन्दोलन कुछ लोगों का चलाया हुआ है लेकिन मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनकी यह सारी बातें समझ ली कि ये राज्य चलाना चाहते है मगर इस तरह से शासन नहीं चलता। जनता ने यह भी समझ लिया कि ये लोग वस्तुस्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं। आज के दिन जनता यह समझती है कि आज अगर कोई पार्टी व्यवस्था कर सकती है और लोगों की भलाई कर सकती है तो वह यही कांग्रेस है जो हमारी भलाई कर सकती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अविश्वास का प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया गया है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस अविश्वास के प्रस्ताव को गिरा कर हमें विश्वास देंगे।

(शोरगुल)

(श्री रामानन्द अग्रवाल बोलने के लिए खड़े हुए)

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : Order please !

(घन्टी)

एक माननीय सदस्य : लोगों ने बुकों में गलत एन्ट्रीज़ दिखाई है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है उसका भी कोई जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, इससे साफ जाहिर है कि जो भ्रष्टाचार के मामलों का उत्तर नहीं दिया गया है उनमें भ्रष्टाचार साबित है और उनका कोई जवाब चीफ मिनिस्टिर के पास नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इन प्रश्नों के लिए वे ला-जवाब हैं; इनके पास कोई उत्तर नहीं है। वे उत्तर देना नहीं चाहते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे उत्तर उस वक्त देंगे जब आप उन्हें उतार देंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ! इन सारे

(श्री भैरोंसिंह)

चार्जेज़ में सारे राजस्थान को घसीटने को तैयार हैं। मगर जो चार्जेज़ उन पर लगाये गये हैं उनका एक का भी जवाब नहीं दिया है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य शांति रखें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): भ्रष्टाचार और नाज के बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय अध्यक्ष, यह एक सामान्य परम्परा का प्रश्न है। हमारी कोई किसी से ग्रज नहीं है। हमारा कोई भी व्यक्तिगत लगाव हो ऐसी बात नहीं है। वे दोषी हैं या नहीं इसके लिये उनको कुछ कहना चाहिये। वे चार्जेज सही हों, हो सकता है कि वे गलत हों। अगर गलत हैं तो चीफ मिनिस्टर को बता देने चाहिये ताकि हमारी शंका का समाधान हो जाए। इन चार्जेज़ का साधारण परम्परा से उनको जवाब देना चाहिये। मगर वे इन सारी महत्वपूर्ण बातों को वे पी गये। इसलिये क्या हम यह मानें कि जिनका जबाब दिया वह तो ठीक है और जिनका जवाब नहीं दिया क्या वे बातें सही हैं। उन्होंने विरोधी पक्ष की नीति को सपोर्ट किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके बहनोई, साले और भाई-भतीजे हैं, ठीक जब उन पर चार्ज लगाये गये हैं तो लोकतन्त्र की भलाई के लिये उनको इसका जवाब देना चाहिये इसमें उनकी भी भलाई है।

एक माननीय सदस्य : गोटरुमल को लिया गया।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य शांति रखें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो कुछ चार्जेज लगाये गये हैं उनका जो जबाब दिया गया है उससे आपको संतोष हुआ या नहीं!

श्री अध्यक्ष : बहस का जिस तरह से क्रम चलता है उसके अनुसार सदस्य अपने आरोप लगावें और माननीय सदस्यों की ओर से और अन्य सदस्यों ने जो अपने विचार उन पर रखे उनका उत्तर दिया जाय और वह दिया गया। कोई छोटी बात छूट गई हो तो छूट सकती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक करोड़ २० लाख के मामले की बात छोटी नहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कोशिश तो सही की जाती है कि हर बात का उत्तर दिया जावे। मगर ये जो प्रश्न माननय सदस्यों ने उठाये हैं वे तो सदन में पहली बार आये हों ऐसी बात नहीं है और ये सदन में और भी तरीके से उठाये जा सकते हैं।

श्री रामकिशन : जिन जार्जेज का उन्होंने जबाब नहीं दिया उनको उन्होंने स्वीकार किया है ऐसा मान लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रक्रिया बहुत कई दिनों तक चलेगी। चीफ मिनिस्टर ने जो जवाब दिया उससे संतोष नहीं होतो आप उसके समय समय पर चर्चाएं करते रहेंगे।

श्री मानिकचंद सुराणा : अविश्वास के प्रस्ताव से ज्यादा क्या प्रक्रिया हो सकती है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने जो निर्णय दिया उसमें आपने छोटी-छोटी बातें छूटने का जिक्र किया। मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसके साथ मोटी और जोड़ दीजिये ताकि छोटी-मोटी बातें आ जावें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : चार्जेज मन्त्री मण्डल के खिलाफ आये, व्यक्तिगत आरोप आये, मुख्य मन्त्री ने जवाब देने का असफल प्रयास किया उसमें मोटे-मोटे चार्जेज के बारे में कोई जवाब ही नहीं दिया। ऐसी सूरत में चूंकि आप इस सार्वभौम सदन के अध्यक्ष, राजस्थान की दो करोड़ जनता इस सदन की तरफ, आपकी तरफ देखती है, इस भयंकर चार्जेज का कोई जवाब नहीं दिया गया है, इनकी जांच के लिये आप एक ट्रिब्यूनल की नियुक्ति की, जांच आयोग की नियुक्ति की घोषणा करें। यह सदन घोषणा इस बात का प्रस्ताव पास करें कि...

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, sir......

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कि दास आयोग जैसा एक पॉवरफुल आयोग द्वारा मन्त्री मण्डल के खिलाफ लगाये गये इन चार्जेज़ की जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य जरा विरोधी पक्ष के नेता भाषण सुन लें। उसके पश्चात् मतदान होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास के प्रस्ताव पर गत ३ दिन से बहस चल रही है। इधर की तरफ से कई बातें कही गई और उधर की तरफ से भी कई बातें कही गई। इधर से आरोपों का उधर से उत्तर दिया गया और बाज आरोपों के सम्बन्ध में मन्त्री मण्डल के द्वारा संभवतः संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मैं इतनी बात अपनी ओर से भी कहना चाहूंगा कि विपक्षी दल की तरफ से जो बातें कही जाय उन बातों के सम्बन्ध में शंका समाधान सेंट परसेंट, शतप्रतिशत हो यह मेरे खयाल में एक मोटी प्राकृतिक बात है कि मुमकिन नहीं। किन्तु विपक्षी दल को यह अधिकार है कि जो बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी बातें हैं, जो गंभीर विषय है, खासकर के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, उन विषयों पर, मंत्री-मण्डल के द्वारा मेरे खयाल से अवश्यमेव स्पष्टीकरण होना चाहिये और इस सम्बन्ध में विरोधियों की ओर से कोई आपत्ति उठाई जाय उसके साथ मेरी एक हद तक सहानुभूति हो सकती है। साथ ही निवेदन करूंगा कि बहुमत के द्वारा, उनका बहुमत है, उत्तर दें, उत्तर न दें पर बहुत सारी, बहुत सी नहीं तो कुछ बातें ऐसी हैं, जिनके सम्बन्ध में शंका-समाधान मैं भी अनुभव करता था कि आवश्यक है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

खास बात आज राजस्थान के सामने खाद्यान्न और जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं के बढ़ते हुए भावों के सम्बन्ध में है। उस सम्बन्ध में जो खाद्य मंत्री द्वारा, मुख्य मंत्री द्वारा बातें कही गई वे संतोषजनक नहीं हैं, इस सदन में ही केवल संतोषजनक नहीं हो, ऐसी बात नहीं बल्कि जो बातें कही गई वे राजस्थान की जनता की जो भावनाएं हैं, उमंगें हैं, उनके भी विपरीत हैं।

चाहे जैसा आपका प्लानिंग हो, उसके सम्बन्ध में आप चाहे जो कहें पर आपका प्लानिंग ऐसा है जिसके द्वारा अधिकांश लोग राजस्थान के महसूस करते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार आश्वासन दे रही है उनके उपरान्त भी सरकार के द्वारा कोई ऐसा पर्याप्त रूप से प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है जिससे जन साधारण के मन में यह निश्चित रूप से महसूस हो कि हमारी सरकार राजस्थान की लोकप्रिय सरकार है, इस बड़ी भारी समस्या जो मंहगाई की है उसके ऊपर काबू पाया है। मेरे खयाल में इस सम्बन्ध में कोई दो मत नहीं हो सकते, यह भावना, यह शिकायत आज राजस्थान की जनता की ओर से आम तौर पर है और जो एश्योरेंस, आश्वासन मंत्रियों द्वारा, यही नहीं केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा दिये गये हैं वे मेरे खयाल में सफल आश्वासन नहीं हो पाये और जनता की जो शिकायत है मंहगवारी की उसके सम्बन्ध में सरकार कुछ भी नहीं कर सकी। मेरा यह विश्वास है कि यह सरकार चाहे जो कुछ करे पर यह सरकार जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं पर काबू नहीं पा सकती और दिन प्रतिदिन यह ढांचा बिगड़ता ही जायगा इसलिये मूलतः विरोधी पक्ष की ओर से यह अविश्वास राजस्थान के मन्त्रि-मण्डल के अन्दर व्यक्त होना परमावश्यक है।

यह भी कहा गया कि विरोधी पक्ष की ओर से खाद्यान्न की समस्या के सम्बन्ध में कोई ठोस सुझाव नहीं दिये जाते। विरोधी पक्ष की ओर से सरकार को सुझाव दियेही जायें, यह आवश्यक नहीं है। एक सरकार बदलती है और दूसरी सरकार बनती है तो उस सरकार का कर्तव्य होता है कि क्या करना चाहिये। साफ है कि कांग्रेस सरकार के अन्दर खाद्य मंत्री एक व्यक्ति हुए, जिसका नाम रफी अहमद किदवई थे, उन्होंने इस खाद्य की समस्या को किस तरह सुलझाया, उससे भी आप अगर प्रेरणा लें तो आपको मदद मिल सकती है। पर मेरा निश्चित अभिमत है कि आप कुछ करना नहीं चाहते इस सम्बन्ध में और बहाना बना कर कहते हैं कि आबादी बढ़ रही है, इन्फलेशन के कारण हम आवश्यक वस्तुओं के भावों पर काबू नहीं पा सकते। तो मेरा निवेदन है कि कांग्रेस अगर यह समझे कि जनतन्त्र पद्धति के अन्दर दूसरी सरकारें बन ही नहीं सकती तो यह ऊरभाई और घमंड की बात है। यह बात चल सके, ऐसा मैं नहीं मानता, यह स्वस्थ जनतन्त्र की परम्पराओं के खिलाफ है। यह तो अनादि काल से चला आ रहा है। एक कांग्रेस सरकार ही क्या अनेकों सरकारें आई और चली गईं, समय के हेर-फेर के अनुसार कांग्रेस सरकारें जाय तो कोई ऐसी नई बात नहीं होगी। अगर कांग्रेस सरकार जायगी तो मेरे खयाल में अवश्यमेव, आज राजस्थान से जहां तक उसका सम्बन्ध है, जीवन की आवश्यक वस्तुओं के भाव जो आज है उतने

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

महंगे और दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर नहीं आवेंगे।

अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग के सम्बन्ध में कहा गया, स्वतन्त्र पार्टी की रीति-नीति के सम्बन्ध में कहा गया। मैं इस प्लानिंग के विषय में बहुत लम्बी-चौड़ी चर्चा नहीं करना चाहता पर मेरा ही अभिमत नहीं है अधिकांश विपक्षियों की यह राय है और बाज-बाज कांग्रेस की बैंचेज़ पर जो सज्जन बैठते हैं, उनका भी मत है कि आपके आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। बहुत सी बातें आप कहते हैं, बहुत से रूप से आप सब्ज़ बाग बताते हैं, वे वास्तविकता के विपरीत हैं।

मैं यह अवश्य कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि जो कुछ भी योजना है वह महत्वाकांक्षी तो है ही किन्तु आप यहां आंकड़े बताते हैं और सिद्ध करते हैं कि फलानी योजना, फलाने प्रोजेक्ट, फलानी सड़क पर इतना रुपया खर्च कर दिया, केवल मात्र यह कह दिया कि हमने इतना रुपया खर्च कर दिया और इतने करोड़ रुपये की योजना बनाई और दरअसल में एक्चुअल एक्सपेंडीचर वास्तविक रूप से इस हद तक हुआ, इसीको अगर आप अपनी सफलता समझते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है! कम से कम आपको यह भी सोचना चाहिये कि आपकी यह योजना जो महत्वाकांक्षी योजना है, इसके अन्दर वेस्ट कितना है, इसके अन्दर फिजूलखर्ची कितनी है, रिश्वतखोरी कितनी है, और जो बुरी बातें हैं जिनके द्वारा लीकेज और करप्शन होता है, उसका आप विचार नहीं करते, यह निश्चित अभिमत विरोधी पक्ष का हो चुका है। मुख्य मंत्री ने अभी कहा कि हम टैक्स नहीं लगाना चाहते तो मैं भी उनकी विचारधारा से सहानुभूति रखता हूं लेकिन यह निर्विवाद बात है कि राजस्थान का किसान, जो राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है, उसके ऊपर आपने इतने टैक्स लगाए हैं कि भारत वर्ष के अन्य किसी राज्य में किसी कोने में इतने टैक्स नहीं लगाए होंगे जितने आप किसान पर लगा चुके हैं। तो मुख्य मंत्री का यह कहना कि हम नहीं चाहते कि आवश्यकता से अधिक टैक्स लगें, मेरे खयाल से इस बात को कन्ट्राडिक्ट करता है खास तौर से जब किसान पर आप इतने टैक्स लगा चुके हैं जो अन्य सरकारों ने नहीं लगाया। क्या आप समझते हैं कि इतना टैक्स किसान पर लगाना अनिवार्य था? पर कैपीटा टैक्स राजस्थान के अन्दर कितना है, इस सम्बन्ध में भी योजना मंत्री के द्वारा कोई पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण मुझे नहीं मिला। यह कह देना कि राजस्थान के अन्दर भुखमरी के द्वारा कोई भी आदमी नहीं मरा, सम्भवतया यह भी ठीक है, इसके विपरीत मैं कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु योजना मंत्री या मुख्य मंत्री अगर मेरे साथ आएंगे तो मैं ऐसी जगह ले जाकर आदिवासी क्षेत्रों में उनको खड़ा कर सकता हूं कि वहां पर घास फुआड़ आदि उबाल कर नमक मिला कर पेट भर रहे हैं केवल मात्र पेट भरने के वास्ते। उनके पेट में दर्द होता है, उनकी हालत बुरी हो गई है, बहुत से लोगों का पेट बहुत बढ़ गया है, आप उनके बच्चों को देखें, पेट बहुत बढ़ गया है। आपका यह कहना कि हमारी योजना सफल है और खाद्य समस्या को समझते हैं कि यदि संतोषजनक हो तो मेरे खयाल से यह बिलकुल गलत है और बेबुनियादी है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि माननीय योजना मंत्री ने अभी भी जो कहा तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के पर्सेन्टेज के आंकड़े भी आपको बताना चाहता हूं। दरअसल आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ आप एक्सपोर्ट कितना करते हैं और उसके साथ साथ आप इम्पोर्ट कितना करते हैं ? अगर प्रोडक्शन बढ़ता है और आपका इम्पोर्ट भी बढ़ता है तो मेरे ख्याल से आपकी योजना है वह व्यर्थ है। वह योजना नहीं है। यह मेरे खयाल में अंधा धुंधी है और अपके मुद्दे सब गलत है। खास तौर से विरोधी दलों की तरफ से बारबार आपको यह कहा जा रहा है; इस बहस के दौरान में आपको यह कहा गया है कि चोरी छिपे अन्न जो राजस्थान के बाहर जा रहा है उस पर आप कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाते कोई विजीबल स्टेप फील्ड के अन्दर नहीं दिखाते जिसके द्वारा संतोष प्रकट करते हुए हम कह सकें कि सरकार द्वारा चोरी-छिपे बाहर जाने के संबंध में अमुक व्यवस्था की गई है।

सहकारिता के सम्बन्ध में भी मैं यह कहूंगा माननीय योजना मंत्री से कि मैं मानता हूं कि वह फ्यूडल एरिया था, आपको राक पर फाउन्डेशन तैयार करना पड़ रहा है लेकिन उसके साथ साथ आंख मींच करके खर्च करते जायं और क्वालिटी पर ध्यान न दें और केवल मात्र पेपर के अन्दर पब्लिश करें कि इतनी सोसायटीज़ थीं, इतनी मैम्बरशिप हो गई और उसके साथ साथ आप कहें कि इतने करोड़ रुपये खर्च किए तो जो कुछ भी आपने लोन आदि दिया है उनके वसूलात के सम्बन्ध में क्या आपने किया ? उसके साथ जो वर्तमान में कोऑपरेटिव काम कर रही है उनमें कितनी सफलतापूर्वक काम कर रही हैं ? इस सम्बन्ध में भी आपको बताना चाहता हूं कि विरोधी दल का यह मत है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है इसके अन्दर भ्रष्टाचार है और आप इसके अन्दर भी सफल नहीं हुए हैं।

इन्डस्ट्रीज़ के लिए आपने कहा कि इंडस्ट्रीज़ पहले इतनी थीं और आज इतनी इंडस्ट्रीज़ बढ़ गईं तो ठीक है। मान लो अगर इन्डस्ट्रीज़ बढेंगी तो लेबर भी बढ़ेगा; लेकिन उसके साथ साथ इन्डस्ट्रीज़ सफल रूप से कितनी काम कर रही हैं ? उस संबंध में भी मेरे खयाल से यहां पर एक भ्रम है। सरकार की योजना ठीक ढंग से नहीं चल रही है।

इन्फ्लेशन के सम्बन्ध में मुझे जो कुछ भी निवेदन करना था वह मैंने किया और मेरे खयाल से श्री अशोक मेहता ही यह महसूस नहीं करते कि इन्फ्लेशन इस पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है जहां से अब डिफ्लेशन की आवश्यकता है। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में प्रधान मंत्री के मुख से ये शब्द निकले हैं कि प्लान को कर्टेल करना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में प्लान महत्वाकांक्षी है और प्लान को कर्टेल करना परमाश्यक है।

मुख्य मंत्री ने यही कहा कि पहले भी दुष्काल होते थे और सैंकड़ों और हजारों आदमी मरते थे और सन् १६०० में जो दुष्काल डूंगरपुर जिले के अंदर पड़ा उसमें ५० हजार आदमी मर गए होंगे लेकिन हर समय पीछे की तुलना करना ठीक नहीं। उस समय रेल नहीं थी, डाक नहीं थी, तार नहीं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

था, ऐरोप्लेन का जमाना नहीं था और उस समय की तुलना अगर आप करें तो मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं राणा सांगा जब बाबर से लड़े उस वक्त एरियल बम्बर्स बाबर की सेना पर गिरा दिए जाते तो बाबर हार कर भाग जाता। तो समय के अनुसार जो कुछ भी होता है वह होना चाहिए। अगर आप यह तुलना लगाएं कि फ्यूडल जमाने की जो छोटी-मोटी रियासतें थीं उनके मुकाबले अधिक प्रगति की है तो प्रगति समय के हेरफेर के कारण भी होती। आप रहेंगे तो भी होगी और न रहेंगे तो भी होगी। सम्भवतया आप न रहें और दूसरी सरकार आए तो क्या गारंटी कि जो प्रगति आप कर पाए हैं उससे विशेष प्रगति नहीं होगी?

मैंने, अध्यक्ष महोदय, कोई दुर्भावना के कारण 'रावण राज्य' इस राज्य को नहीं कहा। लेकिन हम लोगों को भी बहुत सी बार रावण, राक्षस और न जाने क्या क्या कहा जाता है। हमने उन्हें सुना। अब वह हमारा जमाना तो खत्म हुआ। जो ऊंचा होता है वह नीचे गिरता है। आप भी अमर पट्टा बांध कर नहीं बैठे हो और आपका भी जमाना आ रहा है; मेरे ख्याल में, आपके राज्य से निजात पाकर के लोग शान्ति की सांस लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री): आप वापिस नहीं आवेंगे, मुश्किल यह है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे मन्त्री बनना नहीं। राजस्थान की दो करोड़ जनता में से कोई न कोई कम से कम आपके स्थान पर मंत्री बनेगा और मुख्य मन्त्री बनेगा। आप यह समझें कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है राजस्थान पर शासन करने का, आपकी यह ठेकेदारी है यह बिलकुल गलत बात है।

श्री मथुरादास माथुर: कोई ठेकेदारी नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मुझे यह कहा गया उधर के पक्ष से कि उनकी कोई ठेकेदारी नहीं है। यह बहुमत का शासन है, बहुमत के अनुसार जिसका भी शासन होगा वह राज्य करेगा।

तो, अध्यक्ष महोदय, जो शासन के कार्यों की सुर्खरूई डेवलपमेंट के द्वारा बतायी जाती है कि हमने इतना किया है, केवल डेवलपमेंट के जरिये से आप नहीं कह सकते कि मंत्री मण्डल के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आना चाहिये। पंजाब में भी प्रगति हुई। कैरों एक योग्य व्यक्ति थे। उनमें अवश्य कमियां होंगी लेकिन पंजाब ने प्रगति नहीं की हो यह कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि वर्तमान राजस्थान की मिनिस्ट्री ने डेवलपमेंट के कार्यों के द्वारा प्रगति की, उनको सुर्खरूई बतायी गई सरकार द्वारा, लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जाय क्योंकि आपने प्रगति कर ली यह कोई दलील और बहस नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे व्यक्तिगत सम्बन्ध में जो मेहरबानी के शब्द कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा कहे गए उसके लिए तो मैं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आभारी हूं, लेकिन मैं उसके बिल्कुल अयोग्य हूं। मैं अपने आपको तुच्छ समझता हूं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): आपके राज्य में तो दो को मारा होगा लेकिन नवाब लोहारू ने तो १८ कांग्रेसियों को मारा है; फिर भी उसको कांग्रेस की पार्टी ने कांग्रेस का टिकिट देकर कांग्रेस केन्डीडेट खड़ा किया।

(हीयर हीयर)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तरह २ की भावनाएं हैं। मैं तो केवल मात्र, अध्यक्ष महोदय, एक सिद्धांत में विश्वास रखता हूँ और वह यह है कि निरंतर १५ वर्ष से मेरे से जो कुछ भी हो सका, चाहे आप उसको गलत रूप से समझिये या सही रूप से समझिये, मैंने कांग्रेस का विरोध किया, केवल मात्र इस ध्येय से कि विरोधी पक्ष सबल हो, केवल मात्र इस ध्येय से, इस मान्यता के द्वारा कि यदि विरोधी पक्ष सबल होता है तो मेरे ख्याल में जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा कायम रहती है। यदि कांग्रेस का अधिनायकवाद बिल्कुल चरमसीमा और पराकाष्ठा पर पहुंच जाय और एक ही पार्टी का बोलबाला हो और विपक्ष में कोई बैठे ही नहीं, मेरा ख्याल है, आपकी भी आदत बिगड़ जायगी और आपको ठीक रास्ते पर लाने वाले और चार बातें कहने वाले भी नहीं मिलेंगे तो मेरे ख्याल में आपका अशुभचिन्तक नहीं हूं लेकिन विरोधी जरूर हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): चाबुक जरूर लगायेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस १५ वर्ष के विरोध के फलस्वरूप मेरा यह अनुभव है कि कांग्रेस अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमेशा नहीं लेकिन बाज बाज दफा कितनी नीचे उतर सकती है, कितना नीचा स्तर अख्तियार कर सकती है, कितनी यह भ्रष्ट संस्था है, मेरे ख्याल में, मेरे १५ वर्ष के अनुभव से मुझे कुछ कहने का अधिकार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब कुछ मूड आया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई नई इनिंग शुरू करनी होती है तो नई बात आती है। कोई वार्म आउट होता है प्लेयर तो फिर, मेरे ख्याल से फॉर्वर्ड प्ले करके शोट्स भी बताता है।

अध्यक्ष महोदय, जितने भी जो महरबानी के शब्द थे उनके सम्बन्ध में निवेदन किया। जो अकृपा के शब्द हैं, जो ब्यूटीफुल पार्लियामेन्टरी लैंगवेज में मुझे हार जो पहिनाए गए उसके लिए मुझे विशेष निवेदन नहीं करना है। मैं सदन में एक दफा निवेदन भी कर चुका हूँ। माननीय सदस्य जो जौहरी बाजार, जयपुर से आते हैं उन्होंने जो संकेत किया उसको दोहरा सकता हूं। अगर मेरे शासन में, बीस वर्ष के शासन में, एक आदमी भी मरा उसका मुझे दुख है और वह रहेगा, जीऊंगा तब तक मुझे उसका दुख रहेगा।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

(विपक्ष द्वारा हियर हियर)

लेकिन अगर मैं मर्डरर होऊं, कातिल होऊं, मैं साफ लाएबिलिटी अख्तियार करता हूं कि क्रिमिनल एक्ट के अन्तर्गत जांच करके मुझे बाकायदा सजा दी जाय, फांसी दी जाय। लेकिन विरोधी दल की तरफ से आक्षेप लगाये जाते हैं तो आप 'Beg your pardon" करके दब जाते है।

(विपक्ष द्वारा हीयर हीयर)

मगर....उस सम्बन्ध में कुछ भी उसूल रख करके कहें तो संतोष की बात भी हो नहीं तो "चोर की दाड़ी में तिनका"।

अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि आदिवासियों के स्कूल मैंने बन्द किये। आदिवासियों के स्कूल मैंने चलाये हैं और मेरी हैसियत, मेरी छोटी रियासत के अनुसार यदि मैं यह कहूं दावे के साथ कि राजस्थान की छोटी बड़ी रियासतों में डूंगरपुर सर्व प्रथम रियासत थी जहां पर रामेश्वरी नेहरू, ठक्कर बापा, रामनारायण चौधरी को बुला कर आदिवासियों के लिए संस्थायें मैंने स्थापित कीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे जिन्दा हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं। सन् १६४२ में भी जब देश भर में एक एजीटेशन चल रहा था, 'क्विट इन्डिया' मूवमेन्ट चल रहा था, उस समय भी डूंगरपुर में किसी को भी जेल में बन्द नहीं किया गया और यदि यह कहा जाय कि मैंने आदिवासियों को कोई शिक्षा नहीं दी लेकिन मेरे ख्याल में, मैं नहीं कहना चाहता ....

अनेक माननीय सदस्य : भीखाभाई बैठे हैं। आज मन्त्री हैं, शिक्षा नहीं देते तो कैसे होते?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो कुछ भी मेरे में कमियां हों वे सही हों, लेकिन आदिवासियों को मैंने शिक्षा नहीं दी, आदिवासियों का मैं शत्रु हूँ, मेरे ख्याल में यह बिल्कुल निरर्थक बात है और संकीर्णता का प्रदर्शन है जो उधर बैठने वाले कांग्रेसी दोस्त कई सालों से मेरे प्रति यह सद्भावना रखते आये हैं।

मुझे इतना अवश्य कहना है कि बागड़ सेवा संघ डूंगरपुर में हैं उसमें लाखों रुपयों का घोटाला है। आपके अकाउन्ट्स भी ऑडिट नहीं होते हैं। हमारी तरफ के आदमियों ने, प्रतिनिधियों ने जाकर ढेबर भाई को भी इस सम्बन्ध में संकेत किया और मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों के स्कूलों के अध्यापकों को महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती और डूंगरपुर में आदिवासियों के लिए छात्रावास हैं, वे भी मेरे ख्याल में आदिवासियों के आश्रम नहीं हैं, एक तरह से मैं, अध्यक्ष महोदय, क्षमा के साथ निवेदन करूं कि वे व्यभिचार के अड्डे हैं।

श्री भीखाभाई (उप-मन्त्री, श्रम) : ये शब्द जो माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने कहे....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हमारे भीखाभाईजी को इतनी मेहरबानियों का इतना कृतज्ञ होना चाहिए ही था; आपका कहना बिल्कुल ठीक है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे आप विशेष मत छेड़िए। वहां के संचालक आपके दो-तीन नेता हैं उनके घरों में भी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

क्या हो रहा है वह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं लेकिन क्यों ऐसी अनप्लेज़ेन्ट बातें आयें....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : घर का क्या मतलब, रोज जूते खाते हैं; इससे आपको क्या मतलब ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बैटर हाफ नहीं हैं, कीप हाफ हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि हमारे यहां दल में एक माननीय सदस्य श्री ललितमोहनजी हैं उनको मैं कांग्रेस में जॉइन नहीं होने देता और उनसे मैंने कोई दस्तावेज लिखवा लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई दस्तावेज लिखवाया हो ऐसा मुझे मालूम नहीं है और न मैंने कभी लेन देन के सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज लिखवाया हो उसका भी मालूम नहीं। लिखा हो तो वह मैं फाड़ देने के लिए तैयार हूँ।....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): यह सुखाड़िया साहब के स्टाइल से जवाब मत दीजिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप उनको आमादा कर लीजिए कि वह कांग्रेस की बेन्चों पर बैठें, मैं कैसे रोक सकता हूं। आज स्वतंत्रता के दिनों में एक आदमी अपनी विचारधारा परिवर्तित करके दूसरी पार्टी में जाकर बैठता है तो उसके ऊपर यह आक्षेप लगाना कि मैंने दस्तावेज ऐसा लिखाया तो दस्तावेज होतो मैं फाड़ डालूं, नहीं है तो आपको चाहिये कि ललितमोहनजी को प्रोत्साहन देकर अपनी ही पार्टी में ले लें।

अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कांग्रेस के माननीय सदस्यों के द्वारा यह कहा गया और विरोधी पक्ष के नेता के सम्बन्ध में कहा था कि स्वतंत्र पार्टी की ओर से कोई विवेचन हो रहा है और विरोधी पक्ष के नेता के सम्बन्ध में भी विवेचन किया। उनका अधिकार है ऐसा विवेचन करने का किंतु मैं यह निवेदन करूंगा कि अमूमन अविश्वास का प्रस्ताव जब किसी सदन में रखा जाता है तो वह पार्टी के सम्बन्ध में नहीं रखा जाता है। वह सरकार की कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के विरुद्ध में अविश्वास के रूप में रखा जाता है और जब अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो विरोधी पक्ष की तरफ से यह केवल मात्र इतना ही पर्याप्त है कि वह इस सम्बन्ध में प्रकाश डाले कि कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने यह यह भलाई के काम किये हैं, उन्होंने यह भ्रष्टाचार किये हैं और उनकी गलतियों का लाभ लेकर जो अल्पमत है उसका बहुमत पर अत्याचार किया जा रहा है। तो यह कहा जाये कि विरोधी पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि उनको मेनीफेस्टो के सम्बन्ध में उनकी नीतियों के सम्बन्ध में ही प्रकाश डाला जाये तो मेरे ख्याल में यह आवश्यक नहीं है। आपके आचरणों के सम्बन्ध में ही आरोप लगाना, विवेचन करना, क्रिटिसिज़्म देना वही मेरे ख्याल में सिद्धांत कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अविश्वास व्यक्त करने के लिये पर्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि इलेक्शन के सम्बन्ध में जो हमने संयुक्त मोर्चा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बनाया उस बारे में भी बहुत सारी बातें कही गई। तो मैं कोई दूसरी पार्टी का वकील नहीं हूं। दूसरी पार्टियां इतनी सामर्थ्य और योग्यता रखती हैं कि वे अपनी पोज़ीशन को विन्डीकेट कर लें लेकिन मैं स्वतंत्र पार्टी के सिपाही के नाते इतना निवेदन करूंगा और यह एक पहली बात है आप भी इसको एक हद तक मानेंगे मन में क्योंकि सच्ची बात है कि श्री हरिराम व्यक्तिगत रूप में और स्वतंत्र खड़े हुए। अगर कोई व्यक्तिगत और स्वतंत्र रूप में गांधोवादी चुनाव के अन्दर खड़ा होता है अगर उसको कई पार्टियां मिलकर मदद करती हैं तो मेरे ख्याल में वह कोई भ्रष्ट नीति नहीं है। वह एक उचित बात है और जो भी हमने युनाइटेड फ्रन्ट बना कर श्री हरिराम को समर्थन दिया वह कोई बुरी चीज मैं नहीं समझता। न कोई ऐसी बात है जिसमें सिद्धांत विहीनता का प्रदर्शन हो लेकिन इसको नो कॉन्फीडेन्स के अन्दर मिक्स अप करके आरोप लगाये जायें विरोधी पक्ष के ऊपर कि आपका तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, इसलिए आप अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : There was no united front. That is wrong.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : नहीं, आपकी तरफ से हो रहा है। आपने कहा होगा ठीक है, आपने भी कहा था। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पोलोटिकल एलाऐन्सेज़ होते हैं वह कोई नई चीज नहीं हैं। पोलीटिकल लायन्सेज़ तो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। आज का शत्रु कल का मित्र और कल का मित्र परसों का शत्रु हो सकता है। हमारे सामने ही इसका उदाहरण है। हम भी कहते थे कि हिन्दी चीनी भाई भाई लेकिन फिर क्या हुआ? रूस और युनाइटेड किंगडम एक नहीं हो सकते थे लेकिन हिटलर की फौज के खिलाफ और स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए उनको भी एलायेन्स कायम करनी पड़ी। आपने ही यह एलायेन्सेज़ की प्रथा हमको बताई है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने अपने आप को सेक्यूलर कहते हुए केरल में मुस्लिम लीग से सांठगांठ की....

श्री रामकिशन (वैर) : उड़ीसा में गणतन्त्र परिषद् से।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : और हां, उड़ीसा में गणतन्त्र परिषद् से भी सांठगांठ की। पंजाब में अकालियों से की और अभी बिहार में शायद स्वतन्त्र पार्टी के हित में मामला चल ही रहा है। तो आप भी मेरे ख्याल से जिस तरह से किरकांट रंगत पलटता है गर्मी की मोसम में और बरसात में उसी तरह से अगर आप रंगत पलटें तो वह शिक्षा ग्राह्य है। उस शिक्षा को लेकर यदि आपके भ्रष्ट शासन को अपदस्थ करना चाहें तो कोई नई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, निरंतर कांग्रेस के १५-१७ साल के शासन के फलस्वरूप छोटे-मोटे दल यदि संगठित नहीं हो पाते हैं तो कांग्रेस को कभी अपदस्थ नहीं कर सकते। कांग्रेस कभी किसी पार्टी से मिल कर वोटिंग का विभाजन करके दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा इस सिद्धान्त से बाजी मार जाती है। अब जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने यह

Page No. 136

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

देखा कि केवलमात्र यह एक उपाय है जिसके द्वारा कांग्रस को अपदस्थ करने के लिए, कांग्रेस की गवर्नमेन्ट और कांग्रेस की पार्टी दोनों को मिला कर दोनों के साथ संघर्ष सफलतापूर्वक करने के लिए कोई न कोई युनाइटेड फ्रन्ट बनाया जाय तभी आपको यह परमिट, लाइसेन्स, ठेकेदारी की सरकार को खत्म किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बारबार यह कहती है और माननीय सदस्य उधर की तरफ के भी यही कहते हैं कि बहुमत के द्वारा हम यहां पर बैठे हुये हैं। एक हद तक यह निर्विवाद बात है कि बहुमत के द्वारा आप शासनारूढ़ हैं लेकिन विपक्षी दलों की फूट उनमें एकता न होने के कारण आप वहां पर बैठे हैं। दरअसल में राजस्थान की जनता ने तो आपको ठुकरा दिया है। जनरल इलेक्शन में भी विरोधी पक्ष को करीब १८ लाख वोट मिले उसके मुकाबले में कांग्रेस को १३ लाख मिले हैं। आप फिर यह कहें कि टेक्नीकल रूप से बहुमत में आप हैं तो यह मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन बहुमत स्वच्छ रूप से आप कहें कि जनता में आपका विश्वास प्राप्त है तो न तो केन्द्र में आपका बहुमत है और राजस्थान में तो आपका नहीं है, हरगिज प्राप्त नहीं है........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : बहुत पुरानी बात कह रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर गलत हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप तथ्यों के साथ कहें तो यह ठीक है ....

कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष ने कल यह कहा है कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आये और मैंने कहा उस सम्बन्ध में तरजीह उन्होंने ज्यादा उठाई है। सब को अधिकार है कि वह हरेक निर्वाचन क्षेत्र में कहे, किन्तु उन्होंने कहा कि माल एक गांव है जब से वहां का एम० एल० ए० बना हूं, अध्यक्ष महोदय, यह समस्या नहीं कि मिडल स्कूल माल और गुढ़ा नाम के दो गांव है आसपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक-एक मील के फासले पर। वहां पर मुख्य मन्त्रीजी श्री मोहनलाल सुखाड़िया ५९ या ६० में दौरे पर आये। उन्होंने दोनों जगह आश्वासन दिया कि मिडल स्कूल खोलेंगे। एक जगह मिडल स्कूल खुला और दूसरी जगह नहीं खुला। वहां के लोगों ने १० हजार रुपये खर्च करके स्कूल भवन बनाया और मैं समझता हूं कि शिक्षा मन्त्रीजी के पास में जा कर मैंने निवेदन भी किया, लेकिन उन्होंने सभ्यतापूर्वक अपनी विवशता प्रकट की उनकी मजबूरी है तो समझ सकता हूँ। मैं उस पर विवाद नहीं करता हूं लेकिन बार बार इसी तरह कि मिसालें दोहराई जाय। एक गांव....

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा के खड़े होने पर मेजों की थपथपाहट)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a Point of Order, Sir, मैं यह जानना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के नेता....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक व्यवस्था का सवाल है। साहब वह व्यवस्था का सवाल यह है कि सामान्य नियमों के अनुसार जब अध्यक्ष महोदय अपने पैरों के बल

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

पर खड़े हों तो तमाम सदस्यों को बैठ जाना चाहिये। इस सदन का यह नियम रहा है। अभी अध्यक्ष महोदय अपने पैरों के बल पर खड़े थे तो भी माननीय सदस्य खड़े रहे और अब भी माननीय सदस्य खड़े हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि सामान्य नियमों को उनको समझाया जाय और उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया जाय कि वे बैठ जायं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, Sir, यह व्यवस्था कर दें कि point of order will get preference or the point of interruption will get preference.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : My point of order is in the queue order. My submission is......

श्री भैरोंसिंह : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि उनको खड़ा नहीं रहना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि इनको खड़ा नहीं रहना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि आपको स्कूल का आश्वासन दिया चीफ मिनिस्टर ने, मैं आपको कहता हूं कि यह स्कूल बन जायगा तो क्या आप इस अविश्वास के प्रस्ताव से हटने को तैयार हैं?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यह जो कोई इन्टरप्ट करें, अध्यक्ष महोदय, तो उनको कहा जाय कि इस तरह नहीं करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हमेशा इनकी रिश्वतखोरी की भावना रही है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : कांग्रेस के माननीय सदस्य ने कहा, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह कहा कि वह कर देते हैं तो क्या प्रस्ताव वापिस ले लेंगे; तो हम कहते हैं कि हम इसको मानने को तैयार हैं; लेकिन सिर्फ एक ही आपसे अपील है।....

श्री अध्यक्ष : उनको अधिकार नहीं है कुछ कहने का।

श्री मुरलीधर व्यास : आप एक दास कमीशन बिठाने के लिए तैयार हो जांय तो फिर हमारा कोई अविश्वास नहीं हैं। हम मान लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप उनकी बात को इतनी गम्भीरता से नहीं लें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): बार बार तमाशा करने खड़े हो जाते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य नसीराबाद से आये हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो प्रश्न श्री ज्वालाप्रसादजी ने खड़ा किया वह खड़ा नहीं होता है। सन् ५७ में जो अविश्वास

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का प्रस्ताव आया था यह भी गिर गया था, लेकिन ६२ के चुनाव में आधे मिनिस्टर गिर गये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य जो नसीराबाद से आये हैं वे बार-बार उठकर पोइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ करते हैं, लेकिन मेरे खयाल में बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा; more often he raises points of disorder.

श्री रामकिशन (वैर) : ज्वालाप्रसादजी को इतनी गम्भीरता से नहीं लिया करें ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के लोगों को यह आश्वासन मिला और उन्होंने १० हजार रुपये खर्च करके स्कूल भवन बनाया । गुढ़ा के लोगों ने भी १० हजार रुपये खर्च करके स्कूल भवन बनाया । मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहा कि वहां पर स्कूल जारी करना चाहिए तो उसकी जगह श्री भीखाभाई के निर्वाचन क्षेत्र में दो स्कूल भोमेरी और भरसाल में स्थापित हुए । उन्होंने कहा कि आते साल देखेंगे । आते साल वे होंगे और मैं भी होऊंगा तो देखेंगे । लेकिन यह नीति, यह मेरे खयाल में स्टेप मदरली की नीति में समझता हूं कि अनुचित है ।

सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, यह कहा कि सेल्स टैक्स की मैंने चोरी की तो चोर को सजा देनी चाहिए । सैल्स टैक्स के सम्बन्ध में रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से आपने कोई व्यवस्था कायम की तो मुझे ख्वाब आया था कि आपके माइन्ड में टैक्स का विचार है वह रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करेंगे ? अगर कोई पेमेन्ट का सवाल है तो नोटिस आना चाहिए और नोटिस की अवहेलना हो तो वह दूसरी बात है । हर व्यक्ति को अधिकार हो कि कोर्ट में जाकर किसी सम्बन्ध में व्यवस्था मांगे तो नोटिस आने पर मैंने गुरेज़ किया हो या मुझे ऐसा ख्वाब आया हो कि कौल साहब के दिमाग में यह योजना आई है तो पहले से ही टैक्स दे दूं । न नोटिस आये तो यह दूसरी बात है . just a cart before the horse ; मैं समझता हूं कि यह निराधार आरोप है ।

श्री गिरधारीलाल (आसींद) : आप जैसों को नोटिस देने की जरूरत नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : टैक्स की बकायात के सम्बन्ध में मैं ठीक नहीं समझता कि इस तरह से आरोप लगाया जाय ।

जमीन के सम्बन्ध में कहा गया था मैं बिल्कुल यह छिपाना नहीं चाहता कि जमीन मेरे पास थी । एक जमाने में हन्ड्रेड्स आफ बीघाज़ नहीं बल्कि थाउजेन्ड्स ऑफ बीघाज़ जमीन थी और उसके बाद में थाउजेन्ड्स आफ बीघाज़ के बजाय चन्द बीघा भी नहीं रहे, पैलेस भी नहीं रहें तो आत्मा तो अजर अमर है उसको स्वतन्त्र रख कर झोपड़ियों में भी निवास करके सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने का अधिकार है । आप कानून बनाकर जो कुछ भी व्यवस्था करते हैं तो वह व्यवस्था ठीक ढंग से करें । बजाय इसके निराधार आरोप अगर किसी के ऊपर आप लगाते हैं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तो मेरे खयाल में यह किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है और संवैधानिक प्रणाली के लिए भी एक अशोभनीय चीज है।

अध्यक्ष महोदय, जीप के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने कहा तो मैं हनुमानगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र में जीप में बैठा। एक नहीं तीन दफा बैठा जिसके रेड नम्बर प्लेट था। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आज बहुत से राजाओं के पास एक ही जीप है। अगर आप यह समझें कि रेड नम्बर प्लेट लगा हुआ है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप उसके वास्ते कानून बनायें। अगर आप यह समझते हैं कि भूतपूर्व नरेशों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए केवल वोट ही देना चाहिए तो आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था करें उनके स्टेटस को सैकिन्ड क्लास सिटीज़न का बना सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चहता हूं कि हनुमानगढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा इतनी जीपें और ट्रकें और मोटरें आई थीं कि समस्त राजस्थान और समस्त मध्यप्रदेश के भूतपूर्व राजाओं की मोटरों को भी इकट्ठा किया जाय तब भी उसके मुकाबले में मेरे खयाल में कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता।

(म.प ६.००)

श्री जयनारायण सालोदिया: राजस्थान सरकार की लाल प्लेटवाली मोटरें तो रोज शराब की दूकानों के बाहर खड़ी रहती हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : भीलवाड़ा के चुनाव में कांग्रेस दल ने राजकीय मोटरों का उपयोग नहीं किया था क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा। कांग्रेस के अध्यक्ष को भीलवाड़ा जाते हुए सड़क पर मैंने आंखों से देखा था जब कि भीलवाड़ा में चुनाव हुआ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अब तो सीमा पार कर चुके हैं हर करप्शन की बल्कि पैट्रोनाइज़ कर चुके हैं मुख्य मंत्रीजी ने भी कह दिया है, सर्विसेज़ में करप्शन करायेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कह देना कि ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब तो करप्शन की मूर्तियां सदन में आने लगी हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे खयाल से यह बिल्कुल निराधार है। ड्राइवरों से जब पूछा कि ये टेम्पोरेरी नंबर प्लेट की गाड़ियां कहां से आई तो मेरे को कहा कि सरकारी साधन हैं चुनाव के लिये आई हुई हैं। यह बिल्कुल वाहियात बात है यह कहना कि कांग्रेस के सदस्यों ने सरकारी साधनों से चुनाव नहीं लड़ा। ....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अभी हाडा साहब ने कहा कि करप्शन की मूर्तियां हाउस में आने लगी हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि कहां से आ गई हैं ये करप्शन की मूर्तियां बीच में?

श्री अध्यक्ष : आपके लिये नहीं कहा है।

एक माननीय सदस्य: ये उनको दिखाई दे रही हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यदि कांग्रेस के अध्यक्ष किसी जगह जाकर यह कहे कि कांग्रेस को वोट दो तो विकास होगा नहीं तो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं कही। मैं उनकी बातें एक हद तक मानने को तैयार हूं लेकिन मेरे पास जब कारण है ....

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल: कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष जो कंजरों की जमीन को खा गये थे वे ही क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बनेड़ा की तहसील को भी खा गये थे वे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उस वक्त वहां पर लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया था कि वोट दोगे तो तहसील खोल देंगे लेकिन वोट देने के बाद नहीं खोली और हनुमानगढ़ वाला नजारा वहां भी हुआ। वहां यह कह दिया कि यदि वोट दोगे तो गड़बड़ नहीं होगी लेकिन बाद में वोट देने के बाद गड़बड़ हुई

(शोरगुल)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसी बात करते हैं तो अवश्य कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मंत्रियों पर उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। मैं समझता हूं यदि वे ऐसा करते है तो जनतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं के प्रतिकूल है।

(हियर हियर)

यह कहा गया कि श्योपतसिंहजी के खिलाफ कोर्ट में डिसीज़न हुआ और करप्शन आदि के संबंध में कोर्ट से स्ट्रिक्चर्स पास हुए। मैं मेरी भी बात सुना दूं चितौड़ निर्वाचन क्षेत्र में लालसिंहजी शक्तावत जीते और मैं हारा घोषित किया गया। मैंने इलेक्शन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ी और एक आम चुनाव के पश्चात्, दूसरे आम चुनाव शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले, ४, ५ हफ्ते पहले यह घोषणा हुई कि वह चुनाव अवैध है क्योंकि इसमें जो विजयी उम्मीदवार है उनकी तरफ से करप्ट प्रेक्टिस हुई है। तो यह कह देना कि एक ही भ्रष्ट पक्ष है, मेरे खयाल से यह बिल्कुल अनुचित है। अभी श्री रामरतन गुप्ता के बारे में भी यही हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री बद्रीप्रसादजी गुप्ता के बारे में केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेकॉर्ड तलब कर लिया है और ६ तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एविडेन्स हो रही है; दा साहब, आप क्या कर रहे हैं आपके ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट में कागज बदल दिये हैं डिस्पेच रजिस्टर के कागज बदल दिए हैं बदले गए सुप्रीम कोर्ट में मांगा गया है ट्रान्सपोर्ट विभाग का रेकार्ड।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में पहलो बार मंगाया जा रहा है इस तरह का रेकॉर्ड।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मुझे विशेष विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि कांग्रेस के हाथ में आज जनतंत्र की सुरक्षा नहीं है, असुरक्षित है इसका मूल कारण यह है कि यह जो चुनाव आता है उसमें कांग्रेस ही दल के रूप में चुनाव लड़ने नहीं आत लेकिन कांग्रेस दल सफल होकर सरकारी मशीनरी का उपयोग करके आता है और दरअसल में विरोधी पक्ष को चुनाव कांग्रेस से नही

Page No. 141

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

लड़ना पड़ता है बल्कि कांग्रेस और गवर्नमेन्ट दोनों के साथ लड़ना पड़ता है यहां पर चुनाव पद्धति रूल्स और ला के प्रतिकूल है। केवल मात्र इसका ध्येय है पैसे बहाकर येन केन प्रकारेण किसी तरह विजय प्राप्त की जाय। मैं समझता हूं वह अस्वस्थ परंपरा है। इसका विरोध करते हुए सरकार की नीतियों में हम विश्वास नहीं कर सकते।

स्वतंत्र पार्टी की नीतियों के संबंध में मैं विशेष विवेचन नहीं करना चाहता। यह कहा जाता है कि हमारी योजना यह है कि हम टैक्स नहीं लगायेंगे। टैक्स तो जो बक्त की सरकार होगी उसको लगाने आवश्यक है लेकिन टैक्स का सिद्धान्त ऐसा होना चाहिये जिससे जनता अपीड़ित नहीं हो, पर्याप्त धन प्राप्त हो और लोन उतना नहीं लिया जाय जिसको पीढियों तक पे ओफ नहीं कर सकें। ऐसा सिद्धान्त होना चाहिये कि, cut the coat according to cloth; हैसियत उपरान्त यदि कोई काम करेंगे तो पछतायेंगे। हैसियत के अनुसार टैक्स भी लगाने चाहिये और हैसियत के अनुसार सरकार को आय-व्यय पर नियंत्रण करना चाहिये। हमारी किसानों के प्रति सहानुभूति की नीति है वह केवल मात्र यह है, हरेक पार्टी का मेनिफेस्टो होता है उसको लेकर हरेक पार्टी को अधिकार होता है। हम चाहते हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा आजादी दी जाय, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दी जाय, केवल मात्र लैंड रेकॉर्ड की व्यवस्था करने के लिये जो खर्चा हो वह लिया जाय और दूसरे सेस, कर वगैरह कई तरह के लगा रखे हैं, वे नहीं लिये जायं।

योजना के सम्बन्ध में, भ्रष्टाचार के संबंध में, मैं इतना ही कहूंगा कि खाने-पीने की सभी चीजों में भ्रष्टाचार है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये आटे में भी मिश्रण, घी में भी मिश्रण, दाल में भी मिश्रण, हल्दी धनिया में, चावल में सभी में पत्थर और मिश्रण है ....

श्री भैरोंसिंह : कांग्रेस में भी मिश्रण।

महारावल लक्ष्मणसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि युनाइटेड किंगडम में एक मोदी था उसने खाद्यान्नों में मिश्रण किया, सड़ा हुआ मांस बेचा उसको १० वर्ष की सजा हुई। यहां तो माननीय सदस्य दवाइयों की शीशियों में लिजार्डस बन्द किये हुए लाकर सदन की मेज पर रखते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिये बुरी चीज हैं; तब भी एक भी आदमी का प्रोसीक्यूशन नहीं होता है। यह मेरे ख्याल से शासन की व्यवस्था है, इस शासन की बलिहारी है, इसको धन्यवाद!

मैं विशेष निवेदन नहीं करना चाहता। संक्षेप में जयपुर म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करूंगा। बाढ़ के दिनों में असाधारण समस्या हुई, जयपुर की म्युनिसिपैलिटी उस समय इस स्थिति में नही थी कि ५-१० लाख रुपये खर्च करे।

सरकार दो दिन तक सोती रही, पानी पड़ा उसके फलस्वरूप मिट्टी आकर सारे शहर में बिछ गई, तब मन्त्री और दूसरे कांग्रेस के सज्जन बाहर आकर स्वतन्त्र पार्टी का बुरा भला कहने लगे। स्वतन्त्र पार्टी की जो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मिकदार थी, हैसियत थी उसके अनुसार उसने काम किया। और यदि स्वतन्त्र पार्टी समय के ऊपर उचित ढंग से व्यवस्था नहीं करती है तो सम्भवतः इसको क्षति पहुंचे। स्वतन्त्र पार्टी अनपोपूलर हो जायगी तो समाप्त हो जायगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से असहयोग भाव हो और स्वतन्त्र पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार सत्ता द्वारा जान बूझ कर किया गया यह बराबर अनुभव करते आ रहे हैं। जब हरएक मन्त्री महोदय जोर के अन्दर बैठ कर घूमते थे तो कम से कम कांग्रेस के माननीय मन्त्रियों को यह तो चाहिए था कि स्वतन्त्र पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनको भी साथ लेकर दो बातें कहते। यह कहा जाता है कि रुपया बहुत खर्च किया और खाने को कुछ नहीं दिया। तो स्वतन्त्र पार्टी की हैसियत के अनुसार खाने को दिया और एक ट्रक भेज कर पुड़ियां वगैरह की व्यवस्था की। मैं भी गया; मेरी हैसियत के अनुसार लोगों को सहायता भी की। और महाराज कुमार जयसिंह ने झोटवाड़ा के बांध के ऊपर रात दिन मेहनत करके पड़े रह कर झोटवाड़ का बांध ढहने से बचाया है। मैं मन्त्री महोदय से पूछता कि हूं आप कहां गये थे....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सब गये थे।

महारावल लक्ष्मणसिंह : मै इस सम्बन्ध में विशेष नहीं कहना चाहता हूं। डूंगरपुर के लिए कहा गया कि ३ रुपये पर कपिटा एक्सपेंडीचर है, नागोर में १८ रुपये पर केपिटा एक्सपेंडीचर है। मैं निवेदन करू....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): इसको कहते हैं साइन जवाब! एक एक पोइन्ट का जवाब दे रहे हैं। आप बहुत सी बातें खा गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जवाब नहीं दे सकते। पूरा जवाब दिया जा रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो तहसीलवाइज़ आंकड़े देते हैं उनसे यह मालूम होता है कि उदयपुर में कितना अनुदान दिया है और गरीब आसपुर में कितना अनुदान दिया है!

तो मैं विशेष निवेदन नहीं करते हुए अपने दो शब्द समाप्त करते हुए इस बात को दोहराता हूं कि विरोधी पक्ष मन्त्रि मण्डल में विश्वास नहीं रखता है।

श्री भैरोंसिंह : हमें दो दो मिनट का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मै दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लेकर सदन से अपील करना चाहता हूं कि सरकार के ऊपर हम भ्रष्टाचार के, अयोग्यता के और अनियमितता के चार्जेज लगाये लेकिन उनका जवाब नहीं मिला, इसलिए यह चार्जेज़ हमारे रहते हैं कि यह अयोग्य, भ्रष्ट सरकार जनता को भूखा मार रही है, इसलिये इस सरकार को वोट देना भुखमरी को वोट देना है, ऐसी सरकार को वोट देना अयोग्यता को वोट देना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप (सरकारी पक्ष के सदस्य) भी हमारे साथ वोट देना।

श्री मानिकचन्द सुराणा : के. सी. जोर्ज को याद करके हमारे साथ आ जायें।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर): विरोधी दल गलत कहता है कि कोई नहीं मरता है। ज्वालाजी भाई कहते हैं कि इस गवर्नमेंन्ट के राज्य में एक भी नहीं मरा, यह सही कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष प्रश्न है वह इस प्रकार है— इस सदन का मत है कि—

"(१) राज्य सरकार खाद्यान्न और जीवनोपयोगी वस्तुओं के निरन्तर बढ़ते हुए भावों का नियंत्रण करने में असफल रही है,

(२) राज्य में चारों ओर भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है, और

(३) प्रशासन में अव्यवस्था और पक्षपात बढ़ता जा रहा है। अतः यह सदन वर्तमान मंत्री-परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है।"

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे हां कहें।

(हां की आवाज)

जो विपक्ष में हों वे ना कहें।

(ना की आवाज)

श्री मानसिंह महार)
श्री भैरोंसिंह)
श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल) : Ayes have it.
श्री मानिकचन्द सुराणा)
श्री गिरधारीलाल व्यास)
श्री परसराम मदेरणा) Noes have it.
श्री बालकृष्ण कौल)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): जिनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है उनकी आवाज नहीं आई है। उन्हें अपने पर भरोसा नहीं है, दूसरों की राय लेने की आवश्यकता नहीं है।

(६.१६ म० प०)

(मत-विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पर मतदान होगा। जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे हां कहें।

(हां की आवाज)

जो विपक्ष में हों वे कृपया ना कहें।

(ना की आवाज)

श्री मानसिंह महार)
श्री मानिकचन्द) : हां पक्ष जीता।
श्री सतीशचन्द्र)
श्री भैरोंसिंह)

श्री अध्यक्ष : लॉबीज में जायें।

(विपक्ष के माननीय सदस्य सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल एवं योगेन्द्रनाथ हांडा सदन में बैठे रहे)

(श्री अध्यक्ष)

(मत-गणना के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव के पक्ष में ६१ वोट और विपक्ष में ६६ वोट आये ।

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, इनमें खरीदे हुए वोट कितने हैं ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कांग्रेस तो हमेशा से ६६ के फेर में रही है, फिर यह ६६ के चक्कर में आ गई है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : तब तो जाने वाले है जल्दी ही ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : तुम्हारा तो ६१-६२ है ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव गिर गया ।

['ना' एवं हां पक्ष के माननीय सदस्य :

ना पक्ष :

श्री ए. जब्बार
श्री अभयसिंह
श्री अमरसिंह (दूदू)
रावल श्री अमरसिंह जासोल (पचभदरा)
श्री भैरोंसिंह शेखावत
श्री भानुप्रसाद कराड़िया
श्री चौथमल वर्मा
श्री छत्रसिंह
श्री चौसरसिंह बावेल
श्री दयाचन्द सैन
श्री दिग्विजयसिंह
श्री डूंगाराम राजोरिया
श्री दुर्गालाल बाढ़दार
श्री फतहसिंह
श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल)
वैद्य श्री गोविन्द सहाय
श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़)
श्री हरदत्तसिंह
श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)
श्री हरिराम चौहान (तिजारा)
श्री हरफूल
श्री जयलाल
श्री जयनारायण सालोदिया
श्री जयसिंह
ठाकुर श्री जीवराजसिंह
श्री केदारनाथ
श्री केसरीसिंह (पाली)
श्री कृष्णकुमार गोयल
श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल
श्री ललित मोहन
महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
श्री लक्ष्मीचन्द
कुं० श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी
श्री मानिकचन्द सुराणा
रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)
राजा श्री मानसिंह (डीग)

(श्री अध्यक्ष)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर
श्री मावा
श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़)
श्री मूलचन्द चौधरी
श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
श्री मुरलीधर व्यास
श्री नानाराठौड़
श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)
श्री नाथूलाल करोल
श्री राधाकृष्ण गोयल
श्री रामकिशन
श्री रामसहाय
श्री रामसिंह
श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
श्री श्रवणलाल
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री मानधातासिंह
श्री सौभागसिंह
श्री स्वरूपसिंह
श्री उदयलाल वर्दिया
रावत श्री उम्मेदसिंह
श्री उमरावसिंह ढाबरिया
श्री विजयपाल कटारा
श्री विजयसिंह झाला
श्री विट्ठल

हां पक्ष :

श्री अलदाराम मीणा
श्री अमृतलाल यादव
श्री आनन्दसिंह कछवाहा
श्री बालकृष्ण कौल
श्री बालूराम चौधरी
श्री बरकतुल्ला खां
श्री भगराज चौधरी
श्री भरतलाल
श्री भवानीशंकर नन्दवाना
श्री भीखाभाई
श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
श्री भीमसेन
श्री भोमसिंह
महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल
श्री बृजसुन्दर शर्मा
श्री चन्दनमल वैद
श्री चन्द्रसिंह बर्फा
श्री चतुर्भुज उपाध्याय
श्री छोटूराम
श्री छुट्टनलाल
श्री दलपतसिंह
श्री दौलतराम सारण
श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
श्री देवीलाल मीणा
श्री धर्माराम आर्य

(श्री अध्यक्ष)

श्री दिनेशराय डांगी

श्री गणेशलाल

श्री गंगाराम चौधरी

श्री गंगासिंह परिहार (हिंडौली)

श्री गणपतिलाल वर्मा

श्रीमती गौरी पूनिया

श्री घासीराम यादव

श्री गिरधारीलाल व्यास

श्री गोकुलचन्द

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)

श्री ज्ञानचन्द मोदी

श्री हनुमानसिंह चौधरी

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

श्री हरिदेव जोशी

श्री हरिकिशन

श्री हरिराम धारु (सिवाना)

श्री हरिश्चन्द्र

श्री हरलाल

श्री हजारीलाल शर्मा

महाराजा श्री हुकमसिंह

श्री जगनसिंह

श्री जयकृष्ण शर्मा

श्री जेठमल बरबड़

श्री जुगलाल

श्री जुझारसिंह

श्री ज्वालाप्रसाद

श्रीमती कमला बेनीवाल

श्री कानाभाई नुवाल

श्री केसरीसिंह जोजावर (खारची)

श्री किशनसिंह बाटड़

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

श्री लालाराम

श्री माधोलाल खानपुरिया

श्री मजलिस खां

श्री मालमसिंह

श्री मांगीलाल रिणवा

श्री मनफूलसिंह

श्री मथुरादास माथुर

श्री मोहनलाल सुखाड़िया

श्री मोहनराज

श्री मोहरसिंह राठौड़

श्री मोतीलाल चौधरी

श्रीमती नगेन्द्रबाला

Page No. 147

(श्री अध्यक्ष)

श्री नारायणसिंह मसूदा

मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)

श्री नत्थीलाल

श्री नाथूराम (बागीडोरा)

श्री नाथूराम मिर्धा

श्री निरंजननाथ आचार्य

श्रीमती निर्मलादेवी नाहर

श्री परसराम मदेरणा

श्री फूलचन्द जैन

डा० पोहूमल ईसरदास

श्रीमती प्रभा मिश्रा

श्री प्रभुलाल "सेन्टर"

श्री प्रतापसिंह

राव श्री रघुवीरसिंह, (बाड़ी)

श्री रघुनाथ बिश्नोई

श्री रामचन्द्र

श्री रामदेवसिंह

श्री रामप्रसाद लड्ढा

श्री रविशंकर याज्ञनिक

श्री रावतराम

श्री रूपाराम पंवार

श्री सांवलियाराम

श्री शंकरलाल जाट

श्री शीशराम ओला

श्री कुम्भाराम आर्य

श्रीमती सुमित्रा

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित

श्री तेजाराम गहलोत

कुमारी उमा माथुर

श्री विरधाराम फुलवारिया]

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मैं सूचित कर दूं कि इस सदन की दो बैठकें होंगी। कल प्रातः ८॥ से १२॥ और अपरान्ह ३ से ७। इसलिए सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८॥ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ६.३२ बजे अपरान्ह दिनांक ३१ अक्टूबर, १९६४ के म.पू. ८॥ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७२७ देखिये)

सूची

कोटा डिविजन

(१) कोटा, बून्दी, झालावाड़	२५ पै– प्रति घन फुट
(२) रामगंज मंडी, चेचट तहसील	६०२–५० पै– प्रति एक सौ वर्ग फुट

(चूना पत्थर इमारती)

(३) कौटरीजगर, झालरा	३० पैसे प्रति घन फुट
(४) करौली	४० पैसे प्रति घन फुट
(५) धौलपुर	३७ पैसे प्रति घन फुट
(६) भरतपुर	४० पैसे प्रति घन फुट

जयपुर डिविजन

(१) जयपुर	१–२५ पैसे प्रतिटन वजन प्रणाली पर
(२) अलवर	१२ पैसे घन फुट
जोधपुर डिविजन	१–२५ प्रति टन वजन प्रणाली पर
उदयपुर डिविजन	१–२५ प्रति टन वजन प्रणाली पर
भीलवाड़ा डिविजन	१–२५ प्रति टन वजन प्रणाली पर

(बलुआ व चूना पत्थर पर)

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

तहसील सपोटरा में बांध कालीसिल से सिचाई

७२८. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील सपोटरा में बांध कालीसिल से कुल कितनी जमीन की सिंचाई होती है और बांध बनाते समय कितनी एक जमीन की सिंचाई का अनुमान था ?

(२) क्या यह सही है कि सिचाई का जितना लक्ष्य था, सिचाई उतनी नहीं होती है ?

उत्तर

(१) करीब ५४०० एकड़।

अनुमान १३००० एकड़ का था।

(२) जी हां।

सुजानगढ़ का मास्टर प्लान

७२६. श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिन शहरों के लिऐ इस वर्ष मास्टर प्लान तैयार किये जा रहे हैं उनमें सुजानगढ़ भी शामिल है ?

(२) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) सुजानगढ़ के लिए तैयार किए गये मास्टर प्लान का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) पर्याप्त संख्या में ट्रेन्ड स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण अभी इसका कार्य चालू नहीं किया जा सका है।

(३) प्रश्न नहीं उठता है।

नल लगाने का कार्य, वाटरवर्क्स बीकानेर

७३०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर में वाटर वर्क्स नल लगाने का काम पहिले विभाग स्वयं करता था तथा विभागीय रेट २ आने फुट थी ?

(२) क्या यह सही है कि अब यह कार्य ठेके से होता है तथा ठेकेदार उसी काम का ३ आने से ५ आने फुट लेते हैं ?

उत्तर

(१) जी हां, बीकानेर में वाटर वर्क्स नल लगाने का कार्य विभाग स्वयं करता था और विभागीय रेट २ आने फुट थी। इसके अलावा विभागीय चार्जेज़ २४ प्रतिशत लिये जाते थे।

(२) अब यह कार्य ठेके से होता है तथा ठेकेदार ३० फुट से ऊपर के काम पर १ आने फुट की दर से खर्चा लेता है। और ३० फुट से कम के काम पर मिनिमम चार्जेज़ लेता है।

तहसील पीपल्दा के ग्रामों की नहर में आई हुई भूमि का मुआवजा

७३१. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि कोटा जिले की तहसील पीपल्दा के ग्रामों में काश्तकारों की जमीन में होकर नहर निकली है उसका मुआवजा काश्तकारों को अभी तक नहीं मिला है,

और सरकार अभी तक काश्तकारों की अवाप्त हुई भूमि का लगान वसूल कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? और ऐसे कितने काश्तकार हैं ?

(२) मुआवजा कब तक मिल जायेगा और लगान वसूली कब तक बंद हो जायेगी ?

उत्तर

(१) जी हां। कुछ का मुआवजा चुकाया जा चुका है व कुछ के लिये कार्यवाही चालू है। कुछ काश्तकारों से लगान लिया जाना भी बन्द कर दिया गया है।

(२) मुआवजे के लिये निश्चित अवधि बतलाना संभव नहीं हैं। भूमि आवाप्ति अधिकारी से बराबर तकाजा किया जा रहा है। लगान की वसूली बन्द करने के लिये राजस्व विभाग को लिखा जा चुका हैं।

विश्वविद्यलय द्वारा नियुक्ति निरीक्षकों की सवाई मानसिंह मैडीकल कॉलेज जयपुर की निरीक्षण रिपोर्ट

७३२. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षकों ने १९६३ में सवाई मानसिंह मैडीकल कॉलेज जयपुर का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत करे। इस रिपोर्ट के आधार पर मेडीकल कॉलेज के अधिकारियों ने क्या कार्यवाही आज तक की, उसका ब्योरा भी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, निरीक्षण किया था। जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। रिपोर्ट में जिन अभावों के बारे में संकेत किया गया है उनको पूर्ति की रिपोर्ट दिसम्बर, १९६४ तक जानी है इन अभावों की पूर्ति किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने स विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गुड़ के निर्यात हेतु दिये गये परमिट

७३३. श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) : Will the Food Minister be please to state :—

(a) How many permits for export of Gur' were issued by the various competent authorities during the year, 1964 ?

(b) Is it a fact that all the persons who were given such permits are non-Rajasthanies ?

(c) What are the principles followed by the State Government for issuing the 'Gur' permits ?

(d) Is it the policy of the Government to exclude Rajasthanies from this business ?

उत्तर

(१) गुड़ के निर्यात हेतु सन् १९६४ में कोई परमिट नहीं दिये गये ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) सहकारिता के आधार पर कार्य करने के सिद्धान्तों के अन्तर्गत ।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नगरपालिका क्षेत्र, टोंक में नाजायज कब्जे हटाने के आदेश

७३४. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका टोंक में नाजायज़ कब्जे की केस फाईल नम्बर १६ दिनांक ४-४-५० जो कि श्री फूलचन्द विरुद्ध गिरधरदास उनवान से थी वह गुम हो गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या यह सही है कि सन् ५० का यह नाजायज कब्जा हटाने के आदेश ३-३-५० को हो गये थे । क्या यह नाजायज़ कब्जा हटा लिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां । फाइल की तलाश की जा रही है ।

(२) सम्बन्धित फाइल प्राप्त न होने की दशा में कोई निश्चित उत्तर सम्भव नहीं है ।

ग्राम फतेहनगर व सचवाड नल योजना

७३५. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सच है कि मावली तहसील में ग्राम फतेहनगर व सतवाड़ा के लिए नल योजना बन चुकी है ? यदि हां, तो वह कब तक चालू हो जायेगी ?

उत्तर

१. जी नहीं । सर्वे की जा रही है । सर्वे हो चुकने के बाद आगे की कार्यवाही की जा सकेगी ।

राजस्थान नहर क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

७३६, **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान नहर क्षेत्र में प्रारम्भ में कौन कौन सी सड़कें बनाने का प्रावधान रखा गया था, उनके लिये कितनी धन-राशि का खर्च करने का अनुमान था तथा अब संशोधित रूप में कौन कौन सी सड़कें कितनी अनुमानित लागत से बनाने की योजना है ?

(२) क्या सरकार मुख्य नहर के निर्माण हेतु उसके समानान्तर अग्रिम तौर से तथा अन्य उपयुक्त स्थानों को इस मुख्य नहर के समानांतर सड़कों से जोड़ने वाली सड़कों का तत्काल निर्माण कराने का विचार रखती है ताकि नहर निर्माण का अपेक्षाकृत कम खर्चा एवं कम समय में हो सके ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

माईनिंग विभाग कोटा से गुम फाइल

७३७. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा—सु०) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ठेकेदार जीतमल सुराना, माइन्स कोटा रायल्टी के ठेकेदार की एग्रीमेन्ट की फाइल माइनिंग विभाग, कोटा द्वारा गायब की गई जबकि इस ठेकेदार पर सरकार के हजार-बारह सौ रुपये लेना बाकी निकलता है? यदि हां, तो इस रकम का घाटा किससे पूरा किया जा सकेगा तथा फाइल गायब नहीं हुई तो सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) ठेकेदार तुलसी और मदनसिंह के बीच का रकबा, जो इन ठेकेदारों के अधिकार से बाहर था, को बिना मंजूरी काट दिया गया उस पर फील्डमैन ने क्यों पर्दा डाला? इस प्रकार इस अवैधानिक ढंग से काट दिये गये एरिया से सरकार को कितनी हानि हुई हैं?

(३) क्या यह सही है कि मोहम्मद उमर नामक के ठेकेदार की खान खसरा नं० ११६ डोबिया एरिया ४००×२०० तहसील लाडपुरा में है, जिसके पक्के मुकाम तोड़ कर दूसरे ठेकेदार प्रद्युम्न कुमार को क्यों दे दी गई? क्या इसके पीछे भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है?

उत्तर

(१) जी नहीं, बकाया रकम को वसूल करने की कार्यवाही लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत जारी है; संबंधित पत्रावली सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि सर्व श्री मदनसिंह व तुलसीदास के एरिया की सर्वे रिपोर्ट विचाराधीन है। इसके निर्णय होने पर ही फील्डमैन या अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी, यदि वे अपराधी साबित हुए श्री तुलसी के विरुद्ध भी श्री मदनसिंह का प्रार्थनापत्र है कि उसका एरिया दबा लिया है। इसका निर्णय भी ऊपर के विवाद के साथ तय होगा।

(३) जी नहीं, दोनों ठेकेदारों के पास पृथक पृथक एरिया के लीजेज़ हैं। अतः भ्रष्टाचार का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुलिस थाना डग में फसलों के नष्ट किये जाने के मामले

७३८. श्री जयलाल (डग) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या डोटी ग्राम तहसील गंगधार के शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने अगस्त, १९६२ में पुलिस थाना डग में उनकी फसलों के नष्ट किये जाने की रिपोर्ट की थी ? यदि हां, तो क्या आज तक उस रिपोर्ट पर पुलिस थाना डग ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

१. माह जुलाई सन् १९६२ में कोई रिपोर्ट नहीं की गई। किन्तु, श्री समदा ने ता० १९-८-६२ को थाना डग में उसकी फसल नष्ट किये जाने की रिपोर्ट की थी जिस पर थानेदार ने केवल ४२७ भा० द० सं० का ही जुर्म होना मान कर मुकदमा दर्ज नहीं किया क्योंकि वह नाकाबिल दस्तन्दाजी अपराध था और प्रार्थी को न्यायालय में कार्यवाही का परामर्श दिया। चूंकि उक्त रिपोर्ट से धारा ४४७ भा० म० सं० का अपराध भी बनता था। अतः एस० पी० झालावाड़ को आदेश दिये गए कि धारा ४४७ भा०द० सं० में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जावे। जिसके फलस्वरूप मु० नं० १ धारा ४४७। ४२७ भा० दं० सं० में दिनांक १४-१-६४ को थाना डग में पंजीबद्ध हो कर अनुसंधान किया गया व २४ व्यक्तियों का चालान किया गया इन सबको दिनांक १३-८-६४ को न्यायालय ने रिहा कर दिया, परन्तु रिवीज़न के हेतु विचार किया जा रहा है।

अग्नि कांड से पीड़ितों को सहायता

७३९. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान में वर्ष १९६३ में कब कब किस जिले के किस किस स्थान पर आग लगी और इस आग से अनुमानित नुकसान कहां कहां कितना कितना हुआ ?

(ख) अग्नि पीड़ितों की सहायतार्थ क्या नियम हैं और उक्त वर्ष के लिए कितनी धन-राशि इस कार्य के लिये निर्धारित की गई थी और इसमें से कितनी खर्च हो गई ?

उत्तर

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है; निर्धारित धनराशि और कार्य की सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट

कस्बा जुरहड़ा में प्राईमरी हैल्थ सेन्टर

७१०. श्री मजलिसखां (कामां) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कामां पंचायत समिति भरतपुर ने कस्बा जुरहड़ा में प्राईमरी हैल्थ सेन्टर खोलने का निर्णय ले लिया है और जुरहड़ा के एक सेठ ने सेन्टर के भवन निर्माण के लिए १० हजार रुपये की रकम भी जमा करा दी है ?

(२) क्या यह सही है कि दिनांक १५ जून, १९६४ को पी. एम. ओ. भरतपुर को सेन्टर के भवन निर्माण के लिए स्थान का भी मौका दिखला दिया है !

(३) क्या यह भी सही है कि ता० १५ जून. ६४ को पी. एम. ओ. भरतपुर को जुरहड़ा निवासियों ने एक धर्मशाला का इसलिए मौका दिखलाया कि जब तक भवन का निर्माण नहीं हो तब तक हैल्थ सेन्टर के लिये उसको काम में ले लिया जावे ?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त धर्मशाला को पी. एम. ओ. ने पसन्द कर लिया और शीघ्र ही स्टाफ और दवाइयां भेजने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या कारण है कि फिर भी जुरहड़ा में हैल्थ सेंटर चालू नहीं किया जाता है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां, जुरहड़ा प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोलने की स्वीकृति राज्य सरकार ने अपने पत्र संख्या १ (२२) एम. पी. एच.।६४ दिनांक १४–८–६४ द्वारा प्रदान की है। इस विषय में विकास अधिकारी पंचायत समिति तथा चिकित्सा अधिकारी कामां को उपरोक्त सेंटर धर्मशाला में खोलने तारीख की सूचना देने के लिये लिखा जा चुका है। दिनांक ३१–१०–६४ द्वारा शीघ्र ही जुरहड़ा प्रा. स्वा. केन्द्र चालू करने के लिए लिखा जा चुका है।

चित्तौड़गढ़ ज़िले की तलहटी में बसाये गये परिवारों को सहायता अनुदान

७४१. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ के किले को आबादी को चित्तौड़गढ़ की तलहटी में बसाया गया है ? अगर हां, तो कितने परिवारों को ?

(२) क्या यह सही है कि जितने परिवार बसाये गये हैं उनमें से अधिकतर अनुसूचित जाति के परिवार हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता अनुदान ऋण आदि नहीं दिया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि इन परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो वे स्वयं मकान बना सकें ? अगर हां, तो इन्हें किस प्रकार की सहायता दिलाने की योजना है।

उत्तर

(१) जी हां। केवल ३८ परिवारों को। जिनके मकानात विजय स्तम्भ के पास आबाद थे, उस जमीन को पुरातत्व विभाग द्वारा अवाप्त किये जाने की दशा में यह किया गया।

(२) जी हां। इन परिवारों में से अधिकतर अनुसूचित जाति के हैं तथा कोई ऋण, सहायता आदि नहीं दिये गये।

(३) जी हां। किसी प्रकार की सहायता आदि की योजना के सम्बन्ध में कोई मांग-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

तालाब की डूब आई भूमि का मुआवजा

७४२. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की सलुम्बर तहसील के मानपुर गांव में आज से पांच साल पहले हेड़ी नदी पर कोई तालाब सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त तालाब में मानपुर औडा के आदिवासियों की जमीनें डूब में आई थीं उसके बदले में दूसरी पड़त जमीनें देने के आदेश हो चुके हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि बावजूद आदेशों के स्थानीय तहसील के स्टाफ द्वारा अब तक उन्हें जमीनें नहीं नापने दी गई हैं ?

(४) क्या अब भी खरीफ की खेती करने के समय से पूर्व उन्हें जमीनें नाप दी जावेगी ?

(५) क्या डूब में आई जमीनों का लगान भी उन काश्तकारों से वसूल हो रहा है ? यदि हां, तो कितना वसूल हुआ है और वापस क्यों नहीं लौटाया जा रहा है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जो भूमि डूब में आई उसके बदले में काश्तकारान जंगलात एरिया में भूमि चाहते हैं जिसको वन विभाग से लेने की कार्यवाही जारी है।

(३) भूमि वन विभाग से अभी तक परिवर्तन : transfer नहीं हुई जिससे काश्तकारान को देने की कार्यवाही नहीं हो सकी।

(४) भूमि वन विभाग से लेने की कार्यवाही शीघ्र करा के भूमि शीघ्र ही वितरण करने का प्रयत्न किया जायगा।

(५) लगान समय पर कमकर दिया गया अब वसूल नहीं हो रहा है।

नहरों की अव्यवस्था से फसलों को नुकसान

७४० श्री मावा (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि जयसमन्द केनाल से सिंचित होने वाली जमीनों में नहर की अव्यवस्था के कारण कई जमीनों को अधिक पानी देकर फसलें बिगाड़ कर नष्ट कर दी जाती है। और कई स्थानों पर पर्याप्त पानी नहीं देकर फसलें सुखा दी जाती हैं और सिंचाई चार्ज पूरा वसूल किया जाता है ?

(२) क्या गत रबी फसल में इन्टाली केनाल से अधिक पानी आने के कारण सोरया थडा के चक की जमीनों की फसलों को नुकसान हुआ और उन्हें नुकसान का मुआवजा नहीं दिया गया ?

(३) क्या यह भी सही है कि अमलोंदा टिकावडा, कांच का गुड़ा, माजावतों का गुड़ा आदि १२ गांवों की जमीनों पर पानी नहीं देकर फसलें सुखा दी गई ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं । ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

(३) जी नहीं ।

सुल्तानपुर डिस्पेन्सरी के डॉक्टर के विरुद्ध शिकायतें

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सुल्तानपुर डिस्पेन्सरी, तहसील दीगोद, जिला कोटा के डॉक्टर से ग्रामवासी परेशान हैं ?

(२) क्या ग्रामवासियों ने इन के विरुद्ध कोई शिकायत सरकार के सामने पेश की है और डाक्टर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही को जाने की मांग की है ? यदि हां, तो अब तक सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम बांक्या तहसील दीगोद के अध्यापक को किशोरपुरा ग्राम वासियों ने पीटा जिससे उनके सिर में भारी चोट आई ?

(४) क्या यह सही है कि उनको तत्काल सुल्तानपुर डिस्पेन्सरी में भरती करने पर व कम्पाउन्डर के होते हुए भी डॉक्टर ने उनकी चिकित्सा नहीं की और दो दिन तक बिना पट्टी बांधे मरीज अस्पताल में वहां रहा व बाद में खस्ता हालत में कोटा में भरती करवाया गया ? यदि हां, तो संबंधित डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

परिशिष्ट

उत्तर

(१) सरकार को ऐसी जानकारी नहीं है कि सुल्तानपुर डिस्पेन्सरी, तहसील दीगौद, के मौजूदा डाक्टर से वहां के ग्रामवासी परेशान हैं।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं।

*शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक ३० अक्टूबर, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१	अन्तिम से ३	श्रीमती लक्ष्मी कुमारा	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी
३	८	श्री रामप्रसाद लडढा (राय-सिंहनगर)	श्री रामप्रसाद लड्ढा
६	३	श्री वरकतुल्ला खां	श्री बरकतुल्ला खां
७	२४	बरकतुल्ला खां	श्री बरकतुल्ला खां
९	६	श्री राधाकृष्ण कोयल :	श्री राधाकृष्ण गोयल :
,,	१८	नेहरु अवार्ड	नेहरू अवार्ड
१०	१	(श्री रामप्रसाद लडदा)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
१२	शीर्षक	तारांकित श्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
१७	शीर्ष	(श्री भीमसिंह)	(श्री भीमसिंह)
,,	१६	श्री भीमासह	श्री भीमसिंह
२४	२२	uderstand	understand
२५	१६	श्री नाथराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
,,	२३	-घन्टी)	-घन्टी)
२६	७	ऑल;	ऑल
,,	८	बोरी,	बोरी;
,,	१३	मिलो,	किलो,
,,	१७	४० मिनिस्टर	४० किलो; मिनिस्टर
,,	१८	एक बोरी····किलो,	एक बोरी...
२७	१३	ननूना है।	नमूना है !
३१	८ व ११	श्री अबदुल जब्बार	श्री अब्दुलजब्बार
३३	शीर्ष	(उमरावसिंह ढावरिया)	(श्री उमरावसिंह ढावरिया)
४०-४१	८ १६ तथा ३	श्री मोहनलाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
४१	शीर्षक	तारांकित प्रनोश्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४१	अन्तिम से ४	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
४६	५	श्री मैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
४७	शीर्ष	—	(श्री अध्यक्ष)
५०	२२	(१२.०० मध्यान)	(१२.०० मध्यान्ह)
५१	१	श्री गोकुलपसाद	श्री गोकुलप्रसाद
,,	१४	श्री जुभासिंह	श्री जुभारसिंह
५३	११	श्री रामप्रसाद लड्डा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
५५	१५	श्री सतीशाउन्द्र	श्री सतीशाचन्द्र
५७–५८	शीर्षक	मंत्रि मंडल के प्रति- ३० अक्टूबर ६४—अविश्वास प्रस्ताव	स्थगित प्रश्नोत्तर—३० अक्टूबर, ६४-स्थगित प्रश्नोत्तर
५८	६	सतीशाचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशाचन्द्र अग्रवाल
,,	२८	आप उसकाने	आपने उसका
५६–६०	शीर्षक	स्थगन प्रस्ताव-३० अक्टूबर, ६४— याचिकाओं का उपस्थापन	स्थगित प्रश्नोत्तर-३० अक्टूबर, ६४-स्थगित प्रश्नोत्तर
५६	शीर्ष	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)	(श्री सतीशाचन्द्र अग्रवाल)
,,	अन्तिम से ३	श्री निरन्जननाथ आचाय	श्री निरन्जननाथ आचार्य
६१–६२	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर—३० अक्टूबर, ६४—तारांकित प्रश्नोत्तर	स्थगित प्रश्नोत्तर—३० अक्टूबर, ६४—स्थगित प्रश्नोत्तर
६१	१	राधाकृष्ण गोयल	श्री राधाकृष्ण गोयल
६२	१६	श्री निरन्जननाथ	(श्री निरन्जननाथ
,,	१८	श्री सतीशाघन्द्र	श्री सतीशाचन्द्र
,,	अन्तिम से २	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
६३–६५	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर—३० अक्टूबर, ६४—तारांकित प्रश्नोत्तर	स्थगित प्रश्नोत्तर-३० अक्टूबर, ६४—स्थगित प्रश्नोत्तर
६५	५	इन्फोर्मेसन	इन्फोर्मेशान
,,	८	श्री सतीशाघन्द्र	श्री सतीशाचन्द्र
६७	शीर्ष	—	(श्री खाद्य मंत्री)
६६	,,	(राजस्थान केनाल मंत्री)	(श्री राजस्थान केनाल मंत्री)
७१	,,	—	(श्री राजस्व मन्त्री)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७२	पंक्ति १० के पश्चात्	—	उत्तर
,,	अन्तिम से २	राजख	राजस्व
७७	३	राजस्थान जयपुर कमिश्नर	कमिश्नर, राजस्थान, जयपुर
७८ से ८०	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर-३० अक्टू-बर, ६४-अतारांकित प्रश्नोत्तर	मंत्रि-मण्डल के प्रति-३० अक्टू-बर, ६४—अविश्वास प्रस्ताव
७८	१४	श्री हरिचन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
,,	१७	में शुरुआत	मैं शुरुआत
७९	१७	: (आसपुर)	(आसपुर) :
८०	५	श्री मानसिंहमहार—	श्री मानसिंह महार :
,,	१९	माहारावल	महारावल
८१	१५	श्री हरिश्चन्द मेरा	श्री हरिश्चन्द्र : मेरा
८२	१३	श्री मानिंसह महार	श्री मानसिंह महार
,,	अन्तिम से २ व १	म्युनसिपैलिटी	म्युनिसिपैलिटी
८४	२५	अपकी	आपकी
१०२	११	लीवेज़ज	लीकेजेज़
१०३	२१	श्री गोंलाल	श्री दुर्गालाल
१०५	शीर्ष	(श्री रामाननन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
१०६	१६	मंह्गाई	महंगाई
,,	३१	साम्राज्ववाद	साम्राज्यवाद
,,	३२	साम्राज्ययाद	साम्राज्यवाद
,,	३३	सामस्यवाद	सामान्तवाद
,,	,,	सम्प्रदाययाद	सम्प्रदायवाद
१०७	शीर्ष	(श्री रामानन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
१०९-११०	शीर्षक	—३० अक्बर ६४—	—३० अक्टूबर, ६४—
११३ से १२८ तक	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर—३० अक्टूबर, ६४—अतारांकित प्रश्नोत्तर	मंत्रि—मण्डल के प्रति—३० अक्टूबर, ६४— अविश्वास-प्रस्ताव
१२०	७	इसालए	इसलिए

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१२२	अन्तिम से २	श्री चंदनमल दबै	श्री चंदनमल वैद
१२५व१२६	२५ व १	श्री नाथूराम मिर्घा	श्री नाथूराम मिर्धा
१२६	२१–२२	Controler's	Controller's
,,	२६	Re. / i per	Re. 1 per
१३४	५	श्री माथुरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
१३६	१	श्री सतीशाचनद्र	श्री सतीशाचन्द्र
१३६–१४०	शीर्षक	–२८ अक्टूबर, ६४	–३० अक्टूबर, ६४–
१३६	शीर्ष	श्री मानिकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
१४२	शीर्षक	अविश्वाष प्रस्ताव	अविश्वास प्रस्ताव
१४२	१३	(सचोर)	(सांचोर)
१४७	१	श्री योगेन्द्रनाथ ह्रांड़ा	श्री योगेन्द्रनाथ ह्रांडा
१४६	शीर्ष	(श्री मानकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
१५३	१	श्री मानिकचचंद सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
,,	४	अध्यक्ष : this is	श्री अध्यक्ष : This is
,,	२१	न करें।	न करें।
१५६	अन्तिम से २	श्री मथुरादास माथुरा	श्री मथुरादास माथुर
१६६	३	श्री रामाकशन	श्री रामकिशन
१६७–१६८	शीर्षक	त-३० अक्टूबर, ६४	–३० अक्टूबर, ६४–
१६६	२३	श्री उमरावसिह	श्री उमरावसिंह
१७६	शीर्षक	अविश्वास प्रन्ताव	अविश्वास प्रस्ताव
,,	२०	श्री मथुरा दासमाथुर	श्री मथुरादास माथुर
१८०	शीर्षक	अबिश्वास–प्रन्ताव	अविश्वास–प्रस्ताव
१८१	,,	मंत्रिमंडम	मंत्रि–मण्डल
१८३–१८४	,,	–३० अक्टू, ग्रै ६४	३० अक्टूबर, ६४–
१६०	अन्तिम से ४	श्री मथुरादास माथर	श्री मथुरादास माथुर
१६४	८	thir.	their
१६६	शीर्ष	(राजा श्री मानसिह)	(राजा श्री मानसिंह)
२१४	१०	महारावल श्री लमदणसिह	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
२१६	१६	(बित्तमन्त्री)	(वित्त मन्त्री)

*

स्कम्भ	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२२२	शीर्षक	अविश्वस–प्रस्ताव	अविश्वास-प्रस्ताव
२२३	,,	मंत्रिमंड के प्रति	मन्त्रि–मण्डल के प्रति
२२४	१५	ढ़ाबरिया	ढाबरिया
२३३–२३४	शीर्षक	–३० अक्टूबर, ६४०	–३० अक्टूबर, ६४–
२३५–२३६	,,	–३० अक्टूब्र, ६४–	–३० अक्टूबर, ६४–
२४५	२४	श्री बालकुष्ण कौल	श्री बालकृष्ण कौल
२५३	स्कम्भ	१५३	२५३
२५४	,,	१५४	२५४
,,	६	महारावल श्री लदमणमिह्	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
२७४	४	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
[illegible]	६	महारावल श्री लज्मणसिंह	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
[illegible]	६ व २७	महारावल लदमणसिंह	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
[illegible]	१६	(पचभदरा)	(पचपदरा)
२८६	७	श्री नाना I ठौड़	श्री नानाराठौड़
२९१	१७	श्री हरिराम धारू	श्री हरिराम घारू
२९४	१३	की	को
२९६	२	सिचाई	सिंचाई
२९८	१०	नियुक्ति	नियुक्त
,,	अन्तिम	होने स	होने से
३००	४	सचवाड	सनवाड़
,,	७	सतवाड़ा	सनवाड़
३०४	१६	डूब आई	डूब में आई
३०५	१९	७४०	७४३.
३०६	११	कुंवर श्री महेन्द्रसिंह	७४४. कुंवर श्री महेन्द्रसिंह

* नोटः—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।